र्दश माला, खंड 32, अंक 4

गुरूवार, 28 फरवरी, 2008
9 फाल्गुन, 1929 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद

## (हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 74
Dated 16 Jan 2009

सत्यमेव जयते

(खण्ड 32 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

**सम्पादक मण्डल**

**पी. डी. टी. आचारी**
महासचिव
लोक सभा

**आर. के. चड्ढा**
संयुक्त सचिव

**प्रतिमा श्रीवास्तव**
निदेशक

**कमल शर्मा**
संयुक्त निदेशक–I

**सरिता नागपाल**
संयुक्त निदेशक–II

**अरुणा वशिष्ट**
सम्पादक

**रेनू बाला सदन**
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

# विषय सूची

*चतुर्दश माला, खंड 32, तेरहवां सत्र, 2008 / 1929 (शक)*

**अंक 4, गुरुवार, 28 फरवरी 2008 / 09 फाल्गुन, 1929 (शक)**


| **विषय** | **कॉलम** |
|---|---|
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | |
| तारांकित प्रश्न संख्या 41 से 60 | 2-29 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या 353 से 582 | 26-356 |
| **सभा पटल पर रखे गए पत्र** | 357-358 |
| **विशेषाधिकार समिति के दसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव** | 358 |
| **गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति** | |
| एक सौ उनतीसवां प्रतिवेदन | |
| साक्ष्य | 359 |
| **सभा का कार्य** | |
| **समितियों के लिए निर्वाचन** | |
| (एक) प्राक्कलन समिति | 363 |
| (दो) लोक लेखा समिति | 363-364 |
| (तीन) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति | 364-365 |
| (चार) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति | 367 |
| **कार्यमंत्रणा समिति के पैतालीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव** | 367 |
| **अनुबंध - I** | |
| तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका | 369 |
| अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका | 370-374 |
| **अनुबंध - II** | |
| तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका | 375-376 |
| अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका | 375-376 |

## लोक सभा के पदाधिकारी

**अध्यक्ष**

श्री सोमनाथ चटर्जी

**उपाध्यक्ष**

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

**सभापति तालिका**

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

**महासचिव**

श्री पी.डी.टी. आचारी

# लोक सभा वाद-विवाद

## लोक सभा

---

**गुरुवार, 28 फरवरी, 2008/09 फाल्गुन 1929 (शक)**

---

*लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।*

*(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)*

*[अनुवाद]*

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न सं. 41

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**कुंवर देवेन्द्र सिंह यादव** (एटा) : अध्यक्ष महोदय, सरकार किसानों का कर्ज माफ ...*(व्यवधान)*

**पूर्वाह्न 11:01 बजे**

*इस समय श्री देवेन्द्र सिंह यादव तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।*

...*(व्यवधान)*

**श्री राम कृपाल यादव (पटना)** : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में उत्तर भारत के लोगो की रक्षा की जाए ...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी साम्मलित नहीं किया जाएगा

...*(व्यवधान)**

**पूर्वाह्न 11:01½ बजे**

*इस समय श्री राम कृपाल यादव तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।*

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यो, मैंने सभी मुद्दों पर चर्चा करने की अनूमति दे दी है। चर्चा सही ढ्ग से करें। मैंने किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने से रोका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

**पूर्वाह्न 11:02 बजे**

*(इस समय श्री राम कृपाल यादव तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर वापस चले गए।)*

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदयः** मुझे कहते हुए खेद हो रहा है कि आप सब जो कर रहे हैं वो लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है। यह मेरे लिए अत्यधिक दुख का विषय है एक समय आप आधिक बैठकों को मांग कर रहें थे। आप नोटिस दे रहे थे, अनेक माननीय सदस्यो द्वारा अनेक नोटिस दिए गए हैं। इन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज आरंभ होगी।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : अत्यधिक दुख तथा शेष के साथ मुझे मजबूरन सभा को स्थागित करना पड़ रहा है। देशवासी निर्णय लें कि क्या करना है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : सभा पटल के निकट खड़े सदस्यों के नाम मुझे दीजिए।

...*(व्यवधान)*

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों को अंतरिम राहत

*[अनुवाद]*

***41. श्री एस. अजय कुमार : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) आपके मंत्रालय के अंतर्गत उर्वरकों/रसायनों का उत्पादन करने वाले सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उन रुग्ण उद्यमों विशेषकर फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के लिए कोई अंतरिम राहत स्वीकृत की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रुग्ण इकाइयों को अर्थक्षम बनाने के लिए अन्य क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास**

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**पासवान)** : (क) रुग्ण उद्योग कंपनी अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत किसी रुग्ण कंपनी का आशय उस औद्योगिक कंपनी से है जिसकी किसी वित्तीय वर्ष के अंत में संचित हानि सम्पूर्ण निवल मूल्य के बराबर या उससे अधिक हो जाए।

जहाँ तक उर्वरक विभाग का संबंध है फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआईएल), हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लि. (एचएफसीएल) और मद्रास फर्टिलाइजर लि. (एमएफएल) सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उद्यम हैं।

जहाँ तक रसायन और पेट्रो रसायन विभाग का संबंध है, हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि. (एचओसीएल), हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लि. (एचआईएल), हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि. (एचएएल) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि. (बीसीपीएल) और इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उद्यम हैं।

(ख) और (ग) फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि. (फैक्ट) रुग्ण कंपनी नहीं है लेकिन यह घाटे में चलने वाला एक उद्यम है। सरकार ने फैक्ट के प्रचालनों को बनाए रखने के लिए हाल ही में 200 करोड़ रुपए का अंतरिम अनुदान अनुमोदित किया है।

रुग्ण उर्वरक इकाइयों को व्यवहार्य बनाने के उपायों के संबंध में सरकार एफसीआईएल की गोरखपुर, रामागुंडम, तलचर, सिंदरी और हल्दिया स्थित बंद पड़ी इकाइयों का पुनरुद्धार करने की कार्रवाई कर रही है बशर्ते की फीडस्टॉक उपलब्ध हो। जहाँ तक एमएफएल का संबंध है एक पुनर्वास पैकेज को अंतिम रुप दिया जा रहा है।

जहाँ तक रसायन और पेट्रो रसायन के सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उद्यमों का संबंध है एचओसीएल, एचआईएल, एचएएल और बीसीपीएल के लिए ब्याज को माफ करने, ऋण को साम्या में परिवर्तित करने, सरकारी गांरटियों को जारी रखने, पिछले ऋणों को माफ करने आदि सहित पुनरुद्धार पैकेज वर्ष 2006 में अनुमोदित कर दिया गया है, जिसे फिलहाल कार्यान्वित किया जा रहा है। आईडीपीएल के पुनरुद्धार के लिए एक पुर्नवास योजना को अलग से अंतिम रुप दिया जा रहा है।

**उर्वरक क्षेत्र में निवेश**

***42. श्री सुग्रीव सिंहः**
**श्री किसनभाई वी. पटेलः**

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उर्वरक उद्योग ने अपनी बिगड़ती हालत में सुधार करने और इस क्षेत्र में तेजी से घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने वाली नीतियां तैयार करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान)**: (क) से (ग) पिछले दस वर्षो से उर्वरक क्षेत्र (विशेषकर यूरिया क्षेत्र) में कोई महत्वपूर्ण निवेश नहीं हुआ है। उर्वरक उद्योग ने सरकार का ध्यान उर्वरक क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से कम लाभप्रदत्ता और इससे भी अधिक उनके द्वारा सामना की जा रही धन संबंधी समस्या की ओर आकृष्ट किया है। दूसरी ओर, पिछले कुछ वर्षों में उर्वरकों की खपत में तेजी से वृद्धि हुई है जिससे उर्वरकों की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता बढ़ गई है।

उर्वरक क्षेत्र में निवेश की कमी, स्थिर स्वदेशी उत्पादन, मांग–उत्पादन के बीच बढ़ते अंतर, देश में गैस की अनुमानित उन्नत उपलब्धता तथा उद्योग की चिंताओं को देखते हुए सरकार देश और विदेश दोनों में उर्वरक क्षेत्र में नया निवेश आकर्षित करने की एक नीति को अंतिम रूप दे रही है। सरकार इस क्षेत्र में अपेक्षित निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रस्तावित नीति को अंतिम रूप देने के लिए आयात सममूल्य के अनुरूप बैंचमार्क बनाने सहित विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है।

**निःशक्त व्यक्तियों को रोजगार देने को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन**

***43. श्री रवि प्रकाश वर्माः**
**श्री आनंदराव विठोबा अडसूलः**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र को निःशक्त व्यक्तियों को रोजगार देने हेतु प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने निःशक्त व्यक्तियों के लिए अब से प्रत्येक वर्ष एक लाख रोजगार सृजित करने की योजना शुरु की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केंद्र सरकार द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार):** (क) से (ङ) जी, हां। योजना में कर्मचारी भविष्य निधि ओर कर्मचारी राज्य बीमा में निःशक्त व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए पहले तीन वर्षों के लिए नियोक्ता के अंशदान के भुगतान की व्यवस्था है। योजना का लाभ 25,000 रुपये प्रति माह तक मासिक मजदूरी वाले व्यक्तियों के लिए है। इस योजना में निःशक्त व्यक्ति अधिनियम और राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित सभी निःशक्त व्यक्ति कवर किए जाते हैं।

*[हिन्दी]*

**रेल लाइनों का नवीकरण**

***44. श्री अजीत जोगी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने दसवीं योजना के अंतर्गत निर्धारित किए गए वर्ष–वार कार्यक्रम लक्ष्यों के अनुसार रेल लाइनों का नवीकरण किया है;

(ख) रेल लाइनों के नवीकनण के कार्य में विशेषतौर पर गत तीन वर्षो में विलम्ब के क्या कारण है;

(ग) उन जोनों के नाम क्या हैं जिनमें रेल लाइनों के नवीकरण के कार्य में अधिकतम समय लिया गया है/लिया जा रहा है;

(घ) प्रत्येक वर्ष के लिए किए गए बजट आवंटन और खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आबंटित राशि का कम उपयोग करने के क्या कारण हैं?

**रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) :** (क) जी हां। दसवीं योजना के दौरान रेलपथ नवीकरण के वास्तविक लक्ष्यों को हासिल कर लिया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) बजट आवंटन और व्यय का ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है:

| वित्त वर्ष | बजट अनुदान (करोड़ रुपयों में) (सकल) | संशोधित अनुदान (करोड़ रुपयों में) (सकल) | व्यय (करोड़ रुपयों में) (सकल) |
|---|---|---|---|
| 2002-03 | 3516.5 | 3401.21 | 3297.7 |
| 2003-04 | 3391.0 | 3435.9 | 3484.4 |
| 2004-05 | 3370.0 | 3835.4 | 4125.3 |
| 2006-06 | 3409.0 | 3636.1 | 3779.0 |
| 2006-07 | 3721 | 4206.5 | 4618.4 |

(ङ) 2002-03 के दौरान बजट आबंटन का पूर्णतया उपयोग नहीं हो पाया था क्योंकि रेलपथ नवीकरण के लिए क्षमता संवर्धन करने में कुछ समय लगा था। उससे पिछले वर्ष (2001-02) में केवल 2404.6 करोड़ रुपये खर्च हुए थे।

**अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करना**

***45. डा. सत्यनारायण जटिया :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों में, विशेषकर मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु वर्ष 1950 को एक आधार वर्ष के रुप में परिभाषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या किसी व्यक्ति को उसके माता–पिता की जाति के आधार पर अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को वर्ष 1950 को आधार वर्ष मानने के कारण विभिन्न राज्यों, विशेषकर मध्य प्रदेश से अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इनके निराकरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार) :** (क) से (च) अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र निर्धारित अधिकारियों द्वारा जारी किए जाते हैं और माता–पिता की जाति एक महत्वपूर्ण मानदण्ड है। तथापि अंतरजातीय विवाह से जन्मे बच्चों के मामले में पिता की जाति ही मान्य होती है।

अनुच्छेद 341 के अंतर्गत जारी संविधान (अनुसूचित जाति) आदेशों में किसी "आधार वर्ष" का उल्लेख नहीं है। मंत्रालय को मध्य प्रदेश अथवा किसी अन्य स्थान के निवासियों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

*[अनुवाद]*

**भारत-ईरान गैस पाइपलाइन**

***46. श्री जुएल ओराम:**

**श्री कीरेन रिजीजू:**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत–ईरान गैस पाइपलाइन परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या पाकिस्तान में नवीनतम घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में इसके सुरक्षा संबंधी मुद्दों की जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस परियोजना में चीन भी शामिल हो रहा है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(च) विभिन्न दृष्टिकोण से इसकी आर्थिक व्यवहार्यता और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) इस संबंध में भारत के समक्ष क्या कठिनाइयां आ रही है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा :** (क) भारत ईरान–पाकिस्तान–भारत (आईपीआई) राष्ट्रपार गैस पाइपलाइन के जरिए ईरान से प्राकृतिक गैस के आयात के प्रयास करता रहा है। इस परियोजना के क्रियान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण मामले प्रतिभागी देशों के मध्य विचाराधीन हैं।

(ख) से (छ) वर्तमान संकेतों के अनुसार ईरान–पाकिस्तान सीमा तक ईरान के भीतर पाइपलाइन ईरान द्वारा नामित की जाने वाली किसी एजेंसी द्वारा बिछाई और प्रचालित की जाएगी। इसलिए ईरान के भीतर पाइपलाइन की सुरक्षा और बचाव का सारा दायित्व ईरान का होगा। पाकिस्तान के भीतर पाइपलाइन और गैस की सुरक्षा और बचाव आदि पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी जिसके लिए एक शुल्क लगाया जाएगा। पाकिस्तान सरकार द्वारा पैकेज और शुल्क के संबंध में विचार–विमर्श जारी है। पाइपलाइन की सुरक्षा और बचाव के लिए पाकिस्तान पक्ष के संविदा में उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जाएंगे। यह सहमति हो गई है कि ईरान, पाकिस्तान और भारत में बिछाए जाने के लिए प्रस्तावित पाइपलाइन का निर्माण सभी सुरक्षा पहलुओं को शामिल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया जाएगा। पाइपलाइन के आसपास रात–दिन संचार और पर्यवेक्षी नियंत्रण पद्धति उपलब्ध कराया जाना परिकल्पित है।

ऐसी अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में गंभीर विचार–विमर्श की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि प्रत्येक देश के हितों की रक्षा करने के लिए और परियोजना के सफल प्रचालन में भविष्य में किसी समस्या को टालने के लिए प्रतिभागी देशों की संतुष्टि हेतु सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक जांच करनी होती है और उन पर गहन विचार करना होता है।

आईपीआई गैस पाइपलाइन परियोजना में चीन के शामिल होने के संबंध में कोई अधिकारिक संदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

*[हिन्दी]*

**रेल संरक्षण बल का आधुनिकीकरण**

***47. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल संरक्षण बल (आरपीएफ) की कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षो में इस बल के आधुनिकीकरण और प्रशिक्षण हेतु कितनी धनराशि आवंटित और खर्च की गई; और

(ग) उन सभी स्टेशनों पर जहां आरपीएफ कर्मियों को स्थायी आधार पर तैनात नहीं किया जाता है, इनकी तैनाती करने के लिए आरपीएफ में और अधिक व्यक्तियों को भर्ती करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद):** (क) रेल संरक्षण बल की कुशलता को बढ़ाने के लिए विभित्र उपाय किए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपायों का नीचे उल्लेख किया गया है:

i) 96 स्टेशनों और 96 गाड़ियों को आदर्श स्टेशनों/गाड़ियों के रूप में चिहिनत किया गया है और इन स्टेशनों पर तथा गाड़ियों में आपराधिक वारदातों पर बोर्ड स्तर पर सुरक्षा निदेशालय द्वारा निगरानी रखी जाती है।

ii) विभिन्न गाड़ियों/स्टेशनों की अचानक जांच करने तथा सीधे महानिदेशक/रेल संरक्षण बल को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उपमहानिरीक्षक ओहदे के अधिकारियों के नेतृत्व में चार उड़न दस्तों का गठन किया गया है।

iii) अपराधियों खासतौर पर जहरखुरानों और आतंकवादियों के तौर-तरीकों के बारे में यात्रियों को सजग करने के लिए पर्चों, प्रहसनों और जन उद्घोषणाओं के माध्यम से गहन अभियान शुरू किया गया है।

iv) महत्त्वपूर्ण प्रारंभिक स्टेशनों पर रेल संरक्षण बल द्वारा साधारण श्रेणी के डिब्बों में बैठे हुए यात्रियों का वीडियो बनाया जा रहा है।

v) बल कर्मियों को क्लोज सर्किट टेलीविजन और कैमरे, बम संसूचन एवं निपटान उपकरण, बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ हेल्मेट, वाकी-टाकी, हस्तधारित मेटल-डिटेक्टर्स, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर्स आदि जैसे आधुनिक सुरक्षा उपस्कर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

vi) श्रवान दस्ते को मजबूत बनाया गया है। रेल संरक्षण बल के पास 182 स्निफर और 54 खोजी कुत्ते हैं।

vii) रेल संरक्षण बल द्वारा 1450 महत्त्वपूर्ण गाड़ियों का मार्गरक्षण किया जा रहा है।

viii) 'रेसुब मित्र योजना' एक सामुदायिक पुलिस-व्यवस्था अवधारणा, शुरू की गई है जिसका उद्देश्य रेल संरक्षण बल और यात्रियों के बीच संपर्क एवं सूचना नेटवर्क को मजबूत बनाना है।

ix) केंद्रीय और राज्य आसूचना एजेंसियों के साथ गहन निकट संपर्क स्थापित कर आसूचना नेटवर्क को मुस्तैद किया गया है।

x) भारतीय रेल के सौ रेलवे स्टेशनों पर 'एकीकृत सुरक्षा प्रणाली' विकसित करने के लिए बुट (निर्माण, स्वामित्त्व, प्रचालन एवं हस्तांतरण) आधार पर सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से या सीधे खरीदारी के आधार पर 'एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट' आमंत्रित किया गया है।

(ख) रेल संरक्षण बल के आधुनिकीकरण और प्रशिक्षण हेतु विनिर्दिष्ट निधियों का आवंटन नहीं किया जाता। बहरहाल, उपयुक्त बजट शीर्षों यथा मशीन एवं संयंत्र, निर्माण कार्यक्रम और यात्री सुविधाएं के माध्यम से बल के आधुनिकीकरण एवं प्रशिक्षण हेतु निधि उपलब्ध करायी जाती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान बल के आधुनिकीकरण एवं प्रशिक्षण पर खर्च की गई राशि का विवरण इस प्रकार है:-

| वर्ष | राशि (रूपयों में) |
|---|---|
| 2004-2005 | 5.45 करोड़ |
| 2005-2006 | 17.07 करोड़ |
| 2006-07 | 19.90 करोड़ |
| जोड़ | 42.42 करोड़ |

(ग) कांस्टेबलों की 5934 रिक्तियों और उपनिरीक्षकों की 993 रिक्तियों के लिए विज्ञापन दिया गया है। कांस्टेबलों की भर्ती लगभग पूरी हो चुकी है और उपनिरीक्षकों की भर्ती अंतिम चरण में है। बल के लिए 973 नए पद स्वीकृत किए गए हैं जो 1 अप्रैल, 2008 से चालू हो जाएंगे। जनशक्ति में अतिरिक्त वृद्धि का प्रस्ताव रेल मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है।

**प्राकृतिक गैस का मूल्य**

***48. श्री रामजीलाल सुमनः**

**डा. चिन्ता मोहनः**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा उत्पादित प्राकृतिक गैस के मूल्य में 16 प्रतिशत की वृद्धि करने का हाल ही में प्रस्ताव किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इसके क्या कारण है, और

(ग) देश में प्राकृतिक गैस का मूल्य निर्धारित करने के लिए क्या फार्मूला/मानदंड अपनाया गया है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एपीएम गैस का उपभोक्ता मूल्य विद्युत और उर्वरक क्षेत्रों, और न्यायालय अधिदेशित और छोटे पैमाने के उपभोक्ताओं (अर्थात् 50,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन तक उपभोग करने वाले उपभोक्ता) के लिए तदर्थ आधार पर 1.7.05 से प्रभावी करते हुए 3200 रुपये प्रति हजार मानक घन मीटर (एमएससीएम) निर्धारित किया गया था।

बाद में नगर गैस वितरण परियोजनाओं और छोटे उपभोक्ताओं के लिए प्राकृतिक गैस का मूल्य मंत्रिमंडल के पहले के निर्णयानुसार 6 जून, 2006 से प्रभावी करते हुए 20% बढ़ाकर 3840 रुपये/एमएससीएम किया गया था।

उत्तर–पूर्व में उपभोक्ताओं के लिए गैस का मूल्य शेष देश के लिए मूल्य का 60% है। इसके परिणामस्वरुप उत्तर–पूर्व में विद्युत और उर्वरक क्षेत्र के लिए मूल्य 1920 रुपये/एमएससीएम और उक्त क्षेत्र में न्यायालय अधिदेशित और छोटे उपभोक्ताओं के लिए मूल्य 2304 रुपये/एमएससीएम है।

## उर्वरकों की कमी

***49. श्री हरिभाऊ जावले:**

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:**

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उर्वरकों की अत्यधिक कमी के कारण अनेक राज्यों को समय पर उर्वरक नहीं मिल पाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में उर्वरकों की कमी को दूर करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

**रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान)** : (क) और (ख) चालू रबी मौसम 2007-08 के दौरान आकलित आवश्यकता/सतत बिक्री को पूरा करने के लिए देश में पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध हैं।

युरिया के स्वदेशी उत्पादन का 50% भाग सरकार के संचलन और वितरण नियंत्रण में है। स्वदेशी यूरिया की आपूर्ति और पर्याप्त मात्रा में तथा समय पर किए गए आयात से मौसम के दौरान आकलित आवश्यकता की तुलना में प्रत्येक राज्य में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

जहां तक डाई–अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी), म्युरिएट ऑफ पोटाश (एमओपी) और मिश्रित उर्वरकों* जैसे नियंत्रणमुक्त उर्वरकों का संबंध है, इनकी आवश्यकता को पूरा करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फॉस्फेटयुक्त कच्चे माल और मध्यवर्तियों की उपलब्धता में आई कमी से मौसम के दौरान स्वदेशी उत्पादन प्रभावित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तैयार उर्वरक उत्पादों की उपलब्धता में कमी और इनके ऊँचे मूल्यों से उर्वरकों के पारम्परिक आपूर्तिकर्ताओं से इन उर्वरकों का किया जाने वाला आयात प्रभावित हुआ है। राज्य सरकारों को मई, 2007 में यह सलाह दी गई थी कि वे एक राज्य संस्थागत एजेंसी नामित करें, जो प्रत्येक राज्य की आकलित आवश्यकता को पूरा करने के लिए नियंत्रणमुक्त उर्वरकों, विशेषतः डीएपी का आयात करने के लिए पुष्ट आर्डर देंगी। सरकार ने विभिन्न राज्यों की उर्वरक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात की व्यवस्था की है। परिणामस्वरुप, बिक्री को बनाए रखने के लिए राज्यों में उपलब्धता पर्याप्त रही है।

*मिश्रित उर्वरकों में नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश तत्वों का मिश्रण होता है।

(ग) देश में उर्वरकों की पर्याप्त और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:–

(i) प्रत्येक राज्य सरकार को अपने–अपने राज्य के प्रत्येक जिले के लिए एक माहवार और कंपनीवार आपूर्ति योजना तैयार करना आवश्यक है।

(ii) उर्वरक उत्पादकों/आपूर्तिकर्ताओं को राजसहायता केवल तभी जारी की जाती है जब अनुमोदित आपूर्ति योजना के अनुसार प्रत्येक जिले में उर्वरक पहुंच जाता है।

(iii) विभिन्न बंदरगाहों/संयंत्रों से विभिन्न जिलों में उर्वरकों का संचलन करने के लिए एक वेब आधारित उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफएमएस) शुरु की गई है ताकि आपूर्ति योजना के अनुसार प्राप्ति पर निगरानी रखी जा सके।

(iv) यूरिया इकाइयों को माल भाड़े की प्रतिपूर्ति रेल/सड़क की वास्तविक दूरी के आधार पर की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि देश भर में यूरिया का संचलन और वितरण करने वाली उर्वरक कंपनियों को वसूली कम प्राप्त नहीं हो।

(v) नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे कम से कम एक राज्य संस्थागत एजेंसी की पहचान करें जो संबंधित राज्यों में उर्वरकों की समय पर उपलब्धता की व्यवस्था करेगी।

## सुपर फास्ट गाड़ियों का समय पर पहुंचना

***50. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत छह महीनों के दौरान प्रत्येक जोन में सुपरफास्ट गाड़ियां कितनी बार अपने गन्तव्य स्थानों पर देरी से पहुंची हैं; और

(ख) इन सुपरफास्ट गाड़ियों का समय पर पहुंचना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद):** (क) अगस्त 2007 से जनवरी 2008 तक (6 माह) की अवधि के दौरान क्षेत्रीय रेलों पर कुल मिलाकर

2410 मौकों पर सुपरफास्ट गाड़ियां अपने गंतव्य स्थान पर समय पर नहीं पहुंचीं।

(ख) यात्री गाड़ियों के परिचालन में सुधार के लिए भारतीय रेल पर निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:-

1. मंडल, क्षेत्रीय मुख्यालय एवं रेलवे बोर्ड, इन तीनों स्तरों पर गाड़ियों की गहन, दिन-रात निगरानी।

2. समय-समय पर समयपालन अभियान चलाना।

3. संरक्षा सीमाओं तथा गति प्रतिबंधों का अनुपालन करते हुए गाड़ियों को अधिकतम अनुमेय रफ्तार पर चलना।

4. निर्बाध मार्ग की व्यवस्था के लिए समय-सारणी में सुधार।

5. उपस्करों की खराबी में कमी करने के लिए परिसंपत्तियों के अनुरक्षण के मानक में सुधार।

6. गाड़ियों का समय पर चालन सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को परामर्श देना एवं प्रेरित करना।

7. कानून एवं व्यवस्था की समस्याओं तथा शरारती तत्वों की गतिविधियों के निराकरण के लिए राज्य सरकार के साथ संपर्क बनाए रखना।

8. रेलपथ, चल स्टॉक और सिगनल प्रणाली की प्रौद्योगिकी का अपग्रेडेशन।

*[अनुवाद]*

**नए विमानपत्तनों की स्थापना**

***51. श्री एन. एस. वी. चित्तन :**
**श्री पी. मोहन :**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा अगले एक वर्ष के दौरान देश में राज्यवार कितने नए विमानपत्तन स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या तमिलनाडु और हरियाणा में एक नया विमानपत्तन या कार्गो विमानपत्तन स्थापित करने की किसी परियोजना पर विचार किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) आंध्र प्रदेश में हैदराबाद के निकट शमशाबाद तथा कर्नाटक में बंगलौर के निकट देवनहाल्ली में दो नए ग्रीनफील्ड अड्डों के 2008 के दौरान प्रचालनात्मक बन जाने की संभावना है।

(ख) से (घ) झझर, हरियाणा में मैसर्स रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड से उनके विशेष आर्थिक जोन के एक भाग के रुप में एक कार्गो हवाई अड्डे की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिस पर सरकार विचार कर रही है।

**पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि**

***52. श्रीमती पी. सतीदेवी :**
**श्री पी. करूणाकरन :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पेट्रोल/पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इसके क्या कारण है;

(ग) पेट्रोल की प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय कीमत और देश में पेट्रोल की प्रति लीटर लागत कितनी है;

(घ) पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर कितना आयात/निर्यात शुल्क लगाया जाता है;

(ङ) क्या पेट्रोल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में वृद्धि करना सरकार के लिए आय का एक स्त्रोत बन गया है; और

(च) यदि हां; तो गत तीन वर्षो के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों पर आयात शुल्क से और उसकी कीमतों में वृद्धि करने से सरकार को कुल कितनी आय हुई?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा):** (क) और (ख) कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य ऊंचे और उतार-चढ़ावपूर्ण रहे हैं। अप्रैल, 2007 में भारतीय भारतीय बास्किट 65. 5 अमरीकी डालर प्रति बैरल थी जो जनवरी 2008 में बढ़ कर 89.5 अमरीकी डालर प्रति बैरल हो गया और वर्तमान में यह 94.96 अमरीकी डालर प्रति बैरल (20.2.2008 को) के अपने उच्चतम स्तर पर है। चूंकि भारत पेट्रोलियम उत्पादों के लिए घरेलू मांग की पूर्ति करने के लिए अपनी क्रूड जरुरतों का लगभग 3/4 का आयात करता है इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि तेल मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि का सारा बोझ उपभोक्ताओं पर डालने से आम आदमी को कठिनाई होती इसलिए पेट्रोल, डीजल,

पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों के अनूरुप वृद्धि नहीं की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनिया (ओएमसीज) पेट्रोल, डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी नामक संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू बिक्री पर अल्प वसूलियां झेल रहीं हैं।

इस संदर्भ में सरकार ने पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में क्रमशः 2 रुपये/लीटर और 1 रुपया/ लीटर की मामूली वृद्धि 15.2.2008 से की है जो वास्तव में फरवरी, 2007 से पहले प्रचालनरत मूल्य स्तर तक खुदरा मूल्यों को पूर्वस्थिति में लाने के स्वरुप में है। अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के बावजूद सरकार ने पिछले छह वर्ष के दौरान पीडीएस मिट्टी तेल मूल्यों में वृद्धि नहीं की है। घरेलू एलपीजी का मूल्य पिछले तीन वर्ष के दौरान बिना किसी परिवर्तन के रहा है। सरकार अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों की ध्यानपूर्वक निगरानी कर रही है और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना जारी रखेगी।

(ग) पेट्रोल के प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय मूल्य और दिल्ली में पेट्रोल का प्रति लीटर खुदरा बिक्री मूल्य नीचे दिए गए हैं–

| | | |
|---|---|---|
| फरवरी, 2008 के लिए (19 फरवरी, 2008 तक) पेट्रोल का औसत अंतर्राष्ट्रीय मूल्य | अमरीकी डालर प्रति बैरल | 100.66 |
| दिल्ली में पेट्रोल का खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) | रुपये/लीटर | 45.52 |

टिप्पणीः पेट्रोल का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य सिंगापुर बाजार के लिए है।

(घ) पेट्रोल और डीजल पर लागू सीमा शुल्क निम्नानुसार है:

| | पेट्रोल | डीजल |
|---|---|---|
| सीमा शुल्क | 7.50% | 7.50% |

(ङ) और (च) पिछले तीन वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा भुगतान किए गए सीमा शुल्क की राशि नीचे दी गई है:

करोड़ रुपये

| | 2004–05 | 2005–06 | 2006–07 |
|---|---|---|---|
| सीमा शुल्क | 11697 | 9157 | 10043 |

### उपनगरीय रेलें

*53. श्री प्रबोध पाण्डाः क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को उपनगरीय रेलें चलाने पर प्रतिवर्ष 900 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस घाटे के क्या कारण है;

(ग) क्या रेलवे राज्य सरकारों और निजी एजेंसियों के साथ भागीदारी करके सरकारी–निजी–भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर उपनगरीय रेलें चलाने के विकल्प पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

**रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद)**: (क) और (ख) उपनगरीय रेल सेवाओं के चालन में रेलवे घाटा उठा रही है।

पिछले 5 वर्षों में इन सेवाओं के कारण रेलवे द्वारा वहन किए गए घाटे का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

| वर्ष | हानि (करोड़ रु.में) |
|---|---|
| 2002–03 | 650 |
| 2003–04 | 807 |
| 2004–05 | 747 |
| 2005–06 | 837 |
| 2006–07 | 928 |

इस प्रकार के घाटे के मुख्य कारण द्वितीय श्रेणी के साधारण किरायों का कम होना और मासिक तथा तिमाही सीजन टिकट किरायों में दी जाने वाली रियायतें हैं। समूचे उपनगरीय यात्रियों में 67% दैनिक यात्री रियायती सीजन टिकटों का लाभ उठाते हैं।

(ग) और (घ) फिलहाल, सार्वजनिक–निजी भागीदारी के आधार पर कोई उपनगरीय रेल परियोजना रेल मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है। बहरहाल, रेल मंत्रालय और विभित्र राज्य सरकारों के बीच लागत में भागीदारी के आधार पर मुम्बई, कोलकाता, चेत्रै और हैदराबाद जैसे शहरों में कुछ उपनगरीय परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

### रसोई गैस की कमी

*54. श्री मनोरंजन भक्तः
श्रीमती जयाप्रदाः

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में रसोई गैस की भारी कमी है जिसके कारण उपभोक्ताओं को सिलेंडरों की आपूर्ति में असामान्य विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा तेल विपणन कंपनियों को जारी किए गए/किए जाने वाले निदेशों/अनुदेशों सहित स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए है;

(ग) देश के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में रसोई गैस के कुल उत्पादन, मांग और वास्तविक आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का तेल विपणन कंपनियों द्वारा रसोई गैस की जमाखोरी अथवा कालाबाजारी किए जाने की भी जानकारी है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा):** (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने सूचित किया है कि देश में कुल मिलाकर एलपीजी की कोई कमी नहीं है और ओएमसीज द्वारा वितरकों को एलपीजी की आपूर्तियां, एलपीजी वितरकों के पास पंजीकृत ग्राहकों की वास्तविक मांग के अनुसार घरेलू उत्पादन और आयातों के माध्यम से की जा रही है। ओएमसीज ने आगे बताया है कि उन्होंने अप्रैल 2007 जनवरी 2008 की अवधि के दौरान, देश में 8450 टीएमटी (हजार मीटरी टन) घरेलू एलपीजी की आपूर्ति की है, जबकि गत वर्ष उक्त अवधि में 8030 टीएमटी की आपूर्ति की थी जो 5.2% की वृद्धि दर्शाता है।

तथापि, ओएमसीज ने देश के कुछ राज्यों में एलपीजी आपूर्तियों में बैकलॉग की सूचना दी थी, जिसके कारण ये थे–जनवरी, 2008 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआइएल) और एस्सार आयल लिमिटेड द्वारा एलपीजी की भारी मात्रा में आपूर्ति की कटौती करना, जामनगर से उत्तरी क्षेत्र में रेल द्वारा भारी मात्रा में एलपीजी भिजवाने में विलंब होना, कड़ाके की सर्दी के कारण राज्यों की मांग का बढ़ाना जिसके ग्राहकों ने घबराहट में बुकिंग की, ठेका श्रमिकों द्वारा हड़ताल करना, आंदोलन संबंधी कार्यकलाप होने, कम ड्राफ्ट, बंध आदि के कारण हल्दिया पत्तन पर पोतों की बर्थिंग में विलंब होना, आदि।

सरकार ने ओएमसीज को सलाह दी है कि छुट्टियों और काम के घंटे बढ़ाकर भरण संयंत्रों को चला कर राज्यों में बैकलॉग को समाप्त करें। बैकलॉग को शीघ्र समाप्त करने के लिए कार्य दिवसों के दौरान भरण को भी बढ़ाया जा रहा है।

(ग) वर्तमान में एलपीजी का देशी उत्पादन घरेलू मांग को पूरा करने में अपर्याप्त है। उपलब्धता में कमी को आयातों द्वारा पूरा किया जाता है। देश में अप्रैल 2007–जनवरी 2008 अवधि के दौरान एलपीजी घरेलू उत्पादन, आयातों तथा मांग/वास्तविक बिक्रियों के ब्यौरे निम्नवत् है:–

(आकड़े हजार मीट्रिक टन में) (ह.मी.ट.)

| अवधि | उत्पादन | आयात | मांग/वास्तविक बिक्रियां |
|---|---|---|---|
| अप्रैल, 2007 से जनवरी, 2008 | 7261 | 2008 | 9302 |

(घ) और (ङ) घरेलू प्रयोग के लिए एलपीजी के खुदरा मूल्य तथा वाणिज्यिक एलपीजी के बाजार मूल्य में भारी अंतर के कारण कुछ बेईमान तत्वों द्वारा राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी की संभावना से इंकार नही किया जा सकता।

एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने "तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000" विनिर्मित किया है और "विपणन अनुशासन दिशानिर्देश, 2001" बनाए हैं जिनमें एलपीजी के विपथन में लिप्त होने वाले एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।

जब कभी ओएमसीज को शिकायतें प्राप्त होती हैं इनकी जांच की जाती है और यदि शिकायत की पुष्टि हो जाती है तो एमडीजी के प्रावधानों के अनुसार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर/डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। एमडीजी में डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान हैं।

- पहले अपराध पर 20,000 रुपये का जुर्माना तथा वाणिज्यिक दर पर विपथित एलपीजी का मूल्य।
- दूसरे अपराध पर 50,000 रुपये का जुर्माना तथा वाणिज्यिक दर पर विपथित एलपीजी का मूल्य ।
- तीसरे अपराध पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप समाप्त करना।

ओएमसीज द्वारा की गई कार्रवाई के अलावा राज्य सरकार घरेलू एलपीजी की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन प्रख्यापित एलपीजी (आपूर्ति तथा वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के अधीन शक्तिप्रदत्त हैं। इसी प्रकार राज्यों–संघ शासित प्रदेशों के माप तथा तौल विभाग कम वजन वाले एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति करने वाले एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ कानूनी कारवाई आरंभ करते हैं। राज्य सरकारों को अनधिकृत उपयोग के लिए घरेलू सिलिंडरों की कालाबाजारी/विपथन

के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए समय–समय पर सावधान किया गया है।

सरकार ने विज्ञापन जारी किए हैं जिनमें जनता को सावधान किया गया है कि घरेलू एलपीजी का गैर घरेलू प्रयोजनों के लिए उपयोग गैर कानूनी, खतरनाक तथा राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है। इन विज्ञापनों के माध्यम से आम जनता का सहयोग मांगा जाता है कि वे ओएमसीज को किसी प्रकार की अनियमितता/कदाचार की रिपोर्ट करें।

ओएमसीज के अधिकारी डिस्ट्रीब्यूटरों के गोदाम, सुपुर्दगी स्थलों, और साथ ही रास्ते में आकस्मिक जांच करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई कालाबाजारी नहीं हो रही है। ओएमसीज के डिस्ट्रीब्यूटरों को सुपुर्दगी से पहले अपने गोदामों पर सिलिंडरों के वजन की जांच के लिए कड़े अनुदेश दिये गये हैं और केवल निर्धारित वजन वाले सिलिंडर ही ग्राहकों को सुपुर्द किए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरों को यह सुनिश्चित करने के निदेश भी दिये गये हैं कि सीलों की जांच करें और सुपुर्दगी के समय ग्राहकों को भी दिखाएं। यदि ग्राहक द्वारा कम वजन का कोई सिलिंडर प्राप्त किया जाता है तो ओएमसीज द्वारा किसी प्रभार के लगाये बिना नया भरा हुआ सिलिंडर दिया जाता है।

### बेदखल किए गए लोगों का पुनर्वास

***55. श्री रूपचन्द पालः** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) रेलवे द्वारा रेल विकास कार्यक्रमों के कारण बेदखल किए लोगों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए है;

(ख) क्या रेलवे ने बेदखल/प्रभावित लोगों को जिन्होंने अपने पुनर्वास हेतु सहकारिताएं बना ली हैं, मदद और सहायता उपलब्ध करायी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद):** (क) (i) रेल विकास संबंधी परियोजनाओं के लिए अनावश्यक विस्थापन को कम से कम करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाते हैं।

(ii) जहाँ–कहीं भूमि अधिगृहीत की जाती है, रेलवे यह सुनिश्चित करती है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के लागू प्रावधानों के तहत परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पी ए पी) को वितरण हेतु राज्य सरकार को मुआवजे का भुगतान किया जाए।

(iii) पुनर्वास और पुनःस्थापन संबंधी राष्ट्रीय नीति के प्रावधानों का पालन करने के उपाय किए जाते हैं।

(iv) विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वित्तपोषण एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के संबंध में पुनर्वास एवं पुनःस्थापन सहित ऋण करार में यथा निर्धारित शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार मुआवजे का भुगतान किया जाता है, लेकिन ऐसा करते समय भूमि अधिग्रहण अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों अथवा विस्थापित व्यक्तियों के लाभ के लिए बनाई गई पुनर्वास एवं पुनःस्थापन संबंधी राष्ट्रीय नीति का उल्लंघन नहीं किया जाता।

(ख) और (ग) मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना (एम यू टी पी) के संबंध में रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के बीच हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार मात्र एम यू टी पी चरण–1 के संबंध में, जिसे मुम्बई महानगर क्षेत्रीय विकास क्षेत्र में मुम्बई रेल विकास निगम (एम आर वी सी) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, बेदखल व्यक्तियों के पुनर्वास एवं पुनःस्थापन संबंधी महाराष्ट्र सरकार की नीति के तहत महाराष्ट्र सरकार के जरिए विस्थापित व्यक्तियों द्वारा बनाई गई सहकारी संस्थाओं को भूमि/मकान संबंधी अधिकार सौंप दिए गए हैं। एम यू टी पी चरण–1 के अंतर्गत परियोजना प्रभावित लगभग 15,000 व्यक्तियों का पुनर्वास एवं पुनःस्थापन किया गया है। समझौता ज्ञापन के अनुसार रेल मंत्रालय का दायित्व लागत में भागीदारी करना है।

### मैट्रिक - पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के प्रतिबद्ध दायित्व

***56. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग के छात्रों को मैट्रिक–पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु राज्यों के प्रति अपने प्रतिबद्ध दायित्व की अवधारणा को समाप्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

### सरकारी क्षेत्र के पेट्रोलियम उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ

***57. श्री सूरज सिंहः** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या तेल क्षेत्र में कार्य कर रही सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र की कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2007-2008 के प्रथम नौ महीनों में निवल लाभ अर्जित किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इन कंपनियों द्वारा कंपनीवार कितना लाभ अर्जित किया गया,

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक कंपनी द्वारा कुल कितने मूल्य का कारोबार किया गया; और

(घ) प्रत्येक कंपनी में मार्च, 2007 तक कुल कितनी धनराशि का निवेश किया गया?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा):** (क) से (ग) वित्तीय वर्ष 2007-08 के प्रथम नौ माह में सार्वजनिक क्षेत्र के मुख्य तेल उपक्रमों का करोपरांत लाभ तथा कुल कारोबार निम्नवत् है:-

(करोड़ रु में)

| सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रम का नाम | करोपरांत लाभ | कुल कारोबार |
|---|---|---|
| ओएनजीसी | 14074.55 | 44408.92 |
| आईओसीएल | 7377.00 | 177223.00 |
| बीपीसीएल | 1522.18 | 86211.02 |
| एचपीसीएल | 750.38 | 73901.00 |
| गेल | 1879.00 | 13073.00 |
| ओआईएल | 1342.06 | 4291.77 |

तथापि, निजी तेल कंपनियां पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं हैं।

(घ) दिनांक 31.3.2007 को सार्वजनिक क्षेत्र के मुख्य तेल उपक्रमों की प्रदत्त पूंजी निम्नवत् है:

(करोड़ रु. में)

| सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रम का नाम | सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों की प्रदत्त पूंजी (31.3.2007 को) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| ओएनजीसी | 2139.00 |
| आईओसीएल | 1168.01 |
| बीपीसीएल | 361.54 |
| एचपीसीएल | 338.95 |
| गेल | 845.65 |
| ओआईएल | 214.00 |

*[अनुवाद]*

**विदशी पर्यटकों को परेशान किया जाना**

*58. **श्री उदय सिंह :**

**श्री असादूद्दीन ओवेसी :**

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में विदेशी पर्यटकों पर हमला होने और उन्हें परेशान किए जाने के मामलों में वृद्धि होने के मद्देनजर केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों के पर्यटन सचिवों की एक बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने देश में पर्यटकों विशेषकर विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए राज्यों को भूतपूर्व सैनिकों को भर्ती करने की सलाह दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया हैं;

(ङ) क्या ऐसी घटनाओं के कारण विदेशी पर्यटकों के आगमन में काफी कमी आई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए और क्या कदम उठाए जाएंगे जिससे कि ऐसे विदेशी पर्यटकों को किसी प्रकार से परेशान न किया जाए ?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी):** (क) से (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पब्लिक आर्डर' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं। इसलिए पर्यटकों के साथ अपराधों सहित, अपराध की रोकथाम की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। मीडिया में, भारत में पर्यटकों के साथ उत्पीड़न और दुर्व्यवहार संबंधी हाल ही की रिपोर्टों के अनुसरण में, पर्यटन मंत्रालय ने अन्य मामलों के साथ, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पर्यटन सचिवों, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के साथ, पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा के मामले पर चर्चा की। इस बैठक के दौरान राज्य

और संघ राज्य क्षेत्रों मे पर्यटक वार्डन के रुप में सेवानिवृत्त सैनिकों की तैनाती की व्यवहार्यता पर भी चर्चा की गई। इस पर जोर दिया गया कि पर्यटकों की सुरक्षा एवं संरक्षा को सुनिश्चित करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है और राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र भी अनिवार्य रुप से इसे सुनिश्चित करें।

(ङ) और (च) जनवरी 2008 माह में, विदेशी पर्यटक आगमन में 2007 की इसी अवधि की तुलना में, 9.9 % की वृद्धि दर्ज की गई है।

**एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स को घाटा**

***59. श्री एस. के. खारवेनथन :**
**श्रीमती मेनका गांधी :**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ने लगभग 850 करोड़ रुपए का घाटा होने की जानकारी दी है जैसा कि 25 नवम्बर, 2007 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय विमानन क्षेत्र में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय विमान कंपनियों को हुए इतने भारी घाट के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस दोनों कंपनियों के प्रचालनों में सुधार लाने और लाभ में वृद्धि करने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) और (ख) पूर्ववर्ती एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स को वर्ष 2006-07 के दौरान क्रमशः 447.93 करोड़ रुपये तथा 240.29 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है।

(ग) वर्ष 2006-07 के दौरान घरेलू अंतरराष्ट्रीय यात्री वहन में क्रमशः 39 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत वृद्धि दर्शाई है।

(घ) संयुक्त कारकों जैसे उच्च एविएशन टरबाईन फ्यूल, श्रम लागत में वृद्धि और एयरलाइन प्रचालकों के बीच गहन मूल्य प्रतियोगिता, राष्ट्रीय वाहकों के घाटों का मुख्य कारण रहे हैं।

(ङ) और (च) प्रचालनिक दक्षता और लाभप्रदता को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स का नेशनल एविएशन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड में विलय का अनुमोदन किया है।

इसके अतिरिक्त, एयरलाइनों को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए 111 आधुनिक नए विमान खरीदने की अनुमति प्रदान की गई है। दूसरे वाणिज्यिक मानकों जैसे नए मार्गो पर सेवाओं के प्रारंभ करने के साथ मार्ग युक्तिकरण, उत्पाद सुधार और स्टार एलांयस में शामिल होने जैसे कदम विलयित एयरलाइन द्वारा उठाए गए हैं। इससे कंपनी के लाभों में वृद्धि होने की संभावना है।

**गैस और तेल की खोज के लिए अंतर्राष्ट्रीय बोलियां**

***60. श्री बची सिंह रावत "बचदा"** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार भारत के कुछ भागों में गैस और तेल की खोज के लिए अंतर्राष्ट्रीय बोलियां आमंत्रित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन स्थानों के लिए बोली लगाई जाएगी;

(ग) क्या बोली प्रक्रिया को रोक दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार का विचार गैस और तेल के स्थानों की खोज के लिए कब तक बोलियां आमंत्रित करने का है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा) :** (क) भारत सरकार ने पहले ही 13.12.07 को नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी-7) के सातवें दौर के तहत 57 अन्वेषण ब्लाक (29 जमीनी, 9 उथले जल तथा 19 गहरे समुद्री ब्लाक) प्रस्तुत किए हैं।

(ख) प्रस्तावित ब्लाकों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) बोली बंद होने की अंतिम तारीख 11 अप्रैल, 2008 है।

**विवरण**

*नई अन्वेषण लाइसेंस नीति – सातवां दौर (एनईएलपी–7) के तहत ब्लाक किस्मों और अनिवार्य वर्क कार्यक्रम के साथ प्रस्तावित अन्वेषण ब्लाकों के ब्यौरे।*

| क्र. सं. | बेसिन | ब्लॉक की नाम | मैप संदर्भ सं. | ब्लॉक प्रकार | अनुमानित क्षेत्र (वर्ग कि.मी.) | द्वि–आयामी अनिवार्य वर्क कार्यक्रम (एपीआई) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ग्रिड आकार | कार्य की मात्रा एल के एम में (अनुमानतः) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **गहरे जल ब्लाक** | | | | | | | |
| 1 | गुजरात–सोराष्ट | जीएस–डीडब्ल्यूएन–2005/1 | डी–1 | बी | 5216 | – | – |
| 2 | | जीएस–डीडब्ल्यूएन–2005/2 | डी–2 | बी | 5485 | – | – |
| 3 | | जीएस–डीडब्ल्यूएन–2005/3 | डी–3 | बी | 6820 | – | – |
| 4 | | जीएस–डीडब्ल्यूएन–2005/4 | डी–4 | बी | 6531 | – | – |
| 5 | मुंबई | एमबी–डीडब्ल्यूएन–2005/1 | डी–5 | ए | 3397 | – | – |
| 6 | | एमबी–डीडब्ल्यूएन–2005/2 | डी–6 | ए | 3360 | – | – |
| 7 | | एमबी–डीडब्ल्यूएन–2005/3 | डी–7 | ए | 3097 | – | – |
| 8 | | एमबी–डीडब्ल्यूएन–2005/4 | डी–8 | ए | 3408 | – | – |
| 9 | | एमबी–डीडब्ल्यूएन–2005/5 | डी–9 | ए | 3169 | – | – |
| 10 | | एमबी–डीडब्ल्यूएन–2005/6 | डी–10 | ए | 4993 | – | – |
| 11 | | एमबी–डीडब्ल्यूएन–2005/7 | डी–11 | ए | 3324 | – | – |
| 12 | | एमबी–डीडब्ल्यूएन–2005/8 | डी–12 | ए | 2961 | – | – |
| 13 | | एमबी–डीडब्ल्यूएन–2005/9 | डी–13 | ए | 3138 | – | – |
| 14 | केरल–कोंकण | केके–डीडब्ल्यूएन–2005/1 | डी–14 | बी | 14675 | 32×32 | 1170 |
| 15 | | केके–डीडब्ल्यूएन–2005/2 | डी–15 | बी | 19234 | 32×32 | 1540 |
| 16 | कृष्णा–गोदावरी | केजी–डीडब्ल्यूएन–2005/1 | डी–16 | ए | 1727 | 16×16 | 240 |
| 17 | | केजी–डीडब्ल्यूएन–2005/2 | डी–17 | ए | 1949 | – | – |
| 18 | | केजी–डीडब्ल्यूएन–2005/3 | डी–18 | ए | 2246 | 16×16 | 310 |
| 19 | अंडमान अपतट | एएन–डीडब्ल्यूएन–2005/1 | डी–19 | बी | 11837 | 32×32 | 940 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| उथला जल ब्लाक | | | | | | | |
| 20 | मुंम्बई | एमबी–ओएसएन–2005/1 | एस–1 | ए | 2811 | – | – |
| 21 | | एमबी–ओएसएन–2005/2 | एस–2 | ए | 1191 | – | – |
| 22 | | एमबी–ओएसएन–2005/3 | एस–3 | ए | 2810 | – | – |
| 23 | | एमबी–ओएसएन–2005/4 | एस–4 | ए | 2998 | – | – |
| 24 | | एमबी–ओएसएन–2005/5 | एस–5 | ए | 2402 | – | – |
| 25 | | एमबी–ओएसएन–2005/6 | एस–6 | ए | 2820 | – | – |
| 26 | कृष्णा–गोदावरी | केजी–ओएसएन–2005/1 | एस–7 | ए | 2810 | – | – |
| 27 | | केजी–ओएसएन–2005/2 | एस–8 | ए | 1881 | – | – |
| 28 | | केजी–ओएसएन–2005/3 | एस–9 | ए | 1691 | – | – |
| गहरे जल ब्लाक | | | | | | | |
| 29 | असम–अराकान | एए–ओएनएन–2005/1 | 1 | ए | 363 | – | – |
| 30 | पूर्णिया | पीए–ओएनएन–2005/1* | 2 | बी | 1096 | 32×32 | 90 |
| 31 | | पीए–ओएनएन–2005/2* | 3 | बी | 2552 | 32×32 | 200 |
| 32 | बंगाल | डब्ल्यूबी–ओएनएन–2005/1* | 4 | बी | 3172 | 32×32 | 250 |
| 33 | | डब्ल्यूबी–ओएनएन–2005/2* | 5 | बी | 3792 | 32×32 | 300 |
| 34 | | डब्ल्यूबी–ओएनएन–2005/3* | 6 | बी | 4001 | 32×32 | 300 |
| 35 | | डब्ल्यूबी–ओएनएन–2005/4* | 7 | बी | 3940 | 32×32 | 300 |
| 36 | गंगा | जीवी–ओएनएन–2005/1* | 8 | बी | 2202 | 32×32 | 170 |
| 37 | | जीवी–ओएनएन–2005/2* | 9 | बी | 1586 | 32×32 | 120 |
| 38 | | जीवी–ओएनएन–2005/3* | 10 | बी | 2227 | 32×32 | 170 |
| 39 | सतपुरा–राव्वा | एसआर–ओएनएन–2005/1* | 11 | बी | 789 | 32×32 | 60 |
| 40 | विंध्यन | वीएन–ओएनएन–2005/1* | 12 | बी | 3776 | 32×32 | 300 |
| 41 | | वीएन–ओएनएन–2005/2* | 13 | बी | 4908 | 32×32 | 390 |
| 42 | राजस्थान | आरजे–ओएनएन–2005/1 | 14 | ए | 1424 | 32×32 | 110 |
| 43 | | आरजे–ओएनएन–2005/2 | 15 | ए | 1517 | 32×32 | 120 |
| 44 | | आरजे–ओएनएन–2005/3 | 16 | ए | 1217 | 32×32 | 90 |
| 45 | कैम्बे | सीबी–ओएनएन–2005/1 | 17 | एस | 61 | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | | सीबी–ओएनएन–2005/2 | 18–ए और बी | एस | 81 | – | – |
| 47 | | सीबी–ओएनएन–2005/3 | 19 | एस | 48 | – | – |
| 48 | | सीबी–ओएनएन–2005/4 | 20 | एस | 31 | – | – |
| 49 | | सीबी–ओएनएन–2005/5 | 21 | एस | 83 | – | – |
| 50 | | सीबी–ओएनएन–2005/6 | 22 | एस | 102 | 4×4 | 50 |
| 51 | | सीबी–ओएनएम–2005/7 | 23 | एस | 199 | – | – |
| 52 | | सीबी–ओएनएन–2005/8 | 24 | एस | 133 | 4×4 | 60 |
| 53 | | सीबी–ओएनएन–2005/9 | 25 | एस | 170 | – | – |
| 54 | | सीबी–ओएनएन–2005/10 | 26 | ए | 270 | – | – |
| 55 | | सीबी–ओएनएन–2005/11 | 27 | ए | 257 | – | – |
| 56 | पालार | पीआर–ओएनएन–2005/1 | 28 | बी | 1807 | 16×16 | 250 |
| 57 | कावेरी | सीवाई–ओएनएन–2005/1 | 29 | ए | 946 | – | – |

* फ्रंटियर ब्लाक

क्रम सं. 45–53 एस ब्लाक किस्म के हैं।

*[हिन्दी]*

**इस्पात उत्पादों के संक्षारण के चलते हानि**

353. **श्री चंद्रकांत खैरे:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस्पात उत्पादों के संक्षारण के कारण हुई हानि का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हानि को रोकने के लिए कुछ उपाय किए है;

(घ) यदि हां, तो संक्षारण की रोकथाम करने के लिए संस्वीकृत की गई धनराशि का संयंत्र–वार ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ कार्यरत कंपनियों का ब्यौरा क्या है?

**इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास):** (क) और (ख) सरकार ने इस्पात उत्पादों के संक्षारण के चलते हानि के संबंध में कोई विशेष आकालन नहीं किया है।

(ग) से (ङ) इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने सेल कोर क्वॉलिटी में प्लेटों और शीटों तथा सेल थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड (टीएमटी) हाई कॉरीजन रैसिसटैंट (एचआरसी) बार्स जैसी कुछ संक्षारणरोधी इस्पात की किस्मों को विकसित किया है। सेल तथा निजी क्षेत्र की कुछ अन्य इस्पात कंपनियां भी संक्षारण को रोकने के लिए जिंक कोटिंग सहित गैलवेनाइज्ड शीटों/क्वॉयलों का उत्पादन करती हैं। इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र का एक अन्य उपक्रम राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) भी ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार संक्षारण रोधी री–बार्स का उत्पादन करता है।

*[अनुवाद]*

**पुरातन कलाकृतियों की तस्करी**

354. **श्री हितेन बर्मन :** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देवी तथा देवताओं की पुरातन मूर्तियां तथा बहुमूल्य प्रतिमाएं देश से बाहर अनुकृति के रुप में नियमित रुप से तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो के दौरान राज्य–वार अब तक कितनी पुरातन कलाकृतियों की तस्करी की गई ; और

(ग) देश में चोरी तथा तस्करी रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये है/उठा रही है ?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी):** (क) उपलब्ध आंकड़े पुरावशेषों की किसी नियमित तस्करी को नहीं दर्शाते हैं।

(ख) केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों से पिछले तीन वर्षो के दौरान पुरावशेषों की सूचित की गई चोरी की राज्यवार संख्या निम्नानुसार है :–

| राज्य | वर्ष | पुरावशेषों की चोरी की संख्या |
|---|---|---|
| राजस्थान | 2005 | 7 |
| मध्य प्रदेश | 2005 | 9 |
| उत्तराखंड | 2006 | 2 |
| राजस्थान | 2006 | 1 |
| आन्ध्र प्रदेश | 2006 | 1 |
| मध्य प्रदेश | 2007 | 5 |
| पं. बंगाल | 2007 | 1 |
| हिमाचल प्रदेश | 2007 | 4 |

(ग) भारतीय पुसातत्व सर्वेक्षण संरक्षित स्मारकों तथा स्थल संग्रहालयों में पुरावशेषों के परिरक्षण तथा सुरक्षा के प्रति पूर्णतया प्रतिबद्ध है। इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सुरक्षा गार्डो को रखता है जिनकी संख्या निजी सुरक्षा गार्डो, राज्य पुलिस, होम गार्डो तथा चुनिन्दा स्मारकों पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को भी तैनात करके बढ़ाया गया है। कला वस्तुओं की तस्करी संबंधी सूचना के आदान–प्रदान के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा सीमा शुल्क प्रधिकारियों के बीच लगातार परस्पर बातचीत होती है।

पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत, पुरावशेषों तथा बहुमूल्य कलाकृतियों के निर्यात को बिनियमित करने तथा इनके अवैध व्यापार को रोकने के लिए प्रावधान विद्यमान हैं। इन प्रावधानों में व्यापारियों का पंजीकरण, विशिष्ट श्रेणियों के पुरावशेषों का पंजीकरण, अपराधियों पर मुकदमा चलाना आदि शामिल है। सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक तथा पुरावशेष मिशन शुरु किया है जो अन्य बातों के साथ–साथ देश के स्मारकों तथा पुरावशेषों का प्रलेखन करेगा।

**कैट-III बी लैंडिंग सपोर्ट सिस्टम हेतु पायलटों को दिया गया प्रशिक्षण**

355. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितनी घरेलू एयरलाइनों के पायलटों को घने कोहरे में कैट–III बी लैंडिंग सपोर्ट सिस्टम का उपयोग करते हुए उड़ान परिचालित करने का प्रशिक्षण दिया गया है;

(ख) वे कौन–कौन से हवाई अड्डे हैं जहां कैट–III बी प्रणाली स्थापित की गई है/करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस पर कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) चार घरेलू एयरलाइनों के पायलटों को घने कोहरे में कैट–III बी अवतरण सहायता प्रणाली के प्रयोग द्वारा उड़ानों के प्रचालन का प्रशिक्षण दिया गया है। ये एयरलाइनें है–मैसर्स एअर इंडिया, जेट एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइन्स लि. तथा इंडीगो।

(ख) उन्नत सतह प्रबंधन दिशा निर्देश नियंत्रण प्रणाली (एएसएम जीसीएस) तथा अन्य भूमि सहायक उपकरणों सहित आईजीआई हवाई अड्डा दिल्ली के रनवे 28 पर कैट–III बी आईएलएस उपकरण संस्थापित किया गया है। मौजूदा एएसएमजीसीएस के संवर्द्धन के साथ–साथ आईजीआई हवाई अड्डे पर रनवे 29 तथा रनवे 11 (निर्माणाधीन) के लिए कैट–III आईएलएस उपकरण की आपूर्ति के लिए क्रय आदेश भी दे दिए गए हैं।

(ग) आईजीआई हवाई अड्डा, दिल्ली पर आइएलएस उपकरण तथा एएसएमजीसीएस के संवर्द्धन की लागत 18 करोड़ रुपए है।

**कर्नाटक में घरेलू गैस की विस्तार योजना**

356. **श्री जी.एम.सिद्दीश्वर :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक की केवल 50 प्रतिशत जनसंख्या को रसोई गैस उपलब्ध कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां कर्नाटक में रसोई गैस की सुविधा प्राप्त 57 प्रतिशत जनसंख्या को बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने के लिए क्या प्रयास कर रही है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को अर्द्ध–शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार योजना पर ध्यान देने की सरकार की सलाह का क्या प्रभाव पड़ेगा?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल):** (क) सार्वजनिक क्षैत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने सूचित किया है कि उनके पास 1.1.2008 को कर्नाटक राज्य में 55.24 लाख घरेलू एलपीजी ग्राहक हैं जो 2001 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या का लगभग 53.10% है।

(ख) और (ग) सरकार ने ओएमसीज को यह स्वतंत्रता दे रखी है कि वे अपने वाणिज्यिक आकलन के अनुसार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करें और स्थानों का निर्धारण उनके द्वारा स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटरशिप कायम रखने के लिए उपलब्ध रीफिल बिक्री संभाव्यता के आधार पर किया जाता है। तथापि, सरकार ने ओएमसीज से कहा है कि वे अर्ध-शहरी तथा ग्रामीण इलाकों को शामिल करने के लिए विपणन योजनाएं तैयार करें। ओएमसीज ने कर्नाटक राज्य में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने के लिए मुख्य रुप से ग्रामीण और शहरी-ग्रामीण (अर्ध-शहरी) स्थानों में 62 स्थानों को अंतिम रुप दिया है। इसके लिए 2 नवंबर 2007 को विज्ञापन जारी किया गया था और आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 5 दिसंबर 2007 थी।

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की स्थापना एक सतत प्रक्रिया है और इसमें उचित स्थान का पता लगाना, गोदाम की स्थापना के लिए भूमि की व्यवस्था करना तथा दूसरी सांविधिक स्वीकृतियां आदि शामिल होती हैं।

**आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए छात्रावास**

**357. श्री एम. अंजनकुमार यादव :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षो के दौरान आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए कितने छात्रावासों का निर्माण किया गया तथा इनका स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त जातियों के छात्रों के लिए मंजूर किए गए छात्रावासों में से आज तक निर्मित नहीं किये जा सके छात्रावासों की संख्या कितनी है; और

(ग) गत तीन वर्षो के दौरान इन छात्रावासों के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन):** (क) और (ख) गत तीन वर्षो के दौरान, छात्रावासों की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश के लिए अनुसूचित जाति के लड़के लड़कियों के लिए स्वीकृत छात्रवासों का ब्यौरा क्रमशः विवरण-I विवरण-II पर दिया गया है। चूंकि पूरा करने की निर्धारित अवधि पांच वर्ष थी इसलिए पूरा होने संबंधी रिपोर्टे अभी प्राप्त होनी हैं।

(ग) ब्यौरा विवरण-III पर दिया गया है।

*विवरण-I*

*लड़कों के छात्रावास*

| क्र.सं. | जिला | स्थान |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | **वर्ष 2004-05** |
| 1. | खम्मम | अनुसूचित जाति बाल छात्रवास, वल्लभी (वी) |
| 2. | खम्मम | अनुसूचित जाति बाल छात्रवास, थानीकेला (वी) |
| | | **वर्ष 2005-06** |
| 1. | गुंटूर | समाज कल्याण बाल छात्रावास, वेल्लातूरु |
| 2. | गुंटूर | समाज कल्याण बाल छात्रावास, नरसरोपेटा |
| 3. | गुंटूर | समाज कल्याण बाल छात्रावास, काकूमानू |
| 4. | गुंटूर | समाज कल्याण बाल छात्रावास-1, पीडूगुरेलिया |
| 5. | गुंटूर | समाज कल्याण बाल छात्रावास-2, पीडूगुरेलिया |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 6. | गुंटूर | समाज कल्याण बाल छात्रावास, पेडापालेम |
| 7. | गुंटूर | समाज कल्याण बाल छात्रावास, बापाटला |
| 8. | गुंटूर | समाज कल्याण बाल छात्रावास, अचेमपेटा |
| 9. | गुंटूर | समाज कल्याण बाल छात्रावास, कोलाकूरु–1 |
| 10. | गुंटूर | समाज कल्याण बाल छात्रावास, कावायूरु |
| 11. | अंनतपुर | बाल छात्रावास, बी.के. समुद्रम |
| 12. | अंनतपुर | बाल छात्रावास, चेलमतुर |
| 13. | अंनतपुर | बाल छात्रावास, नल्लामाडा |
| 14. | अंनतपुर | बाल छात्रावास, ब्रहमसमुद्रम |
| 15. | अंनतपुर | बाल छात्रावास, सं. 3, यूरावनोंडा |
| 16. | अंनतपुर | बाल छात्रावास, मडकसीरा |
| 17. | अंनतपुर | बाल छात्रावास, सं. 2, पेनूकोंडा |
| 18. | अंनतपुर | बाल छात्रावास, नरपाला |
| 19. | अंनतपुर | बाल छात्रावास, सं. 2 यूरावकोंडा |
| 20. | अंनतपुर | बाल छात्रावास, कोथाचेरुवू |
| 21. | अंनतपुर | बाल छात्रावास, सेतूर |
| 22. | अंनतपुर | बाल छात्रावास, सं. 4 गुटी |
| 23. | अंनतपुर | बाल छात्रावास, सं. 2, कमदूर |
| 24. | अंनतपुर | बाल छात्रावास, तालूपूला |
| 25. | अंनतपुर | बाल छात्रावास, बेलूगुप्पा |
| 26. | कृष्णा | बाल छात्रावास, जी. कोंडूरु |
| 27. | कृष्णा | बाल छात्रावास, सं. 6, गाइडवडा |
| 28. | कृष्णा | बाल छात्रावास, गांडेपाली |
| 29. | कृष्णा | बाल छात्रावास, सं. 3. नंदीगामा |
| 30. | कृष्णा | बाल छात्रावास, कोनाकाछी |
| 31. | कृष्णा | बाल छात्रावास, हलूरु |
| 32. | कृष्णा | बाल छात्रावास, प्रकाशनगर विजय |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 33. | कृष्णा | बाल छात्रावास, बंटुमिल्ली |
| 34. | कृष्णा | बाल छात्रावास, नागयलंका |
| 35. | कृष्णा | बाल छात्रावास, सं. 1 (विशेष) चल्लेपल |
| 36. | वारंगल | समाज कल्याण बाल छात्रावास, गुडूर (पी.) |
| 37. | वारंगल | समाज कल्याण बाल छात्रावास, नच्चेनपैली |
| 38. | वारंगल | समाज कल्याण बाल आश्रम विद्यालय, बुटाइगुडेन |
| 39. | नेल्लौर | बाल छात्रावास, पिगीलम (वी.) बाल्यप |
| 40. | निजामाबाद | बाल छात्रावास, कोड़िपगल |
| 41. | मेढक | बाल छात्रावास, दुबक |
| 42. | मेढक | बाल छात्रावास, दोलताबाद |
| 43. | मेढक | बाल छात्रावास, वारंगल |
| 44. | हैदराबाद | बाल छात्रावास, नंदीमुसलइगुडा |
| 45 | हैदराबाद | हैदराबाद विश्वविद्यालय |
| | | **वर्ष 2004-05** |
| 1. | खम्मम | समाज कल्याण बाल छात्रावास, बी–खम्मम |
| 2. | मेढक | समाज कल्याण बाल छात्रावास, बी–जहीराबाद |
| 3. | नल्लोर | समाज कल्याण बाल छात्रावास, पल्लीपाडू |
| 4. | कृष्णा | समाज कल्याण बाल छात्रावास, कांचीकचेरला |
| 5. | पश्चिम गोदावरी | समाज कल्याण बाल छात्रावास, सिंगागुडेन |
| 6. | अदीलाबाद | समाज कल्याण बाल छात्रावास, बाबासागर |
| 7. | प्रकाशम | समाज कल्याण बाल छात्रावास, नीदामानुर–बी, तंगुतूर |
| 8. | गुंटूर | समाज कल्याण बाल छात्रावास, नदेनडला |
| 9. | अनंतपुर | समाज कल्याण बाल छात्रावास, सं. 2, तडीपथी |
| 10. | निजामाबाद | समाज कल्याण बाल छात्रावास, दिचपल्लीखम्मम |
| 11. | करीमनगर | समाज कल्याण बाल छात्रावास, गंभीररावपेट |
| 12. | करनूल | समाज कल्याण बाल छात्रावास, नारनूर |
| 13. | विशाखापटनम | समाज कल्याण बाल छात्रावास, मारतूरु |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 14 | कुडापा | समाज कल्याण बाल छात्रावास, पोटलाडूरथी |
| 15. | श्रीकाकूलम | समाज कल्याण बाल छात्रावास, काशीबुग्गा |
| 16. | विजयानगरम | समाज कल्याण बाल छात्रावास, धर्मवरम |
| 17 | नलगोंडा | समाज कल्याण बाल छात्रावास, मत्तामपली |

*विवरण-II*

*लड़कियों के छात्रावास*

| क्र. सं. | जिला | स्थान |
|---|---|---|
| | | **वर्ष 2004-05** |
| 1. | मेढक | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, सदाशिपेट (वीएंडएम) |
| 2. | नेल्लौर | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, सं. 1, नायडूपेटा |
| 3. | नेल्लौर | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, सं. 3, कोवूर |
| 4. | नेल्लौर | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, सं. 2, नायडूपेटा |
| 5. | नेल्लौर | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, कदवलूर |
| 6. | नेल्लौर | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, अलूर |
| 7. | नेल्लौर | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, मूथुकूर |
| 8. | नेल्लौर | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, कोटा |
| 6. | कृष्णा | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, तिरुवूरु (वीएंडएम) |
| 10. | कृष्णा | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, कुचनापूडी (वीएंडएम) |
| 11. | कृष्णा | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, तेलापरोलू (वीएंडएम) |
| 12. | कृष्णा | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, देवाजूगुडेम |
| 13. | प. गोदावरी | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, रंगापुरम (वी.टीनाशापुरम) (एम) |
| 14. | प. गोदावरी | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, कोरुकोलू (वी.पालाकोडेरु) (एम) |
| 15. | प. गोदावरी | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, इलरु (शहरी) |
| 16. | प. गोदावरी | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, वेलरु (वी.) अचंता (एम) |
| 17. | प. गोदावरी | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, दिरुसूमारु (वी.) भिमवरम (एम) |
| 18. | प. गोदावरी | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, कल्ला (वीएंडएम) |
| 19. | प. गोदावरी | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, पेडानिंड्राकोलानू (वी.) निडामवनूरु (एम) |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 20. | प. गोदावरी | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, उनगुटूर (वीएंडएम) |
| 21. | प. गोदावरी | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, पुल्ला (वी) भीमाडोल (एम) |
| 22. | प. गोदावरी | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, डूडूकू (वी) दीवारपल्ली (एम) |
| 23. | प. गोदावरी | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, एल. कोडेरु (वी) पोलाकोलू (एम) |
| 24. | अदीलाबाद | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, असीफाबाद (वीएंडएम) |
| 25. | अदीलाबाद | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, गढ़चंदा लोहेसरा (एम) |
| 26. | प्रकाशम | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, तुंगूर (वीएंडएम) |
| 27. | प्रकाशम | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, अदानकी (वीएंडएम) |
| 28. | प्रकाशम | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, मरकापुर (वीएंडएम) |
| 29. | गुंदूर | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, मुन्नीपल्ली (वीएंडएम) |
| 30. | गुंदूर | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, विनूकोंडा (वीएंडएम) |
| 31. | अनंतपुर | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, सिंगनमाला (वीएंडएम) |
| 32. | अनंतपुर | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, बथलपल्ली (वीएंडएम) |
| 33. | अनंतपुर | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, सं. 2 गुंटाकल (वीएंडएम) |
| 34. | अनंतपुर | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, कल्याणदुर्ग (वीएंडएम) |
| 35. | अनंतपुर | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, गांडलपेंटा (वीएंडएम) |
| 36. | निजामाबाद | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, मोरथाड (वीएंडएम) |
| 37. | निजामाबाद | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, निजामाबाद |
| 38. | कूरनूल | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, पामूलापाडू (वीएंडएम) |
| 39. | कूरनूल | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, तेरनेकल (वीएंडएम) |
| 40. | कूरनूल | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, नंदयाल (वीएंडएम) |
| 41. | विशाखापटनम | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, विशाखापटनम |
| 42. | कुडप्पा | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, कुडप्पा (वीएंडएम) |
| 43. | कुडप्पा | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, रयाचोटी (वीएंडएम) |
| 44. | कुडप्पा | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, विएनपल्ली (वीएंडएम) |
| 45. | कुडप्पा | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, मुडानूर (वीएंडएम) |
| 46. | कुडप्पा | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, वडीराला (वीएंडएम) |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 47. | कुडप्पा | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, सं. 2 पुलीवेंडला (वीएंडएम) |
| 48. | कुडप्पा | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, सं. 2 राजमपेट (वीएंडएम) |
| 49. | कुडप्पा | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, नंदलूर (वीएंडएम) |
| 50. | कुडप्पा | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, कोडूर (वीएंडएम) |
| 51. | कुडप्पा | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, खाजीपेट (वीएंडएम) |
| 52. | श्रीकाकूलम | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, बाथीली (वीएंडएम) |
| 53. | विजयानगरम | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, वियमपेटा (एम) कोटावालासा |
| 54. | विजयानगरम | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, मारीपीवालासा सीतानगरम (एम) |
| | | **2005-06** |
| 1. | गुंतूर | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, रापले |
| 2. | अनंतपुर | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, सं. 2 कम्बदूर |
| 3. | कृष्णा | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, कृष्तूराजोरम, वीजेडए |
| 4. | वारंगल | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, मारीपेडा |
| 5. | मेढक | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, जगदेवपुर |
| 6. | श्रीकाकूलम | आवासीय विद्यालय से सम्बद्ध समाज कल्याण छात्रावास भवन, श्रीकाकूलम(1) |
| 7. | पूर्व गोदावरी | आवासीय विद्यालय से सम्बद्ध समाज कल्याण छात्रावास भवन, राजमुद्री (1) |
| 8. | खम्मम | आवासीय विद्यालय से सम्बद्ध समाज कल्याण छात्रावास भवन, खम्मम (1) |
| 9. | महबूबनगर | आवासीय विद्यालय से सम्बद्ध समाज कल्याण छात्रावास भवन, नारायनपेट (1) |
| 10. | नालगोंडा | आवासीय विद्यालय से सम्बद्ध समाज कल्याण छात्रावास भवन, नालगोंड (1) |
| 11. | हैदराबाद | हैदराबाद विश्वविद्यालय |
| | | **वर्ष 2006-07** |
| 1. | पूर्व गोदावरी | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, थल्लारेवू (वीएंडएम) |
| 2. | पूर्व गोदावरी | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, गोलापरोलू (वीएंडएम) |
| 3. | कृष्णा | बालिका छात्रावास (विशेष) कस्तूरीबेपठ, वीजेडए |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 4. | कृष्णा | बालिका छात्रावास, लम्बाडीपेट, वीजेडए |
| 5. | गुंटूर | बालिका छात्रावास, चिलाकालूरीपेट |
| 6. | गुंटूर | बालिका छात्रावास, सातेनापल्ली |
| 7. | चित्तूर | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, नागाराई (वीएंडएम) |
| 8. | चित्तूर | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, गुडियापाला (वीएंडएम) |
| 9. | कदापा | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, पुलमपेट |
| 10. | कदापा | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, चितवेल |
| 11. | करीमनगर | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, गंभीररावपेट (वीएंडएम) |
| 12. | करीमनगर | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, हुस्नाबाद (वीएंडएम) |
| 13. | वारंगल | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, कोडाकांडला |
| 14. | महबूबनगर | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, कोलापूर (वीएंडएम) |
| 15. | महबूबनगर | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, जेडचेरला (वीएंडएम) |
| 16. | नलगोंडा | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, देवराकोंडा (वीएंडएम) |
| 17. | नलगोंडा | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, मोतकूर (वीएंडएम) |
| 18. | रंगारेड्डी | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, मलकाजगीर (वीएंडएम) |
| 19. | पूर्वगोदावरी | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, रविकमपाडू (वीएंडएम) |
| 20. | पूर्वगोदावरी | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, प्रथिपाडू (वीएंडएम) |
| 21. | पूर्वगोदावरी | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, रायावरम (वीएंडएम) |
| 22. | पूर्वगोदावरी | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, इंदूपूरपेट (वीएंडएम) |
| 23. | पूर्वगोदावरी | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, कपलेश्वरपुरम (वीएंडएम) |
| 24. | पूर्वगोदावरी | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, राजोले–1 (वीएंडएम) |
| 25. | पूर्वगोदावरी | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, राजोले–2 |
| 26. | पूर्वगोदावरी | समाज कल्याण बालिका छात्रावास,–1, पोलावरम (वीएंडएम) |
| 27. | पूर्वगोदावरी | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, केजीपटनम (वी) |
| 28. | पूर्वगोदावरी | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, अम्लाउरम |
| 29. | पूर्वगोदावरी | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, देवगुप्तम के रुप में (वीएंडएम) |
| 30. | कृष्णा | बालिका छात्रावास, भीमावरम |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 31. | कृष्णा | बालिका छात्रावास, प्रकाशनगर केन्द्रीका |
| 32. | कृष्णा | बालिका छात्रावास, गन्नावरम |
| 33. | कृष्णा | बालिका छात्रावास, चेनूरु |
| 34. | कृष्णा | बालिका छात्रावास, वसन्नापेट |
| 35. | कृष्णा | बालिका छात्रावास, कोरीकोलू |
| 36. | कृष्णा | बालिका छात्रावास, चेनापुरम |
| 37. | कृष्णा | बालिका छात्रावास, चेन्नागोलापेलम |
| 38. | कृष्णा | बालिका छात्रावास, नंदीवाडा |
| 39. | कृष्णा | बालिका छात्रावास, पेनामालूरु |
| 40. | कृष्णा | बालिका छात्रावास, पेदना |
| 41. | गुंतूर | बालिका छात्रावास, क्रोसूरु |
| 42. | चित्तूर | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, केनगर (वीएंडएम) |
| 43. | कडप्पा | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, बीमातम |
| 44. | कडप्पा | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, एनकेआरपेट |
| 45. | कडप्पा | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, नंदीमंडलम |
| 46. | करीमनगर | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, मलायल (वीएंडएम) |
| 47. | करीमनगर | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, महादेवपुर (वीएंडएम) |
| 48. | करीमनगर | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, करीमनगर (वीएंडएम) |
| 49. | महबूबनगर | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, कोताकोटा (वीएंडएम) |
| 50. | महबूबनगर | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, अचमपेट (वीएंडएम) |
| 51. | महबूबनगर | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, कोशगी (वीएंडएम) |
| 52. | महबूबनगर | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, आलमपुर (वीएंडएम) |
| 53. | नलगौंडा | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, पेडाबूरा (वीएंडएम) |
| 54. | नलगौंडा | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, निदामनूर (वीएंडएम) |
| 55. | नलगौंडा | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, जजीरंडडीगुडेम (वी) |
| 56. | नलगौंडा | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, चन्दूर |
| 57. | नलगौंडा | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, कोडाड |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 58. | नलगौंडा | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, नामपेली |
| 59. | रंगारेड्डी | समाज कल्याण बालिका छात्रावास, डूंडीगल (वी) |
| 60. | विजयनगरम | समाज कल्याण महाविद्यालय बालिका छात्रावास, विजयनगरम (मुख्यालय) |
| 61. | गोदावरी(पूर्व) | समाज कल्याण महाविद्यालय बालिका छात्रावास, काकीनाडा |
| 62. | गोदावरी(पूर्व) | समाज कल्याण महाविद्यालय बालिका छात्रावास, राजमूद्री |
| 63. | प. गोदावरी | समाज कल्याण महाविद्यालय बालिका छात्रावास, इलूरु |
| 64. | प. गोदावरी | समाज कल्याण महाविद्यालय बालिका छात्रावास, भीमवरम |
| 65. | कृष्णा | समाज कल्याण महाविद्यालय बालिका छात्रावास, विजयवाडा |
| 66. | गुंटूर | समाज कल्याण महाविद्यालय बालिका छात्रावास, नरसरावपेट |
| 67. | प्रकाशम | समाज कल्याण महाविद्यालय बालिका छात्रावास, चिराला |
| 68. | प्रकाशम | समाज कल्याण महाविद्यालय बालिका छात्रावास, कंदूकूर |
| 69. | निल्लोर | समाज कल्याण महाविद्यालय बालिका छात्रावास, कवाली |
| 70. | चित्तूर | समाज कल्याण महाविद्यालय बालिका छात्रावास, तिरुपति |
| 71. | कदापा | समाज कल्याण महाविद्यालय बालिका छात्रावास, कदापा (मुख्यालय) |
| 72. | अनंतपुर | समाज कल्याण महाविद्यालय बालिका छात्रावास, मंदकसीरा |
| 73. | कुरनूल | समाज कल्याण महाविद्यालय बालिका छात्रावास, अदोनी |
| 74. | महबूबनगर | समाज कल्याण महाविद्यालय बालिका छात्रावास, महबूबनगर (मुख्यालय) |
| 75. | रंगारेड्डी | समाज कल्याण महाविद्यालय बालिका छात्रावास, चावेला |
| 76. | हैदराबाद | समाज कल्याण महाविद्यालय बालिका छात्रावास, सायदाबाद |
| 77. | हैदराबाद | समाज कल्याण महाविद्यालय बालिका छात्रावास, अमीरपेट |
| 78. | निजामनाद | समाज कल्याण महाविद्यालय बालिका छात्रावास, कामारेड्डी |
| 79. | वारंगल | समाज कल्याण महाविद्यालय बालिका छात्रावास, वारंगल (मुख्यालय) |
| 80. | खाम्मम | समाज कल्याण महाविद्यालय बालिका छात्रावास, कोथागुडेम |
| 81. | नालागोंडा | समाज कल्याण महाविद्यालय बालिका छात्रावास, मुरयालागुडा |

***विवरण-III***

*गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति के लड़के लड़कियों के लिए छात्रावासों हेतु आन्ध्र प्रदेश को प्रदान की गई वित्तीय सहायता*

| वर्ष | अनुसूचित जाति बाल छात्रावास | अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास |
|---|---|---|
| 2004–05 | 25 | 675 |
| 2005–06 | 516.2 | 305.59 |
| 2006–07 | 425 | 1012.5 |
| कुल | 966.2 | 1993.09 |

**निजी क्षेत्र में अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षण**

**358. श्री हंसराज गं. अहीर :** क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अल्पसंख्यकों को निजी तथा निगमित क्षेत्र में नौकरी में आरक्षण देने की दिशा में कोई प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 'एसोचेम' ने औद्योगिक क्षेत्र में अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने के लिए एक समिति गठित की है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या समिति ने कोई रिपोर्ट पेश की है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार समिति की रिपोर्ट के अनुसार एक कार्ययोजना तैयार करने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए. आर. अंतुले):** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**आई.जी.आई विमानपत्तन पर लगेज ट्रॉली**

**359. श्री जी. करूणाकर रेड्डी :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर लगेज ट्रालियों की स्थिति खराब तथा जीर्ण-शीर्ण है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने आई. जी. आई विमानपत्तन पर बेहतर ट्रालियों को उपलब्ध कराने हेतु कोई उपाय किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) से (ग) जी नहीं। तथापि कुछ ट्रॉलियां जो पुरानी हो गई हैं उनके स्थान पर घरेलू तथा अन्तरराष्ट्रीय टर्मिनल दोनों पर एक चरणबद्ध तरीके से आने वाले महीनों में नई ट्रॉलियां लाई जा रही है।

**कर्नाटक में पर्यटन का विकास**

**360. श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में पर्यटन क्षेत्र के तीव्रतर विकास को सुनिश्चित करने तथा इस क्षेत्र में सरकारी-निजी भागीदारी को और अधिक बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति अनुमोदन के अंतिम चरण में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने घर पर ठहरने की सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए एक नीति अधिसूचित भी ही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) राज्य में पर्यटन में सुधार लाने में यह कितना सहायक होगा; और

(च) क्या केन्द्र सरकार से इसे क्रियान्वित करने के लिए कोई सहायता मांगी गई है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी):** (क) से (ख) कर्नाटक सरकार ने राज्य में पर्यटन के सम्पूर्ण विकास के उद्देश्य हेतु 2007-2012 की अवधि के लिए एक ड्राफ्ट पर्यटन नीति बनाई है।

(ग) से (ङ) राज्य सरकार ने, आवासीय सुविधाओं में बढ़ोतरी के साथ पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति और परम्परा दर्शाने हेतु "अतिथि" की योजना के अंतर्गत घर पर ठहरने की सुविधाएं देने की शुरुआत की है।

(च) जी, नहीं।

**भारतीय वायुसेना के साथ समझौता**

**361. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन क्षेत्र विमान तथा हेलीकॉप्टर पायलटों की कमी को पूरा करने के लिए भारतीय वायुसेना की सहायता ले रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में नागर विमानन तथा भारतीय वायुसेना के बीच कोई समझौता हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):** (क) जी हां। पर्याप्त उड़ान प्रशिक्षण वाले भारतीय वायुसेना के योग्यता प्राप्त

पायलटों को नागर विमानन महनिदेशालय द्वारा लाइसेंस जारी करने के लिए, लिये जाने वाले उड़ान परीक्षणों तथा तकनीकी परीक्षाओं में बैठने से छूट प्राप्त है। पवन हंस हेलिकॉप्टर्स लि. भी अपने प्रचालनों के लिए भारतीय वायुसेना की सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं।

(ख) और (ग) भारतीय वायुसेना तथा एअर इंडिया के मध्य दिनांक 05.04.2007 को तथा भारतीय वायुसेना व पवन हंस हेलिकॉप्टर्स लि. के मध्य दिनांक 15.02.2008 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ताकि भारतीय वायुसेना के पायलट इन संगठनों में शामिल हो सकें।

*[अनुवाद]*

## कृषि खाद्य वस्तुओं की बर्बादी

**362. श्री एल. राजगोपाल : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में 13 बिलियन अमेरिकी डालर के बराबर मूल्य की कृषि खाद्य वस्तुओं की बर्बादी वार्षिक रुप से होती है;

(ख) यदि हां, तो कृषि खाद्य वस्तुओं की बर्बादी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है;

(ग) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संबंधी "विजन-2015" में इससे संबंधित पर्याप्त प्रावधान है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किस तंत्र के माध्यम से यह "विजन" कृषि खाद्य वस्तुओं के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करेगा?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय):** (क) से (घ) राबो बैंक द्वारा तैयार विजन 2015 रिपोर्ट के अनुसार, अनुमान है कि पर्याप्त फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं की कमी, शीत श्रृंखला सुविधाओं, दुलाई, उपयुक्त भण्डारण सुविधाओं आदि के अभाव में, फसल कटाई के बाद हैंडलिंग के विभिन्न चरणों पर प्रतिवर्ष लगभग 13 बिलियन अमेरिकी डालर (58 हजार करोड़ रुपये) मूल्य की कृषि खाद्य मदों, फलों समेत, का अपव्यय होता है।

मंत्रालय द्वारा अतिंम रुप दिए गए विजन दस्तावेज 2015 में जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के प्रसंस्करण स्तर को 6% से बढ़ाकर 20% मूल्यवधर्न को 20% से बढ़ाकर 35% और विश्व खाद्य व्यापार में अंशदान को 1.5% से बढ़ाकर 3% करते हुए प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के आकार को वर्ष 2015 तक तिगुना करने की परिकल्पना की गई है। मंत्रिमंडल ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि हेतु ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा की गई संस्तुतियों के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के संबंध में कृषि कारोबार के संवर्धन के लिए समेकित रणनीति-विजन, रणनीति तथा कार्य योजना को अनुमोदित किया है।

सरकार वित्तीय सहायता संबंधी अपनी स्कीमों ओर अन्य संवर्धनात्मक उपायों के जरिए प्रसंस्करण सुविधाओं समेत खाद्य से संबंध रखने वाली बुनियादी सुविधाओं के सृजन हेतु सहायता देती है ताकि अपव्यय घटे, मूल्यवर्धन और टिकाऊपन बढ़े। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास तथा संवर्धन हेतु मंत्रालय विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना संबंधी स्कीम के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यो की लागत के 25% की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश उत्तराखण्ड़ सिक्किम एवं पूर्वोत्तर के राज्यों, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप और एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम क्षेत्रों समेत दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये है,, सहायता अनुदान के रुप में वित्तीय सहायता देता है। इसके अतिरिक्त, समेकित बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन के तहत सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर के राज्यों को बढ़ी हुइ दरों पर यानी 50% की दर पर सहायता दी जाती है जिसकी अधिकतम सीमा फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना के मामले में 4.00 करोड़ रुपये है और इसके उन्नयन के मामले में 1.00 करोड़ रुपये है। भारत सरकार ने देश में बागवानी के व्यापक विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन एच एम) भी शुरु किया है। सरकार देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास तथा उन्नयन के लिए विभिन्न अन्य योजना स्कीमों की कार्यान्वित कर रही है। इन स्कीमों के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने हेतु अन्य संवर्धनात्मक उपायों के अलावा बुनियादी ढांचा विकास, मानव संसाधन विकास, गुणवत्ता आश्वासन के संवर्धन, कोडेक्स मानकों तथा अनुसंधान एवं विकास हेतु अनुदान के रुप में वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

मंत्रालय ने 11 वीं योजना अवधि के तहत मेगा खाद्य पार्को की स्थापना, विभिन्न स्तरों पर-खेत स्तरीय मूल प्रसंस्करण केन्द्र-सह-शीत श्रृंखला, एकत्रीकरण/संग्रहण केन्द्र तथा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वितरण केन्द्र-समेकित शीत श्रृंखला बुनियादी सुविधा के सृजन, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता तथा प्रबंधन संस्थान की स्थापना द्वारा क्षमता निर्माण तथा गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन के द्वारा रणनीति हस्तक्षेप के लिए प्रणोद क्षेत्रों की पहचान की है, इससे जल्दी खराब होने वाली उपज सहित खाद्य उत्पादों के मूल्यवर्धण के स्तर को बढ़ावा मिलेगा। इस मंत्रालय द्वारा की जा रही पहल का उद्देश्य

सप्लाई श्रृंखला में मौजूद अन्तर को पाटना, फसलोत्तर/शीत श्रृंखला संबंधी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है ताकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का समग्र विकास हो और अपव्यय में कमी आये।

**नई खान-पान नीति**

**363. श्री जोवाकिम बखला :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने नई खान–पान नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष–वार कितनी एजेंसियों को खान–पान का अनुबंध दिया गया तथा अनुबंध की शर्तें क्या थीं तथा इस संबंध में किस प्रक्रिया का अनुपालन किया गया;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कितने नए खान–पान स्टाल आबंटित किए गए तथा जोन–वार किन ट्रेन नंबरों पर इन्हें प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(ङ) खाद्य वस्तुओं का मूल्य उचित स्तर पर रखने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.वेलु):** (क) और (ख) रेलवे की खान–पान नीति को पिछले बार दिसंबर, 2005 में संशोधित किया गया था उसके बाद, कोई नई खान–पान नीति जारी नहीं की गई है।

(ग) और (घ) सूचना भारतीय रेल खान–पान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) तथा क्षेत्रीय रेलों से प्राप्त की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) मानक भोजन, चाय/कॉफी तथा नास्ता का मूल्य कच्ची सामग्रियों, ईंधन, कर्मचारी लागत पैकिंग इत्यादि को ध्यान में रखकर रेलवे बोर्ड निर्धारित करता है. ए–ला–कार्टे भोजन सामग्री का मेनू तथा मूल्य भारतीय रेल खान–पान एवं पर्यटन निगम तथा क्षेत्रीय रेल के द्वारा एक ही प्रकार से किया जाता है. ये मूल्य उचित समझे जाते हैं. इसे सुनिश्चित बनाए रखने के लिए नियमित रुप से निगरानी रखी जाती है कि खान–पान लाइसेंसधारी गाड़ियों में तथा स्टेशनों पर मानक तथा ए–ला–कार्टे भोज्य सामग्री बेचते समय यात्रियों से अधिक कीमत वसूल न करे। रेल यात्रियों से अधिक कीमत वसूल करने पर लाइसेंसधारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

**बौद्ध मठों का रख-रखाव तथा संरक्षण**

**364. श्री नवीन जिन्दल :** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षो के दौरान बौद्ध मठों का दौरा करने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को सूचना मिली है कि कई बौद्ध मठों का विशेष रुप से लद्दाख में ठीक ढंग से रख–रखाव नहीं किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो उनके रख–रखाव तथा संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी):** (क) और (ख) केन्द्रीय संरक्षित मठों में आने वाले पर्यटकों की संख्या के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि उनका प्रबंध स्थानीय प्रबंधन समितियों द्वारा किया जाता है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इनमें प्रवेश पर टिकट नहीं लिया जाता।

(ग) और (घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ऐसी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रुप में घोषित मठों का रख–रखाव, संरक्षण और परिरक्षण संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन उनकी संरचनात्मक मरम्मतों की आवश्यकता के आधार पर किया जाता है।

*[हिन्दी]*

**रेलगाड़ियों में बर्थ का आबंटन**

**365. श्री रघुवीर सिंह कौशल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि निम्न बर्थ प्रारंभिक चरण में एक पीएनआर नंबर पर बडी संख्या में आरक्षण करवाने वाले व्यक्तियों को ही आबंटित किया जाता है जिसके कारण बाद में टिकट खरीदने वालें वृद्ध व्यक्ति को भी केवल मध्य तथा ऊपरी बर्थ आबंटित हो पाता है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे टिकट आरक्षण के मामले में बर्थ आबंटन से संबंधित विद्यमान दिशा–निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बिना बारी के निम्न बर्थ के आबंटन की प्रथा को समाप्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.वेलु):** (क) और (ख) कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली में (पीआरएस) में टिकट खरीदते समय अपेक्षित शायिकाओं की उपलब्धता के अनुसार पहले आओ, पहले

पाओ के आधार पर यात्री अपनी पसंद की शायिका बुक करा सकते हैं. बहरहाल, एक पीएनआर के अंतर्गत बुक यात्रियों के समूह के लिए एक ही कक्ष में स्थान आंबटित किया जाता है और इसमें निचली, मध्य तथा ऊपरी शायिकाएं इनकी उपलब्धता के अनुसार आबंटित की जाती है।

वरिष्ठ नागरिकों को उनके द्वारा विकल्प न देने पर भी यदि बुकिंग के समय निचली शायिका उपलब्ध हैं तो उन्हें निचली शायिका ही दी जाती है. इसके अलावा, शयनयान, एसी–3 टीयर और एसी–2 टीयर में वरिष्ठ नागरिकों, अकेली यात्रा कर रही 45 वर्ष या उससे अधिक की महिला यात्रियों और गर्भवती महिलाओं के लिए प्रत्येक डिब्बे में दो निचली शायिकाएं निर्धारित की गई हैं।

(ग) इस समय मौजूदा प्रणाली में बदलाव करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**गैर-एपीएम उत्पादों के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की मूल्य निर्धारण नीति**

**366. श्री सुखदेव सिंह ढींडसा :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गैर–निर्देशित मूल्य तंत्र उत्पादों के संबंध में सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा कौन सी मूल्य निर्धारण नीति अपनाई जाती है; और

(ख) आद्योगिक जरुरतों के लिए केरोसिन तेल हेतु आयात की "लैंडेड" लागत तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का बिक्री मूल्य कितना है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल):** (क) और (ख) गैर संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा बिक्री मूल्य मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा आयात समता मूल्यनिर्धारण सिद्धान्तों के आधार पर वाणिज्यिक शर्तों पर नियत किए जा रहे हैं। तथापि, कम मात्रा विशिष्टता उत्पादों के मामले में मूल्यनिर्धारण के लिए, आयात समता के अलावा उत्पाद की लागत और प्रतिस्पर्द्धियों के मूल्य पर भी विचार किया जाता है।

वर्तमान में, मिट्टी तेल का आयात आपूर्ति आवश्यकताओं के लिए पीडीएस मिट्टी तेल की कमी से निपटने के लिए किया जा रहा है। औद्योगिक उपयोगों के लिए आपूर्ति किए जा रहे मिट्टी तेल के लिए बिक्री मूल्य पिछले महीने के मिट्टी तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर सैद्धांतिक आयात समता पर विचार करते हुए निर्धारित किया जाता है। फरवरी 2008 के लिए औद्योगिक एसकेओ का मूल मूल्य, भाड़ा शुल्कों एवं करों को छोड़कर, 30,580 रुपए प्रति कि.ली. है।

**अल्पसंख्यकों के शिक्षा स्तर की स्थिति**

**367. श्री के. एस. राव :** क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में विभिन्न अल्पसंख्यकों की प्राथमिक स्तर पर नामांकन का स्तर क्या है तथा बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों का क्या प्रतिशत है;

(ख) बीच में पढ़ाई छोड़ देने का मुख्य कारण क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अल्पसंख्यकों द्वारा प्राथमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन लेने की संख्या में सुधार लाने के लिए उन्हें अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करने का है तथा ऐसा तंत्र स्थापित करने का है जो यह सुनिश्चित कर सके कि अल्पसंख्यकों का प्रत्येक बच्चा विद्यालय जाए तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर पहुँचे; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी बयौरा क्या है?

**अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले):** (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त सूचनानुसार यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के वार्षिक प्रकाशन डिस्ट्रिक्ट इनफारमेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन (डीआईएसई), 2006–07 में यह उल्लेख है कि प्राथमिक स्तर पर मुस्लिम बच्चों के नामांकन का प्रतिशत 9.39% है तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 7.52% है। बच्चों द्वारा पढ़ाई बीच में छोड़ने संबंधी आंकड़े, समयानुक्रम, में आंकड़े न मिलने के कारण तैयार नहीं किए जा सके।

(ग) और (घ) सर्व शिक्षा अभियान के तहत उन जिलों को धनराशि उपलब्ध कराने के लिए लक्षित किया गया है, जिन जिलों में मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत, मुस्लिम बहुल शैक्षिक रुप से पिछड़े ब्लाकों में, 270 आवासीय विद्यालयों की स्वीकृति दी गई है।

*[हिन्दी]*

**सरकारी विमान कंपनियों द्वारा अन्तर राष्ट्रीय सेवा**

**368. श्री महावीर भगोरा :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षो के दौरान सरकारी विमान कंपनियों द्वारा

अन्य देशों के लिए आरंभ की गई नई उड़ानों तथा बंद की गई उड़ानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन उड़ानों के कारण हुए लाभ तथा हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार द्वारा नई उड़ानों द्वारा कितने देशों को जोड़ने का प्रस्ताव है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल)** : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की परियोजनाएं**

**369. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 11 वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार द्वारा राज्य–वार अनुमोदित नागर विमानन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इनमें से कितनी परियोजनाएं अब तक राज्य–वार शुरु की गई है; और

(ग) यह कार्य पूरा करने का निर्धारित समय क्या है तथा इसे समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल)**:(क) 11 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में विभिन्न हवाईअड्डों पर अवसंरचना के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 12434 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव दिया है। ब्यौरा विवरण–। मे दिया गया है।

(ख) और (ग) इनमें से अब तक शुरु की गई परियोजनाओं के पूर्ण होने की अनुमानित तारीख सहित राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

***विवरण-I***

*भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण*

*11 वीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावित नागर विमानन परियोजनाओं का ब्यौरा*

**एरोड्रोम कार्य**

| क्र.सं. | हवाईअड्डा–वार योजना |
|---|---|
| 1 | 2 |
| | **आंध्र प्रदेश** |
| **कुडप्पा** | |
| 1 | एटीआर–172 प्रचालन के लिए हवाईअड्डा का प्रचालनीकरण जिसमें 1500 मी. x 30 मी. धावनपथ का निर्माण, 2 एटीआर की पार्किंग के लिए लिंक टैक्सीपथ तथा 110 मी x 110 मी एप्रन का निर्माण, फायर स्टेशन सह नियंत्रण टावर कैट V, चारदीवारी का निर्माण, संवर्धन। |
| **रजामुंदरी** | |
| 1 | 150 यात्रियों, कार पार्क, एप्रोच रोड इत्यादि के लिए नए टर्मिनल भवन का निर्माण। |
| **तिरुपति** | |
| 1 | ए–320 श्रेणी के विमान (डुएल व्हील) के प्रचालन के लिए धावनपथ तथा संबंधित पेवमेंटों का सुदृढ़ीकरण। |
| 2 | ई क्लास विमान के प्रचालन के लिए धावनपथ का 7500 फीट से 10000 फीट तक विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण एवं संबंधित पेवमेंटों का स्तरोन्नयन। |
| **विशाखापट्टनम** | |
| 1 | नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण। |
| **विजयवाड़ा** | |
| 1 | उपलब्ध भूमि तथा संबंधित पेवमेंटों के अंतर्गत ए–320 प्रचालन के धावनपथ का 6000 फीट से 7500 फीट तक विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण। |
| 2 | 400 यात्रियों के लिए, कार पार्क, एप्रोच सड़क इत्यादि के लिए नए टर्मिनल भवन परिसर का निर्माण। |
| | **आसाम** |
| **डिब्रुगढ़** | |
| 1 | रनवे का विस्तार। |
| 2 | टर्मिनल भवन का निर्माण। |
| 3 | नए एप्रन का निर्माण। |
| **गुवाहाटी** | |
| 1 | 2 यात्री बोर्डिंग पुलों, 3 एसकेलेटर और 3 एलीवेटरों, 300 कारों के लिए कार पार्क तथा सहायक सुविधाओं सहित 500 यात्रियों (15000 वर्गमीटर) के लिए अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन का निर्माण। |
| 2 | बी–777–300, 4 ए–321 के लिए अतिरिक्त पार्किंग स्टैंडों का निर्माण। |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 3 | बड़े आकार वाले विमानों के प्रचालन के लिए 550 मीटर चरण–II से रनवे का सुदृढ़ीकरण और विस्तार और अंतर्देशीय एप्रन तथा लिंक टैक्सी–वे का सुदृढ़ीकरण। |
| 4 | विस्तारित रनवे के संदर्भ में 30 मीटर ऊंचे नए नियंत्रण टावर व तकनीकी ब्लॉक का निर्माण। |
| **जोरहाट** | |
| 1 | सहायक सुविधाओं सहित 400 यात्रियों (8000 वर्गमीटर कुल क्षेत्र) के लिए नए टर्मिनल भवन परिसर का निर्माण। |
| **सिल्चर** | |
| 1 | अतिरिक्त 100 कारों इत्यादि के लिए कार पार्क का विस्तार और वर्तमान गैरेजों को गिराकर 500 यात्रियों के लिए लगभग कुल 6000 वर्गमीटर क्षेत्र के लिए टर्मिनल भवन का विस्तार और परिवर्धन |
| | **बिहार** |
| **गया** | |
| 1 | श्रेणी ए प्रचालनों सहित बी 777–200 श्रेणी के विमानों के प्रचालन के लिए रनवे का 2290 मीटर से 3050 मीटर तक विस्तार और सुदृढ़ीकरण। |
| 2 | अतिरिक्त लिंक टैक्सी–वे और आंशिक समानान्तर टैक्सी–वे सहित 2 बी 777–200 और 4 ए 321 श्रेणी के विमानों की पार्किंग के लिए वर्तमान एप्रन का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। |
| **मुजफ्फरपुर** | |
| 1 | एटीआर 72 प्रचालनों के लिए हवाईअड्डे का प्रचालनीकरण। |
| | **गुजरात** |
| **अहमदाबाद** | |
| 1 | 800 यात्रियों के लिए नया घरेलू आगमन ब्लॉक का निर्माण। |
| 2 | 3 यात्री बोर्डिंग पुलों, 3 एसकेलेटर और 3 एलीवेटर सहित 1500 यात्रियों के लिए नए अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल परिसर का निर्माण। |
| 3 | 20000 टन (4000 वर्गमीटर क्षेत्र) के लिए नए कार्गो परिसर का निर्माण। |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 4 | उपयुक्त स्थान पर 30 मीटर ऊंचे नए नियंत्रण टावर व तकनीकी ब्लॉक का निर्माण। |
| 5 | 50 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के बाद बड़े आकार वाले विमानों के प्रचालन के लिए समानान्तर टैक्सी–वे के शेष भाग का निर्माण। |
| **भावनगर** | |
| 1 | मास्टर प्लान के अनुसार तीन ए 320 विमानों के लिए नए लिंक टैक्सी–वे, एप्रन का निर्माण, रनवे का 2300 मीटर तक विस्तार और सुदृढ़ीकरण। |
| 2 | 400 यात्रियों के लिए टर्मिनल भवन परिसर का निर्माण, 200 कारों के लिए कार पार्क, एप्रोच सड़क इत्यादि। |
| **जामनगर** | |
| 1 | 400 यात्रियों के लिए (10000 वर्गमीटर) नए टर्मिनल भवन परिसर का निर्माण, अतिरिक्त लिंक टैक्सी–वे, 2 एरोब्रिजों, एसकेलेटरों, एलीवेटरों, 400 कारों के लिए कार पार्क सहित चार ए 321 विमानों के लिए एप्रन। |
| **राजकोट** | |
| 1 | 400 यात्रियों, कार पार्क इत्यादि के लिए टर्मिनल भवन परिसर का निर्माण। |
| 2 | भू–प्रकाश सुविधाओं सहित रनवे का सुदृढ़ीकरण और 6000 फुट से 7000 फुट तक विस्तार। |
| **बड़ोदरा** | |
| 1 | 500 यात्रियों और सहायक सुविधाओं के नए एकीकृत टर्मिनल भवन परिसर का निर्माण। |
| **सूरत** | |
| 1 | दृश्य–प्रकाश (2250 से 3000 मी) सहित रनवे का विस्तार, टैक्सी ट्रैक और एप्रन शोल्डर का विस्तार। |
| 2 | सभी सेवाओं और उपस्करों सहित टर्मिनल भवन, कार पार्क का विस्तार/निर्माण। |
| | **गोवा** |
| 1 | एरोब्रिजों, एसकेलेटरों एलीवेटरों और अन्य आधुनिक सुविधाओं सहित 3400 के लिए नए एकीकृत टर्मिनल भवन (56000 वर्गमीटर) का निर्माण। |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 2 | 2 बड़े आकार वाले विमानों की पार्किंग के लिए एप्रन और अतिरिक्त लिंक टैक्सी–वे का विस्तार। |
| | **जम्मू और कश्मीर** |
| **जम्मू** | |
| 1 | दक्षिण की तरफ रनवे का 1300 फुट तक विस्तार। |
| 2 | उपलब्ध भूमि के अंदर 500 यात्रियों के लिए टर्मिनल भवन का विस्तार और परिवर्धन। |
| 3 | एप्रन और अतिरिक्त लिंक टैक्सी– वे का विस्तार। |
| **लेह** | |
| 1 | कार पार्क इत्यादि सहित 400 यात्रियों के लिए नए टर्मिनल भवन परिसर का निर्माण। |
| 2 | 2 अतिरिक्त ए 320 श्रेणी के विमानों की पार्किंग के लिए एप्रन का विस्तार और अतिरिक्त लिंक टैक्सी–वे। |
| **श्रीनगर** | |
| 1 | टर्मिनल भवन का विस्तार और परिवर्धन। |
| 2 | अतिरिक्त लिंग टैक्सी–वे सहित एप्रन का विस्तार। |
| | **झारखंड** |
| **रांची** | |
| 1 | 2 यात्री बोर्डिंग पुलों, 3 एसकेलेटरों, 3 एलीवेटरों और सहायक सुविधाओं सहित एक ही समय में 600 यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण एवं विस्तार। |
| 2 | 5 ए 321/2 ए 310 श्रेणी के विमानों की पार्किंग के लिए एप्रन का विस्तार और सुदृढ़ीकरण, अतिरिक्त टैक्सी–वे, आंशिक समानान्तर टैक्सी–वे इत्यादि। |
| 3 | ए 310/बी 777–200 जैसे बड़े आकार वाले विमानों के प्रचालन के लिए रनवे का विस्तार और सुदृढ़ीकरण। |
| | **कर्नाटक** |
| **बेलगाम** | |
| 1 | ए 321 प्रचालनों (2300 मीटर x 45 मीटर) के लिए रनवे का सुदृढ़ीकरण और विस्तार, भू–प्रकाश सुविधाओं सहित 3 ए 320 श्रेणी के विमानों की पार्किंग के लिए नए एप्रम, लिंक टैक्सी–वे का निर्माण। |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 2 | 300 यात्रियों (6000 वर्गमीटर) के लिए नए टर्मिनल भवन का निर्माण। |
| **हसन** | |
| 1 | चरण 1 में एटीआर 72 प्रचालनों के लिए नए हवाईअड्डों का विकास। |
| **हुबली** | |
| 1 | 400 यात्रियों के लिए नए टर्मिनल भवन परिसर का निर्माण। |
| **मंगलौर** | |
| 1 | 500 यात्रियों के लिए (15000 वर्गमीटर) नए टर्मिनल भवन परिसर का निर्माण, कार पार्क इत्यादि। |
| 2 | 6 ए 321 की पार्किंग के लिए एप्रन, टैक्सी–वे का निर्माण। |
| **मैसूर** | |
| 1 | नए रनवे 09/27–1700 मीटर x 45 मीटर और सेकेंडरी रनवे 5/23–1400 मीटर x 45 मीटर सहायक टैक्सी–वे सहित, एप्रन, नियंत्रण टावर, अग्निशमन स्टेशन, चारदीवारी और परिधि इत्यादि का निर्माण। |
| 2 | 100 आनेवाले तथा 100 जाने वाले यात्रियों के लिए नए टर्मिनल भवन परिसर का विकास। |
| | **राजस्थान** |
| **अजमेर (किशनगढ)** | |
| 1 | एटीआर 72 प्रचालनों के लिए नए हवाईअड्डे का निर्माण। |
| **जयपुर** | |
| 1 | 500 यात्रियों के लिए नए अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन परिसर चरण–1 का निर्माण। |
| 2 | 10 बड़े आकार वाले विमानों की पार्किंग के लिए नए टर्मिनल भवन के सामने लिंक टैक्सी–वे इत्यादि सहित नए एप्रन का निर्माण। |
| 3 | रनवे का 9000 फुट से 12000 फुट तक विस्तार और सुदृढीकरण चरण–2। |
| **जैसलमेर** | |
| 1 | ए 320 श्रेणी के विमानों के प्रचालन के लिए नए सिविल एन्क्लेव का निर्माण (भूमि उपलब्ध) |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 2 | 300 यात्रियों, कार पार्क इत्यादि के लिए टर्मिनल भवन। |
| 3 | दो ए 320 की पार्किंग के लिए एप्रन, टैक्सी–वे का निर्माण। |
| **माऊंट आबू** | |
| 1 | विद्यमान हवाइअड्डे का विकास। |
| **उदयपुर** | |
| 1 | 500 यात्रियों के लिए नए टर्मिनल भवन परिसर का निर्माण। |
| 2 | बड़े आकार वाले विमानों के प्रचालन के लिए रनवे का 2286 मीटर से 2800 मीटर तक विस्तार और सुदृढ़ीकरण। |
| | **संघ शासित प्रदेश** |
| **चंडीगढ** | |
| 1 | 500 यात्रियों के लिए नए टर्मिनल परिसर का निर्माण, कार पार्क, पहुंच सड़क इत्यादि। |
| 2 | ए 310/ए 321 विमानों के लिए एप्रन का सुदृढ़ीकरण और विस्तार और अतिरिक्त लिंक टैक्सी–वे। |
| **पोर्ट ब्लेयर (सीई)** | |
| 1 | 2 ए 310 तथा चार ए 321 श्रेणी के विमानों की पार्किंग के लिए एप्रन का सुदृढीकरण और विस्तार तथा सहायक टैक्सी–वे। |
| 2 | 15000 वर्गमीटर के कुल क्षेत्र सहित 500 अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए एकीकृत अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल ब्लॉक का निर्माण, 300 कारों के लिए कार पार्क, 2 पीबीबी, 3 एसकेलेटर और 3 एलीवेटर। |
| **अगात्ती** | |
| 1 | एटीआर 72 श्रेणी के विमानों के प्रचालन के लिए वर्तमान रनवे का 1200 मीटर से 1700 मीटर तक विस्तार और सुदृढ़ीकरण। |
| 2 | रनवे के विस्तार के लिए दो द्वीपसमूहों के बीच पुल का निर्माण और सहायक सुविधाएं |
| **पांडिचेरी** | |
| 1 | एटीआर 72 प्रचालनों के लिए रनवे का 1700 मीटर तक विस्तार और सुदृढीकरण तथा सहायक कार्य। |

| 1 | 2 |
|---|---|
| | **उत्तराखंड** |
| **देहरादून** | |
| **बी 737-800 प्रचालनों के लिए हवाईअड्डे का विकास** | |
| 1 | रनवे का 1152 मीटर से 2134 मीटर तक विस्तार और सुदृढीकरण, नए एप्रन, लिंक टैक्सी–वे इत्यादि का निर्माण। |
| 2 | 150 यात्रियों के लिए नए टर्मिनल भवन परिसर का निर्माण, कार पार्क, एप्रोच सड़क इत्यादि। |
| **पंतनगर** | |
| 1 | एटीआर 72 प्रचालनों के लिए रनवे का 1100 मीटर से 1500 मीटर तक विस्तार और सुदृढीकरण, टैक्सी–वे तथा एप्रन (चरण 1)। |
| 2 | ए 320 प्रचालनों के लिए रनवे का 1500 मीटर से 2285 मीटर तक विस्तार और सुदृढीकरण, टैक्सी–वे और एप्रन (चरण 2)। |
| 3 | 100 आने वाले और 100 जाने वाले यात्रियों के लिए नए टर्मिनल भवन परिसर का निर्माण, कार पार्क इत्यादि। |
| 4 | 150 आने वाले और 150 जाने वाले यात्रियों के लिए टर्मिनल भवन परिसर का विस्तार इत्यादि (चरण 2)। |
| | **दिल्ली** |
| 1 | बी सी ए एस, डी जी सी ए और आर ई डी, एन आर कार्यालयों का निर्माण। |
| 2 | निगमित मुख्यालय ब्लॉक का विस्तार। |
| | **मध्य प्रदेश** |
| **भोपाल** | |
| 1 | ए/सी तथा बीएमसी में वर्तमान टर्मिनल भवन का विस्तार। |
| 2 | ए 321 श्रेणी के विमानों के प्रचालन के लिए रनवे का 2500 मीटर तक विस्तार और सुदृढीकरण। |
| 3 | दो यात्री बोर्डिंग पुलों, तीन एसकेलेटरों और नए स्थानों पर 3 एलीवेटरों सहित 500 यात्रियों के लिए 5 ए 321 की पार्किंग के लिए एप्रन सहित नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण। |
| **इंदौर** | |
| 1 | 600 यात्रियों के लिए (18000 वर्गमीटर) नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण, 500 कारों के लिए कार पार्क, 2 एरोब्रिज, 3 एसकेलेटर, 3 एलीवेटर इत्यादि। |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 2 | टर्मिनल भवन का विस्तार और परिवर्धन। |
| 3 | बड़े आकार वाले विमानों के प्रचालन के लिए रनवे का 2500 मीटर तक विस्तार और सुदृढीकरण, आंशिक समानान्तर टैक्सी–वे, एप्रन इत्यादि का विस्तार। |

**खजुराहो**

1 500 यात्रियों के लिए नए टर्मिनल भवन परिसर का निर्माण।

**हिमाचल प्रदेश**

**कुल्लू**

1 एटीआर 42 प्रचालनों के लिए रनवे का विस्तार और सुदृढीकरण।

2 व्यास नदी के ऊपर भूमि का रीक्लेमिंग/पुल का निर्माण और रनवे के विस्तार के लिए भूमि का अधिग्रहण।

**उत्तर प्रदेश**

**लखनऊ**

1 600 यात्रियों के लिए (15000 वर्गमीटर) के लिए नए एकीकृत अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन का निर्माण, कार पार्क इत्यादि।

2 चार बड़े आकार वाले विमानों के लिए नए एप्रन का निर्माण और टैक्सी–वे तथा जीएसई

3 भूमि अधिग्रहण सहित श्रेणी 2 प्रचालनों के लिए भू–प्रकाश सुविधा का स्तरोन्नयन।

**वाराणसी**

1 500 यात्रियों के लिए नए एकीकृत टर्मिनल भवन परिसर का निर्माण।

2 बड़े आकार वाले विमानों के प्रचालन के लिए रनवे का 2200 मीटर से 2745 मीटर तक विस्तार और सुदृढीकरण।

**पंजाब**

**लुधियाना (हलवाड़ा)**

1 हलवाड़ा में सिविल एन्क्लेव का विकास।

**बेहाला**

1 एटीआर 72 प्रचालनों के लिए हवाईअड्डे का विकास।

| 1 | 2 |
|---|---|

**उड़ीसा**

**भुवनेश्वर**

1 चार ए 321 तथा दो बी 777–200 विमानों के लिए अतिरिक्त पार्किंग स्टैंडों का निर्माण तथा सहायक टैक्सी–वे।

2 2 पीबीबी, 4 एसकेलेटरों, 15000 वर्गमीटर के कुल क्षेत्र सहित 3 एलीवेटरों जैसी सभी आधुनिक सुविधाओं सहित 500 यात्रियों के लिए नए अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल परिसर का निर्माण तथा 500 कारों के लिए कार पार्क।

**झारसुगुड़ा**

1 एटीआर 72 प्रचालनों के लिए हवाईअड्डे का प्रचालनीकरण।

**पश्चिम बंगाल**

**कूच बिहार**

1 एटीआर 72 प्रचालनों के लिए हवाईअड्डे का विकास।

**मालदा**

एटीआर 72 प्रचालनों के लिए हवाईअड्डे का विकास।

**कोलकाता**

1 एनएससीबीआई हवाईअड्डा कोलकाता में एकीकृत यात्री टर्मिनल का विकास तथा सहायक कार्य।

**त्रिपुरा**

**अगरतला**

1 लिंक टैक्सी–वे, रैम्प क्षेत्र सहित अतिरिक्त 3 ए 321 और 1 एटीआर 72 श्रेणी के विमानों की पार्किंग के लिए एप्रन का विस्तार और सुदृढीकरण।

**मेघालय**

**बारापानी (शिलांग)**

1 100 कारों के लिए कार पार्किंग तथा एप्रोच रोड के विकास के साथ एलसीसी के प्रचालन के लिए 100 यात्रियों हेतु नए टर्मिनल भवन का निर्माण (लगभग 1500 वर्ग मी.)

**मणिपुर**

**इम्फाल**

1 4 ए–321 की पार्किंग तथा आंशिक समांतर टैक्सी वे के लिए अतिरिक्त लिंक टैक्सी वे तथा एप्रन का विस्तार

| 1 | 2 |
|---|---|
| | **सिक्किम** |
| **पाक्योंग** | |
| | भूमि की लागत के अलावा 50 सीटों वाले विमानों के प्रचालन के लिए नए हवाई अड्डे का निर्माण |
| | **नागालैण्ड** |
| **कोहिमा** | |
| | भूमि की लागत के अलावा 50 सीटों वाले विमानों के प्रचालन के लिए नए हवाई अड्डे का निर्माण |
| | **अरुणाचल प्रदेश** |
| **ईटानगर** | |
| | भूमि की लागत के अलावा 50 सीटों वाले विमानों के प्रचालन के लिए नए हवाई अड्डे का निर्माण |
| **पासीघाट** | |
| 1 | एटीआर–72 के प्रचालन के लिए हवाई अड्डे को प्रचालनगत करना |
| | **महाराष्ट्र** |
| **अकोला** | |
| 1. | बड़े आकार वाले विमानों के प्रचालन तथा आंशिक समांतर टैक्सी वे, एप्रन का विस्तार इत्यादि के लिए 3000 मीटर रनवे का विसतार तथा सुदृढ़ीकरण |
| 2. | समुचित स्थिति पर 30 मी. ऊंचे नए नियंत्रण टावर सह तकनीकी ब्लॉक का निर्माण |
| 3. | नए टर्मिनल भवन का निर्माण |
| **बारामती** | |
| 1. | 1500 मीटर के रनवे, 100 यात्रियों के लिए टर्मिनल भवन, नियंत्रक टावर सह फायर स्टेशन, चारदीवारी इत्यादि सहित एटीआर 72 के प्रचालन के लिए हवाई अड्डे का विकास |
| **गोंदिया** | |
| 1. | संस्थान का परिसर/हवाई अड्डे का विकास |
| 2. | हवाई अड्डा आधारभूत संरचना |

| 1 | 2 |
|---|---|
| **जुहू** | |
| | रनवे, टैक्सीवे, एप्रन तथा आस–पास के क्षेत्र का विकास (भूमि की ढलान के अनुसार भूमि को 1.2 मीटर से उठा कर 1.5 मीटर तक करना) |
| **मुम्बई** | |
| 1. | नए आरईडी कार्यालय का निर्माण जिसमें इंजीनियरिंग, वित्त प्रशासन, संपदा, वाणिज्य तथा एमटी पुल आदि भी शामिल है |
| 2. | नए कंट्रोल टावर तथा एटीएस ब्लॉक का निर्माण |
| **नागपुर** | |
| 1 | टर्मिनल भवन का निर्माण |
| 2 | एप्रन का विस्तार तथा लिंक टैक्सी वे सहित रात्री पार्किंग के लिए अतिरिक्त प्रपन क्षेत्र का निर्माण |
| **पुणे** | |
| 1 | समांतर टैक्सी वे का निर्माण, एप्रन का विस्तार तथा ए–310/321 श्रेणी के विमानों के प्रचालन के लिए संबद्ध लिंक टैक्सी वे का विस्तार |
| 2. | 500 यात्रियों के लिए अंतरराष्ट्रीय एकीकृत टर्मिनल परिसर का निर्माण |
| | **केरल** |
| **कालीकट** | |
| 1. | रनवे का सुदृढ़ीकरण तथा बी 777 200/बी 747 400 श्रेणी के विमानों के लिए संबद्ध सुविधाएं |
| **त्रिवेन्द्रम** | |
| 1 | 500 यात्रियों के लिए नए एकीकृत टर्मिनल परिसर का निर्माण तथा कार पार्किंग इत्यादि |
| 2. | नए एप्रन तथा 4 ए 321 तथा 2 बी 777 200 श्रेणी के विमानों के पार्किंग के लिए लिंक टैक्सी वे |
| 3 | मौजूदा टर्मिनल भवन का विस्तार और सुधार |
| **चेन्नई** | |
| 1 | कामराज अंतर्देशीय टर्मिनल फेज II का विकास, मौजूदा अन्ना अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल का विस्तार तथा चेन्नई हवाई अड्डे पर मौजूदा टर्मिनलों का सौंदर्यकरण। |
| 2. | सेकेण्डरी रनवे, समांतर टैक्सी वे तथा आड़ियार नदी के ऊपर पुल |

| 1 | 2 |
|---|---|
| **मदुरै** | |
| 1. | 500 यात्रियों के लिए नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण |
| **त्रिची** | |
| 1 | 500 यात्रियों के लिए नए एकीकृत टर्मिनल भवन, कार पार्किंग आदि का निर्माण |
| 2 | नए टैक्सी वे सहित ए–321 श्रेणी के विमानों की पार्किंग के लिए एप्रन का विस्तार |
| **तूतीकोरिन** | |
| 1 | एटीआर 72 विमानों के प्रचालन के लिए रनवे की लंबाई को 1350 से बढ़ाकर 1500 मीअर करना और इसका सुदृढ़ीकरण करना, अन्न पेवमेंट्स का स्तरोन्नयन |

*विवरण-II*

*भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण*

*आरंभ की गई परियोजनाओं की संख्या (राज्यवार)*

*विमान क्षेत्र निर्माण कार्य*

| क्रम संख्या | हवाईअड्डावार योजना | पीडीसी |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | **आंध्र प्रदेश** | |
| | **तिरूपति** | |
| 1 | ए–320 श्रेणी के विमान (दुपहिए) के प्रचालन के लिए रनवे तथा संबंधित पेवमेंटों का सुदृढ़ीकरण | मार्च, 08 |
| | विशाखापत्तनम | |
| 1 | नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण | अप्रैल, 08 |
| | **असम** | |
| | **डिब्रूगढ़** | जनवरी, 08 |
| 1 | टर्मिनल भवन का निर्माण | |
| | **गुवाहाटी** | |
| 1 | दा बी 777–300, चार ए–321 विमानों के लिए अतिरिक्त पार्किंग स्टैंडों का निर्माण | मई, 08 |
| | **गुजरात** | |
| | **अहमदाबाद** | |
| 1 | 800 यात्रियों के लिए नए घरेलू आगमन ब्लाक का निर्माण | कार्य पूरा हो गया |
| 2 | तीन यात्री बोर्डिंग ब्रिजों, तीन एस्केलेटर तथा तीन एलीवेटरों सहित 500 यात्रियों के लिए नए अंतराष्ट्रीय टर्मिनल परिसर का निर्माण | फरवरी, 09 |
| | **सूरत** | |
| 1 | सूरत हवाई अड्डे का विकास | मार्च, 08 |
| 2 | रनवे (1525 से 2250 मीटर तक) का विस्तार तथा मौजूदा रनवे के सुदृढ़ीकरण सहित नए एप्रन का निर्माण | मार्च, 08 |
| | **गोवा** | |
| 1. | चौड़े बाडी वाले दो विमानों के पार्किंग के लिए एप्रन का विस्तार और अतिरिक्त लिंक टैक्सी वे। | मार्च, 08 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | **जम्मू और श्रीनगर** | |
| | **श्री नगर** | |
| 1 | टर्मिनल भवन का विस्तार व परिवर्तन | मई, 08 |
| | **झारखंड** | |
| | **रांची** | |
| 1 | 5ए 321/2ए 310 प्रकार के विमानों के पार्किंग के लिए प्रपत्र का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण, अतिरिक्त टैक्सी वे, पार्ट सामानान्तर टैक्सी वे आदि | जून, 08 |
| | **कर्नाटक** | |
| | **बेलगाम** | |
| 1 | ए321 विमान के प्रचालन (2300 मीटर × 45 मीटर) के लिए रनवे का सुदृढ़ीकरण और विस्तार, नए एप्रन का निर्माण, भूमि प्रकाशन सुविधाओं सहित तीन ए 320 प्रकार के विमान के पार्किंग के लिए लिंक टैक्सी वे आदि | कार्य पूरा हुआ |
| | **मंगलौर** | |
| 1 | 500 यात्रियों के लिए नए टर्मिनल भवन परिसर (15000 वर्ग मीटर) का निर्माण, कार पार्क आदि | सितम्बर, 08 |
| 2 | छः ए 321 विमानों के पार्किंग के लिए एप्रन, टैक्सी वे का निर्माण | मार्च 08 |
| | **मैसूर** | |
| 1 | संबंधित टैक्सीवे, एप्रन, कन्ट्रोल टावर, अग्निशमन स्टेशन, चारदीवारी तथा पेरामीटर आदि सहित नए रनवे 09/27–1700 मी × 45 मी तथा गौण रनवे 05/23–1400 मी × 45 मी का निर्माण | मार्च, 08 |
| 2 | 100 आगमन तथा 100 प्रस्थान यात्रियों के लिए नए टर्मिनल भवन का विकास | दिसम्बर, 08 |
| | **राजस्थान** | |
| | **जयपुर** | |
| 1 | 500 यात्रियों के लिए नए अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन परिसर का निर्माण | जून, 08 |
| 2 | 10 चौड़ी बाडी वाले विमानों की पार्किंग के लिए नए टर्मिनल भवन के सामने लिंक टैक्सी वे आदि सहित नए एप्रेन का निर्माण | जून, 08 |
| | **उदयपुर** | |
| 1 | 500 यात्रियों के लिए नए टर्मिनल भवन का निर्माण | फरवरी, 08 |
| 2. | चौड़ी बॉडी वाली विमानों के प्रचालन के लिए 2286 मीटर से 2800 मी तक के रनवे का सुदृढ़ीकरण व विकास | जून, 08 |
| | **संघ राज्य क्षेत्र** | |
| | **चंडीगढ़** | |
| 1 | 500 यात्रियों के लिए नए टर्मिनल परिसर का निर्माण, कार पार्किंग, पहुंच मार्ग आदि। | फरवरी, 09 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | **पोर्ट ब्लेयर सीई** | |
| 1 | दो ए 310 तथा चार ए 321 प्रकार के विमानों की पार्किंग के लिए एप्रन तथा संबंधित टैक्सीवे का सुदृढ़ीकरण और विकास | फरवरी, 09 |
| | **दिल्ली** | |
| 1 | निगमित मुख्यालय ब्लॉक का विस्तार | |
| | **मध्य प्रदेश** | |
| | **खुजराहो** | |
| 1 | 500 यात्रियों के लिए नए टर्मिनल भवन का निर्माण | दिसम्बर, 08 |
| | **उत्तराखण्ड** | |
| | **देहरादून** | |
| | **बी-737-800 के प्रचालन के लिए हवाई अड्डे का विकास** | |
| 1 | 1152 मीटर से 2134 मीटर तक रनवे का सुदृढ़ीकरण और विस्तार, नए एप्रन का निर्माण, लिंक टैक्सीवे आदि। | कार्य पूरा हो गया |
| 2 | 150 यात्रियों के लिए नए टर्मिनल भवन काम्पलेक्स का निर्माण, कार पहुंच मार्ग आदि | जुलाई, 08 |
| | **पंतनगर** | |
| 1. | एटीआर–72 के प्रचालन के लिए 1100 मीटर से 1500 मीटर तक रनवे का सुदृढ़ीकरण व विकास, टैक्सीवे तथा एप्रन (चरण 1) | मार्च, 08 |
| | **उत्तर प्रदेश** | |
| | **लखनऊ** | |
| 1 | 600 यात्रियों (15000 वर्ग मी.) के लिए नए एकीकृत अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन का निर्माण, कार पार्क आदि। | अप्रैल, 09 |
| 2 | 4 चौड़ी बॉडी वाली विमानों के लिए नए एप्रन का निर्माण तथा टैक्सी वे और जीएसई | सितम्बर, 08 |
| | **उड़ीसा** | |
| | **भुवनेश्वर** | |
| 1 | चार ए–321 और दो बी 777–200 के लिए अतिरिक्त पार्किंग स्टैंड और संबंधित टैक्सी वे का निर्माण | मार्च, 08 |
| | **पश्चिम बंगाल** | |
| | **कूच बिहार** | |
| 1 | एटीआर आपरेशनों के लिए एयरपोर्ट का विकास | सितम्बर, 08 |
| | **त्रिपुरा** | |
| | **अगरतला** | |
| 1. | अतिरिक्त तीन ए–321 तथा एक एटीआर 72 श्रेणी के विमानों की पार्किंग के लिए एप्रन का विस्तार और सुदृढ़ीकरण तथा लिंक टैक्सी वे तथा रैंप क्षेत्र इत्यादि। | जून, 08 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | **मेघालय** | |
| | **बारापानी (शिलांग)** | |
| 1 | 100 कारों के लिए कार पार्क सहित एलसीसी (लगभग 1500 वर्गमीटर) के प्रचालन के लिए 100 यात्रियों के लिए नए टर्मिनल भवन का निर्माण और एप्रोच रोड का विकास | जून, 09 |
| | **महाराष्ट्र** | |
| | **अकोला** | |
| 1. | हवाई अड्डे का विकास/प्रचालन/रनवे का सुदृढ़ीकरण | कार्य पूरा हो गया |
| | **औरंगाबाद** | |
| 1 | नए टर्मिनल भवन का निर्माण | दिसम्बर, 08 |
| | **गोंदिया** | |
| 1 | शिखण परिसर/हवाई अड्डे का विकास | अगस्त, 08 |
| | **नागपुर** | |
| 1 | टर्मिनल भवन का निर्माण | अप्रैल, 08 |
| | **पुणे** | |
| 1. | समानान्तर टैक्सी वे का निर्माण, ए 3102/ए 321 श्रेणी के विमानों के प्रचालन के लिए एप्रन का विस्तार और सहायक लिंक टैक्सी वे | मार्च, 08 |
| | **केरल** | |
| | **कालीकट** | |
| 1. | बी 777–200/बी 747–400 श्रेणी के विमानों के प्रचालन के लिए रनवे का सुदृढ़ीकरण और सहायक सुविधाएं | अप्रैल, 08 |
| | **त्रिवेन्द्रम** | |
| 1. | नए अन्तरराष्ट्रीय टर्मिनल भवन का निर्माण, एप्रन कार पार्क और चकई की ओर अन्य सम्बद्ध सेवायें | मार्च, 09 |
| | **तमिलनाडु** | |
| | **मदुरै** | |
| 1. | 500 यात्रियों के लिए नए एकीकृत टर्मिनल भवन परिसर का निर्माण | फरवरी, 09 |
| | **त्रिची** | |
| 1. | 500 यात्रियों के लिए नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण, कार पार्किंग इत्यादि | मार्च, 08 |
| 2 | नए टैक्सी वे सहित ए 321 श्रेणी के विमानों की पार्किंग के लिए एप्रन का विस्तार | कार्य पूरा हुआ |

**तेल की खोज**

370. **श्री सुभाष महरिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान सरकार देश के विभिन्न स्थानों पर तेल की खोज के लिए कोई सर्वेक्षण आरंभ कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार इस संबंध में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में तैयार की गई नई तेल खोज लाइसेंसिंग नीति की मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) से (ग) जी हां, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन हाईड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) ने वर्तमान वर्ष के दौरान नर्मदा-कैम्बे/डेक्कन साइनेक्लाइज, कच्छ की खाड़ी, कच्छ, मध्य भारत, भारत के पूर्व और पश्चिमी तट, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, कुड्डप्पा, भारत में दक्षिणी अपतट और केजी बेसिन के क्षेत्रों में देश में भूभौतिकीय सर्वेक्षण आरंभ कर दिया है। इन सर्वेक्षणों के संबंध में सर्वेक्षण की किस्म और स्थिति के बारे में ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) प्रचलित नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के सातवें दौरा (एनईएलपी-7) की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

***विवरण-I***

*25.5.2008 को स्थिति के अनुसार क्रियान्वयनाधीन भूभौतिकीय सर्वेक्षण की स्थिति।*

| क्र.सं. | सर्वेक्षण का क्षेत्र | सर्वेक्षण की किस्म | स्थिति |
|---|---|---|---|
| 1. | नर्मदा-कैम्बे/डेक्कन साइनेक्लाइज | हवाई प्रतिछाया का विश्लेषण/दूर संवेदी आंकड़े | प्रगत्याधीन आंकड़ों का संग्रह और विश्लेषण |
| 2. | कच्छ की खाड़ी | एमएस और एमएमटी | प्रगत्याधीन कार्य |
| 3. | कच्छ | 2डी जमीनी भूकंपीय सर्वेक्षण | 48% 40 एलकेएम 15.2.2008 तक अर्जित |
| 4. | मध्य भारत | भूमि एमटी | सिहोर-अकोला प्रोफाइल पूरी कर ली गई है (63 एसटीएनएस) इंदौर-जलगांव प्रोफाइल आरंभ की जानी है। |
| 5. | भारत का पूर्वी और पश्चिमी तट | अनुमानपरकः अपतट भूकंपीय | एपीआई पूरा कर लिया है। |
| 6. | उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, कच्छ और कुड्डप्पा | अनुमानपरकः एयरो जीएम सर्वेक्षण | एचआरएएम ओवर बीएलके 3 प्रगत्याधीन, आज तक 5,989 कि.मी. अर्जित |
| 7. | भारत में पश्चिमी अपतट | अनुमानपरकः पुनःसंसाधन | पुनःसंसाधन प्रगत्याधीन |
| 8. | केजी बेसिन | अनुमानपरकः सीएसईएम | 2.2.08 को आरंभ किया गया, आज तक 660 व.कि.मी. अर्जित |

***विवरण-II***

*प्रचलित नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के सातवें दौर (एनईएलपी-7) की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं -*

- अन्वेषण अवधि के प्रथम चरण में केवल भूकंपीय विकल्प की संभावना।
- विदेशी कंपनियों द्वारा 100% तक भागीदारी।
- कोई हस्ताक्षर, खोज अथवा उत्पादन बोनस नहीं।
- कोई अनिवार्य राजकीय भागीदारी नहीं।
- राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसीज) का कोई चला आ रहा हित नहीं।
- वाणिज्यिक उत्पादन के आरंभ होने से सात वर्ष के लिए आय कर छूट।
- पेट्रोलियम प्रचालनों के लिए आयातों पर किसी सीमा शुल्क की जरूरत नहीं।

– बोली योग्य लागत वसूली सीमा 100% तक।

– प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन से 10 वर्ष की अवधि के लिए अन्वेषण और वेधन व्ययों को चुकता करने का विकल्प।

– संविदाकार द्वारा प्राप्त बोली योग्य कर पूर्व निवेश गुणज के आधार पर भारत सरकार के साथ लाभ पेट्रोलियम की हिस्सेदारी।

– जमीनी क्षेत्रों के लिए रायल्टी 12.5% की दर से कच्चे तेल और 10% की दर से प्राकृतिक गैस के लिए संदेय है। उथले पानी वाले अपतटीय क्षेत्रों के लिए रायल्टी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस दोनों के लिए 10% की दर पर संदेय है। गहरे समुद्री अपतटीय क्षेत्रों (400 एम आइसोबाथ से परे) के लिए कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस दोनों के लिए रायल्टी वाणिज्यिक उत्पादन के प्रथम सात वर्ष के लिए 5% की दर से और उसके बाद 10% की दर से संदेय है।

– संविदा में राजकोषीय स्थिरता का प्रावधान।

– संविदाकार को तेल और गैस के घरेलू बाजार में विपणन की स्वतंत्रता।

– कार्य सौंपे जाने के लिए उदार प्रावधान।

– अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून संबंधी संयुक्त राष्ट्र आयुक्त (यूएनसीआईटीआरएएल) माडल पर आधारित माध्यस्थम और समझौता अधिनियम 1996 लागू होता है।

– निवेशकों की सुविधा हेतु एक पेट्रोलियम कर मार्गनिर्देशिका (पीटीजी) प्रचलन में है।

**सहारनपुर रेलवे स्टेशन**

371. **श्री रशीद मसूद :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जीर्ण–शीर्ण सहारनपुर रेलवे स्टेशन की स्थिति में सुधार लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस रेलवे स्टेशन का कब तक नवीकरण किए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) और (ख) सहारनपुर 'ए' कोटि का स्टेशन है और न्यूनतम अनिवार्य सुविधाएं संबंधी मानदंडों के अनुसार इस स्टेशन पर सभी यात्री सुविधाएं पहले ही मुहैया करा दी गई हैं। इस रेलवे स्टेशन की स्थिति में सुधार लाने के लिए सुधारात्मक कार्य, जैसे–द्वितीय प्रवेश द्वार का विकास करना, स्टेशन भवन के अग्रभाग में सुधार करना, स्टेशन भवन की छत को बदलना और यात्री प्लेटफार्म में सुधार लाना प्रारंभ कर दिया गया है।

(ग) सुधारात्मक/नवीकरण कार्य को 31 अगस्त, 2008 तक पूरा करने की योजना बनाई गई है।

*[अनुवाद]*

**इस्पात मूल्य-वृद्धि को रोकना**

372. **श्री नवजोत सिंह सिद्धू :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस्पात की मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए विभिन्न संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

**इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) :** (क) और (ख) मूल्य वृद्धि को वापिस लेने के लिए उत्पादकों से कहने, इस्पात निर्यात पर निर्यात प्रोत्साहन को समाप्त करने तथा इस्पात पर आयात शुल्क कम करने जैसे उपाय सुझाते हुए विभिन्न इस्पात प्रयोक्ता उद्योग से इस्पात के मूल्यों के संबंध में सरकार को काफी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) देश में इस्पात क्षेत्र नियंत्रण मुक्त है। इसलिए मांग आपूर्ति स्थिति तथा आयात की उतराई तक की लागत पर निर्भर करते हुए इस्पात के विभिन्न उत्पादकों के मूल्य विद्यमान बाजार स्थितियों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसके बावजूद माननीय इस्पात मंत्री जी की अपील पर देश के प्रमुख इस्पात उत्पादकों ने फरवरी 2008 में इस्पात की विभिन्न श्रेणियों के मूल्यों में 500 से 1000 रुपए प्रति टन की दर से कमी की है। इसके अतिरिक्त एक इस्पात मूल्य प्रबोधन समिति (एस पी एस सी) गठित की गई है जो देश में इस्पात के मूल्यों में उतार–चढ़ाव से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए इस्पात मंत्रालय के तत्वावधान में इस्पात के उत्पादकों को उपभोक्ताओं के बीच एक मंच उपलब्ध करवाती है।

**उड़ानों में सीट से अधिक बुकिंग**

373. **श्री मिलिन्द देवरा :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 8 जनवरी, 2008 को एयर इंडिया की लन्दन–शिकागो उड़ान को खाली कराया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे मामलों में नियम और विनियम क्या हैं जहां सीट से अधिक बुकिंग के कारण आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को उतारना पड़ा हो;

(घ) क्या एयर इंडिया द्वारा विगत में भी ऐसा किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी परिस्थिति में एयरलाइन्स द्वारा यात्रियों को कौन–से क्षतिपूर्ति लाभ दिए जाते हैं?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल)** : (क) जी, हां।

(ख) अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक चलन के अनुसार एयरलाइनें क्षमता के इष्टतम प्रयोग के लिए अपनी उड़ानों को ओवर–बुक करती हैं क्योंकि एक उड़ान में बुक सभी यात्री हवाईअड्डे पर नहीं पहुंचते हैं। बहरहाल, कई बार उम्मीद से अधिक यात्री पहुंच जाते हैं तथा एयरलाइन को आफ–लोडिंग के विकल्प अपनाना पड़ता है।

(ग) यूएसए, यू के तथा यूरोप के लिए भारतीय रुपए अदा करके टिकट लेने वाले यात्रियों के विविध प्रभार आदेश (एमसीओ) के रूप में क्षतिपूर्ति की जाती है जिसे भावी परिवहन के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

(घ) जी, हां।

(ङ) दिसम्बर, 2007 में 25 यात्रियों को आफ लोड किए जाने की एक घटना हुई थी। जनवरी, 2008 में आफ–लोडिंग की 11 घटनाएं हुई हैं। उतारे गए यात्रियों को नियमों के अनुसार क्षतिपूर्ति लाभ प्रदान किए थे।

### त्रुटिपूर्ण रसोई गैस सिलेंडर

**374. श्री सुरेश अंगड़ि** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को तमिलनाडु सरकार से ऐसे त्रुटिपूर्ण रसोई गैस सिलेंडरों की आपूर्ति के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिससे खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या आयल इंडिया/आयल कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए गए गैस सिलेंडरों की गुणवत्ता और मानक की निगरानी करने के लिए कोई तंत्र है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) और (ख) जी नहीं। खराब एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति के संबंध में तमिलनाडु सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) से (ङ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) उन सिलेंडर निर्माताओं से एलपीजी सिलेंडर प्राप्त कर रही हैं जो तेल उद्योग तकनीकी समिति (ओआईटीसी) द्वारा अनुमोदित हैं और जिनके पास भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) तथा मुख्य विस्फोटक नियंत्रक (सीसीओई) से प्राप्त वैध विनिर्माण लाइसेंस हैं। निर्माण प्रक्रिया पर बीआईएस द्वारा कड़ाई से नियंत्रण रखा जाता है। ओएमसीज द्वारा प्राप्त किए जाने वाले एलपीजी सिलेंडर अपेक्षित गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं।

डिस्ट्रीब्यूटरों/परिवहनकर्ताओं से भरण संयंत्रों में प्राप्त एलपीजी सिलेंडरों की गुणवत्ता तथा प्रमाणिकता की अनिवार्य रूप से जांच की जाती है ताकि परिचालन में नकली और पुराने सिलेंडरों का प्रवेश न हो। घटिया/नकली सिलेंडरों का पता लगने पर, इन्हें जब्त कर लिया जाता है और तत्पश्चात् पुनः प्रयोग में न आए इसलिए आकार विकृत/नष्ट कर दिया जाता है।

कानूनी कार्रवाई, जो नकली एलपीजी उपकरण के किसी आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध की जा सकती है, के अलावा, यदि किसी डिस्ट्रीब्यूटर के कब्जे में नकली उपकरण पाया जाता है या वितरण प्रणाली में ऐसे उपकरण का पता लगता है, तो विपणन अनुशासन दिशा–निर्देशों में अन्य बातों के साथ–साथ उपकरण को जब्त करने, जुर्माना लगाने तथा प्रथम व द्वितीय अपराधों के लिए दाण्डिक दरों पर वसूली तथा तीसरे अपराध की स्थिति में डिस्ट्रीब्यूटरशिप को समाप्त करने का प्रावधान है।

### दृष्टिहीन छात्रों को वित्तीय सहायता

**375. श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दृष्टिहीन छात्रों को वित्तीय सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार दृष्टिहीन छात्रों को विशेषतः मध्य प्रदेश में छात्रावास सुविधाएं भी दे रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्य सरकारें, विशेषतः मध्य प्रदेश सरकार दृष्टिहीन छात्रों की सहायता के लिए वित्तीय सहायता में भागदारी कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन)** : (क) से (च) दृष्टिहीन छात्रों सहित निःशक्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से अनेक कार्यकलाप संचालित किए जाते हैं, जिनके लिए सरकार द्वारा सहायता-अनुदान प्रदान किया जाता है।

सहायता-अनुदान की सहायता से मध्य प्रदेश के 4 केन्द्रों सहित 74 स्कूलों/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के दृष्टिहीन छात्रों को गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से छात्रावास सुविधा प्रदान की जा रही है।

**तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में रसोई गैस कनेक्शन**

376. **श्री जे.एम. आरून रशीद :**

**डा. राजेश मिश्रा :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में घरेलू रसोई गैस कनेक्शन की कुल संख्या कितनी है;

(ख) प्रतीक्षा सूची में आवेदनों की संख्या कितनी है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में जारी रसोई गैस कनेक्शन की संख्या कितनी है; और

(घ) तत्संबंधी वर्ष-वार, कंपनी-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने सूचित किया है कि 1.1.2008 को उनके पास तमिलनाडु राज्य में 93.98 लाख घरेलू एलपीजी कनेक्शन और उत्तर प्रदेश राज्य में 101.19 लाख कनेक्शन हैं। ओएमसीज ने तमिलनाडु राज्य में नये घरेलू एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए उनके पास किसी बकाया प्रतीक्षा सूची की सूचना नहीं दी है जबकि इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में उनके एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के पास नये घरेलू एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए 1.2.2008 को 12338 की प्रतीक्षा सूची है।

(ग) और (घ) ओएमसीज ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान और अप्रैल-दिसंबर, 2007 को उन्होंने क्रमशः तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में 23.21 लाख और 23.78 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी किए हैं। वर्ष-वार, कंपनी-वार तथा जिला-वार विवरण संबंधित ओएमसीज के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध हैं।

**उर्वरकों के मूल्य में बढ़ोत्तरी**

377. **श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान उर्वरकों के मूल्य तेजी से बढ़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उर्वरकों की उत्पादन लागत को कम करने के तरीकों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उर्वरकों की कीमतों को घटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक)** : (क) और (ख) राजसहायता व्यवस्था के अंतर्गत उर्वरकों के बिक्री मूल्य गत 5 वर्षों से स्थिर बने हुए हैं। राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के बिक्री मूल्य संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) उर्वरकों की उत्पादन लागत फीडस्टॉक/आदानों के मूल्य पर निर्भर करती है। प्राकृतिक गैस, जो यूरिया के उत्पादन के लिए एक अधिमान फीडस्टॉक है, का मूल्य प्रशासित मूल्य तंत्र (एपीएम) के अंतर्गत प्राकृतिक गैस को छोड़कर, बाजार शक्तियों पर आधारित है। अन्य उर्वरकों के आदानों का मूल्य प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित होता है जो पिछले पांच वर्षों में तेजी से बढ़ा है, जिसे संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

तथापि, सरकार उत्पादन की लागत को कम करने के लिए उत्पादन दक्षता में सुधार करने की दृष्टि से उद्योग को प्रोत्साहित कर रही है। नई मूल्य निर्धारण योजना के चरण-III के अंतर्गत देश में मौजूदा

यूरिया इकाइयों के दक्षता मानकों को उत्पादन लागत में कमी करने और दक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए सुदृढ़ बनाया गया है। मौजूदा यूरिया इकाइयों की दक्षता में और सुधार करने के लिए एक अध्ययन कराने का कार्य हाल ही में मैसर्स प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट (पीडीआईएल) को सौंपा गया है। इस अध्ययन की रिपोर्ट इस वर्ष के अंत तक प्राप्त होने की आशा है।

*विवरण-I*

*राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य*

(रु. प्रति मी.टन)

| | |
|---|---|
| यूरिया | 4830 |
| डीएपी | 9350 |
| एमओपी | 4455 |
| 16.:20:00 | 7100 |
| 20:20:00 | 7280 |
| 23:23:00 | 8000 |
| 28:28:00 | 9080 |
| 10:26:26 | 8360 |
| 12:32:16 | 8480 |
| 14:28:14 | 8300 |
| 14:35:14 | 8660 |
| 15:15:15 | 6980 |
| 17:17:17 | 8100 |
| 19:19:19 | 8300 |

*विवरण-II*

*अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के रुझान*

| वर्ष | औसत अंतर्राष्ट्रीय मूल्य (अमरीकी डालर प्रति मी.टन) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | यूरिया | डीएपी | एमओपी | फॉस एसिड (सीएण्डएफ) | रॉक फॉस्फेट (सीएण्डएफ) | अमोनिया (सीएण्डएफ) | सल्फर (सीएण्डएफ) |
| 2002-03 | 110 | 183 | 120 | 342 | 56 | 126 | 84 |
| 2003-04 | 156 | 203 | 123 | 356 | 56 | 215 | 84 |
| 2004-05 | 202 | 260 | 180 | 403 | 59 | 244 | 90 |
| 2005-06 | 243 | 290 | 215 | 445 | 80 | 260 | 93.5 |
| 2006-07 | 257 | 330 | 213 | 464 | 81 | 300 | 76 |
| 2007-08 - पहली तिमाही | 315 | 506 | 250 | 566 | 120 | 332 | 138 |
| सितम्बर, 07 | 336 | 534 | 306 | 566 | 12 | 263 | 237 |
| जनवरी, 2008 | 404 | 790 | 322 | 566 | 245 | 379 | 556 |

**आपूर्ति और वितरण आदेश, 2000 का विनियमन**

378. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न कदाचारों के विरुद्ध रसोई गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के अंतर्गत की गई कार्रवाई का ब्यौरा और आंकड़े क्या हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कदाचार-वार कुल कितनी एफआईआर दर्ज कराई गई है और निपटाई गई है; और

(ख) विपणन अनुशासन दिशा–निर्देश/डिस्ट्रीब्यूटरशिप समझौता के संदर्भ में दोषी रसोई गैस वितरकों के विरुद्ध तेल विपणन कंपनियों द्वारा की गई कार्रवाई के आंकड़े व ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत जारी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा वाणिज्यिक प्रयोगनार्थ घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का विपथन/कालाबाजारी प्रतिबंधित है। राज्य सरकारें इस आदेश के उपबंधों के अंतर्गत गलती करने वाले डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए समर्थ हैं। राज्य सरकारों को घरेलू सिलेंडरों के अप्राधिकृत इस्तेमाल के लिए विपथन के विरुद्ध कदम उठाने के लिए समय–समय पर सावधान किया गया है। पंजीकृत कुल प्राथमिकियों और उनके निपटान की सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) ओएमसीज ने विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों/डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार के उपबंधों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और अप्रैल 2007–जनवरी 2008 की अवधि के दौरान देश में 4226 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध कार्रवाई की है। की गई कार्रवाई के ब्यौरे संबंधित ओएमसीज के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध हैं।

**तेल कंपनियों को घाटा**

379. **श्री के.सी. पल्लानी शामी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियां भारी घाटा उठा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या तेल कंपनियों ने उन्हें होने वाले घाटे की पूर्ति करने के लिए सरकार से कोई मुआवजा मांगा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) और (ख) कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य उच्च और अस्थिर बना हुआ है। अप्रैल 2007 में, इंडियन बास्केट 65.5 डालर प्रति बैरल थी, जो जनवरी 2008 में 89.5 डालर प्रति बैरल तक बढ़ गई और वर्तमान में (20.2.2008 को) यह 94.96 डालर प्रति बैरल के अपने अधिकतम स्तर तक पहुंच गई। जैसा कि भारत पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए अपने कच्चे तेल की मांग का लगभग तीन–चौथाई भाग आयात करता है, घरेलू मूल्य निर्धारण में अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि तेल मूल्यों में हुई भारी वृद्धि का सारा भार उपभोक्ताओं पर डाल दिया जाए तो इससे आम आदमी को परेशानी हुई होती, पेट्रोल, डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल तथा घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों के उतार–चढ़ाव के साथ वृद्धि नहीं की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपिनयों (ओएमसीज) को संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों नामतः पेट्रोल, डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल तथा घरेलू एलपीजी की घरेलू बिक्री पर अल्प वसूलियां हो रही हैं। प्रत्येक वर्ष अल्प वसूलियां बढ़ रही हैं और यह निम्नवत् हैं :–

(करोड़ रु. में)

| अवधि | 2005–06 | 2006–07 | 2007–08 (अ*) |
|---|---|---|---|
| पीडीएस मिट्टी तेल | 14,384 | 17,883 | 19,012 |
| घरेलू एलपीजी | 10,245 | 10,701 | 14,727 |
| पेट्रोल | 2,680 | 2,027 | 6,980 |
| डीजल | 12,284 | 18,776 | 31,089 |
| योग | 39,593 | 49,387 | 71,808 |

* अनंतिम आंकड़े

(ग) और (घ) ओएमसीज की वित्तीय व्यवहार्यता तथा आम आदमी के हित की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र तेल उपक्रमों के बीच "समान भार हिस्सेदारी" का सिद्धांत अपनाया है। इस संबंध में, सरकार ने तेल बाण्ड जारी किए हैं, जबकि अपस्ट्रीम तेल कंपनियों ने कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों पर ओएमसीज को रियायतों के रूप में अंशदान दिया है, जिसके ब्यौरे निम्नवत् है –

(करोड़ रु. में)

| कंपनी | 2005–06 | 2006–07 | अप्रैल–दिसंबर, 07 (अनंतिम) |
|---|---|---|---|
| तेल बांडों का निर्गम | 11,500 | 24,121 | 11,526.92 |
| अपस्ट्रीम कंपनियों से रियायत | 14,000 | 20,507 | 15,873 |
| कुल | 25,500 | 44,628 | 27,399.92 |

**कन्नड़ को प्राचीन भाषा का दर्जा**

**380. श्री एम. शिवन्ना :**

**श्रीमती मनोरमा माधवराज :**

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कन्नड़ को प्राचीन भाषा का दर्जा देने पर विचार करने हेतु गठित साहित्य अकादमी की भाषा विज्ञान विशेषज्ञों की समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा आगे क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ग) कन्नड़ को प्राचीन भाषा के रूप में घोषित करने के बारे में कब तक अन्तिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु धनराशि का आबंटन**

**381. श्री के.सी. सिंह 'बाबा' :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निःशक्त व्यक्तियों विशेषतः निःशक्त बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार और अन्य कल्याणकारी उपायों के लिए केन्द्रीय धनराशि का आबंटन बहुत ही कम है जैसाकि हाल की विश्व बैंक रिपोर्ट में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निःशक्त व्यक्तियों से अनुकूल शिक्षा तथा रोजगार सुविधाओं का सृजन करने और उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) :** (क) से (ग) सरकार ने हाल के वर्ष में निःशक्त व्यक्तियों के लिए शिक्षा और रोजगार सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन से निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए निधियों के आबंटन में सामान्य वृद्धि होती रही है। सरकारी प्रतिष्ठानों में रोजगार में आरक्षण के अलावा सरकार ने निजी क्षेत्र में निःशक्त व्यक्तियों के रोजगार को बढ़ावा देने की केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना अनुमोदित की है। विश्व बैंक ने अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

*[हिन्दी]*

**नई दिल्ली से रांची के लिए नई रेलगाड़ी**

**382. श्री टेकलाल महतो :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बरास्ता बोकारो, गोमो, कोडरमा, नई दिल्ली से रांची के लिए एक नई रेलगाड़ी शुरू करने पर सक्रियता से विचार कर रही है ताकि झारखंड के लोगों की लंबे समय से चली आ रही शिकायत को दूर किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) प्रस्तावित रेलगाड़ी को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) से (घ) जी, हां। रांची–दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस (सप्ताह में दो दिन) चलाने के बारे में रेलवे बजट 2008–09 में घोषणा की गई है।

*[अनुवाद]*

**जम्मू और कश्मीर में तेल और गैस भंडार**

**383. सुश्री महबूबा मुफ्ती :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में तेल और गैस की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ग) गैस और तेल की उपस्थिति की संभावना किन क्षेत्रों में है;

(घ) तेल और गैस भंडार की मात्रा कितनी है; और

(ङ) ऐसे ब्लाकों से कब तक उत्पादन शुरू किया जाएगा?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा**

**पटेल)** : (क) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने जम्मू और कश्मीर राज्य में तेल और गैस भंडारों की संभावना सुनिश्चित करने के लिए राज्य में सर्वेक्षण किए हैं।

(ख) से (घ) ओएनजीसी द्वारा गहन भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए हैं, तो द्वि–आयामी भूकंपीय आंकड़ा अधिग्रहण के गुरूत्व चुंबकीय तथा 2563 ग्राउण्ड लाइन किलोमीटर से जुड़े हैं। ओएनजीसी ने चार अन्वेषी कूपों का भी वेधन किया है, जिसमें से दो हिमाचल गिरीपीठ के जम्मू पहाड़ी भाग तथा अन्य दो काश्मीर घाटी के कारेवा बेसिन में है। अब तक जम्मू और कश्मीर राज्य में कोई वाणिज्यिक हाइड्रोकार्बन भंडार नहीं पाए गए हैं।

(ङ) जम्मू और कश्मीर में तेल और गैस भंडारों की वाणिज्यिक मात्रा के पता लगने के बाद ही तेल और गैस उत्पादन की व्यवहार्यता सुनिश्चित की जा सकती है।

*[हिन्दी]*

**फलों और सब्जियों की बर्बादी**

**384. डा. धीरेंद्र अग्रवाल :**

**श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार फलों और सब्जियों के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत प्रसंस्कृत किया जा रहा है;

(ख) क्या पर्याप्त प्रसंस्करण और भण्डारण सुविधाओं के अभाव में करोड़ों रु. मूल्य के फल बर्बाद होते हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में अद्यतन सरकारी आंकड़े क्या हैं;

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय)** : (क) से (ग) मैसर्स राबो इंडिया फाइनेंस प्रा. लिमिटेड द्वारा तैयार की गई विजन – 2015 रिपोर्ट के अनुसार अनुमान है कि प्रसंस्करण के लिए फलों और सब्जियों के कुल उत्पादन के 2.20% का उपयोग किया जाता है और शीतागार सुविधाओं, परिवहन, पर्याप्त भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं आदि जैसी फसलोत्तर पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं के कमी के कारण, फसल काटने के बाद उसकी उठाई–धराई के विभिन्न चरणों में लगभग 33 हजार करोड़ रुपये मूल्य की फल और सब्जियां बरबाद होने का अनुमान लगाया गया है। फल उत्पाद आदेश, 1955 के अंतर्गत पंजीकृत इकाइयों के संबंध में उपलब्ध सूचना पर आधारित प्रसंस्करण के लिए प्रयोग की गई फलों और सब्जियों की राज्यवार प्रतिशतता संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) से (च) फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग के संवर्धन के लिए मंत्रालय द्वारा नए यूनिटों की स्थापना अथवा वर्तमान फल और सब्जी प्रसंस्करण यूनिट के विस्तार के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना संबंधी स्कीम के अंतर्गत अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। इस स्कीम के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्कण इकाइयों को सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% की दर पर जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है अथवा दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर पर जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये है, सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है। वित्तीय सहायता का तीव्र वितरण सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने 01 अप्रैल, 2007 से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना संबंधी स्कीम के तहत संवितरण प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण बैंकों के जरिए करने का निर्णय लिया है। अब आवेदक अपने पड़ोस में स्थित उन बैंकों के जरिए अनुदान/सहायता प्राप्त कर सकेंगे जिन्होंने परियोजना का मूल्यांकन किया है और उनको ऋण उपलब्ध कराया है।

चूंकि कृषि खाद्य उत्पादों में प्रसंस्करण के कम स्तर का एक प्रमुख कारण शीत श्रृंखला जैसी बुनियादी सुविधा विकास की कमी और अक्षम शीत श्रृंखला है, 11वीं योजना अवधि के दौरान मंत्रालय विभिन्न स्तरों पर – खेत स्तरीय मूल प्रसंस्करण केन्द्र–सह–शीत श्रृंखला, एकत्रीकरण/संग्रहण केन्द्र तथा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वितरण केन्द्र – समेकित शीत श्रृंखला बुनियादी सुविधा के सृजन हेतु एक संशोधित व्यापक शीत श्रृंखला बुनियादी सुविधा संबंधी स्कीम शुरू करने पर कार्य कर रहा है। इस मंत्रालय द्वारा की जा रही पहल का उद्देश्य सप्लाई श्रृंखला में मौजूद अन्तर को पाटना, शीत श्रृंखला संबंधी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है ताकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का समग्र विकास हो और अपव्यय में कमी आये।

मंत्रालय ने 11वीं योजना अवधि के तहत मेगा खाद्य पार्कों, शीत श्रृंखला/मूल्यवर्धन और परिरक्षण संबंधी बुनियादी सुविधाओं की स्थापना, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता तथा प्रबंधन संस्थान की स्थापना द्वारा क्षमता निर्माण तथा गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन के द्वारा रणनीतिक हस्तक्षेप के लिए प्रणोद क्षेत्रों की पहचान की है, इससे जल्दी खराब होने वाली उपज सहित खाद्य उत्पादों के मूल्यवर्धन तथा प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ावा मिलेगा।

**विवरण**

*फल उत्पाद आदेश, 1955 के अंतर्गत पंजीकृत इकाइयों के संबंध में सूचना के आधार पर प्रसंस्करण के लिए प्रयोग की गई फलों और सब्जियों की राज्यवार प्रतिशतता*

| क्रम सं. | राज्य | प्रसंस्करण के लिए प्रयोग किए गए फलों की प्रतिशतता | प्रसंस्करण के लिए प्रयोग की गई सब्जियों की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | असम | 0.3223 | 0.1908 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0.0004 | 0.00 |
| 3. | मणिपुर | 0.0898 | 0.0013 |
| 4. | मेघालय | 0.0363 | 0.0085 |
| 5. | मिजोरम | 0.1819 | 0.0154 |
| 6. | नागालैण्ड | 0.1636 | 0.0894 |
| 7. | सिक्किम | 3.8117 | 2.0755 |
| 8. | त्रिपुरा | 0.0887 | 0.0082 |
| 9. | आंध्र प्रदेश | 4.53 | 1.22 |
| 10. | तमिलनाडु | 3.80 | 0.84 |
| 11. | कर्नाटक | 2.08 | 3.42 |
| 12. | केरल | 0.35 | 0.20 |
| 13. | पांडिचेरी | 0.41 | 3.29 |
| 14. | पश्चिम बंगाल | 1.62 | 0.052 |
| 15. | उड़ीसा | 0.61 | 0.0025 |
| 16. | बिहार | 0.08 | 0.003 |
| 17. | झारखण्ड | 0.32 | 0.057 |
| 18. | अंडमान | 0.03 | 0.0125 |
| 19. | दिल्ली | 726* | 4.90 |
| 20. | उत्तर प्रदेश | 0.90 | 0.17 |
| 21. | चंडीगढ़ | 284* | 21 |
| 22. | राजस्थान | 1.0 | 0.37 |
| 23. | जम्मू और कश्मीर | 3.51 | 0.04 |
| 24. | पंजाब | 0.47 | 3.97 |
| 25. | हरियाणा | 8.38 | 0.66 |
| 26. | उत्तराखंड | 0.07 | 1.15 |
| 27. | हिमाचल प्रदेश | 18.27 | 0.36 |
| 28. | महाराष्ट्र | 1.13 | 4.15 |
| 29. | गुजरात | 1.20 | 2.63 |
| 30. | मध्य प्रदेश | 1.19 | 0.50 |
| 31. | छत्तीसगढ़ | 0.00 | 0.00 |
| 32. | गोवा | 0.07 | 3.32 |
| 33. | दादर और नगर हवेली | 0.00 | 5.98 |
| 34. | दमण और दीव | 0.00 | 0.00 |

* अन्य राज्यों से प्राप्त किए गए प्रसंस्कृत फल

**राजस्थान में रेलवे स्टेशनों का विस्तार और जीर्णोद्धार**

385. **श्री श्रीचन्द कृपलानी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्थान में किन–किन रेलवे स्टेशनों पर विस्तार और जीर्णोद्धार कार्य आरंभ हुए हैं;

(ख) उन स्टेशनों के नाम क्या हैं जहां उक्त कार्यों को स्वीकृति दी गई है किन्तु अभी तक शुरू नहीं हुए हैं; और

(ग) उक्त कार्य के कब तक शुरू होने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) पिछले वित्त वर्ष अर्थात् 2006–07 के दौरान राजस्थान में निम्नलिखित रेलवे स्टेशनों पर विस्तार और जीर्णोद्धार के कार्य शुरू हो चुके हैं;

चित्तौड़गढ़, भरतपुर, गंगापुर सिटी, बयाना, सवाई माधोपुर, भवानी मंडी, चौमहल्ला, डकानिया तलाब, झालावर मोरक, इन्द्रगढ़, लखेरी,

धौलपुर, खेरली, नादबाई, मंडावर महावा रोड, बंसीपहाड़पुर, अजमेर, उदयपुर सिटी, आबू रोड, फलाना, रानी, बीकानेर, लालगढ़, श्रीगंगानगर, जयपुर, बांदीकुई, अलवर, जोधपुर, पाली मारवाड़, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर।

(ख) और (ग) राजस्थान राज्य में स्वीकृत रेलवे स्टेशनों के विस्तार और जीर्णोद्धार कार्य और उनके शुरू होने की अनुमानित तारीख निम्नानुसार है :

| क्र.सं. | स्टेशन | कार्य शुरू होने की तारीख |
|---|---|---|
| 1. | राय–का–बाग | मार्च, 2008 |
| 2. | मेड़ता रोड | मार्च, 2008 |
| 3. | डेगाना | मार्च, 2008 |
| 4. | मकराना | अप्रैल, 2008 |
| 5. | बलोतरा | अप्रैल, 2008 |
| 6. | बंसीपहाड़पुर | अप्रैल, 2008 |

*[अनुवाद]*

### कोची में पेट्रोनेट एलएनजी टर्मिनल

**386. श्री पी.सी. थामस :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोची के पुथुवयपीन में पेट्रोनेट एलएनजी से संबंधित निर्माण अथवा अन्य कार्य आरंभ हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी होगी और काम करना शुरू करेगी?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) :** (क) से (ग) पीएलएल, कोच्चि में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) टर्मिनल स्थापित कर रही है। सभी परियोजना क्रियाकलाप पूरे हो गये हैं। विभिन्न सांविधिक अनुमोदन प्राप्त कर लिए गए हैं। स्थल को समतल करने का कार्य पूरा हो गया है और एलएनजी टर्मिनल की चारदीवारी का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है। संयंत्र इतर भवनों जैसे प्रशासनिक भवन, भांडागार, कार्यशाला तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। एलएनजी भंडारण टैंक के निर्माण के लिए ईपीसी संविदा प्रदान कर दी गई है। एलएनजी टर्मिनल का साइड ग्रेडिंग कार्य पहले ही आरंभ हो गया है। पुथुवीपीन एसईजैड के लिए पीएलएल और कोचीन पत्तन न्यास (सीपीटी) के बीच सह–निर्माता करार संपन्न हो गया है और वाणिज्य विभाग द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया है। इस परियोजना को 2011 की तीसरी तिमाही तक पूरा करने और चालू करने का लक्ष्य है।

कोच्चि केन्द्र की एलएनजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पीएलएल गोरगान परियोजना से दीर्घावधि आधार पर 2.5 मिलियन मीटरिक टन प्रतिवर्ष (एमएमटीपीए) एलएनजी की आपूर्ति के लिए आस्ट्रेलियाई पूर्तिकर्ता के साथ अंतिम चरण की वार्ताएं कर रही है।

### सीएफएल से इन्कैन्डेसेंट लैम्पों को बदला जाना

**387. श्री बाडिगा रामकृष्णा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेल जलवायु परिवर्तन संबंधी यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के स्वच्छ विकास तंत्र के अंतर्गत 26 लाख इन्कैन्डेसेन्ट लैम्पों को ऊर्जा–दक्ष काम्पैक्ट फ्लूरोसेंट लैम्प से बदलने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत इन्कैन्डेसेन्ट लैम्पों को बदलकर कार्बन क्रेडिट अर्जित कर सकती है;

(घ) यदि हां, तो कार्बन क्रेडिट का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस अभियान में कोई निजी कंपनियां शामिल हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) जी हां।

(ख) 26 लाख इन्कैन्डेसेंट बल्बों का ऊर्जा कुशल सी एफ एल के साथ बदलाव करने के लिए निविदा 10.1.08 को जारी कर दी गई है और 29.2.08 को खोली जाएगी।

(ग) जी हां।

(घ) परियोजना से लगभग सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन की 1.6 लाख टन की बचत होगी, जिसके अनुपात का सीएफएल की लागत को बराबर करने में उपयोग किया जाएगा।

(ङ) जी हां।

(च) निविदा 29.2.08 को खोली जाएगी।

### खुदरा बिक्री केन्द्रों का स्वचालन

**388. श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल विपणन कंपनियां अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों के स्वचालन में पीछे चल रही है;

(ख) यदि हां, तो खुदरा बिक्री केन्द्रों के स्वचालन को पूरा करने के लिए लक्षित निर्धारित तिथि क्या है और समय-सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान खुदरा बिक्री केन्द्रों पर मिलावटी पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के संबंध में तेल विपणन कंपनियों द्वारा कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इनमें से कितनी सही पायी गयी हैं; और

(घ) खुदरा बिक्री केन्द्रों पर पेट्रोलियम उत्पादों में मिलावट को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) :** (क) और (ख) 15.2.2008 की स्थिति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओज) का लगभग 60% स्वचलन पूरा कर लिया है जो प्रतिमास 200 किलोलीटर से अधिक की बिक्री कर रहे हैं। शेष 40% आरओज के स्वचलन को अक्तूबर, 2008 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

(ग) विगत तीन वर्षों अर्थात् 2004-05, 2005-06, 2006-07 के दौरान, ओएमसीज को 177 शिकायतें मिली हैं जिनमें से 16 शिकायतें सिद्ध हो गईं। आरओज डीलरों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों/डीलरशिप करार के उपबंधों के आधार पर कार्रवाई की गई है। की गई कार्रवाई में डीलरशिप की समाप्ति, अर्थ-दण्ड लगाना, आपूर्तियों का निलंबन, आदि सम्मिलित हैं।

(घ) तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज़) खुदरा बिक्री केन्द्रों का नियमित और औचक निरीक्षण करती है तथा मिलावट और कदाचारों में संलिप्त पाए जाने वालों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एम डी जी) और डीलरशिप करारों के अंतर्गत कार्रवाई भी करती हैं। एमडीजी में मिलावट, सीलों के साथ छेड़छाड़, वितरण इकाइयों में अनधिकृत फिटिंयों/गियरों जैसे गंभीर कदाचारों के पहले मामले में ही डीलरशिप की समाप्ति का प्रावधान है।

उपर्युक्त उपायों के बावजूद, पेट्रोल/डीजल और बाजार में उपलब्ध विभिन्न अपमिश्रकों के बीच भारी मूल्य में अंतर और पेट्रोल/डीजल के साथ इन उत्पादों के आसानी से घुलमिल जाने के कारण कुछ बेईमान तत्वों द्वारा पेट्रोल/डीजल में मिलावट की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

मिलावट की रोकथाम करने के लिए सरकार ने अनेक अतिरिक्त पहलें की है जैसे कि खुदरा बिक्री केन्द्रों का स्वचलन, खुदरा बिक्री केन्द्रों का तृतीय प्रमाणन, वैश्विक स्थितिज्ञान प्रणाली (जीपीएस) के माध्यम से टैंक ट्रकों की आवाजाही की निगरानी, मिट्टी तेल में मार्कर का उपयोग, एमडीजी का संशोधन इत्यादि।

### रेलवे स्कूल/कालेजों का उन्नयन

**389. डा. के. धनराजू :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे स्कूलों का उन्नयन किया गया है जिससे अद्यतन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कालेज स्तर पर नए विषयों को शुरू करने पर बल दिया जाए ताकि विद्यार्थी न्यूनतम आवश्यक सुविधा से प्रशिक्षण प्राप्त करें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्यालय के कर्मचारियों और विद्यार्थियों की समस्याओं का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) और (ख) समय में बदलाव के साथ रेलवे स्कूलों में शैक्षिक सुविधाओं में अपग्रेडेशन एक सतत प्रक्रिया है और यथा अपेक्षित होने तथा शिक्षा बोर्डों अथवा कर्मचारी कल्याणकारी संस्थाओं अथवा क्षेत्रीय रेल प्रशासन से प्राप्त आवश्यक निर्देशों के अनुसार उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के बदलाव विद्यालय के पाठ्यक्रम में किए जाते/अपनाए जाते हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

### शुद्ध पेट्रोल की कीमत पर एथनॉल मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति

**390. श्री वेंगरा सुरेन्द्रन :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में व्यापक रूप से व्याप्त शिकायतों

की जानकारी है कि तेल विपणन कंपनियां एथनॉल मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति कर रही हैं और पेट्रोल पंप इस मिश्रित पेट्रोल को शुद्ध पेट्रोल की कीमत पर बेच रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) और (ख) भारतीय मानक आईएस:2796:2000 में संशोधन के अनुसार 5% अनहाइड्रस डिनेचर्ड एथेनोल (आईएस:15464: 2004 के समानुरूप) का मोटर गैसोलीन के साथ मिश्रण हेतु उपयोग किया जा सकता है। 5% एथेनोल मिश्रित मोटर स्पिरिट (एमएस) कुल मिलाकर एमएस के बीआईएस मानकों को पूरा करता है। तदनुसार, 5% एथेनोल के साथ एथेनोल मिश्रित पेट्रोल को अधिसूचित राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में ओएमसीज के खुदरा बिक्री केन्द्रों से वितरित किया जा रहा है। चूंकि बीआईएफ के मानदंडों को पूरा किया जाता है इसलिए इस उत्पाद को पेट्रोल के रूप में बेचा जाता है और कंपनियां इसे एथेनोल मिश्रित होने के आधार पर किसी प्रकार से भिन्न नहीं मानती। आगे, किसी आपूर्ति स्थल में एथेनोल की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए मिश्रण किया जाता है।

एथेनोल का उष्मीय मान एमएस से लगभग 40% कम होता है। एथेनोल का विशिष्ट उष्मीय मान एमएस के 43,500 केजे/केजी की तुलना में 26750 केजे/केजी होता है। मिश्रित एमएस में, बिना एथेनोल के एमएस की तुलना में, मिश्रित ईंधन के उष्मीय मान में कटौती 2% से भी कम होगी जो महत्वपूर्ण है। तथापि, एथेनोल की आक्टेन संख्या 100 है जो एमएस के 88 आक्टेन से अधिक अथवा उसके समान होती है। चूंकि एथेनोल की आक्टेन संख्या अधिक होती है, इसलिए यह मिश्रित ईंधन की आक्टेन संख्या को बढ़ाने में सहायक होता है जो बेहतर दहन को सुकर बनाता है और इस प्रकार, यह टेल पाइप उत्सर्जन को निश्चित रूप से घटा देता है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, एथेनोल मिश्रित पेट्रोल को अमिश्रित पेट्रोल के मूल्य पर बेचना पूर्णतया औचित्यपूर्ण है।

**आईजीआई एयरपोर्ट पर आईएलएस और कैट-III प्रणाली**

**391. श्री निखिल कुमार** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आईजीआई एयरपोर्ट पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आईएलएस) ठीक से काम नहीं कर रहा है जिसमें यात्रियों को असुविधा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके परिणामतः कितनी उड़ानों को अन्यत्र भेजा गया है;

(ग) क्या विभिन्न एयरलाइन्स इस वर्ष जनवरी माह में आईजीआई एयरपोर्ट पर कैट-III प्रणाली का उपयोग करने में असमर्थ थीं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने आईजीआई पर आईएलएस तथा कैट-III प्रणाली के सुचारू प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए अब तक कोई सुधारात्मक कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल)** : (क) से (ग) आईजीआई एयरपोर्ट नई दिल्ली में उपस्कर अवतरण प्रणाली (आईएलएस) संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है तथापि जनवरी, 2008 में दो अवसरों पर ग्लाइड पाथ के रिमोट स्टेटस इंडिकेशन की अनुपलब्धता की वजह से आईएलएस कैट-III को उपलब्ध नहीं कराया जा सका। यह व्यवधान 10 जनवरी को 2 घंटे तथा 11 जनवरी, 2008 को 1 घंटा 50 मिनट के लिए उत्पन्न हुआ जिसके परिणामस्वरूप 10.1.2008 को 5 उड़ानों का मार्ग परिवर्तन किया गया। 11.1.2008 को कोई मार्ग परिवर्तन नहीं किया गया।

(घ) और (ङ) मौजूदा यूनिट तथा रिमोट इंडिकेशन से होकर ग्लाइड पाथ से एक अस्थायी रिमोट केबल बिछाई गई।

**भारतीय रेल में बुक स्टाल ठेकेदार**

**392. श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने बुक स्टालों के प्रबंधन को भारतीय रेल खान-पान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) को हस्तांतरित कर दिया है/सौंप दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे ने बुक स्टालों से प्राप्त लाइसेंस फी/रायल्टी को आईआरसीटीसी के साथ 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत के अनुपात में बांटने का निर्णय लिया है जिसमें 25 प्रतिशत हिस्सा भारतीय रेल का होगा;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) गत एक वर्ष के दौरान भारतीय रेल के ऐसे बुक स्टाल ठेकेदारों की जोन-वार संख्या कितनी है जिनके ठेकों का नवीकरण नहीं किया गया है; और

(च) उनके ठेकों का नवीकरण नहीं करने के क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) और (ख) सेवाओं का उन्नयन एवं व्यवसायीकरण करने की दृष्टि से ए.बी एवं सी कोटि के स्टेशनों पर बुक स्टॉल के प्रबंधन का कार्य भारतीय रेल खान–पान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) को सौंपा गया है।

(ग) और (घ) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आईआरसीटीसी को संगठनात्मक ढांचे को विकसित करने और स्टॉलों के दिन–प्रतिदिन के प्रबंधन को संभालने की आवश्यकता होगी, आईआरसीटीसी और रेलों के बीच राजस्व हिस्सेदारी को समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार 75% तथा 25% रखा गया है।

(ङ) और (च) जैसा कि मौजूदा बुक स्टॉल नीति न्यायाधीन है, क्षेत्रीय रेलों को सुझाव दिया गया है कि वे यथास्थिति बनाए रखें।

**निःशक्त व्यक्तियों को रोजगार**

**393. श्री विजय कृष्ण :**
**श्री एम. शिवन्ना :**
**श्रीमती मनोरमा माधवराज :**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि काफी संख्या में शारीरिक व मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के पास कोई रोजगार नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों को लाभकारी रोजगार मुहैया कराने हेतु विशेष योजना शुरू करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन)** : (क) से (ङ) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के वर्ष 2002 के सर्वेक्षण के अनुसार कार्य करने के इच्छुक/उपलब्ध निःशक्त का प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में 1.2% और ग्रामीण क्षेत्रों में 0.6% है। सरकार ने निजी क्षेत्र में निःशक्तजनों के लिए रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए योजना की शुरूआत की है। इस योजना में निःशक्तजनों को रोजगार प्रदान करने के लिए पहले तीन वर्षों हेतु कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना हेतु नियोक्ता के अंशदान का भुगतान करने की परिकल्पना है। इस योजना से 25,000/–रुपए प्रतिमाह तक का मासिक वेतन पाने वाले व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। इस योजना में परिभाषित ःशिक्तता वाले सभी निःशक्तजन कवर किए जाते हैं।

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नए विमानपत्तनों की स्थापना**

**394. प्रो. एम. रामदास :**
**प्रो. महादेव राव शिवनकर :**
**श्री मोहन सिंह :**

क्या **नागर विमानन मंत्री** ग्रेटर नोएडा में विमानपत्तन के बारे में नवम्बर, 2007 के अतारांकित प्रश्न संख्या 895 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में गौतमबुद्ध नगर जिला के जेवर में एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना हेतु प्रस्ताव पर विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त स्थान पर प्रस्तावित विमानपत्तन की स्थापना का कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) में नए विमानपत्तनों की स्थापना करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल)** : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में जेवर में ताज अंतर्राष्ट्रीय विमानन हब (टीआईएएच) नामक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार किया है। सरकार ने निर्णय किया है कि आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली के विकासकर्ताओं के साथ किए गए करारगत समझौते से संबंधित कानूनी मुद्दों की जांच किए जाने की आवश्यकता है जो प्रस्तावित जेवर हवाईअड्डे की वजह से प्रभावित हो सकता है। मामले की जांच मंत्रियों के एक समूह द्वारा की जा रही है।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का प्रस्तावित हवाई अड्डे को वर्ष 2011–12 तक प्रचालनरत कर लिए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) इस समय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नए हवाईअड्डे स्थापित किए जाने की कोई योजना नहीं है।

*[हिन्दी]*

**रेलगाड़ियों में लूट/चोरी/डकैती की घटनाएं**

**395. श्री रघुराज सिंह शाक्य :**
**श्री दुष्यंत सिंह :**
**श्री हेमलाल मुर्मू :**
**श्री परसुराम माझी :**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में देश में रेलगाड़ियों में लूट, डकैती, चोरी, हत्या और अन्य अपराधों की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक प्रत्येक जोन में ऐसे कितने मामलों की रिपोर्ट मिली है;

(ग) ऐसे अपराधों के कारण हुई वित्तीय हानियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलगाड़ियों में अपराध रोकने हेतु तैनात किए गए रेलवे पुलिस बल के जवानों की संख्या पर्याप्त नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने रेलगाड़ियों में अपराध की घटनाओं को पूर्णतः रोकने हेतु कोई प्रभावी कदम उठाए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) पिछले तीन कैलेंडर वर्ष के दौरान (आज की तारीख तक) क्षेत्रीय रेलों पर गाड़ियों में रिपोर्ट की गई लूटपाट, डकैती, चोरी, हत्या और अन्य वरदातों के मामलों की संख्या और इन वारदातों के कारण वहन की गई वित्तीय हानि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी हां। कर्मचारियों की उपलब्ध संख्या के साथ केवल महत्वपूर्ण गाड़ियों का मार्गरक्षण किया जा रहा है। कर्मचारियों की कमी के कारण सभी गाड़ियों का मार्गरक्षण नहीं किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय के परामर्श के साथ रेसुब की जनशक्ति बढ़ाने के कदम उठाए गए हैं।

(च) और (छ) यह उल्लेख करना समीचीन है कि कानून एवं व्यवस्था का रखरखाव राज्य का विषय है और भारतीय दंड संहिता वारदातों की छानबीन करने की शक्ति पुलिस के पास है। आईपीसी वारदातों को दर्ज करना और पता लगाना राजकीय रेल पुलिस का उत्तरदायित्व है जो राज्य सरकारों के नियंत्रण में कार्य करती है और इसलिए रेल मंत्रालय को रेलों पर वारदातों के नियंत्रण के लिए अधिकांशतः उन पर निर्भर रहना पड़ता है।

उपर्युक्त तथ्य के बावजूद रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए गाड़ियों का मार्गरक्षण करने के लिए रेल सुरक्षा बल कर्मचारियों को तैनात करके रेलवे पर वारदातों को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों की पूर्ति कर रही है।

यात्रियों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

1. रारेपु के समन्वय से महत्वपूर्ण और प्रभावित मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का मार्गरक्षण किया जा रहा है।

2. प्रभावित स्टेशनों/खंडों पर गाड़ियों में अतिरिक्त रूप से सतर्क रहने के लिए गाड़ी मार्गरक्षी दलों को ब्रीफ किया गया है।

3. गाड़ियों में यात्रा करते समय या प्लेटफार्मों पर अनधिकृत फेरीवालों और अनजान व्यक्तियों से खरीदारी/खाद्य वस्तुएं स्वीकार नहीं करने के लिए यात्रियों को रोकने हेतु जन उद्घोषणा प्रणाली और गाड़ियों के साधारण डिब्बों में लाउड हेलर्स के उपयोग एवं लाइन बंदोबस्त के दौरान अक्सर उद्घोषणाएं की जाती हैं।

4. वारदातों के रूझान पर चर्चा करने तथा वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए कारगर नीतियां बनाने के लिए राज्य पुलिस और राजकीय रेल पुलिस के साथ नियमित समन्वय बैठकों का आयोजन किया जा रहा है।

5. सामान्यतः उपनगरीय गाड़ियों के महिला डिब्बों का मार्गरक्षण रारेपु द्वारा किया जाता है। भेद्य उपनगरीय खंडों पर, विशेषकर अव्यस्त समय के दौरान जब महिलाओं के खिलाफ वारदात होने की संभावना अधिक होती है, महिला चल टिकट परीक्षकों और महिला रेसुब कार्मिकों के विशेष दस्ते तैनात किए जा रहे हैं।

6. महिला डिब्बों में यात्रा करने वाले पुरूष यात्रियों के खिलाफ नियमित अभियान चलाए जाते हैं और पकड़े जाने वाले अपराधियों के खिलाफ रेल अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाता है।

विवरण

| रेलवे | वर्ष | हत्या | डकैती | चोरी/ लूटपाट | यात्रियों के सामानों की चोरी | अन्य वारदात | लूटी गई संपत्ति की कीमत (रुपयों में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| मरे | 2005 | 3 | 7 | 13 | 932 | 4 | 14230828 |
| | 2006 | 4 | 11 | 15 | 791 | 7 | 17552656 |
| | 2007 | 5 | 4 | 21 | 1123 | 5 | 27267191 |
| | 2008 | 1 | 2 | 3 | 92 | 1 | 2337627 |
| पूरे | 2005 | 0 | 5 | 9 | 263 | 0 | 1131862 |
| | 2006 | 2 | 17 | 13 | 316 | 0 | 3355030 |
| | 2007 | 3 | 7 | 11 | 203 | 0 | 2089513 |
| | 2008 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 203500 |
| पूमरे | 2005 | 3 | 34 | 33 | 301 | 24 | 1237480 |
| | 2006 | 2 | 45 | 31 | 413 | 49 | 5358231 |
| | 2007 | 1 | 34 | 25 | 316 | 21 | 1586247 |
| | 2008 | 0 | 3 | 2 | 15 | 3 | 164440 |
| पूतरे | 2005 | 3 | 3 | 16 | 246 | 175 | 4903430 |
| | 2006 | 7 | 9 | 17 | 282 | 223 | 3312651 |
| | 2007 | 6 | 5 | 21 | 254 | 205 | 3183120 |
| | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| उरे | 2005 | 8 | 6 | 12 | 394 | 0 | 9156264 |
| | 2006 | 10 | 4 | 11 | 409 | 0 | 17559542 |
| | 2007 | 9 | 2 | 7 | 386 | 0 | 1705958 |
| | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| उमरे | 2005 | 4 | 6 | 4 | 454 | 0 | 1949344 |
| | 2006 | 0 | 0 | 6 | 316 | 0 | 2914835 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2007 | 2 | 2 | 9 | 408 | 0 | 3034385 |
| | 2008 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 598975 |
| पूर्वोत्तर | 2005 | 0 | 2 | 7 | 41 | 8 | 2104946 |
| | 2006 | 2 | 1 | 13 | 55 | 10 | 790267 |
| | 2007 | 3 | 9 | 2 | 50 | 2 | 915880 |
| | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| पूसीरे | 2005 | 4 | 9 | 17 | 185 | 27 | 1348268 |
| | 2006 | 4 | 4 | 8 | 154 | 29 | 2440084 |
| | 2007 | 0 | 14 | 11 | 108 | 47 | 2489909 |
| | 2008 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 112400 |
| उपरे | 2005 | 1 | 0 | 4 | 181 | 0 | 2167567 |
| | 2006 | 0 | 0 | 2 | 181 | 0 | 2355569 |
| | 2007 | 3 | | 2 | 194 | 0 | 3577923 |
| | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 160600 |
| दरे | 2005 | 1 | 1 | 6 | 237 | 0 | 7154878 |
| | 2006 | 0 | 0 | 6 | 181 | 0 | 985912 |
| | 2007 | 1 | 0 | 5 | 183 | 0 | 2044693 |
| | 2008 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 368790 |
| दमरे | 2005 | 5 | 3 | 6 | 504 | 0 | 20030003 |
| | 2006 | 0 | 4 | 6 | 477 | 0 | 16736640 |
| | 2007 | 2 | 5 | 8 | 361 | 0 | 16615480 |
| | 2008 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 649750 |
| दपूरे | 2005 | 3 | 6 | 6 | 164 | 64 | 5035480 |
| | 2006 | 1 | 2 | 7 | 225 | 55 | 3471834 |
| | 2007 | 0 | 2 | 3 | 184 | 54 | 4918366 |
| | 2008 | 0 | 0 | 2 | 16 | 3 | 478400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दपूमरे | 2005 | 0 | 0 | 3 | 183 | 6 | 3698764 |
| | 2006 | 0 | 1 | 3 | 183 | 12 | 3554706 |
| | 2007 | 0 | 0 | 1 | 156 | 12 | 12094942 |
| | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 276220 |
| दपरे | 2005 | 17 | 1 | 8 | 475 | 0 | 10056191 |
| | 2006 | 22 | 4 | 9 | 398 | 0 | 15963140 |
| | 2007 | 19 | 4 | 22 | 311 | 0 | 172879622 |
| | 2008 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 441450 |
| परे | 2005 | 1 | 0 | 27 | 963 | 0 | 7711761 |
| | 2006 | 9 | 0 | 37 | 1032 | 0 | 11685367 |
| | 2007 | 3 | 1 | 26 | 1027 | 0 | 7161395 |
| | 2008 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 3851922 |
| पमरे | 2005 | 1 | 5 | 12 | 789 | 0 | 14106214 |
| | 2006 | 2 | 6 | 3 | 741 | 0 | 12079976 |
| | 2007 | 0 | 7 | 4 | 641 | 0 | 10561620 |
| | 2008 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 5044700 |
| जोड़ | 2005 | 54 | 88 | 183 | 6312 | 308 | 106023280 |
| | 2006 | 65 | 108 | 187 | 6154 | 385 | 120116440 |
| | 2007 | 57 | 96 | 178 | 5905 | 346 | 272126244 |
| | 2008 | 2 | 5 | 12 | 360 | 47 | 14688774 |

**इस्पात की कीमतों में वृद्धि**

**396. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**

**श्री संतोष गंगवार :**

**श्री कीरेन रिजीजू :**

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्पात कंपनियों द्वारा इस्पात की कीमतों में मनमानी ढंग से वृद्धि की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्पात कंपनियों द्वारा इस्पात की कीमतों में समय–समय पर की गयी वृद्धि का ब्यौरा क्या है और वृद्धि की प्रतिशतता क्या है;

(ग) क्या इन कंपनियों ने कीमतों को बढ़ाने से पहले सरकार से कोई अनुमति ली है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

**इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) :** (क) इस्पात कीमतें मांग और आपूर्ति की स्थिति, आयात की लैंडेड कॉस्ट,

वैकल्पिक सामग्री की कीमत और उपलब्धता आदि जैसे बाजार घटकों द्वारा तय होती है। चूंकि घरेलू इस्पात बाजार में अनेक उद्यमी हैं और विभिन्न निर्धारक घटक हैं अतः इस्पात कंपनियों द्वारा मनमाने ढंग से कीमतें बढ़ाने की संभावना का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान मुम्बई के खुदरा बाजार में इस्पात उत्पादों की प्रतिनिधि श्रेणियों की कीमतों में तिमाही आधार पर हुए उतार–चढ़ाव का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) देश में इस्पात क्षेत्र नियंत्रणमुक्त है और उदारीकरण के माहौल में कीमतें बाजार शक्तियों द्वारा तय की जाती है। अतः संबंधित इस्पात उत्पादक अपनी कीमतों के संबंध में स्वयं वाणिज्यिक निर्णय लेते हैं। फिर भी माननीय इस्पात मंत्री जी की अपील पर देश के प्रमुख इस्पात उत्पादकों ने फरवरी, 2008 में इस्पात की विभिन्न श्रेणियों की कीमत 500 से 1000 रुपए प्रति टन की दर से कम कर दी है। इसके अलावा, एक स्टील प्राइस मॉनीटरिंग कमेटी (एसपीएमसी) भी गठित की गई है जो देश में इस्पात कीमतों में होने वाले उतार–चढ़ाव से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए इस्पात मंत्रालय के तत्वाधान में इस्पात के उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के बीच बातचीत के लिए एक मंच उपलब्ध करवाती है।

***विवरण***

*मुम्बई में तिमाही आधार पर खुदरा कीमत*

(रुपए/टन)

| अवधि | कच्चा लोहा एमएम ग्रेड–IV | टीएमटी 10एमएम | वॉयर रॉड 8एमएम | राउंड्स 16एमएम | प्लेट्स 12एमएम | एचआर क्वॉयल 2.5 एमएम | सीआर क्वॉयल 0.63 एमएम | जीपी शीट्स 0.63 एमएम | पेंसिल इंगट/ बिलैट्स 100 एमएम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1 फरवरी, 2008 | 21500 | 35500 | 32250 | 33250 | 34500 | 35500 | 38500 | 43500 | 28600 |
| 15 दिसंबर, 2007 | 20000 | 33000 | 30800 | 30800 | 33750 | 34250 | 38000 | 42750 | 26600 |
| अंतर 1 फरवरी, 08/15 दिसंबर,07 | 7.5% | 7.58% | 4.71% | 7.95% | 2.22% | 3.65% | 1.32% | 1.75% | 7.52% |
| 15 सिंतबर, 2007 | 19000 | 30150 | 30250 | 29250 | 33750 | 33750 | 36750 | 39250 | 25350 |
| अंतर 1 फरवरी, 08/15 सिंतबर, 07 | 13.16% | 17.74% | 6.61% | 13.68% | 2.22% | 5.19% | 4.76% | 10.83% | 12.82% |
| 15 जून, 2007 | 19000 | 32500 | 30000 | 30500 | 34500 | 34000 | 38000 | 40000 | 25300 |
| अंतर 1 फरवरी, 08/15 जून 07 | 13.16% | 9.23% | 7.50% | 9.02% | 0.00% | 4.41% | 1.32% | 8.75% | 13.04% |
| 15 मार्च, 2007 | 18500 | 29500 | 27750 | 28000 | 34250 | 34250 | 38500 | 40500 | 25075 |
| अंतर 1 फरवरी, 08/15 मार्च, 07 | 16.22% | 20.34% | 16.22% | 18.75% | 0.73% | 3.65% | 0.00% | 7.41% | 14.06% |
| 15 दिसम्बर, 2006 | 17700 | 29250 | 26625 | 26250 | 31500 | 31750 | 35000 | 41000 | 22225 |
| अंतर 1 फरवरी, 08/15 दिसंबर, 06 | 21.47% | 21.37% | 21.13% | 26.67% | 9.52% | 11.81% | 10.00% | 6.10% | 28.68% |
| 15 सितम्बर, 2006 | 17300 | 26250 | 26250 | 25750 | 32000 | 32000 | 34000 | 41000 | 21875 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अंतर 1 फरवरी, 08/15 सितंबर, 06 | 24.28% | 35.24% | 22.86% | 29.13% | 7.81% | 10.94% | 13.24% | 6.10% | 30.74% |
| 15 जून, 2006 | 17000 | 26750 | 25250 | 25750 | 31000 | 31250 | 32500 | 37000 | 19775 |
| अंतर 1 फरवरी, 08 / 15 जून 06 | 26.47% | 32.71% | 27.72% | 29.13% | 11.29% | 13.60% | 18.46% | 17.57% | 44.63% |
| 15 मार्च, 2006 | 16800 | 25250 | 24500 | 24250 | 26500 | 27000 | 30500 | 34500 | 21275 |
| अंतर 1 फरवरी, 08/15 मार्च, 06 | 27.98% | 40.59% | 31.63% | 37.11% | 30.19% | 31.48% | 26.23% | 26.09% | 34.43% |
| 15 दिसंबर, 2005 | 16800 | 25250 | 22300 | 24750 | 26000 | 26250 | 32000 | 36000 | 18850 |
| अंतर 1 फरवरी, 08/ 15 दिसंबर, 05 | 27.98% | 40.59% | 44.62% | 34.34% | 32.69% | 35.24% | 20.31% | 20.83% | 51.72% |
| 15 सितंबर, 2005 | 17500 | 28000 | 26500 | 27250 | 28000 | 27000 | 33500 | 37000 | 20800 |
| अंतर 1 फरवरी, 08 / 15 सितंबर, 05 | 22.86% | 26.79% | 21.70% | 22.02% | 23.21% | 31.48% | 14.93% | 17.57% | 37.50% |
| 15 जून, 2005 | 18300 | 30000 | 27800 | 28500 | 30500 | 30500 | 34500 | 39000 | 21000 |
| अंतर 1 फरवरी, 08/ 15 जून, 05 | 17.49% | 18.33% | 16.01% | 16.67% | 13.11% | 16.39% | 11.59% | 11.54% | 36.19% |

(स्रोतः ईआरयू/जेपीसी)
नोटः (i) कीमतों में उत्पाद शुल्क और बिक्री कर शामिल हैं।
(ii) सभी कीमतें इंडीकेटिव हैं।

*[अनुवाद]*

**रेलवे में सिग्नल प्रणाली**

**397. श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अप्रैल, 2000 और मार्च, 2007 के बीच सिग्नल फेल होने की वजह से काफी घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन घटनाओं में मरने वाले और घायल लोगों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार घटिया किस्म के और स्थानीय स्तर पर बने उपकरणों का प्रयोग कर रही है जिसकी वजह से सिग्नल फेल होने की ये घटनाएं हो रही हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने सिग्नल प्रणाली में पहले से प्रयुक्त इन घटिया किस्म के उपकरणों को प्रतिस्थापित करने हेतु कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) अप्रैल, 2000 से मार्च, 2007 के बीच सिग्नल की विफलता के कारण बाइस परिणामी दुर्घटनाएं हुईं।

(ख) इस प्रकार की दुर्घटनाओं में 21 व्यक्ति मारे गए थे तथा एक सौ सत्तर व्यक्ति घायल हुए थे।

(ग) जी नहीं, सिग्नल प्रणाली में उपयोग किए गए सभी संरक्षा उपकरण अनुमोदित स्रोतों से लिए गए थे।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**सस्ती एयरलाइन**

**398. श्री के. फ्रान्सिज जार्ज :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रचालित करने हेतु सस्ती एयरलाइनें शुरू करने के लिए राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने मध्य-पूर्व के लिए उड़ानें प्रचालित करने हेतु एक एयरलाइन शुरू करने के लिए आवेदन किया था; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल)** : (क) से (घ) केरल को छोड़कर, किसी अन्य राज्य की और से सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर बजट एयरलाइनें प्रचालित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। यद्यपि सरकार के पास एयर केरल के नाम से किसी एयरलाइन को बनाने का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है, केरल सरकार ने सूचित किया है कि एक बजट एयरलाइन परियोजना के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में एयर केरल इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड नामक एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी पंजीकृत कराई गई है। केरल सरकार ने इस मंत्रालय से अनुरोध किया है कि प्रस्तावित एयरलाइन को बेड़ा आकार तथा प्रचालनों की लम्बाई से संबंधित उन निर्धारित शर्तों से छूट प्रदान की जाए जिन पर अंतर्देशीय सेक्टर वाले किसी एयरलाइन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों के लिए विचार किया जाना होता है। किसी भारतीय अनुसूचित प्रचालन को अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं प्रचालित करने के लिए न्यूनतम 20 विमानों के बेड़ा आकार तथा अंतर्देशीय सेक्टर में 5 वर्ष निरन्तर प्रचालनों के अनुभव से संबंधित सरकारी नीति के दृष्टिगत इस अनुरोध पर विचार नहीं किया गया।

**नई दिल्ली से गोवा के बीच राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन**

**399. श्री सारदीना फ्रांसिस्को कोज्मी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोवा से नई दिल्ली के बीच एक नई राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) से (ग) जी, नहीं। वर्तमान में गोवा और नई दिल्ली के बीच एक नई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, मडगांव (गोवा) के रास्ते चलने वाली 2431/2432 निजामुद्दीन–तिरूवनंतपुरम राजधानी की आवृत्ति को सप्ताह में दो बार से बढ़ाकर सप्ताह में तीन बार करने की घोषणा रेल बजट 2008–09 में की गई है।

*[हिन्दी]*

**शैक्षणिक संस्थाओं में अल्पसंख्यकों को आरक्षण**

**400. श्री संजय धोत्रे** :
**श्री बापू हरी चौरे** :
**श्री मोहन रावले** :

क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शैक्षणिक संस्थाओं में अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षण मुहैया कराने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और अल्पसंख्यकों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग शैक्षणिक संस्थाओं में मुस्लिमों सहित अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने के विरुद्ध है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सभी क्षेत्रों अर्थात् शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य क्षेत्र में आरक्षण नीति को क्रियान्वित किया जाएगा; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले)** : (क) वर्तमान में, शैक्षणिक संस्थानों में अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख), (ग), (च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**तेल सुरक्षा**

**401. डा. अरुण कुमार शर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2011 के पश्चात् आगामी दशकों में ग्लोबल वार्मिंग के परिणामस्वरूप तेल उत्पादक देशों में प्राकृतिक आपदा आने की स्थिति में, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र के आईपीसीसी ने अपनी भविष्यवाणी में स्पष्ट संकेत दिया है कि वर्ष 2030 तक मुंबई सहित विश्व के अधिकांश तटीय शहर जलमग्न हो जाएंगे, तेल आयातों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो देश में ऊर्जा परिदृश्य पर कुल प्रभाव क्या होगा तथा इस अनुमानित प्रभाव का सरकारी क्षेत्र के उपक्रम (तेल क्षेत्र) वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) वैकल्पिक देशी अर्थक्षम ईंधन प्रणाली और इस विषय पर भावी अनुसंधान पर अब तक किए गए प्रस्तावित निवेश, लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धियां क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार देश में तेल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सतत आधार पर प्रयास कर रही है और साथ ही देश में घरेलू दृष्टि से व्यवहार्य वैकल्पिक ईंधन के अनुसंधान और विकास में निवेश कर रही है जो इस प्रकार है :-

(1) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के तहत विभिन्न दौरों के अंतर्गत प्रस्ताव हेतु अन्वेषण के लिए अधिकाधिक क्षेत्रों का निर्धारण करना।

(2) उत्पादन की शुरूआत कर सकने के लिए खोजे गए भंडारों का तीव्रतर विकास करना।

(3) वर्तमान क्षेत्रों से उत्पादन की वृद्धि करने के लिए उत्प्रेरक तकनीकों का उपयोग।

(4) वर्तमान क्षेत्रों से प्राप्ति घटक में वृद्धि करने के लिए वर्धित तेल निकासी (ईओआर)/उन्नत तेल निकासी (आईओआर) तकनीकों का अनुप्रयोग करना।

(5) पुराने क्षेत्रों से ह्रास को नियंत्रित करना।

(6) इक्विटी तेल लाने के लिए विदेश में अन्वेषण रकबों और तेल उत्पादक संपत्तियों का अर्जन।

(7) तीन स्थलों अर्थात् विशाखापटनम, मंगलौर और पाडूर में 5 एमएमटी क्षमता वाले कच्चे तेल के कार्यनीतिक भंडारों का निर्माण करना।

(8) ओएनजीसी ऊर्जा केन्द्र बना लिया गया है। यह केन्द्र अनुसंधान और विकास और साथ ही प्रदर्शन तथा वाणिज्यिकीकरण (डी एंड सी) क्रियाकलाप करेगा। इस केन्द्र को एक न्यास द्वारा चलाया जाता है जिसके पास ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञ हैं। अब तक तीन परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है। साथ ही ओएनजीसी और बीएआरसी ने हाइड्रोजन जल से प्राप्त स्वच्छ गौण ईंधन, के उत्पादन के लिए न्यूक्लीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु "जल से हाइड्रोजन उत्पादन के लिए थर्मो कैमिकल प्रोसेसिस" के संबंध में एक सहयोगात्मक अनुसंधान और विकास परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(9) आईओसी के अनुसंधान और विकास केन्द्र ने क्षेत्र परीक्षण के लिए बागानों से बायो डीजल की पूरी मूल्य श्रृंखला का अध्ययन किया है। आईओसी ने बायो डीजल की पूरी मूल्य श्रृंखला के अध्ययन के लिए भारतीय रेल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना देश में अपने प्रकार की है जहां जटरोफा बायो डीजल के प्रत्येक पहलू पर अध्ययन किया जा रहा है। आशा है कि जटरोफा बीजों का उत्पादन 2008 के अंत से आरंभ हो जाएगा। आईओसी ने टाटा मोटर्स के साथ मिलकर 10% बायो डीजल मिश्रण का प्रयोग कर रही 43 बसों पर क्षेत्र परीक्षण चालन पूरा कर लिया है। आईओसी ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ उस राज्य में बायो डीजल व्यवसाय करने के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करने हेतु नवंबर 2007 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने भी जटरोफा के वृक्षारोपण के लिए आईओसी को गैर वन परती भूमि आबंटित की है।

(10) तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के समन्वय के अंतर्गत लगभग सभी राज्यों में एथेनोल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

(11) वैकल्पिक जीवाश्म ईंधन के क्षेत्र में आईओसी कोल बेड मीथेन (सीबीएम) अन्वेषण और दोहन कार्यकलापों में भाग ले रही है तथा ओएनजीसी के साथ परिसंघ में उसे झारखंड राज्य में दो सीबीएम ब्लाक प्रदान किए गए हैं।

**स्मारकों का संरक्षण**

**402. श्री दुष्यंत सिंह** : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में विनष्ट हो रहे स्मारकों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन स्मारकों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क) से (ग) ऐसे 3667 स्मारक हैं जो केन्द्रीय संरक्षित हैं तथा इनका

परिरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है तथा 3573 स्मारक राज्य के संरक्षणाधीन हैं। राष्ट्रीय स्मारक तथा पुरावशेष मिशन की स्थापना की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ देश के स्मारकों का एक व्यापक डेटा बेस बनाया जाएगा।

पुरातनता के कारण, स्मारकों का क्षरण होता है तथा इन्हें आवधिक संरक्षण/जीर्णोद्धार की आवश्यकता होती है। स्मारकों की आवश्यकताओं तथा संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 24 मंडलों तथा विज्ञान और उद्यान शाखाओं द्वारा संरचनात्मक मरम्मतों, रासायनिक परिरक्षण तथा उद्यान कार्यों के लिए वार्षिक संरक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। वार्षिक संरक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए मंडलों तथा शाखाओं को निधियां आबंटित की जाती हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान अनुमोदित कार्यों तथा निधियों के आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

***विवरण***

*वर्ष 2007-08 के लिए निधियों के आबंटन और अनुमोदित कार्यों की संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा*

| क्र.सं. | मंडल/शाखा का नाम | वर्ष 2007-08 के लिए अनुमोदित कार्यों की संख्या | वर्ष 2007-08 के लिए बजट अनुमान स्तर पर निधियों का आबंटन (लाख रुपयों में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आगरा मंडल | 87 | 555.00 |
| 2. | औरंगाबाद मंडल | 97 | 850.00 |
| 3. | बंगलौर मंडल | 346 | 775.00 |
| 4. | भोपाल मंडल | 66 | 585.00 |
| 5. | भुवनेश्वर मंडल | 58 | 325.00 |
| 6. | चेन्नई मंडल | 37 | 515.00 |
| 7. | चंडीगढ़ मंडल | 68 | 435.00 |
| 8. | दिल्ली मंडल | 84 | 800.00 |
| 9. | देहरादून मंडल | 19 | 160.00 |
| 10. | धारवाड़ मंडल | 86 | 575.00 |
| 11. | गोवा मंडल | 16 | 80.00 |
| 12. | गुवाहाटी मंडल | 16 | 130.00 |
| 13. | हैदराबाद मंडल | 91 | 575.00 |
| 14. | जयपुर मंडल | 49 | 285.00 |
| 15. | कोलकाता मंडल | 27 | 325.00 |
| 16. | लखनऊ मंडल | 88 | 450.00 |
| 17. | मुम्बई मंडल | 39 | 350.00 |
| 18. | पटना मंडल | 65 | 400.00 |
| 19. | रॉंची मंडल | 7 | 60.00 |
| 20. | रायपुर मंडल | 48 | 225.00 |
| 21. | श्रीनगर मंडल | 29 | 290.00 |
| 22. | शिमला मंडल | 19 | 125.00 |
| 23. | त्रिशूर मंडल | 15 | 210.00 |
| 24. | वड़ोदरा मंडल | 32 | 340.00 |
| 25. | उद्यान शाखा | 246 | 1330.00 |
| 26. | विज्ञान शाखा | 183 | 710.00 |
| 27. | महानिदेशक का कार्यालय (रिजर्व) | | 72.00 |
| कुल योग | | 1918 | 11532.00 |

**अमृत एक्सप्रेस का विस्तार**

**403. श्री पन्नियन रवीन्द्रन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तिरुवनंतपुरम से पालक्कड़ के बीच चलने वाली अमृत एक्सप्रेस का मेट्टुपलायम तक विस्तार किए जाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या मेट्टूपलायम तक विस्तार किए जाने पर रेलगाड़ी की क्षमता में भी वृद्धि की जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**औद्योगिक महंगाई भत्ता को मूल वेतन के साथ मिलाना**

**404. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :**

**श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के लाभ कमाने वाले उद्यमों के कर्मियों के मूल वेतन में 50 प्रतिशत औद्योगिक महंगाई भत्ता को मिलाने की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने वेतनमानों की आई डी ए प्रणाली 1997 अपनाने वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उन उद्यमों के कर्मचारियों के मूल वेतन में 1.1.2007 से 50% औद्योगिक महंगाई भत्ते के विलय का निर्णय लिया है, जो घाटा उठाने वाले उद्यम नहीं हैं तथा जो सरकार से बजटगत सहायता प्राप्त किए बिना अपने संसाधनों से 50% औद्योगिक महंगाई भत्ते के विलय के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करने में समर्थ हैं। यह भारतीय खाद्य निगम में वेतनमानों की आई डी ए प्रणाली अपनाने वाले कर्मचारियों को भी प्रदान किया गया है।

*[हिन्दी]*

**गुजरात में अनुसूचित जातियों हेतु कल्याण कार्यक्रम**

**405. श्री रामदास आठवले** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गुजरात सहित राज्यों में अनुसूचित जाति से संबंधित लोगों हेतु चलाए जा रहे कल्याण कार्यक्रमों में की जा रही अनियमितताओं को रोकने हेतु कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन लोगों को सीधे तौर पर सहायता मुहैया कराने हेतु कोई योजना तैयार करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन)** : (क) मंत्रालय, केन्द्रीय/राज्य सरकारों और नामित एजेंसियों द्वारा आवधिक निरीक्षणों के माध्यम से अनुसूचित जातियों हेतु कल्याण कार्यक्रमों को मॉनीटर करता है। इसके अतिरिक्त विस्तृत रिपोर्ट जिसमें लेखा-परीक्षित लेखे, उपयोगिता प्रमाण-पत्र, वार्षिक रिपोर्ट, लाभार्थियों की सूची, स्टाफ सूची इत्यादि की सूचना शामिल होती है, को भी प्राप्त किया जाता है और इसकी संवीक्षा की जाती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

**बूचड़खाने और मांस प्रसंस्करण इकाइयां**

**406. श्री गणेश सिंह** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बूचड़खाने और मांस प्रसंस्करण इकाइयों के निर्माण से संबंधित परियोजनाएं शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं को शुरू करने हेतु किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस परियोजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय)** : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने बूचड़खानों के आधुनिकीकरण संबंधी एक व्यापक स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव किया है क्योंकि भारतीय मांस उद्योग अत्यंत असंगठित है और पशुओं/पक्षियों से मानव को हो सकने वाली संक्रामक बीमारियों के उभरते हुए खतरों पर विचार करते हुए बूचड़खानों में बेहतर स्वच्छकर स्थितियों और सुरक्षा मानकों की जरूरत है। फिलहाल, अधिकांश नगर निगम बूचड़खानों में पशुओं को वैज्ञानिक ढंग से काटने की सुविधाओं की कमी है और वे साफ, पौष्टिक मांस उत्पादन करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसी प्रकार जानवरों की कटाई से प्राप्त अपशिष्टों के उपयोग की सुविधाएं अपर्याप्त हैं और इनका ठीक प्रकार से निपटान न होने से सार्वजनिक दृष्टि से अशोभनीय स्थिति उत्पन्न होती है और अक्सर पर्यावरणीय प्रदूषण और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता है।

इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए बूचड़खानों की गुणवत्ता और गुणात्मक क्षमताओं का उन्नयन किए जाने की जरूरत है और अनधिकृत कटाई को हतोत्साहित करने के अतिरिक्त घरेलू उपभोग और निर्यात दोनों के लिए उन्हें मांस के वाणिज्यिक प्रसंस्करण से लिंक किए जाने की आवश्यकता है। पणधारियों, उद्योगों और राज्य सरकारों के साथ विस्तृत विचार–विमर्श के आधार पर, 11वीं योजना के दौरान निजी पूंजी, बेहतर प्रौद्योगिकी, बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज के समावेश के लिए "वर्तमान बूचड़खानों के आधुनिकीकरण/आधुनिक बूचड़खानों की स्थापना" संबंधी स्कीम में संशोधन किया गया है। प्रस्तावित स्कीम अधिमान्यतः सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के अंतर्गत कार्यान्वित की जाएगी जिसमें स्थानीय निकायों (नगर निगमों और पंचायतों) को शामिल किया जाएगा और इसमें बी ओ ओ/बी ओ टी/संयुक्त उद्यम के आधार पर निजी निवेशकों/निर्यातकों/प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को शामिल करने का लचीलापन होगा। विनियामक कार्य स्थानीय निकायों के माध्यम से किए जाते रहेंगे। इससे स्थानीय निकाय उद्यम में भाग ले सकेंगे और उनकी आय में निश्चित वृद्धि होगी।

(ग) मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित स्कीम के ब्यौरे सभी राज्य सरकारों को परिचालित किए जा चुके हैं और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे स्कीम के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक राज्य में कम से कम 5 संभावित स्थानों की पहचान करें। परियोजना स्थल का चयन प्रत्येक परियोजना स्थल के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर तथा पहचाने गए स्थलों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने, बोली लगाने की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से निजी निवेशकों के चयन तथा परियोजना के वित्तीय समापन की प्राप्ति की शर्तों के अध्यधीन होगा।

(घ) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, मंत्रालय का प्रस्ताव "वर्तमान बूचड़खानों का आधुनिकीकरण/आधुनिक बूचड़खानों की स्थापना" संबंधी स्कीम पर 628 करोड़ रुपये खर्च करने का है।

*[अनुवाद]*

**पत्तनों को जोड़ने वाली विशेष कंटेनर रेलगाड़ी**

407. **श्री हरिन पाठक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कंटेनर निगम (कॉनकार) पत्तनों को जोड़ने वाली एक विशेष कंटेनर रेलगाड़ी चला रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पत्तनों और राज्यों के नाम क्या हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) और (ख) जी हां। भारतीय कंटेनर निगम (कॉनकोर) अपने भीतरी इनलैंड कंटेनर डिपुओं को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (महाराष्ट्र), मुंबई पोर्ट (महाराष्ट्र), चेन्नै पोर्ट (तमिलनाडु), कोलकाता पोर्ट (प. बंगाल), तूतीकोरिन पोर्ट (तमिलनाडु), कोचीन पोर्ट (केरल), कांडला पोर्ट (गुजरात), मुंदड़ा पोर्ट (गुजरात) और पिपावाव पोर्ट (गुजरात) जैसे विभिन्न पत्तनों से जोड़ते हुए सभी प्रमुख कंटेनर पत्तनों को कंटेनर गाड़ी सेवाएं मुहैया करवा रहा है।

**सीबीएम ब्लॉक में ड्रिलिंग गतिविधि**

408. **श्री पी.एस. गढ़वी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने वर्ष 2004 में गुजरात में इसको आबंटित कोल बेड मिथेन (सीबीएम) ब्लॉक में ड्रिलिंग गतिविधि शुरू करने हेतु कोई कदम नहीं उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने इसका उत्पादन यथाशीघ्र शुरू करने के उद्देश्य से सीबीएम ब्लॉक के अन्वेषण हेतु एक तृतीय पक्ष को शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) :** (क) और (ख) सीबीएम ब्लाक बीएस(3)–सीबीएम–2003/2 में अन्वेषण क्रियाकलाप 10.9.2004 को रकबे के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के बाद आरंभ किए गए। 8 कोर होल्स और 2 परीक्षण कूप स्थलों को सुदृढ़ किया गया। लागतों में कमी लाने के लिए कोर होल्स का वेधन करने के लिए एक अपेक्षाकृत छोटी रिंग की योजना बनाई गई। आरंभिक वेधन के लिए ओएनजीसी द्वारा एक अनुभवी कंपनी नामतः मैसर्स एमईसीएल की सेवाएं ली गई। तकनीकी समस्याओं के कारण वे लक्ष्य प्राप्ति में असफल रहीं। मैसर्स एमईसीएल की जगह ओएनजीसी द्वारा एक सचल वेधन रिंग मैसर्स किवपो को 8.8.2006 को भाड़े पर लिया गया। ओएनजीसी ने उक्त ब्लाक में वेधन क्रियाकलाप संविदा की बढ़ाई गई अवधि के भीतर 16.8.2007 तक पूरी कर ली थीं।

(ग) और (घ) 14 जून, 2006 को प्रधान सचिव, ऊर्जा और पेट्रो रसायन विभाग, गुजरात सरकार ने अन्वेषण कार्य में गति लाने के लिए और न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी) समय के भीतर पूरा करने के लिए एक तीसरे साझीदार को शामिल किए जाने के लिए अनुरोध किया था। तथापि, ओएनजीसी ने गुजरात सरकार को यह संदेश दे दिया था

कि एमडब्ल्यूपी पूरा करने के लिए उन्होंने एक सचल वेधन रिग भाड़े पर ले ली है। ओएनजीसी ने एमडब्ल्यूपी भी बढ़ाए गए समय के भीतर पूरा कर लिया है।

**सस्ते होटल**

**409. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1 अप्रैल, 2007 के पश्चात् किए गए सस्ते श्रेणी के सभी होटलों हेतु एक नयी प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) :** (क) और (ख) जी, हां। पर्यटन मंत्रालय ने पूरे देश में 1 से 3 सितारा हैरिटेज बेसिक श्रेणी होटलों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने की योजना की घोषणा की है, जहां 01.04.2007 से 31.03.2008 तक प्रभावी होटल परियोजनाओं को प्रारंभ और वर्गीकृत कर दिया गया है। प्रोत्साहन पूंजी इमदा के रूप में एक सितारा होटल में 2.00 लाख रु. प्रति कमरा, अधिकतम 30.00 लाख रु. की शर्त पर, दो सितारा होटल में 3.00 लाख रु. प्रति कमरा, अधिकतम 75.00 लाख रु. की शर्त पर, तीन सितारा होटल और हैरिटेज बेसिक श्रेणी के होटल में 3.00 लाख रु. प्रति कमरा, अधिकतम 100.00 लाख की शर्त पर होगी।

**निजी फर्मों द्वारा रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा संभालना**

**410. श्री रायापति सांबासिवा राव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी फर्में रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा संभालेंगी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने रेलवे स्टेशनों पर निजी फर्मों द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण कार्य को निभाने हेतु उनके विचारार्थ विषय तैयार किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) यह एक नीतिगत फैसला है जिसमें रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं और रेल घटकों की महत्वपूर्ण संस्थापनाओं आदि का ध्यान रखने की आवश्यकता है।

**निजी विमान कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने हेतु नए उपाय**

**411. श्री एम. अप्पादुरई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने सस्ती निजी विमान कंपनियों, जो रेलवे के 2–टियर वातानुकूलित डिब्बों के किराये से भी कम किराया ले रही हैं, से प्रतिस्पर्धा करने हेतु नए उपाय शुरू करने का प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष से वातानुकूलित रेलगाड़ियों के किरायों में रियायत देने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) और (ख) रेलें एयरलाइंस सेक्टर विशेष रूप से कम लागत वाली एयरलाइंस के कारण हो रही प्रतियोगिता से अवगत हैं। बहरहाल, एयरलाइंस कम किराये पर बहुत सीमित संख्या में सीटों की पेशकश कर रही हैं तथा उनके पास यात्रा, बुकिंग तथा टिकटें रद्द करने की सुविधा है। रेलों द्वारा इस प्रतियोगिता से उबरने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) अतिरिक्त गाड़ियां चलाकर गाड़ियों में बैठने की अतिरिक्त क्षमता बढ़ाना।

(ii) मांग को पूरा करने के लिए अधिक लोकप्रिय गाड़ियों का अधिकतम भार बढ़ाना।

(iii) प्रतीक्षा सूची का निपटान करने के लिए गाड़ियों में अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाना।

(iv) कोचिंग स्टाक के उपयोग में सुधार लाना ताकि सवारी डिब्बों की कमी का निवारण किया जा सके।

(v) बार–बार यात्रा करने वालों के लिए योजना आरंभ करना (एसओएफटी)

(ग) और (घ) चालू वित्त वर्ष (2007–2008) में डायनैमिक मूल्य निर्धारण नीति के अंतर्गत एक परिवर्ती किराया योजना शुरू की गई थी। वातानुकूलित श्रेणियों में किरायों में दी गई रियायत निम्नानुसार है:–

| श्रेणी | व्यस्त समय | कम भीड़–भाड़ के समय |
|---|---|---|
| वातानुकूलित प्रथम श्रेणी | 3% | 6% |
| वातानुकूलित 2–टियर | 2% | 4% |
| वातानुकूलित 3–टियर (81 शायिकाएं) | 4% | 8% |
| वातानुकूलित कुर्सी कार (102 सीटें) | 4% | 8% |

**तेल की खोज/उत्पादन**

412. **श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुर्कमेनिस्तान ने अपने यहां तेल और गैस की खोज और उत्पादन कार्य करने हेतु भारतीय तेल कंपनियों को प्राथमिकता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

**घरेलू रसोई गैस सिलिंडरों का दुरूपयोग**

413. **श्री भर्तृहरि महताब : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को घरेलू रसोई गैस सिलिंडरों का बड़े पैमाने पर दुरूपयोग किए जाने विशेषकर चार पहिया वाहनों में दुरूपयोग किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्य–वार कितने मामले दर्ज किए गए; और

(ग) घरेलू रसोई गैस सिलिंडरों का दुरूपयोग रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) और (ख) घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का दुरूपयोग, विशेषतः 4 पहिया वाले वाहनों में, करने की संभवतः घरेलू उपयोग के एलपीजी का खुदरा बिक्री मूल्य और आटो एलपीजी के बाजार मूल्य के बीच भारी अंतर होने के कारण रोकना संभव नहीं हो सकेगा। गत तीन वर्षों और अप्रैल–दिसंबर, 2007 के दौरान सड़क परिवहन प्राधिकारियों द्वारा 6997 मोटर चालक पकड़े गए हैं, जिसके लिए सहायता तेल विपणन कंपनियों द्वारा प्रदान की गई थी। राज्य–वार ब्यौरे राज्य सरकारों के पास उपलब्ध है, क्योंकि ऐसे वाहनों का पंजीकरण जिला प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है।

(ग) एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने "तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000" विनिर्मित किया है और "विपणन अनुशासन दिशा निर्देश, 2001" बनाए हैं जिनमें एलपीजी के विपथन में लिप्त होने वाले एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।

जब कभी ओएमसीज को शिकायतें प्राप्त होती हैं इनकी जांच की जाती है और यदि शिकायत की पुष्टि हो जाती है तो एमडीजी के प्रावधानों के अनुसार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर/डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। एमडीजी में डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान हैं:–

- पहले अपराध पर 20,000 रुपये का जुर्माना तथा वाणिज्यिक दर पर विपथित एलपीजी का मूल्य।
- दूसरे अपराध पर 50,000 रुपये का जुर्माना तथा वाणिज्यिक दर पर विपथित एलपीजी का मूल्य।
- तीसरे अपराध पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप समाप्त करना।

ओएमसीज द्वारा की गई कार्रवाई के अलावा राज्य सरकारें घरेलू एलपीजी की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन प्रख्यापित एलपीजी (आपूर्ति तथा वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के अधीन शक्तिप्रदत्त हैं। इसी प्रकार राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के माप तथा तोल विभाग कम वजन वाले एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति करने वाले एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आरंभ करते हैं। राज्य सरकारों को अनधिकृत उपयोग के लिए घरेलू सिलेंडरों की कालाबाजारी/विपथन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए समय समय पर सावधान किया गया है।

सरकार ने विज्ञापन जारी किए हैं जिनमें जनता को सावधान किया गया है कि घरेलू एलपीजी का गैर घरेलू प्रयोजनों के लिए उपयोग गैर कानूनी, खतरनाक तथा राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है। इन विज्ञापनों के माध्यम से आम जनता का सहयोग मांगा जाता है कि वे ओएमसीज को किसी प्रकार की अनियमितता/कदाचार की रिपोर्ट करें।

ओएमसीज के अधिकारी डिस्ट्रीब्यूटरों के गोदाम, सुपुर्दगी स्थलों, और साथ ही रास्ते में आकस्मिक जांच करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई कालाबाजारी नहीं हो रही है। ओएमसीज के डिस्ट्रीब्यूटरों को सुपुर्दगी से पहले अपने गोदामों पर सिलिंडरों के वजन की जांच के लिए कड़े अनुदेश दिए गए हैं और केवल निर्धारित वजन वाले सिलिंडर ही ग्राहकों को सुपुर्द किए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरों को यह सुनिश्चित करने के निदेश भी दिए गए हैं कि सीलों की जांच करें और सुपुर्दगी के समय ग्राहकों को भी दिखाएं। यदि ग्राहक द्वारा कम वजन का कोई सिलिंडर प्राप्त किया जाता है तो ओएमसीज द्वारा किसी प्रभार के लगाये बिना नया भरा हुआ सिलिंडर दिया जाता हैं

**डिग्बोई रिफाइनरी की तेलशोधन क्षमता**

414. **श्री सर्वानन्द सोनोवाल :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डिग्बोई रिफाइनरी की तेलशोधन की वर्तमान क्षमता 0.56 मिलियन टन को बढ़ाकर कम से कम 1 मिलियन टन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितनी प्रगति हुई है तथा स्वीकृत क्षमता कितनी है;

(ग) क्या सरकार की डिग्बोई को "तेल विरासत स्थल" के रूप में घोषित करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या असम में तेल क्षेत्र "कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व" कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के तेल उत्पादक जिलों में सड़कों, शैक्षणिक तथा सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थाओं में सुधार के लिए दीर्घावधिक योजनाएं शुरू कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके लिए वर्ष-वार कितनी धनराशि आरक्षित की गई है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) :** (क) और (ख) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की डिग्बोई शोधनशाला की विद्यमान क्षमता 0.65 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) है। डिग्बोई शोधनशाला की विद्यमान शोधन क्षमता बढ़ाने की आईओसीएल की कोई योजना नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ऊपर (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) सार्वजनिक क्षेत्र तेल उपक्रमों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान सड़कों, शिक्षा, पेय जल, सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यकलापों आदि के सुधार के लिए "नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व" कार्यक्रम के अंतर्गत असम राज्य में किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

***विवरण***

(लाख रु.)

| कंपनी | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|---|---|---|---|
| आईओसी | 67.22 | 81.43 | 77.62 |
| एनआरएल | 106.29 | 127.26 | 309.06 |
| बीआरपीएल | 108.37 | 105.34 | 103.47 |
| गेल | 39.20 | 53.00 | 67.00 |
| ओआईएल | 633.16 | 1152.49 | 1212.36 |
| ओएनजीसी | 48.35 | 47.02 | 111.71 |

**यूरिया का बफर स्टॉक**

415. **डा. एम. जगन्नाथ :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी खरीफ मौसम के दौरान यूरिया की कमी से बचने के लिए 10 से 12 प्रमुख राज्यों में यूरिया का बफर स्टॉक बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ पहचान किए गए राज्यों का ब्यौरा क्या है तथा पहचान किए गए राज्यों में यूरिया की कितनी मात्रा बनाए रखने का प्रस्ताव है?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) :** (क) से (ग) जी हां। विभाग खरीफ, 2008 के दौरान अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए अधिक खपत करने वाले राज्यों में राज्य संस्थागत एजेंसियों/उर्वरक कंपनियों के माध्यम से मौसम की आवश्यकता के 5 प्रतिशत की सीमा तक बफर स्टॉक का रखरखाव करेगा। बफर स्टॉक का रखरखाव करने के लिए अभिज्ञात किए गए राज्य निम्नानुसार हैं:-

| | |
|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश |
| 2. | कर्नाटक |
| 3. | तमिलनाडु |
| 4. | गुजरात |
| 5. | मध्य प्रदेश |
| 6. | महाराष्ट्र |
| 7. | राजस्थान |
| 8. | हरियाणा |
| 9. | पंजाब |
| 10. | उत्तर प्रदेश |
| 11. | बिहार |
| 12. | जम्मू और कश्मीर |
| 13. | उड़ीसा |
| 14. | पश्चिम बंगाल |

**कोल बेड मीथेन ब्लॉक**

416. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के कोल बेड मीथेन ब्लॉक प्राप्त करने में विफल रहने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई गहन विश्लेषण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में बोली लगाने के लिए अपने निष्पादन में ओएनजीसी किस हद तक सुधार करने में सक्षम रही है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) से (ग) कोल बेड मीथेन के अन्वेषण और दौरान के लिए बोली के तीसरे दौर (सीबीएम-III) में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के तहत 10 ब्लाक प्रस्तावित किए गए थे। 10 ब्लाकों में से प्रौद्योगिकी-आर्थिक मूल्यांकनों के आधार पर ओएनजीसी ने केवल 5 ब्लाकों के लिए बोली भेजी। चूंकि ओएनजीसी को उन ब्लॉकों में से कोई भी ब्लाक नहीं मिला, जिनके लिए उन्होंने बोलियां भेजीं थीं, ओएनजीसी द्वारा किए गए विश्लेषण से निम्नलिखित के अनुसार पता चला:

1. परीक्षण प्रवाह को छोड़कर पिछले तीन वर्ष में कोई सीबीएम उत्पादन न होने के कारण अंकों में कमी। यह पाया गया है कि सीबीएम रकबे वाली भारतीय कंपनियों ने गैस दहन को "उत्पादन" बताया है। इसी अनुरूपता से ओएनजीसी 1997 से सीबीएम गैस का उत्पादन कर रही है।

2. समय के युक्तियुक्त इष्टतमीकरण के कारण कार्य कार्यक्रम के बतौर अंकों में कमी।

3. जैसा कि ओएनजीसी द्वारा भी किया गया था सभी कंपनियों ने भौतिक कार्य कार्यक्रम में पूर्णांक प्राप्त कर लिए हैं। तथापि उन्होंने ओएनजीसी के विपरीत पूर्णांक प्राप्त करने में उद्यमशीलतापूर्वक समय कम लिया है।

4. अधिकांश कंपनियों द्वारा प्रस्तावित वित्तीय पैकेज उत्कृष्ट रूप से उद्यमशील रहे हैं।

5. यद्यपि उक्त क्षेत्र में नई भारतीय कंपनियों के पास तकनीकी क्षमता की कमी है उसकी प्रतिपूर्ति माइनर पीआई वाले विदेशी प्रचालकों के साथ कार्यनीतिक गठबंधन बनाकर कर ली गई थी।

6. कोयला क्षेत्रों के वर्गीकरण के अनुसार वर्तमान ब्लाक निम्न रैंक की श्रेणी में पड़ते हैं जिनके लिए ऐसी अग्रसर बोली पूर्णतया अप्रत्याशित थी।

तथापि, इस दौर से ओएनजीसी द्वारा सीखे गए पाठों के आधार पर ओएनजीसी आगामी दौरों में अपनी बोली कार्यनीति में अवश्य अनुकूलन करती रहेगी।

**अनारक्षित टिकट प्रणाली (यू.टी.एस.) सुविधा**

417. **श्री हरिभाऊ राठौड़ : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनारक्षित टिकट प्रणाली (यू.टी.एस.) सुविधा देशभर के सभी स्टेशनों पर उपलब्ध है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार सभी रेलवे स्टेशनों को किस समय-सीमा के अंदर अनराक्षित टिकट प्रणाली सुविधा के अंतर्गत लायेगी?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) अनारक्षित टिकट प्रणाली की सुविधा की व्यवस्था चरणबद्ध आधार पर की जा रही है। 'ई' कोटि के सभी स्टेशनों को अगले दो वर्षों में शामिल करने का प्रस्ताव है।

**आंध्र प्रदेश उर्वरक संयंत्र का पुनरूद्धार**

418. **श्री बसुदेव आचार्य : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरक की मांग आपूर्ति के अंतराल को पाटने के लिए देशभर के कुछ उर्वरक संयंत्रों का पुनरूद्धार करने की योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने आंध्र प्रदेश उर्वरक संयंत्र का पुनरूद्धार 3500 करोड़ रुपए की लागत से वर्ष 2011 तक करने का निर्णय लिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में उर्वरक संयंत्र का पुनरूद्धार करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक)** : (क) से (ग) सरकार ने आंध्र प्रदेश स्थित रामागुंडम यूनिट सहित हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) और फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) की बंद इकाइयों का पुनरूद्धार करने की संभावना की जांच करने के लिए दिनांक 12.04.2007 को सिद्धान्ततः निर्णय लिया बशर्ते कि गैस की उपलब्धता सुनिश्चित हो। इस स्तर पर कोई निश्चित लागत सूचित नहीं की जा सकती।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

**मध्य-पूर्व देशों में एयर इंडिया की सेवाएं**

419. **श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कालीकट तथा तिरूवनन्तपुरम से मध्य-पूर्व गंतव्यों तक एयर इंडिया की कतिपय सेवाओं में बार-बार अनिश्चित विलम्ब होने तथा रद्द होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल)** : (क) और (ख) अगस्त 2007 से दिसम्बर, 2007 तक कालीकट तथा तिरूवनन्तपुरम से एयर इंडिया की केवल 13 उड़ानें तकनीकी तथा प्रचालनिक कारणों से विलंबित और रद्द हुईं। मालाबार क्षेत्र में निरन्तर खराब मौसम के कारण भी मानवीय नियंत्रण से बाहर के कारणों की वजह से उड़ानों के विलंब तथा रद्दीकरण में वृद्धि होती है।

(ग) एयर इंडिया कालीकट से/के लिए किसी भी उड़ान को रद्द न करने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करती है। भविष्य में विलंबों से बचाने/को न्यूनतम करने के उद्देश्य से, एयरलाइन ने उड़ानों तथा कर्मीदल आबंटन का युक्तिकरण किया है तथा प्रतिदिन बारीकी से मानीटरिंग करके सुधारात्मक उपाय कर रही है। मुंबई हवाई अड्डे पर एक समयपालन समन्वय प्रकोष्ठ चौबीस घंटे कार्यरत है तथा दिल्ली में भी एक निगमित स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसको हब कंट्रोल सैट अप के साथ एकीकृत किया जायेगा ताकि उड़ानों की समयबद्धता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न उड़ान संभलाई विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जा सके।

*[हिन्दी]*

**जबलपुर-नैनपुर बालाघाट रेल लाइन का आमान परिवर्तन**

420. **श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत जबलपुर-नैनपुर बालाघाट में आमान परिवर्तन का कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है;

(ख) उक्त कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत नैनपुर से मंडाला फोर्ट तक 42 किलोमीटर की दूरी को जोड़ने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो आमान परिवर्तन का कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या नैनपुर जंक्शन से मांडला फोर्ट के दादा धनीराम आश्रम महाराजपुर तक आमान परिवर्तन के लिए रेलवे द्वारा सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है अथवा किए जाने की संभावना है;

(च) क्या रेलवे का विचार निर्धारित समय के अंदर आमान परिवर्तन के कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त बजट देने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) बालाघाट–नैनपुर–जबलपुर खंड के साथ–साथ जहां कहीं भूमि उपलब्ध है, वहां मिट्टी संबंधी कार्य और पुल संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं। आमान परिवर्तन कार्य के लिए बालाघाट–कटंगी खंड पर यातायात ब्लॉक लागू किया गया है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य की प्रगति की जा रही है।

(ख) रेलवे को शेष भूमि का कब्जा देने में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार का सक्रिय रूप से अनुसरण किया जा रहा है। उसके अलावा, 2008–09 के दौरान बालाघाट–कटंगी का आमान परिवर्तन पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) जी हां, यदा–कदा मौजूदा नैनपुर–मांडला फोर्ट छोटी लाइन खंड का बड़ी लाइन में परिवर्तन करने के लिए कुछ निर्वाचित जन प्रतिनिधियों से मांगे प्राप्त हुई हैं।

(घ) और (ङ) छिंदवाड़ा–नैनपुर और नैनपुर–मांडला फोर्ट खंड के आमान परिवर्तन के लिए एक अद्यतन संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है। बाबा धनीराम आश्रम मांडला स्टेशन से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और सड़क द्वारा मौजूदा स्टेशन के साथ अच्छी तरह जुड़ा हुआ है।

(च) और (छ) विभिन्न नए/चालू कार्यों के लिए बजट आबंटन उनकी परिचालनिक प्राथमिकताओं और संसाधनों की समग्र उपलब्धता के अनुसार किया जाता है। 2007–08 के बजट में इस कार्य के लिए 60 करोड़ रुपए की परिव्यय की व्यवस्था की गई थी और 2008–09 के बजट में इस कार्य के लिए 60 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया गया है।

### भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) में निवेश

421. **श्री संतोष गंगवार** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत में मित्तल स्टील द्वारा भारी मात्रा में प्रस्तावित निवेश की चुनौती से निपटने के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) में भारी निवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास)** : (क) से (ग) भारतीय इस्पात उद्योग में अपनी पैठ बनाए रखने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने अपने 5 एकीकृत इस्पात संयंत्रों तथा विशेष इस्पात संयंत्रों को शामिल करते हुए एक विस्तार योजना तैयार की है। सेल का 54,000 करोड़ रुपए की मौजूदा इंडिकेटिव लागत से तप्त धातु के मौजूदा 14.6 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन (2006–07) को बढ़ाकर वर्ष 2010–11 तक 26.2 मिलियन टन वार्षिक करने का प्रस्ताव है। इस निवेश के लिए धन की व्यवस्था सेल द्वारा मुख्यतः अपने आंतरिक संसाधनों से और आवश्यकता पड़ने पर शेष धन की व्यवस्था बाजार से ऋणों के जरिए की जाएगी।

विकास योजना में क्षमता संवर्धन के अलावा सेल संयंत्रों की अप्रचलित प्रौद्योगिकी को समाप्त करने, ऊर्जा में बचत करने, उत्पाद मिश्र की गुणवत्ता बढ़ाने, प्रदूषण नियंत्रण, मुख्य आदानों की बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए खानों और कोयला खदानों का विकास करने, ग्राहक केंद्रित प्रक्रियाओं को शुरू करने और बढ़े हुए उत्पादन के अनुकूल संयंत्रों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना करने से संबंधित जरूरत पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया है।

*[अनुवाद]*

### रामायण और महाभारत के ऐतिहासिक स्थल

422. **श्री अनन्त नायक** : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामायण और महाभारत में उल्लिखित कई स्थल विदेशी तथा भारतीय तीर्थयात्री पर्यटकों के लिए आकर्षण के केन्द्र हैं;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान किन स्थानों/स्थलों का अधिकतम पर्यटकों ने दौरा किया है;

(ग) इन स्थलों पर सुविधाओं में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या रामायण में उल्लिखित ऐसे स्थलों पर सुविधाओं में सुधार के लिए मदद करने हेतु श्रीलंका सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क) और (ख) इन महाकाव्यों (एपिक्स) में उल्लिखित स्थानों की यात्रा करने के लिए आए पर्यटकों की संख्या के ब्यौरे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(ग) धार्मिक स्थलों सहित पर्यटक केन्द्रों पर सुविधाओं में सुधार मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। उन्हें पर्यटन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन प्रोडक्ट/इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ सर्किट्स संबंधी योजना के अधीन वित्तीय सहायता दी जा सकती है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों पर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार और संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन पर्यटक सुविधाएं मुहैया कराता है।

(घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**उत्तर-पूर्व रेलवे लाइनों का दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण**

**423. श्री मोहन सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की उत्तर–पूर्व रेलवे के कतिपय खंडों में रेल लाइनों के दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्य कब तक आरंभ किए जाने का तथा पूरा किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या उत्तर–पूर्व रेलवे में विद्युत संचालित लोकोमोटिव भी शुरू किया जाना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उत्तर–पूर्व रेलवे के अंतर्गत कुछ खंडों के रेलवे ट्रैकों के विद्युतीकरण की कोई योजना है;

(छ) यदि हां, तो क्या उत्तर–पूर्व रेलवे को रेलवे लाइनों के दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान किए गए हैं;

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(झ) क्या गोरखपुर–बाराबंकी खंड में चौकघाट में घाघरा नदी पर समानान्तर रेलवे पुल का निर्माण आवश्यक है; और

(ञ) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) से (ग) पूर्वोत्तर रेलवे में 13 दोहरीकरण और 1 विद्युतीकरण परियोजना शुरू हो चुकी है। विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है:

| क्रम सं. | परियोजना का नाम | किमी. |
|---|---|---|
| **दोहरीकरण** | | |
| 1. | घाघराघाट–चौकाघाट | 5.63 |
| 2. | सहजनवा–मुनदेरवा | 48.99 |
| 3. | मुनदेरवा–बभनान | 45.25 |
| 4. | बुढ़वल–बाराबंकी | 29.00 |
| 5. | भटनी–जीरादेई | 38.11 |
| 6. | बैतालपुर–भटनी | 28.07 |
| 7. | मऊ–इंदारा | 8.00 |
| 8. | गोरखपुर कैंट–बैतालपुर | 34.00 |
| 9. | बभनान–मानकपुर | 30.15 |
| 10. | एकमा–जीरादेई | 43.60 |
| 11. | डोमिनगंज–सहजनवा | 11.70 |
| 12. | एकमा–छपरा | 28.00 |
| 13. | गोंडा–मानकपुर | 28.17 |
| **विद्युतीकरण** | | |
| 1. | बाराबंकी–गोरखपुर–छपरा | 548 |

एकमा–छपरा और गोंडा–मानकपुर का दोहरीकरण पहले ही पूरा हो चुका है। अन्य कार्य शुरू हो चुके हैं और लगभग 3 वर्षों की अवधि में पूरा होने की संभावना है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

(घ) से (च) बाराबंकी–बरौनी विद्युतीकरण परियोजना के हिस्से के रूप में बाराबंकी–गोरखपुर–छपरा रेल लाइन का विद्युतीकरण कार्य शुरू हो चुका है। इस मार्ग का विद्युतीकरण पूरा होते ही बिजली रेल इंजन परिचालित हो जाएंगे।

(छ) उपर्युक्त उल्लिखित दोहरीकरण और विद्युतीकरण कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन मुहैया कराए जा रहे हैं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता

(झ) और (ञ) जी हां। 2006–07 के रेल बजट में घाघरा नदी के ऊपर समानांतर रेलवे पुल के निर्माण कार्य शामिल कर लिया गया है और यह कार्य को शुरू हो चुका है।

*[अनुवाद]*

**विमान उतरने तथा उड़ान भरने की धावन पट्टी**

**424. श्री किन्जरपु येरननायडु :**

**श्रीमती रूपाताई डी. पाटील :**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर उतरने तथा उड़ान भरने के लिए दो अलग–अलग धावनपट्टी बनाने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सुविधा देश के महानगरीय शहरों के अन्य विमानपत्तनों पर भी दी जायेंगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने यह निदेश जारी किए हैं कि वायुयानों को सीधी रेखा पर दौड़ाना चाहिए तथा उतरने के लिए धावनपट्टी पर आते समय रेडियो संकेतों से जुड़ा हुआ होना चाहिए; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) जी, हां।

(ख) 25 दिसम्बर, 2007 से प्रचालन का पृथकीकृत मोड़ आरम्भ हो गया है जिसके अंतर्गत एक रनवे विशेष रूप से आगमन के लिए तथा दूसरा रनवे विशेष रूप से प्रस्थान के लिए प्रयोग किया जाता है।

(ग) और (घ) मुम्बई हवाई अड्डे पर क्रॉस रनवे प्रचालन आरम्भ हो गया है। चेन्नई हवाई अड्डे पर भी क्रॉस रनवे प्रचालनों को आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव है। वर्तमान में अन्य हवाई अड्डों पर ऐसे प्रचालनों की आवश्यकता नहीं है।

(ङ) विमान अवतरण के लिए अवतरण प्रक्रियाओं उपकरण एप्रोच का अनुसरण कर रहे हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन मानकों के अनुसार अभिकल्पित किया गया है।

(च) विशिष्ट रनवे के लिए एयरलाइन द्वारा प्रयोग हेतु आई ए एल प्रक्रियाएं उपकरण अवतरण प्रणाली/अतिउच्च फ्रिक्वेंसी ओमनी रेंज दूरीमापक उपकरण/नॉन–डायरेक्शनल बीकन की सहायता से अभिकल्पित है।

**पेट्रोल और डीजल में मिलावट**

**425. श्री मदन लाल शर्मा :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में विशेषकर राजधानी में पेट्रोल पंप मालिक तेल कंपनियों के साथ सांठ–गांठ से पेट्रोल और डीजल में मिलावट कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य तथा ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अभी तक राज्य–वार मिलावटी पेट्रोल बेचने वाले कितने पेट्रोल पंपों की पहचान की गई है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान आज़ की तारीख तक राज्य–वार कितने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने तेल कंपनियों तथा पेट्रोल पंप मालिकों के बीच सांठ–गांठ को तोड़ने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) :** (क) और (ख) पेट्रोल/डीजल और बाजार में उपलब्ध विभिन्न अपमिश्रकों के मूल्य के बीच भारी अंतर और पेट्रोल/डीजल में इन उत्पादों के आसानी से घुल जाने के कारण कुछ बेईमान तत्वों द्वारा पेट्रोल/डीजल में मिलावट की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। सरकार को इस संबंध में पेट्रोल पंप मालिकों और तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज़) के उच्चाधिकारियों की किसी प्रकार की मिलीभगत की जानकारी नहीं है। ओएमसीज ने यह भी बताया है कि उनके पास मिलावट के मामलों में उनके अधिकारियों के शामिल होने का कोई सिद्ध मामला नहीं है।

तथापि, संबंधित तेल विपणन कंपनियों के आचरण, अनुशासन और अपील नियमों के साथ साथ विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एमडीजी), 2005 के अंतर्गत मिलावट सहित अनियमितताओं/कदाचारों में लिप्त पाए जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रावधान है।

(ग) और (घ) ओएमसीज द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोल और डीजल की मिलावट के संदिग्ध मामलों तथा समाप्त खुदरा बिक्री केन्द्रों के राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2004–05, 2005–06 तथा 2006–07 के दौरान पेट्रोल और डीजल के संदिग्ध मामलों तथा समाप्ति किए गए खुदरा बिक्री केन्द्रों के राज्य–वार ब्यौरे।

| | मिलावट के संदिग्ध मामलों की सं | | | समाप्त किए गए खुदरा बिक्री केन्द्रों की सं. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2004–05 | 2005–06 | 2006–07 | 2004–05 | 2005–06 | 2006–07 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| आंध्र प्रदेश | 6 | 15 | 12 | 1 | 3 | 10 |
| अरूणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| असम | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| बिहार | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| चंड़ीगढ़ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| छत्तीसगढ़ | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| दादर और नगर हवेली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दमन और दीव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दिल्ली | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| गोवा | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| गुजरात | 18 | 8 | 18 | 5 | 2 | 5 |
| हरियाणा | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 9 |
| हिमाचल प्रदेश | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| जम्मू और कश्मीर | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| झारखंड | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| कर्नाटक | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| केरल | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 |
| लक्ष्यद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मध्य प्रदेश | 8 | 10 | 15 | 1 | 2 | 3 |
| महाराष्ट्र | 14 | 10 | 12 | 0 | 3 | 4 |
| मणिपुर | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| मेघालय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मिजोरम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| नागालैंड | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| उड़ीसा | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| पांडिचेरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| पंजाब | 13 | 10 | 8 | 0 | 0 | 4 |
| राजस्थान | 12 | 14 | 13 | 1 | 2 | 7 |
| सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| तमिलनाडु | 11 | 6 | 11 | 2 | 0 | 6 |
| त्रिपुरा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| उत्तर प्रदेश | 21 | 26 | 19 | 2 | 8 | 13 |
| उत्तराखंड | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| पश्चिम बंगाल | 6 | 15 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| योग | 146 | 171 | 154 | 15 | 30 | 84 |

**ओ.एन.जी.सी. तथा आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल) द्वारा कच्चे तेल का उत्पादन**

426. **श्री रघुनाथ झा :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओ.एन.जी.सी.) तथा आयल इंडिया लिमिटेड (ओ.आई.एल.) द्वारा गत 10 वर्षों के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन कमोबेश स्थिर रहा है तथा ये कम्पनियां दसवीं योजना के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने में असफल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कंपनियों के खराब कार्य-निष्पादन के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कंपनियों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं तथा मांग एवं आपूर्ति में अंतराल को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) :** (क) जी, हां। आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) तथा आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल) के प्रमुख तेल क्षेत्र पुराने हैं और उन्होंने उत्पादन की अपनी चरम अवधि पार कर ली है और वे प्राकृतिक गैस रूप से हासमात चरण में प्रवेश कर गए हैं, जो किसी पेट्रोलियम अपस्ट्रीम उद्योग में एक सामान्य प्रक्रिया है।

(ख) और (ग) उत्पादन पर लगातार उनके बोर्डों तथा मंत्रालय द्वारा निगरानी रखी जाती है। किसी प्रकार के अंतर को दूर करने के लिए सुधारात्मक उपाए अपनाए जाते हैं।

(घ) देश में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण तथा उत्पादन कार्यों में तेजी लाने तथा मांग और आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। कई कदमों पर कार्रवाई की जा रही है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) एनईएलपी के विभिन्न दौरों के तहत अन्वेषण के लिए प्रस्तुति हेतु अधिक से अधिक क्षेत्रों को तैयार करना।

(2) उत्पादन शुरु करने में सक्षम बनाने हेतु खोजे गए भंडारों का तेजी से विकास।

(3) मौजूदा क्षेत्रों से उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्दीपन तकनीकों का प्रयोग।

(4) मौजूदा वर्धित तेल निकासी (ईओआर)/उन्नत तेल निकासी (आईओआर) तकनीकों का अनुप्रयोग।

(5) पुराने तेल क्षेत्रों के ह्रास को रोकना।

(6) इक्विटी तेल हेतु विदेश में उत्पादन गुणधर्मों तथा अन्वेषण रकबों का अधिग्रहण।

(7) ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत जैसे बायो डीजल, एथेनोल आदि के प्रयोग द्वारा तेल का प्रतिस्थापन।

**गुजरात में विद्युत परियोजनाओं को गैस की आपूर्ति**

427. **श्री भरतसिंह माधवसिंह सोलंकी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के लिए गैस आपूर्ति की कुल आवश्यकता कितनी है;

(ख) वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा कितनी मात्रा में गैस की आपूर्ति की जा रही है; और

(ग) गुजरात में विद्युत परियोजनाओं का आवश्यकता के अनुरूप गैस आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) 31.12.2007 की स्थिति के अनुसार गुजरात में 90 प्रतिशत संयंत्र भार घटक (पी एल एफ), और 9,000 के कैल/एस सी एम के सकल ऊष्मीय मूल्य पर, विभिन्न गैस आधारित विद्युत केन्द्रों के लिए गैस की कुल मांग 15.56 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एम एम एस सी एम) है।

(ख) 2007-08 की प्रथम तीन तिमाहियों के दौरान गुजरात में विद्युत परियोजनाओं को आपूर्ति की गई गैस की मात्रा लगभग 10.91 एम एम एस सी एम डी थी। इसमें से 4.13 एम एम एस सी एम डी गेल द्वारा आपूर्ति की गई थी।

(ग) भारत सरकार ने घरेलू बाजार के लिए, गैस आपूर्तियों में वृद्धि करने के लिए विभिन्न उपायों की शुरुआत की है। इनमें ये शामिल हैं:-

(क) घरेलू ई एंड पी कार्यकलापों में तेजी लाना;

(ख) कोल बेड मिथेन (सी बी एम) गैस का दोहन;

(ग) हाइड्रेट संसाधनों और उनके संभव वाणिज्यिक दोहन के मूल्यांकन के लिए प्राकृतिक गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (एन जी एच पी) का कार्यान्वयन;

(घ) एल एन जी आयात; और

(ङ) राष्ट्रपार गैस पाइपलाइनों के जरिए गैस का स्रोतीकरण।

**'घ' श्रेणी के पदों पर कर्मचारियों की भर्ती**

428. **श्री प्रहलाद जोशी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने देश भर के विभिन्न रेलवे जोनों में 'घ' श्रेणी के पदों पर भर्ती शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस भर्ती प्रक्रिया का जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी जोन में ऐसी भर्ती की प्रक्रिया रोक दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू किए जाने के पश्चात् इसे स्थगित किए जाने के क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) जी, हां। कुछ क्षेत्रीय रेलों में समूह 'घ' कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है;

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी;

(ग) और (घ) जी, हां। दक्षिण पश्चिम रेलवे के मामले में, केवल स्थानीय युवकों के लिए भर्ती को सीमित करने हेतु स्थानीय समूहों की मांग के कारण भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई है। जहां तक उत्तर रेलवे का संबंध है, प्रश्न पत्र के लीकेज हो जाने के कारण भर्ती कार्य को रद्द कर दिया गया है।

**मुस्लिम समुदाय का कल्याण**

429. **श्री सर्वे सत्यनारायण** : क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यकों विशेषकर मुस्लिमों के साथ भेदभाव का समाधान करने के लिए कोई ठोस कार्यक्रम तैयार करने का कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में मुस्लिमों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले)** : (क) और (ख) सच्चर समिति ने अनुशंसा की है कि वंचित वर्ग की शिकायतों के निवारण के लिए समान अवसर आयोग गठित किया जाए। अनुशंसा को सिद्धांततः स्वीकार कर ऐसे आयोग की संरचना और कार्यप्रणाली की जांच के लिए अगस्त, 2007 में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई।

(ग) मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति की जांच करने वाली सच्चर समिति की अनुशंसाओं के संबंध में लिए गए निर्णयों से संबंधित एक विवरण सभा पटल पर 31.8.07 को रखा जा चुका है। अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ जून, 2006 में घोषित प्रधानमंत्री का नया 15-सूत्रीय कार्यक्रम मुस्लिम समुदाय की परस्पर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की अधिकांश समस्याओं के निराकरण के लिए है।

**मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों को सशक्त बनाना**

430. **श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में मंदबुद्धि वाले व्यक्तियों के राज्य-वार आंकड़े एवं प्रतिशत क्या है; और

(ख) उन्हें सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन)** : (क) जनगणना 2001 के अनुसार, भारत में 2.19 करोड़ निःशक्तजन हैं जोकि कुल जनसंख्या का 2.13 प्रतिशत हैं। मंदबुद्धि व्यक्ति 22.64 लाख हैं और ये देश की कुल जनसंख्या का करीब 0.23 प्रतिशत हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना (डी डी आर एस) और विकलांग व्यक्तियों को सहायक साधनों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग की सहायता की योजना (एडिप) द्वारा निःशक्तजनों के शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित किया जाता है। सात राष्ट्रीय संस्थान भी अपने आउटरीच कार्यक्रमों के द्वारा विकलांग व्यक्तियों को सशक्त करने हेतु कार्यक्रमों को करते हैं। सरकार व्यावसायिक प्रशिक्षण और राष्ट्रीय विकलांगजन वित्त एवं विकास निगम (एन.एच.एफ. डी.सी.) के द्वारा रियायत दर पर ऋण मुहैया कराके निःशक्त व्यक्तियों के स्व-रोजगार को बढ़ावा दे रही है।

***विवरण***

***जनगणना 2001 के अनुसार मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के राज्यवार आंकड़े***

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | मानसिक अशक्त व्यक्ति |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | जम्मू-कश्मीर | 24,879 |
| 2 | हिमाचल प्रदेश | 17,315 |
| 3 | पंजाब | 63,808 |
| 4 | चंडीगढ़ | 1,799 |
| 5 | उत्तरांचल | 19,888 |
| 6 | हरियाणा | 49,595 |
| 7 | दिल्ली | 26,043 |
| 8 | राजस्थान | 109,058 |
| 9 | उत्तर प्रदेश | 286,464 |
| 10 | बिहार | 165,319 |
| 11 | सिक्किम | 799 |
| 12 | अरुणाचल प्रदेश | 1,261 |
| 13 | नागालैंड | 2,630 |
| 14 | मणिपुर | 4,723 |
| 15 | मिजोरम | 2,851 |
| 16 | त्रिपुरा | 6,661 |
| 17 | मेघालय | 3,196 |
| 18 | असम | 47,475 |
| 19 | पश्चिम बंगाल | 270,842 |
| 20 | झारखंड | 55,922 |
| 21 | उड़ीसा | 103,592 |
| 22 | छत्तीसगढ़ | 43,614 |
| 23 | गुजरात | 103,221 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 24 | दमन और दीव | 274 |
| 25 | दादरा और नगर हवेली | 275 |
| 26 | महाराष्ट्र | 213,274 |
| 27 | मध्य प्रदेश | 115,257 |
| 28 | आंध्र प्रदेश | 155,199 |
| 29 | कर्नाटक | 92,631 |
| 30 | गोवा | 3,578 |
| 31 | लक्षद्वीप | 216 |
| 32 | केरल | 141,686 |
| 33 | तमिलनाडु | 127,521 |
| 34 | पांडिचेरी | 2,286 |
| 35 | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 669 |
| | कुल | 22,63,821 |

**सरकारी क्षेत्र के एककों में रिक्त पद**

**431. श्री अमिताभ नन्दी :** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के एककों में एकक-वार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक तथा निदेशक के कितने पद रिक्त हैं;

(ख) इन रिक्त पदों को कब से नहीं भरा गया है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के एककों के रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) :** (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस समय कैंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में मुख्य कार्यपालकों के 12 पद तथा कार्यकारी निदेशकों के 28 पद 3 महीनों से अधिक समय से रिक्त हैं। उपरोक्त रिक्तियों के लिए कारणों में ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए सतर्कता निकासी/सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब, नियुक्त व्यक्ति द्वारा कार्यभार ग्रहण करनें में विलंब, आकस्मिक रिक्तियां एवं न्यायालय संबंधी मामले इत्यादि शामिल हैं।

(ग) केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में मुख्य कार्यपालकों एवं कार्यकारी निदेशकों के रिक्त पदों पर भर्ती करना एक सतत प्रक्रिया है। सरकार ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में ऐसे पदों पर भर्ती के लिए निर्धारित समय सीमा को दर्शाया गया है। इन दिशा-निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि लोक उद्यम चयन बोर्ड रिक्तियां उत्पन्न होने की तारीख से लगभग 6 महीने पहले अपनी सिफारिशें करें तथा उन्हें अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के लिए संबंधित मंत्रालय/विभाग को भेज दे।

**किलोमीटर में रेलमार्ग**

**432. श्री अबु अयीश मंडल :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में भारत में मीटर गेज रेल लाइन की कुल लंबाई कितने किलोमीटर की है;

(ख) क्या इनमें से कुछ लाइनें लंबे समय से क्षतिग्रस्त हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में इन लाइनों का पुनर्निर्माण करने तथा बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) 31.03.2007 को भारतीय रेल पर मीटर आमान रेल लाइनों की कुल लंबाई (मार्ग कि. मी.) 10,621 कि.मी. है।

(ख) से (घ) पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल का जूनागढ़-विस्वादर (मीटर आमान) खंड जून, 2007 में टूट गया था। मरम्मत कार्य प्रगति पर है और 31 मार्च, 2008 तक पूरा होने की संभावना है।

**"डिसेबिलिटीज" योजना के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान**

**433. श्री गुंडलूर निजामुद्दीन :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या हैं जो गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में "डिसेबिलिटीज" योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे थे; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश के गैर-सरकारी संगठनों को सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गई तथा इससे क्या उपलब्धियां हासिल की गई?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन)** : (क) और (ख) भारत सरकार के पास कोई "निःशक्त" योजना नहीं है। तथापि, दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना एवं सहायक यंत्र/उपकरण की खरीद/फिटिंग हेतु विकलांग व्यक्तियों की सहायता योजना के अंतर्गत वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान आंध्र प्रदेश में क्रमशः 170, 168 और 158 गैर-सरकारी संगठनों को क्रमशः 221551289 रुपए, 189435559 रुपए और 29779946 रुपए की राशि जारी की गई।

**नियंत्रण मुक्त औषधियों के दिशा-निर्देश एवं कीमतों में संशोधन**

434. **श्री बची सिंह रावत 'बचदा'** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भेषज मूल्य प्राधिकार का विचार नियंत्रण मुक्त औषधियों की कीमतों का निर्धारण, नियंत्रण एवं संशोधन करने के संबंध में दिशा-निर्देशों में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भेषज कंपनियों को वार्षिक रूप से मूल्य में कितनी वृद्धि करने देने का प्रस्ताव है तथा कीमतों में ऐसी वृद्धि का आधार क्या है?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक)** : (क) और (ख) रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप, एनपीपीए गैर-अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के मूल्यों की निगरानी/निर्धारण करता है। सरकार/एनपीपीए ने गैर-अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों के संबंध में 1.4. 2007 से मूल्य वृद्धि की सीमा को पूर्व स्तर 20 प्रतिशत से संशोधित कर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया है।

**गेल तथा एच पी सी एल द्वारा गुजरात में संयुक्त गैस खोज परियोजना**

435. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) का विचार गुजरात तथा देश के अन्य राज्यों में संयुक्त गैस खोज परियोजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ तेल तथा गैस वाले किन-किन खण्डों को चिन्हित किया गया है;

(ग) इन खंडों में उपलब्ध गैस का अनुमानित भंडार कितना है; और

(घ) अब तक इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) से (घ) गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच पी सी एल) ने अन्वेषण और उत्पादन परियोजनाओं में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए हैं और सक्रिय रूप से इसका अनुसरण किया जा रहा है। यह समझौता ज्ञापन व्यापक है और गुजरात या किसी अन्य राज्य तक सीमित नहीं है।

गेल और एच पी सी एल नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन ई एल पी-6) के छठे दौर के तहत प्रदान किए गए 14 अन्वेषण ब्लाकों में भागीदार हैं। इन 14 ब्लाकों में से 11 ब्लाक गहरे समुद्री अपतट, 1 भूस्थित (राजस्थान), तथा 2 उथले जल, अपतट (मुंबई) में हैं।

वे ब्लाक अभी अन्वेषण स्तर पर हैं जिनमें इन दो कंपनियों के भागीदारी हित हैं तथा खोज के अध्यधीन अन्वेषण और मूल्यांकन के बाद ही तेल और गैस भंडारों की मात्रा का पता लगाया जाएगा।

*[हिन्दी]*

**विमानपत्तनों पर सुरक्षा**

436. **श्री कीरेन रिजीजू :**

**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार को विमानपत्तनों पर आतंकवादी हमले तथा वायुयान अपहरण की निरन्तर धमकियां मिल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन धमकियों के मद्देनजर पृथक सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना के कब तक लागू हो जाने की संभावना है?

**नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल)** : (क) सिविल भारतीय हवाई अड्डों से अपहरण की संभावित कार्रवाई तथा आतंकवादी हमलों की सूचनाएं समय-समय पर सरकारी एजेंसियों तथा अपुष्ट स्रोतों, दोनों से मिलती रहती हैं, तथापि प्रत्येक सूचना का आकलन, श्रेणीकृत किया जाता है तथा आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

(ख) से (घ) जी नहीं। सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के अनुपालन में विमानन सुरक्षा पर कार्यविधि तथा

उपाय द्वारा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, विमानन सुरक्षा पर विनियमन के लिए पर्याप्त और प्रभावी कदम उठाता है।

धमकी की घटनाओं से निपटने के लिए हवाई अड्डों पर पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाई गई हैं:-

(i) नागर विमानन प्रचालनों में गैर कानूनी हस्तक्षेप पर कार्रवाई करने के लिए आपातकालीन योजना देश में सभी हवाई अड्डों पर परिचालित की गई है जिससे वे किसी भी समय किसी गैर कानूनी हस्तक्षेप के विरुद्ध तैयार कर सकें;

(ii) किसी आपातकालीन स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने के लिए आतंकवादी योजना भी तैयार की गई है;

(iii) सभी एजेंसियों द्वारा विमानन सुरक्षा मानकों तथा कार्यविधियों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से विमानन सुरक्षा ऑडिट, निरीक्षण, परीक्षणों इत्यादि के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा प्रत्येक वर्ष एक राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा गुणवत्ता नियंत्रण योजना भी बनाई गई है।

*[अनुवाद]*

**बंगलौर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें**

**437. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर से विश्व के प्रमुख शहरों के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और

(ख) ऐसे प्रयासों तथा प्रस्तावों की स्थिति क्या है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) और (ख) जनवरी, 2007 से जनवरी 2008 के बीच आयोजित द्विपक्षीय वायु सेवा परामर्शों के दौरान कुवैत, यूएई (शारजाह), साउदी अरब एवं ओमान की नामित एयरलाइनों को प्वाइंट ऑफ कॉल के रूप में बंगलोर को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, भारत में सार्क देशों के लिए प्वाइंट ऑफ कॉल के रूप में बंगलौर को भी मंजूरी दी है। विशेष हवाई अड्डों से/तक वास्तविक प्रचालन एयरलाइनों के वाणिज्यिक निर्णय पर निर्भर रहेगा। इस समय, एयर इंडिया तथा विदेशी वाहक बैंगलोर से/तक क्रमशः 22 तथा 71 सेवाएं/सप्ताह प्रचालित कर रहे हैं।

**कर्नाटक में खोज कार्य के लिए विदेशी कंपनी के साथ समझौता**

**438. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों तथा प्राकृतिक गैस भण्डार होने की संभावना व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त संभावना को मूर्त रूप देने के लिए राज्य सरकार ने राज्य के चिन्हित स्थानों में पेट्रोलियम उत्पादों तथा प्राकृतिक गैस की खोज के लिए विदेशी कंपनी के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं।

*[हिन्दी]*

**पर्यटक स्थलों पर विमानपत्तनों का निर्माण**

**439. श्रीमती रुपाताई डी. पाटील : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों विशेषकर आगरा में विमानपत्तन का निर्माण/विकास करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आधुनिकीकरण परियोजना के अन्तर्गत 35 गैर मैट्रो हवाई अड्डों के पर्यटक स्थलों यथा आगरा, अगाती, औरंगाबाद, गोवा, जम्मू, खजूराहो, मदुरै, त्रिवेन्द्रम, उदयपुर तथा वाराणसी के हवाई अड्डों को विकास/आधुनिकीकरण के लिए चुना गया है। इसके अतिरिक्त कुल्लू, मैसूर तथा श्रीनगर हवाई अड्डों के विकास की योजनाएं भी हैं।

आगरा में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में पहले ही प्रमुख विकास तथा स्तरोन्नयन निर्माण कार्यों को पूरा कर लिया है जैसे सीमित अंतर्राष्ट्रीय चार्टेड उड़ानों के लिए सीमा शुल्क तथा अप्रवासन व्यवस्थाओं सहित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ एक समय में 500 यात्रियों की व्यवस्था के लिए वातानुकूलित प्रणाली वाले टर्मिनल भवन का विस्तार तथा आधुनिकीकरण; एप्रन का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण, अन्य संबंधित अवसंरचना सहित नए लिंक टैक्सी वे का निर्माण।

*[अनुवाद]*

**एयर इंडिया में कर्मचारियों की कमी**

440. **श्रीमती पी. सतीदेवी :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया कंपनी में कर्मचारियों की कोई कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एयर इंडिया कंपनी में रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) एयर इंडिया कंपनी की सेवा मे कुल कितने कर्मचारी संविदा पर हैं?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) से (ग) इस समय पायलट, इंजीनियर जैसी कुछेक तकनीकी श्रेणियों को छोड़कर कम्पनी में कर्मचारियों की कमी नहीं है। इन श्रेणियों में आवश्यकतानुसार समय-समय पर भर्ती प्रक्रिया की जा रही है।

(घ) नेशनल एविएशन कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा उसकी अनुसंगी में इस समय 2402 कर्मचारी ठेका प्रथा के आधार पर कार्यरत हैं।

**ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों सम्बन्धी समिति की सिफारिशें**

441. **श्री असादूद्दीन ओवेसी :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों के लिए नीति को अन्तिम रूप देने हेतु वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने महानगरों सहित देश भर में निजी विमानपत्तनों को अनुमति देने के संबंध में सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस समिति द्वारा क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ङ) ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों के बारे में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की सम्भावना है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) से (ग) अवसंरचना समिति ने दिनांक 01.11.2007 को आयोजित बैठक में मौजूदा हवाई अड्डे के 150 किलोमीटर की परिधि में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को स्वीकृति देने तथा बहुल इकाईयों वाली स्वीकृति प्रक्रिया को सुचारू करने से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की नीति को वित्त मंत्री, उपसचिव योजना आयोग तथा नागर विमानन मंत्री की एक उप समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है।

(घ) और (ङ) उप समिति ने मौजूदा हवाई अड्डों के 50 किलोमीटर के भीतर तथा इससे बाहर आने वाले हवाई अड्डों के लिए एक विस्तृत स्वीकृति तंत्र की सिफारिश की है। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के लिए यह नीति प्रक्रियाधीन है।

**रेलवे सुरक्षा अधिभार के जरिए संग्रहित धनराशि**

442. **श्री जोवाकिम बखला :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे सुरक्षा अधिभार के जरिए संग्रहित तथा उपयोग की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे का विचार ऐसे अधिभार को यात्री किरायों में शामिल करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसे यात्री किराये में शामिल करने से क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) विशेष रेल संरक्षा निधि का विनियोजन निम्नलिखत स्रोतों से किया गया है:-

1. रेल यात्रियों से संरक्षा अधिप्रभार की वसूली द्वारा
2. रेलवे राजस्व से आबंटन
3. सामान्य राजस्व से प्राप्त धनराशि

वि.रे.सं.नि. में विनियोजन और विरेसंनि के लिए खर्च आबंटन का विस्तृत ब्यौरा वर्षवार निम्नानुसार है:-

| वर्ष | यात्रियों से लिया गया सरचार्ज | रेलवे रेवेन्यू से आबंटन | सामान्य रेवेन्यू से प्राप्त राशि | खर्च |
|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | 679.16 | 100.00 | 2975.00 | 3677.78 |
| 2005-06 | 748.60 | 0.00 | 2499.00 | 2783.14 |
| 2006-07 | 817.66 | 0.00 | 1365.00 | 1955.60 |

(ख) जी, हां। रेलवे संरक्षा अधिप्रभार को अब 01.04.2007 से विकास प्रभार के रूप में यात्री किरायों में शामिल कर लिया गया है।

(ग) इसमें किसी भी श्रेणी के यात्री किरायों के प्रभारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

**एयरलाइनों द्वारा भ्रामक विज्ञापन**

**443. श्री नवीन जिन्दल :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कुछ एयरलाइनों के उन भ्रामक विज्ञापनों की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें वे 50 रुपए से 500 रुपए तक के न्यूनतम किराये की बात करते हैं लेकिन दूसरे प्रभारों के रूप में वे 2000 रुपये तक वसूल करती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उनके द्वारा ईंधन अधिभार एवं व्यस्ततम अवधि प्रभार को करों के रूप में प्रभारित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो टिकट प्रणाली में सम्पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) से (घ) कुछ एयरलाइनें किरायों को बेसिक किराए तथा करों के रूप में दर्शा रही हैं। वे इनमें प्रमुख करों/प्रभारों के अंतर्गत यात्री सेवा शुल्क, कंजेस्सन चार्ज तथा ईंधन प्रभार शामिल थे। सरकार ने इस विसंगति को नोटिस किया और डीजीसीए के माध्यम से एयरलाइनों को सही स्थिति दर्शाने के लिए कहा। अब एयरलाइनों ने अपनी वैबसाइट/टिकटों पर सही प्रकार टिकट के विभिन्न हिस्सों को इंगित करना प्रारम्भ कर दिया है।

*[हिन्दी]*

**सांस्कृतिक सम्बन्ध**

**444. श्री रघुवीर सिंह कौशल :** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में कितने देशों के साथ भारत सरकार के सांस्कृतिक सम्बन्ध हैं तथा चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त कार्यक्रमों की विशेषताएं क्या हैं तथा उन पर खर्च हुई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशों में भी भारतीय संस्कृति केन्द्र खोले गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन केन्द्रों की गतिविधियों का ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) :** (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

*[अनुवाद]*

**हवाई दुर्घटनाओं से बाल-बाल बचना**

**445. श्री एस.के. खारवेन्थन :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत कुछ महीनों के दौरान दिल्ली के हवाई क्षेत्र में दुर्घटना होने से बाल-बाल बचने की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने निकट भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) दिल्ली उड़ान सूचना क्षेत्र के ऊपर पिछले 6 महीनों में हवाई-समीपता की 6 घटनाएं हुई हैं।

(ख) इनमें से अधिकतर घटनाएं दोनों रनवे से एक साथ विमान प्रस्थान के दौरान हुई हैं। समन्वय की विफलता इन घटनाओं का मुख्य कारण था।

(ग) और (घ) विमान यातायात एवं सुरक्षा आवश्यकताओं के आधार पर मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का नियमित रूप से सृजन तथा संशोधन किया जाता है। सुरक्षास्तर में संवर्द्धन तथा इनकी आवृत्ति को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:- (i) सभी यातायात सेवाओं का आधुनिकीकरण (ii) दुर्घटनाओं/घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली आरंभ की गई है (iii) हवाई क्षेत्र में यातायात व्यस्तता को कम करने के लिए हवाई क्षेत्र के लचीले प्रयोग को लागू करना (iv) एक साथ रनवे प्रचालनों के लिए एसओपी में परिवर्तन/समन्वय प्रक्रिया। नई प्रक्रिया के अनुसार एक रनवे विशिष्ट रूप से आगमन तथा दूसरा विशिष्ट रूप से प्रस्थान के लिए प्रयोग होता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**एच आई वी/एड्स पीड़ितों को रियायतें**

**446. श्री मिलिन्द देवरा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल एच आई वी/एड्स रोगियों को अपने नेटवर्क में यात्रा करने पर किराये में 75 प्रतिशत तक रियायत देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी रियायतों का रेलवे राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) अन्य किन–किन श्रेणियों के रोगियों को रियायतें दी जा रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस सुविधा का एक वर्ष में औसतन कितने रोगी लाभ उठाते हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) से (ङ) यह मामला विचाराधीन है।

**वरिष्ठ नागरिकों को रियायत**

**447. श्री दलपत सिंह परस्ते :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वरिष्ठ नागरिकों द्वारा वायुयान से यात्रा करने पर कोई रियायत देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी सुविधा का कितने वरिष्ठ नागरिकों ने लाभ उठाया है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल)** : (क) जी, हां।

(ख) सरकारी स्वामित्व वाली एयरलाइनों, पूर्व एयरवर्ती एयर इंडिया एयरलाइनें वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य किरायों पर क्रमशः 55 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत छूट की पेशकश करती है। वरिष्ठ नागरिक छूट भारत के निवासी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। वरिष्ठ नागरिक छूट पुरुषों के मामले में 65 वर्ष तथा महिलाओं के मामले में 63 वर्ष की आयु से उपलब्ध हैं। यह छूट सर्किल ट्रिप तथा वन वे ट्रिप दोनों के लिए उपलब्ध हैं, जिसमें पुनः मार्गीकरण की अनुमति है और न्यूनतम ठहराव पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(ग) पूर्ववर्ती इंडियन एयरलाइंस में जिन वरिष्ठ नागरिकों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान इस सुविधा का लाभ उठाया उनकी संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

2005 – 75570, 2006 – 26162, 2007 – 7745

पूर्ववर्ती एयर इंडिया इन ब्यौरों का रिकार्ड नहीं रखती।

**योग्यता सहसाधन छात्रवृत्ति योजना**

**448. श्री जे.एम. आरून रशीद :**

**डा. राजेश मिश्रा :**

क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अल्पसंख्यक छात्रों को कितनी योग्यता सहसाधन छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं तथा इसके लिए कुल कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ख) वर्ष–वार, समुदाय–वार तथा राज्य–वार आंकड़े क्या हैं;

(ग) धनराशि कब जारी की गई;

(घ) क्या इन छात्रवृत्तियों का पर्याप्त प्रचार किया गया ताकि छात्र इसका लाभ उठा सकें; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले)** : (क) और (ख) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ मैरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना की शुरूआत वर्ष 2007–08 में हुई है। अब तक के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तथा समुदायवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) योजना के ब्यौरे वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा योजना को व्यापक रूप से प्रचारित एवं प्रसारित किया गया है। योजना के तहत सूचीबद्ध पचास उच्च संस्थाओं को योजना की जानकारी अलग से दी गई है। छात्रवृत्ति के तहत पाठ्यक्रम शुल्क और अनुरक्षण भत्ता दिया जाता है, जिसे एक साथ ही सूचीबद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जारी किया जाता है ताकि संबंधित संस्थाओं और विद्यार्थियों को संवितरित किया जा सके।

***विवरण***

*अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए मैरिट–सह–साधन आधारित योजना के तहत छात्रवृत्तियों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और समुदायवार संवितरण की स्थिति*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | स्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या | | | | | | कुल निर्गमित राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मुस्लिम | ईसाई | सिक्ख | बौद्ध | पारसी | कुल | (करोड़ रु. में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | कर्नाटक | 678 | 105 | 2 | शून्य | शून्य | 785 | 2.22 |
| 2 | उड़ीसा | 70 | 9 | शून्य | 2 | शून्य | 81 | 0.22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | केरल | 778 | 627 | शून्य | शून्य | शून्य | 1405 | 3.11 |
| 4 | तमिलनाडु | 361 | 392 | शून्य | शून्य | शून्य | 753 | 2.02 |
| 5 | बिहार | 1444 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 1444 | 3.36 |
| 6 | मध्य प्रदेश | 360 | 17 | 15 | 1 | शून्य | 393 | 1.04 |
| 7 | गोवा | 8 | 21 | शून्य | शून्य | शून्य | 29 | 0.07 |
| 8 | चंडीगढ़ | 4 | शून्य | 1 | शून्य | शून्य | 5 | 0.01 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 7 | शून्य | 3 | 1 | शून्य | 11 | 0.25 |
| 10 | असम | 492 | 9 | 2 | 1 | शून्य | 504 | 1.33 |
| 11 | दिल्ली | 142 | 9 | 27 | शून्य | शून्य | 178 | 0.46 |
| | योग | 4344 | 1189 | 50 | 5 | शून्य | 5588 | 14.09 |

**उड़ानों के विलम्ब/रद्द होने पर दण्ड**

**449. श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक नई नीति बनाने पर विचार कर रही है जिसमें यह व्यवस्था हो कि जब उड़ान रद्द या विलम्ब हो जाए तो यात्रियों को होने वाली परेशानी के लिए एयरलाइनों पर दण्ड लगाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि कुछ एयरलाइनें अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात संघ के मानदंडों का पालन नहीं कर रही थीं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) और (ख) एयरलाइनों को दण्डित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है चूंकि सरकार एयरलाइनों के वाणिज्यिक पक्षों को विनियमित करने के लिए प्रवृत्त नहीं है। तथापि, एयरलाइनों को परामर्श दिया गया है कि वे प्रत्येक एयरलाइन द्वारा ऑफर की गई सुविधाओं का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करें ताकि यात्री इनसे अवगत हों।

(ग) से (ङ) अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन एसोशिएसन (आईएटीए) एयरलाइनों की एसोशिएसन है और आई ए टी ए के मानदण्ड सदस्य एयरलाइनों पर लागू होते हैं।

**करूर-त्रिची-चेन्नई के बीच विशेष रेलगाड़ी**

**450. श्री के.सी. पल्लानी शामी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को करूर–त्रिची–चेन्नई के बीच अत्यधिक रेल यातायात की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को करूर–त्रिची–चेन्नई खंडों के बीच नई/विशेष रेलगाड़ी चलाने के लिए लंबे समय से चली आ रही मांग की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) और (ख) करूर–त्रिची–चेन्नई क्षेत्रों के बीच बढ़ते हुए यात्री यातायात का विवरण निम्नानुसार है:

| वर्ष | आरक्षित यात्रियों की संख्या |
|---|---|
| 2005 | 784173 |
| 2006 | 1533145 |
| 2007 | 1644505 |

(ग) और (घ) दोनों दिशाओं में करूर से यात्रियों के लिए 6607/6608, चेन्नई एग्मोर-मंगलोर एक्सप्रेस में चार सवारी डिब्बों को चिन्हित किया गया है। इसके अतिरिक्त, बरास्ता करूर 2689/2690 चेन्नई-नागरकोइल एक्सप्रेस भी करूर-चेन्नई यात्रियों को सेवित करती है। इसके अतिरिक्त, परिचालनिक व्यवहार्यता, संसाधनों की उपलब्धता और यातायात औचित्य को ध्यान में रखते हुए विशेष गाड़ियां भी चलाई जाती हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**पायलटों को प्रशिक्षण**

**451. श्री प्रबोध पाण्डा :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक पायलट को प्रशिक्षित करने में लगने वाले कुल समय में कमी आने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा कारण क्या हैं;

(ग) क्या प्रशिक्षण अवधि कम होने से कम गुणवत्ता वाले पायलट बनेंगे; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) से (घ) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) की अपेक्षाओं में वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सीपीएल) जारी करने के लिए केवल अपेक्षित न्यूनतम उड़ान घंटों का प्रावधान होता है। जिस भी समय सीमा के भीतर ये उड़ान घंटे अर्जित किए जा सकते हैं, वह संबंधित उड़ान प्रशिक्षण संस्थानों पर निर्भर करता है। विदेशी उड़ान प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा किसी व्यक्ति को वाणिज्यिक पायलट के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए, किए गए अपेक्षाकृत कम समय के दृष्टिगत, भारतीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान अपने कुल प्रशिक्षण समय को घटाने का प्रयास कर रहे हैं। तथापि, डीजीसीए द्वारा ऐसे कोई निदेश जारी नहीं किए गए हैं। उड़ान क्लबों से अपेक्षित होता है कि वे डीजीसीए की अपेक्षाओं के अनुसार ऐसे प्रशिक्षण से निकलने वाले पायलट के प्रशिक्षण के मापदण्डों तथा पायलटों की गुणवत्ता को बनाए रखें।

**केरल में रेल परियोजनाएं**

**452. श्री एस. अजय कुमार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल सरकार द्वारा भेजी गई रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे इन परियोजनाओं को लागू करने पर सहमत हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) से (ग) नई रेल परियोजनाओं के लिए प्राप्त होने वाली प्रत्येक मांग का ब्यौरा नहीं रखा जाता है। बहरहाल, पिछले तीन वर्ष के दौरान नई रेल परियोजनाओं के लिए केरल सरकार से प्राप्त हुए कुछ प्रस्तावों का ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है:

| क्रम सं. | प्रस्ताव | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | वल्लारपदम के लिए रेल संपर्क | वल्लारपदम के लिए रेल संपर्क का कार्य कोचीन पत्तन न्यास के निक्षेप कार्य के रूप में शुरू किया गया है। |
| 2. | कोलेनगोडे-थिसूर (त्रिचूर) नई लाइन | सर्वेक्षण पूरा हो गया है। चालू परियोजनाओं के भारी अग्रेषण और संसाधनों की विकट तंगी को देखते हुए इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका। |
| 3. | नीलाम्बर-नंजनगड़ टाउन नई लाइन | सर्वेक्षण पूरा हो गया है और सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है। |
| 4. | पाठनमथिट्टा-पूणालूर-तिरुवनंतपुरम को जोड़ने के लिए साबरी रेल लाइन का विस्तार | सुझाए गए संरेखण क्षेत्र पर ईरुमेली-पूणालूर-तिरुवनंतपुरम नई लाइन के लिए अद्यतन सर्वेक्षण पहले ही पूरा हो गया है और इस सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है। |
| 5. | नेदुमनगढ़-तेनमलै नई लाइन | सर्वेक्षण रिर्पोट की जांच की जा रही है। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 6. | थालोसेरी–मैसूर नई लाइन | सर्वेक्षण शुरू किया गया है। |
| 7. | एर्णाकुलम–कायनकुलम बारस्ता कोट्टायम और एलेप्पी दोहरीकरण | 2007–08 के दौरान कुरुप्पनतारा–चिंगावणम और हरीपद–अंबालाफूजा दोहरीकरण स्वीकृत किए जाने के साथ समूचे कोट्टायम मार्ग और एलेप्पी मार्ग पर अंबालाफूजा तक दोहरीकरण शुरू किया गया है। |
| 8. | चेंगनूर–मुलनतुरूत्ती दोहरीकरण | कार्य शुरू किया गया है। |
| 9. | शोरण्णूर–मंगलौर का विद्युतीकरण | 2008–09 में सर्वेक्षण और तकनीकी व्यवहार्यता जांच शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। |
| 10. | तिरुवनंतपुरम–कन्याकुमारी का विद्युतीकरण | कार्य शुरू किया गया है। |
| 11. | थिरुसर (त्रिचूर)–गरूवायूर का विद्युतीकरण | कार्य शुरू किया गया है। |

**लापता पार्सलों और वस्तुओं के बारे में शिकायतें**

**453. श्री सुग्रीव सिंह :**

**श्री नन्द कुमार साय :**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी मालगाड़ियों द्वारा ले जाए जा रहे पार्सलों और वस्तुओं के लापता होने की शिकायतें दर्ज करने की प्रक्रिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार इन परिस्थितियों में वस्तुओं/पार्सलों की हानि से निपटने के लिए एक समान प्रक्रिया बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रकार के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए प्रक्रिया को अंतिम रूप देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) दुर्घटनाग्रस्त माल गाड़ियों सहित माल गाड़ियों में रेलवे द्वारा ढोए जा रहे माल और पार्सलों की सुपुर्दगी न होने/गुम हो जाने, हानि और क्षतिग्रस्त आदि होने के संबंध में प्राप्त शिकायतों को दर्ज करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए रेलवे में एक समान प्रक्रिया है।

(ख) बुकिंग की तिथि से 6 महीने के अंदर परेषक/परेषिती द्वारा उस रेल प्रशासन को, जिसको पार्सल/माल ले जाने के लिए सौंपा गया है अथवा उस रेल प्रशासन को जिसमें गंतव्य स्टेशन है अथवा उस रेलवे को जहां पर ऐसी घटना हुई है को इस संबंध में एक सूचना दी जानी आवश्यक है।

(ग) माल/पार्सल के लापता होने के मामले में माल/पार्सल के गुम होने पर की जाने वाली कार्रवाई हेतु एक समान प्रक्रिया पहले ही बनाई जा चुकी है।

(घ) प्रक्रिया निम्नानुसार है:–

(i) परेषिती, पृष्ठांकित परेषिती अथवा परेषक सामान प्राप्त न होने, क्षतिग्रस्त हो जाने अथवा कम प्राप्त होने की शिकायत बुक कटने की तिथि के 6 महीनों के अंदर बुकिंग रेलवे, गंतव्य रेलवे अथवा उस रेलवे में जहां पर हानि, क्षति अथवा कम प्राप्ति हुई है, पर दर्ज करा सकते हैं। पार्सल और माल के प्राप्त न होने की शिकायत क्षेत्रीय रेलों के 'अप्राप्त कक्ष' में भी दर्ज करायी जा सकती है।

(ii) जैसे ही प्रेषण की सुपुर्दगी न होने, कम मात्रा सुपुर्दगी और गुम होने की शिकायत क्षेत्रीय रेलों के दावा कार्यालयों में प्राप्त की जाती है इसे तुरंत दर्ज कर लिया जाता है और इस विषय पर एक अलग फाइल खोल दी जाती है।

(iii) एक पावती पत्र, जिसमें केस संख्या का उल्लेख होता है, शिकायतकर्ता को भेजा जाता है और शिकायतकर्ताओं के दावों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रपत्र जैसे पार्सल वे बिल, रेलवे रसीद, बीजक आदि यदि पहले जमा नहीं कराए गए हैं तो इन्हें शिकायतकर्त्ता से मांगा जाता है।

(iv) दावा कार्यालय तब लापता और क्षतिग्रस्त माल के लिए दुर्घटना

रिपोर्टें मंगाता है और इनका मिलान करता है यदि ये पहले ही प्राप्त की जा चुकी है तो वास्तविकता और कानूनी पहलू के दृष्टिकोण से इन दावों की जांच करती है।

(v) यदि मामला पूरे अथवा आंशिक परेषण की सुपुर्दगी न होने का है तो इसको खोजने के प्रयास किए जाते हैं और परेषण की सुपुर्दगी कर दी जाती है।

(vi) नजदीकी रेलवे को परेषण को खोजने और विलंबित निर्गम अथवा लापता प्रेषण के संबंध में सूचना दी जाती है।

(vii) दावाकर्त्ताओं के दावे और देय क्षतिपूर्ति की राशि का सत्यापन किया जाता है।

(viii) 74,999 रु. से अधिक के दावों के मामलों से संबंधित वित्त विभाग से पहले सहमति ली जाती है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावे का अनुमोदन किया जाता है।

(ix) लेखा विभाग द्वारा चैक बनाया जाता है और इसे दावाकर्त्ता को प्रेषित कर दिया जाता है।

(ङ) दावा मामलों के शीघ्र निपटान के लिए रेलवे द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:–

(i) दावों के शीघ्र निपटान के लिए सभी क्षेत्रीय रेलों पर एक ही स्थान पर इनके निपटान हेतु पण्य दावा कक्षों की स्थापना की गई है और हर तीन महीने के अंतराल पर लंबित माल/पार्सल दावों के निपटान के लिए विशेष कैंप लगाए जाते हैं।

(ii) एक विनिर्दिष्ट समय अवधि के अंदर दावा मामलों को निपटान करने के लिए रेलों को निर्देश दिए गए हैं। परेषण का आरंभिक स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक पता लगाने के लिए भी रेलों को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, दावों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों के उत्तरदायित्व का पहले से निर्धारण और अन्तर्रेलवे दायित्व भी निर्धारित किए गए हैं।

**पोषक तत्व आधारित उर्वरक मूल्य निर्धारित प्रणाली**

**454. श्री रवि प्रकाश वर्मा :**
**श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
**श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :**

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को डाई अमोनियम फॉस्फेट (डी.ए.पी.), मुरिएट ऑफ पोटाश (एम.ओ.पी.) तथा इनके सम्मिश्रण कम दरों पर प्रदान करने के लिए पोषक तत्व आधारित उर्वरक मूल्य निर्धारण प्रणाली क्रियान्वित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार उर्वरक क्षेत्र हेतु बिक्री मूल्य तथा राजसहायता निर्धारित करने के लिए एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक)** : (क) से (ग) राजसहायता प्राप्त उर्वरकों का पोषण तत्व आधारित मूल्य निर्धारण, किसानों को पूरे देश में एक समान मूल्य पर राजसहायता प्राप्त विभिन्न पोषक तत्व उपलब्ध कराने पर लक्षित है। मंत्रियों के समूह ने भी उर्वरकों के पोषक तत्व आधारित मूल्य निर्धारण को सिद्धांततः अनुमोदित कर दिया है। इस संबंध में निर्णय लेने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। चूंकि इस मामले में अभी अंतिम निर्णय लिया जाना है अतः ऐसी स्थिति में कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

(घ) और (ङ) उर्वरकों का सतत उपयोग और संगत राजसहायता तथा मूल्य निर्धारण मुद्दों संबंधी मंत्रियों के समूह ने उर्वरक क्षेत्र के लिए नियामक प्राधिकरण गठित करने के लिए सिद्धांततः अनुमोदन दे दिया है। इस मामले में निर्णय लेने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

*[हिन्दी]*

**महाबोधि एक्सप्रेस का विस्तार**

**455. श्री टेक लाल महतो** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महाबोधि एक्सप्रेस रेलगाड़ी का गया से धनबाद तक विस्तार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो झारखंड राज्य के यात्रियों की इस मांग को कब तक पूरा कर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण।

**आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण**

**456. श्री अजीत जोगी :**

**श्री दलपत सिंह परस्ते :**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस समय आरक्षण का लाभ न उठा रहे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कोटा निर्धारित करने हेतु एक आयोग का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त आयोग के सदस्य कौन-कौन हैं तथा उसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन)** : (क) और (ख) सरकार ने मौजूदा आरक्षण नीति के अंतर्गत शामिल न होने वाले आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रस्ताव पर विचार करने हेतु एक आयोग गठित किया है जिसमें एक अध्यक्ष, एक सदस्य तथा एक सदस्य-सचिव हैं। इस आयोग के विचारार्थ विषय हैं:

(1) इस विषय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य आयोगों के विचार प्राप्त करना;

(2) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने हेतु मापदंड सुझाना;

(3) राष्ट्रीय धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक आयोग के परामर्श से कल्याणकारी उपाय एवं शिक्षा और सरकारी रोजगार में आरक्षण के मात्रा की सिफारिश करना;

(4) अपनी सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक संवैधानिक, विधिक एवं प्रशासनिक प्रारूपों का सुझाव देना।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**रासायनिक तथा पेट्रो-रासायनिक परियोजनाएं**

**457. श्री जुएल ओराम** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कौन-कौन सी रासायनिक तथा पेट्रो-रासायनिक परियोजनाएं चल रही हैं तथा उनमें कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने और वाणिज्यिक उत्पादन के लिए क्या तारीख निर्धारित की गई है; और

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक)** : (क) और (ख) सरकार ने असम गैस क्रैकर परियोजना को 2006-07 के दौरान अनुमोदित किया। अनुमोदित कार्यान्वयन समय-सारणी वित्तीय बंदी की तिथि से 60 महीने है। तथापि, ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड ने अप्रैल, 2007 से शुरू होकर 60 महीने की परियोजना की निर्माण समय-सारणी प्रस्तुत की है। यह परियोजना 60,000 टीपीए पॉलीप्रोपीलीन (पीपी) और 220,00 टीपीए उच्च घनत्व पॉलीइथाइलीन (एचडीपीई)/लिनियर निम्न घनत्व पॉलीइथाइलीन (एलएलडीपीई) का उत्पादन करेगी।

(ग) वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

(i) संयुक्त उपक्रम कंपनी मेसर्स ब्रह्मपुत्र क्रैकर एवं पॉलीमर लिमिटैड (बीसीपीएल) गठित करने के लिए 18.10.2006 को एक करार किया गया था जिसे 8 जनवरी, 2007 को निगमित किया गया।

(ii) भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 9.4.2007 को असम के डिब्रूगढ़ जिले के लपेटकाटा ग्राम में मैसर्स ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड (एजीसीपी) की आधारशिला रखी।

(iii) गुवाहाटी में पंजीकृत कार्यालय और डिब्रूगढ़ में परियोजना कार्यालय ने कार्य करना शुरू कर दिया है। मुख्य प्रचालन अधिकारी (सीओओ) और मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) की तैनाती कर दी गई है।

(iv) परियोजना के लिए आवश्यक लगभग 1108 एकड़ में से 2692 बीघा (लगभग 800 एकड़) भूमि बीसीपीएल द्वारा अधिगृहीत की गई है।

(v) मैसर्स ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) तथा मैसर्स ओएनजीसी के साथ क्रमशः दिनांक 19.9.2007 और 15.10.2007 को

फीडस्टॉक गैस सप्लाई एग्रीमेंट्स (जीएएस) पर हस्ताक्षर किए गए हैं तथा मैसर्स नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि. (एनआरएल) के साथ नेफ्था आपूर्ति के लिए 19.9.2007 को एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए।

(vi) तेल उद्योग विकास बोर्ड, 327 करोड़ रु. का सावधि ऋण देने पर सहमत हो गया है। अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ चर्चा चल रही है।

(vii) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लि. (बीसीपीएल) ने परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) का कार्य मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लि. (ईआईएल) को सौंपा है।

(viii) राज्य तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय से आवश्यक पर्यावरण एवं प्रदूषण क्लियरेंस प्राप्त कर लिया गया है।

(ix) कुशल जनशक्ति के विकास से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है।

(x) सचिव (रसायन एवं पेट्रोरसायन) की अध्यक्षता में मई, 2006 से निगरानी समिति गठित है जो नियमित रूप से असम गैस क्रैकर परियोजना के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करती है।

(xi) परियोजना के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा पूंजी सब्सिडी के रूप में 30 करोड़ रु. निर्गत किए गए हैं।

*[हिन्दी]*

**पाक जलडमरूमध्य में तेल अन्वेषण परियोजना**

**458. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ने सरकार से पाक जलडमरूमध्य में तेल अन्वेषण परियोजना स्थल को पुनर्स्थापन करने को कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) :** (क) और (ख) जी नहीं। आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन ने सरकार से पाक जलडमरूमध्य में तेल अन्वेषण परियोजना स्थल का स्थान बदलने के लिए नहीं कहा है क्योंकि ओ एन जी सी के पाक जलडमरूमध्य में कोई रकबा नहीं है। तथापि, ओ एन जी सी के पास पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में कावेरी उथले अपतट में दो नामांकन ब्लाक हैं।

मन्नार की खाड़ी में आने वाले ब्लाक के लिए ओ एन जी सी को इस आधार पर पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिली थी कि यह सी आर जैड–1 अर्थात् मन्नार खाड़ी जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र का एक हिस्सा मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है।

ओ एन जी सी ने कहा था कि इस ब्लाक को पाक खाड़ी के अंतर्गत आने वाले किसी वैकल्पिक स्वतंत्र रकबे के साथ बदल दिया जाए। परन्तु, चूंकि नामांकन ब्लाकों में क्षेत्र को बदलने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए ओ एन जी सी को स्थल बदलने की अनुमति नहीं दी गई थी।

**उर्वरकों पर राजसहायता**

**459. श्री रामजीलाल सुमन :**
**श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :**
क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2004–2005 से 2008–2009 के दौरान उर्वरकों पर राजसहायता धनराशि में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इन वर्षों के दौरान राजसहायता के रूप में कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ग) वर्ष 2008–2009 के दौरान कितनी राजसहायता प्रदान किए जाने का अनुमान है; और

(घ) वर्ष 2004–05 तथा 2007–08 के दौरान अलग–अलग इन रासायनिक उर्वरकों के उपभोक्ता बिक्री मूल्य कितने रहे?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) :** (क) जी हां।

(ख) 2004–05 से 2007–08 तक उर्वरकों पर दी गई राजसहायता की राशि निम्नलिखित है:–

| वर्ष | उर्वरकों पर राजसहायता (करोड़ रुपए) | | |
|---|---|---|---|
| | यूरिया | पी एवं के उर्वरक | वर्ष में वितरित की गई कुल राजसहायता |
| 2004–05 | 10637 | 5142 | 15779 |
| 2005–06 | 11749 | 6550 | 18299 |
| 2006–07 | 15354 | 10598 | 25952 |
| 2007–08* | 25654 | 20005 | 45659 |

* अनुमानित

(ग) उर्वरक विभाग ने वर्ष 2008–09 के लिए 60,649.36 करोड़ रुपए की राजसहायता की आवश्यकता होने का अनुमान लगाया है।

(घ) राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य निम्नलिखित है:–

(रुपए प्रति मी.टन)

| | 2004–05 | 2007–08 |
|---|---|---|
| यूरिया | 4830 | 4830 |
| डीएपी | 9350 | 9350 |
| एमओपी | 4455 | 4455 |
| 16:20:00 | 7100 | 7100 |
| 20:20:00 | 7280 | 7280 |
| 23:23:00 | 8000 | 8000 |
| 28:28:00 | 9080 | 9080 |
| 10:26:26 | 8360 | 8360 |
| 12:32:16 | 8480 | 8480 |
| 14:28:14 | 8300 | 8300 |
| 14:35:14 | 8660 | 8660 |
| 15:15:15 | 6980 | 6980 |
| 17:17:17 | 8100 | 8100 |
| 19:19:19 | 8300 | 8300 |

**जल-घुलनशील उर्वरकों पर राजसहायता**

460. **श्री हरिभाऊ जावले : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जलगांव, नासिक, पुणे तथा अन्य बागवानी क्षेत्रों के किसानों और महाराष्ट्र के जनप्रतिनिधियों ने जल–घुलशील उर्वरकों पर 50 प्रतिशत राजसहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने किसानों को सीधे राजसहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक)** : (क) उर्वरक विभाग में ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**पेट्रोलियम नियम, 2002 में संशोधन**

461. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :**
**श्री मनसुखभाई डी. वसावा :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पेट्रोलियम नियम, 2002 की धारा–43 में संशोधन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) और (ख) जी, हां। जहाज तोड़ने के क्रियाकलापों को शामिल करने हेतु पेट्रोलियम नियम, 2002 में संशोधन करने के लिए गुजरात सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ग) जहाज तोड़ने के क्रियाकलापों को शामिल करने के लिए दिनांक 2 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 61 (ङ) के द्वारा पेट्रोलियम नियम, 2002 में संशोधन कर दिया गया है।

*[अनुवाद]*

**पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु फ्री यात्रा की अनुमति**

462. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फ्री यात्रा की पर्यटकों की संभावित मांग के बारे में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी)** : (क) पर्यटन मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। तथापि,

पर्यटन मंत्रालय ने प्रतिबंधित क्षेत्रों के लिए परमिट को शिथिल बनाने के लिए, गृह मंत्रालय को प्रस्ताव किया है, जिसके परिणामस्वरूप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित, इन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**विमान के ईंधन मूल्य को युक्तिसंगत बनाना**

**463. श्री सूरज सिंह :**

**श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोथा :**

**डा. चिन्ता मोहन :**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2007 में विमानों के ईंधन (एटीएफ) के मूल्य में वृद्धि की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उक्त अवधि के दौरान महीने–वार कितनी मूल्य वृद्धि की गई;

(ग) क्या हाल ही में यह मूल्य घटाया गया था;

(घ) यदि हां, तो दिसंबर, 2007 से फरवरी 2008 में इसका मूल्य कितना था;

(ङ) उक्त महीनों के दौरान लिए गए अधिभार की दर कितनी थी;

(च) विमानन उद्योग पर एटीएफ मूल्य वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(छ) एटीएफ मूल्यों को युक्तिसंगत बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) से (छ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

*[अनुवाद]*

**चोरी की घटनाएं**

**464. श्री उदय सिंह :**

**श्रीमती जयाप्रदा :**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न एयरलाइंस की सुरक्षा जांच के पश्चात् यात्रियों के सामान से बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी की अक्सर और बढ़ती घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान सामने आई इस प्रकार की घटनाओं का ब्यौरा क्या है तथा अब तक कितने मामले सुलझाए जा चुके हैं;

(ग) क्या एयरलाइंस ने चोरी की इन घटनाओं को रोकने तथा अपनी वस्तुएं गंवा चुके यात्रियों को मुआवजा देने का कोई प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) और (ख) जी हां, जबकि चोरी की घटनाओं के संबंध में सभी एयरलाइनों से सूचना एकत्रित की जा रही है, तथा इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए, लदान से पूर्व तथा पश्चात् सभी लोडरों की बारीकी से तलाशी ली जाती है, हवाई अड्डों पर सतर्कता बढ़ाई गई है सुरक्षा के पर्यवेक्षण के अधीन चैक–इन सामान को चढ़ाया/उतारा जाता है, बड़े हवाई अड्डों पर स्वचालित इन लाइन सामान एक्स–रे छानबीन प्रणाली आरंभ की जा रही है।

(ग) से (ङ) अनुसूचित एयरलाइनें सामान चोरी मामलों को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाती हैं: यात्रियों को अपने चैक इन सामान में अपने आभूषणों तथा नकदी न ले जाने की सलाह दी गई है, चोरी/गुम होने के मामलों की जांच के लिए बड़े हवाई अड्डों पर एयरलाइनों की विभागीय सतर्कता दल; लदान से पूर्व तथा पश्चात् लोडरों की आकस्मिक तलाशी; सुरक्षा/हवाई अड्डा सेवा स्टाफ के पर्यवेक्षण के अधीन चैक–इन सामान को लदान/उतारना; हवाई अड्डों पर उपलब्ध सीसीटीवी की उपयोगिता; इस प्रकार की लापरवाही की घटनाओं को कम करने के लिए महानगरों पर स्वचालित सामान मिलान प्रणाली; सामान हैंडलिंग पर रैम्प स्टाफ (विशेष रूप से लोडर) को गहन प्रशिक्षण दिया जाता है; महानगरों में समर्पित सामान यूनिटों की स्थापना। एयरलाइंस कंपनी नीति के अनुसार, सामान चोरी पर मुआवजा भी देती है जिसे उनकी संबंधित वेबसाइट पर भी दर्शाया जाता है।

**धावनपट्टी पर आवारा/वन्य जीवों का प्रवेश**

**465. श्री के.सी. सिंह "बाबा" :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न विमानपत्तनों पर धावनपट्टी पर अनधिकृत व्यक्तियों तथा आवारा/वन्य जीवों का प्रवेश बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान धावनपट्टी पर प्रवेश के ऐसे कितने मामले सामने आए;

(घ) देश में विभिन्न विमानपत्तनों विशेषकर दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर सरकार द्वारा क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इस प्रकार की लापरवाही में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों में रनवे में प्रवेश के 47 मामले हुए हैं।

(घ) नागर विमानन महानिदेशालय ने रनवे में अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए हवाई अड्डों पर एप्रन अनुशासन के संबंध में विमान संरक्षा परिपत्र तथा मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं। इस प्रकार की घटनाओं को कम करने के लिए निवारक उपायों के रूप में कार्रवाई करने के लिए हवाई अड्डा ऑपरेटरों, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, मौसम विज्ञान अधिकारियों और डीजीसीए द्वारा नियमित संयुक्त विमानक्षेत्र निरीक्षण किए जाते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित सभी हवाई अड्डों में नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के सुरक्षा मानकों के अनुसार परिधि दीवार को ऊंचा किया गया है तथा परिधि को सुरक्षा स्टाफ से सुरक्षित किया गया है। सुरक्षा संबंधी चूकों की जांच करने तथा भटके हुए जंगली जानवरों के उत्पात को कम करने की दृष्टि से हवाई अड्डा सुरक्षा समितियों की बैठक नियमित रूप से की जाती है। इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दिल्ली सरकार के वन्य विभाग से परमिट प्राप्त करने के बाद एयर साइड से पशुओं को खोजने तथा उन्हें और कहीं भेजने के लिए एनजीओ से सम्पर्क किया जाता है। एयर साइड पर नील गायों के प्रवेश को रोकने के लिए हवाई अड्डे पर इन्टरफेश क्षेत्र में तारों की बाड़ लगाई गई है। दिल्ली इन्टरनेशनल एयरपोर्ट प्राईवेट लि. ने कम से कम एक वर्ष के लिए (सभी मौसम को लेते हुए) चौबीस घंटे एनजीओ से दो क्षेत्रीय विशेषज्ञ तैनात करने की योजना तैयार की है जिससे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर होने वाली पशु समस्याओं का एक स्थायी हल पाया जा सके। आवारा/जंगली जानवरों की जनसंख्या को कम करने के पर्यावरणीय उपाय किए गए हैं।

(ङ) यदि चूक के लिए अधिकारी उत्तरदायी होते हैं तो उनके विरुद्ध भा.वि.प्रा. द्वारा नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

*[हिन्दी]*

**राजस्थान में सी-पेट की स्थापना**

**466. श्री श्रीचन्द कृपलानी** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य में केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी (सी–पेट) की एक शाखा की स्थापना करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक)** : (क) से (ग) राजस्थान सरकार ने दिनांक 20.12.2003 के अपने पत्र के माध्यम से जयपुर में सिपेट केंद्र की स्थापना के लिए इस मंत्रालय से अनुरोध किया था। यह परियोजना भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दी गई है। राजस्थान सरकार द्वारा परियोजना हेतु भूमि आबंटित की गई है और इसकी आधारशिला केंद्रीय रसायन और उर्वरक तथा इस्पात मंत्री द्वारा 1 नवंबर, 2006 को रखी गई थी। भवन का निर्माण प्रारंभ हो गया है। किराये के परिसरों में अगस्त, 2006 से डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किए जा चुके हैं और छात्रों का दूसरा बैच केंद्र में प्रशिक्षण पा रहा है।

*[अनुवाद]*

**विमानन क्षेत्र में उन्नत प्रशिक्षण**

**467. श्री पी.सी. थामस** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ान भरने सहित विमानन क्षेत्र में उन्नत प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय पहल की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल में राजीव गांधी विमानन अकादमी उड़ानों का प्रशिक्षण दे रही है तथा उसे एक राष्ट्रीय संस्थान बनाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने उन्नत विमानन प्रशिक्षण के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। सिविल व इलैक्ट्रिकल अवसंरचना के स्तरोन्नयन तथा कम्प्यूटर आधारित प्रशिक्षण यंत्रों व उपकरणों सहित अतिरिक्त प्रशिक्षण विमान की खरीद के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (इग्नुआ) को निधियां उपलब्ध कराई गई हैं। इग्नुआ ने अपने प्रबंधन को विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए इस क्षेत्र में विख्यात एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन मैसर्स सीएई के साथ प्रबंधन संविदा में भी हस्ताक्षर किए हैं। सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के तत्वाधान में संयुक्त उद्यम उपक्रम के रूप में महाराष्ट्र के गोंदिया में एक विश्व स्तरीय संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया है। नागर विमानन महानिदेशालय तथा एयरो क्लब आफ इंडिया के माध्यम से प्रशिक्षण विकास को खरीदने के लिए निधियां उपलब्ध कराकर केन्द्र सरकार द्वारा देश के अन्य उड़ान क्लबों को भी सहायता उपलब्ध कराने जा रही है।

(ग) से (ङ) केरल राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी विमानन अकादमी की स्थापना की गई है। संस्थान अभी क्रियाशील नहीं है। इस अकादमी को राष्ट्रीय संस्थान बनाए जाने का नागर विमानन मंत्रालय का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*[हिन्दी]*

**रामायण में ऐतिहासिक स्थल**

**468. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :**
**श्री संतोष गंगवार :**

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्रीलंका सरकार द्वारा कराए जा रहे उत्खनन के दौरान श्रीराम, सीता, रावण और हनुमान जी से संबद्ध पाए गए कई स्थलों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो अब तक किए गए उत्खनन का क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या भारत सरकार का श्रीलंका सरकार के प्रयासों से प्रेरित होकर श्रीराम, सीता, रावण और हनुमान से संबद्ध स्थानों के उत्खनन में उससे सहयोग करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) :** (क) से (च) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास श्रीलंका सरकार के ऐसे पुरातत्वीय उत्खननों के संबंध में कोई सूचना नहीं है।

*[अनुवाद]*

**हाई-स्पीड पैसेंजर कॉरिडोर**

**469. श्री बाडिगा रामकृष्णा :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल ने देश में हाई-स्पीड पैसेंजर कॉरिडोरों की स्थापना के लिए फ्रेंच नेशनल रेलवे से कोई तकनीकी सहयोग मांगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फ्रांस के राष्ट्रपति की हाल की भारत यात्रा के दौरान संबंधित अधिकारियों से इस मुद्दे पर कोई चर्चा की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) दिनांक 15.01.2008 को एस एन सी एफ इंटरनेशनल, फ्रांस (एक फ्रेंच नेशनल रेलवे कंपनी) के साथ नई दिल्ली में आयोजित पांचवी इंडो-फ्रेंच स्टीयरिंग कमेटी के दौरान एक फ्रांसीसी प्रतिभागी ने भारतीय पक्ष के साथ उच्च गति वाली गाड़ियों पर अपने अनुभव को बांटा। दोनों पक्षों ने भारत में विषय पर फ्रेंच रेलवे द्वारा सेमिनार आयोजित किए जाने के संबंध में एक मजबूत दृष्टिकोण के प्रयत्न किए हैं।

**रेलवे स्टेशनों की सफाई**

**470. श्री प्रभुनाथ सिंह :**
**श्री बृज किशोर त्रिपाठी :**
**श्री मदन लाल शर्मा :**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य के बावजूद कि लगभग 1.4 करोड़ यात्री रेलवे स्टेशनों पर आते हैं तथा प्रतिदिन देशभर में रेलगाड़ियों से यात्रा करते हैं, स्टेशन परिसर तथा रेलगाड़ियां सामान्यतः गंदी रहती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे का विचार उन लोगों पर जुर्माना लगाने तथा दंडित करने का है जो इसके परिसरों को गंदा करते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे का विचार सफाई निगरानी तथा दोषियों को पकड़ने के लिए एक पृथक–पृथक प्राधिकरण का गठन करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यह प्राधिकरण कब कार्य करना आरंभ कर देगा; और

(ज) स्टेशन परिसरों तथा रेलगाड़ियों में स्वच्छ तथा स्वास्थ्यकर वातावरण बनाए रखने हेतु क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) रेलवे स्टेशन परिसरों तथा गाड़ियों को गंदा करते हुए पाए जाने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लगाना तथा दंड का प्रावधान रेल अधिनियम, 1989 की धारा 145(ख) के अंतर्गत शरारत करने के रूप में पहले से ही मौजूद है। धारा 145 (ख) को निम्नानुसार पढ़ा जाए: "यदि कोई व्यक्ति किसी रेलवे कैरेज अथवा रेलवे के किसी भाग में कोई शरारत करता है अथवा अनुचित कार्य करता है अथवा अनुचित या अश्लील भाषा का प्रयोग करता है तो किसी भी रेलवे कर्मचारी द्वारा रेलवे से हटाया जा सकता है, उसका पास अथवा टिकट जब्त करने के अतिरिक्त उसे जेल जाने का दंड दिया जायेगा जो 500 रु. के जुर्माने के साथ 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अदालत के निर्णय में उल्लिखित किए गए अनुसार विशेष तथा पर्याप्त कारण न होने पर दंड निम्न से कम नहीं होगा"

(i) पहला अपराध सिद्ध होने के मामले में 100 रु. का जुर्माना; और

(ii) दूसरे अथवा अनुवर्त्ती अपराध सिद्ध होने के मामले में एक महीने की जेल तथा 250 रु. जुर्माना

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) रेलवे स्टेशनों पर सफाई के स्तर में सुधार लाने के लिए, मशीनों से सफाई की शुरूआत, धूलनीय एप्रेनों की व्यवस्था, 'भुगतान करो एवं इस्तेमाल करो' शौचालयों की व्यवस्था, साफ–सफाई जागरूकता अभियान आदि जैसे कदम उठाए गए हैं। साफ–सफाई को मॉनीटर करने तथा गंदे क्षेत्रों की पहचान करने तथा उपचारी उपाय करने के लिए रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किए जाते हैं। इसके अलावा, स्टेशनों पर तथा चलती गाड़ियों में साफ–सफाई सहित यात्री सुविधाओं का निरीक्षण करने के लिए उपयुक्त स्तर के बहु–अनुशासकीय सेवा सुधार ग्रुपों द्वारा आवधिक निरीक्षण करने तथा त्रुटियों और कमियों को दूर करने के लिए सुझाव देने/उपचारी उपाय करने की प्रणाली है। अधिक प्रभाव के लिए विशेष रूप से भीड़–भाड़ के दौरान समय–समय पर अभियान आयोजित किए जाते हैं।

**बंगलौर और हैदराबाद में नए विमानपत्तन**

**471. डा. के. धनराजू :**
**श्रीमती मनोरमा माधवराज :**
**श्री गुंडलूर निज़ामुद्दीन :**
**श्री एम. शिवन्ना**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर बंगलौर और हैदराबाद में निर्मित किए जा रहे नए विमानपत्तनों के स्थलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन विमानपत्तनों पर विमान यातायात/यात्रियों को लाने ले जाने तथा यहां प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) ये विमानपत्तन कब तक चालू कर दिए जाएंगे;

(घ) क्या इन शहरों में पुराने विमानपत्तनों को बंद कर दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो इन्हें बंद करने की बजाय इन्हें न चलाने के क्या कारण है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल)** : (क) नए बंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का स्थान बंगलौर–हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के पूर्व में बंगलौर से 29 कि.मी. तथा 30 कि.मी. के बीच और देवनहल्ली कस्बे से 4 कि.मी. दक्षिण में है, और हैदराबाद हवाई अड्डा आन्ध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले के शमशाबाद के निकट तथा बेगमपेट में मौजूदा हैदराबाद हवाई अड्डे से लगभग 20 कि.मी. दक्षिण में स्थित है।

(ख) बंगलौर तथा हैदराबाद हवाई अड्डों के प्रारंभिक चरण क्रमशः 11.40 मिलियन तथा 12 मिलियन यात्रियों की सम्भलाई में सक्षम हैं। हैदराबाद तथा बंगलौर हवाई अड्डों के टर्मिनल क्षेत्र क्रमशः 1,05,300 वर्गमीटर तथा 71,000 वर्गमीटर हैं और इनकी व्यस्ततम समय की यात्री क्षमताएं 3200 तथा 2733 हैं।

(ग) शमशाबाद तथा देवनहल्ली के नए हवाई अड्डे अगले माह के दौरान प्रचालित होने की सम्भावना हैं।

(घ) तथा (ङ) भारत सरकार द्वारा संबंधित एयरपोर्ट कम्पनियों के साथ किए गए रियायत करारों के प्रावधानों के अनुसार, नए हवाई अड्डे

प्रचालनरत हो जाने के बाद हैदराबाद तथा बंगलौर के निवर्त्तमान हवाई अड्डे वाणिज्यिक उपयोग के लिए बन्द कर दिए जाएंगे।

**नए विमानपत्तनों की स्थापना**

472. **श्री निखिल कुमार :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से नए विमानपत्तनों की स्थापना हेतु नए स्थानों की पहचान करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का नए विमानपत्तनों की स्थापना हेतु भूमि अधिगृहीत करने के लिए कुछ प्रोत्साहन वाले कदम उठाने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) से (घ) क्षमता तथा बुनियादी संरचना की बाध्यताओं को देखते हुए, सभी स्टेक होलडरों सहित राज्य सरकारें नये हवाई अड्डे स्थापित करने के लिए स्थितियों को चिन्हित करने के लिए प्रोत्साहित करती है और संघ सरकार के विचार विमर्श हेतु ऐसे प्रस्ताव आगे लाये जाते हैं। भूमि अर्जन का मामला राज्य सरकार का विषय है तथा राज्य सरकार संबंधित राज्य कानूनों के अनुसार आवश्यक कदम उठाती है।

**नेपा (एन.ई.पी.ए.) का विनिवेश**

473. **श्री अजय चक्रवर्ती :**

**श्री गणेश सिंह :**

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नेपा लिमिटेड का पूरी तरह से विनिवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस इकाई के कामगारों के हितों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाया है;

(घ) यदि हां, तो कामगारों के लिए पुनर्वास योजना का क्या ब्यौरा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) :** (क) और (ख) नेपा लि. सरकारी क्षेत्र का एक रूग्ण उपक्रम है जो मई, 1998 से ही औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के संदर्भाधीन है। संयंत्र और मशीनरी पुराने है और इनके उन्नयन के लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है। सरकार ने अधिमानतः 74% या 100% की सीमा तक भारत सरकार की इक्विटी का विनिवेश कर संयुक्त उद्यम भागीदार के जरिए कंपनी का पुनरूद्धार करने का निर्णय लिया है। नेपा लि. के विनिवेश का संसदीय अनुमोदन प्राप्त करने के लिए लोक सभा में नेपा लिमिटेड (स्वामित्व का विनिवेश) विधयेक, 2007 पेश किया गया है। विधयेक को दिनांक 17.12.2007 को विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया है।

(ग) से (ङ) विधेयक में प्रावधान किया गया है कि नेपा लि. के अध्यक्ष और निदेशकों को छोड़ कर नेपा लि. के विनिवेश के ठीक पहले इसमें कार्यरत प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी इस विनिवेश के बाद पद अथवा सेवा में उन्हीं शर्तों पर बने रहेंगे मानो कि नेपा लि. का विनिवेश नहीं किया गया है और इस विनिवेश की तिथि से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने तक कंपनी में बने रहेंगे। यदि नेपा लि. का कोई अधिकारी या कर्मचारी नेपा लि. के रोजगार अथवा सेवा में नहीं रहना चाहे तो माना जाएगा कि ऐसे अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी ने त्याग पत्र दे दिया है।

**तेल के मूल्य में वृद्धि**

474. **प्रो. एम. रामदास :**

**प्रो. महादेवराव शिवनकर :**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने वर्ष 2007 में प्रति बैरल कच्चे तेल के औसत मूल्य 71.2 डालर से बढ़कर वर्ष 2008 में 85 डालर होने का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तेल के मूल्य में इस अभूतपूर्व वृद्धि के परिणामस्वरूप धातु सहित खाद्य और गैर ईंधन वस्तुओं के मूल्यों पर प्रभाव पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा तेल के मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप अन्य उत्पादों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) विश्व बैंक ने "ग्लोबल इकानोमिक प्रोस्पैक्ट्स 2008" नाम की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कच्चे तेल के औसत मूल्य जो 2007 में 71.2 डालर प्रति बैरल थे, से 2008 में 84.1 डालर प्रति बैरल की वृद्धि का अनुमान लगाया है। दुबई, ब्रैंट और वैस्ट टैक्सास इंटरमीडिएट कच्चे तेलों की साधारण औसत पर विचार किया गया है। कच्चे तेल की मांग और मूल्य के संबंध में रिपोर्ट की मुख्य मुख्य बातें निम्नानसुार हैं :-

– विशेष रूप से अधिक आय वाले ओईसीडी देशो में, अधिक तेल मूल्यों से विश्वव्यापी तेल की मांग में वृद्धि हुई है। गैर ओईसीडी अर्थ तंत्रों में तेल की मांग 2005 से एक मिलियन बैरल प्रतिदिन से थोड़ी अधिक बढ़ी है; जो 2004 के स्तर से काफी कम है।

– ज्यों ही मांग सहज हुई और गैर ओपीईसी आपूर्ति बढ़ी तो ओपीईसी देशों ने मूल्यों में गिरावट को रोकने के लिए अपने उत्पादन कम कर दिए।

– हालांकि उभरते हुए आपूर्ति-मांग कारक किसी तरह 2007-09 की तुलना में तेल बाजारों को संतुलित रखेंगे, तो भी आगामी दो वर्षों में मूल्यों के 75 डालर प्रति बैरल से अधिक रहने की संभावना है।

जनवरी, 08 से फरवरी 08 (22.02.2008 तक) भारतीय बास्केट के कच्चे तेल का औसत मूल्य 90.19 डालर प्रति बैरल रहा है।

(ग) से (ङ) चूंकि तेल के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के समस्त प्रभाव को उपभोक्ताओं पर डालने के परिणामस्वरूप मुद्रा-स्फीती का प्रभाव हो गया होता, इसलिए सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह भार सभी पणधारियों द्वारा वहन किया जाता है, कुछ उपाय किए हैं, अर्थात् :-

| | | |
|---|---|---|
| सरकार | – | तेल बंध-पत्र जारी करना; |
| तेल कंपनियां | – | अपस्ट्रीम/रिफाइनरी छूटें; और |
| उपभोक्ता | – | न्यूनतम मूल्य वृद्धि |

तदनुसार, सरकार ने तेल बंध-पत्र जारी किए हैं और अपस्ट्रीम तेल कंपनियों ने नीचे दिए विवरण के अनुसार ओएमसीज़ की अल्प वसूलियों की अंशतः प्रतिपूर्ति करने के लिए कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर छूट देकर योगदान दिया है :

(रु. करोड़ में)

| वर्ष | सरकार द्वारा जारी किए गए तेल बंध-पत्र | अपस्ट्रीम तेल कंपनियों द्वारा योगदान |
|---|---|---|
| 2005-06 | 11500 | 14000 |
| 2006-07 | 24121 | 20507 |
| अप्रैल-दिस. 07 | 11257* | 15873# |
| कुल | 46878 | 50380 |

* अप्रैल-सितम्बर 07 के लिए

# अप्रैल-दिसम्बर, 07 (अनंतिम)

इस संदर्भ में, 15.02.2008 से पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में क्रमशः 2/-रु. प्रति लीटर और 1/-रु. प्रति लीटर की मामूली वृद्धि की गई थी जो कि वस्तुतः फरवरी 2007 से पहले प्रचलित मूल्य स्तर तक खुदरा मूल्य बहाल करने के स्वरूप की है।

तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि होने के बावजूद, सरकार ने पिछले छः वर्षों के दौरान पीडीएस मिट्टी तेल के मूल्यों में वृद्धि नहीं की है। घरेलू एलपीजी के मूल्य पिछले तीन वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहे हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, उपभोक्ता पर पड़ने वाले भार को कम करने के लिए संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों पर केन्द्रीय करों को विवेकपूर्ण ढंग से युक्तियुक्त बनाया गया है। केन्द्र सरकार, पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी पर कोई कर-सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क नहीं लगाती। 14.6.2006 से पेट्रोल और डीजल पर सीमा शुल्क 10% से कम करके 7.5% कर दी गई है और 1.3.2007 से मूल्यानुसार उत्पाद शुल्क घटक को 8% से घटा कर 6% कर दिया गया है। एलपीजी (घरेलू) के रसोई प्रयोजनार्थ हो रहे व्यापक इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए, इसे "घोषित माल" श्रेणी के अन्तर्गत रखा गया है जिससे राज्य सरकारों द्वारा बिक्री कर 4% तक लगाये जाने तक सीमित किया जा सके।

उपर्युक्त उपाय मुद्रा स्फीति दर को उपयुक्त सीमाओं में रखने के लिए अपनाए गए हैं। सरकार तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर बारीकी से नजर रख रही है और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना जारी रखेगी।

*[हिन्दी]*

## उड़ानों पर कोहरे का प्रभाव

475. श्री रघुराज सिंह शाक्य :
श्री किन्जरपु येरननायडु :
श्री हेमलाल मुर्मू :

श्री पुष्प जैन :

डा. पी.पी. कोया :

श्री कीरेन रिजीजू :

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीतकाल के दौरान कोहरे के कारण देश के विभिन्न विमानपत्तनों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अन्यत्र भेजा गया/रद्द किया गया/विलंब हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय विमान कंपनियों को कुल कितना नुकसान हुआ है;

(ग) सरकार द्वारा कोहरे का सामना करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में प्रत्येक विमानपत्तन पर संस्थापित कोहरा–रोधी उपकरणों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है/किए जाने का विचार है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) जी, हां।

(ख) कुछ एयरलाइनें अवतरण प्रतिबंधों या टेक–आफ के लिए देर से स्वीकृति मिलने के कारण विलंबों का ब्यौरा नहीं रखती हैं। इसलिए, इन कारणों से होने वाली हानि का आंकलन कर पाना संभव नहीं है।

(ग) इकाइयों के दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पहले से ही आईजीआई हवाईअड्डा नई दिल्ली पर केट–III बीआईएलएस संस्थापित कर दिया है जो 50 मीटर तक की रनवे दृश्यता रेंज (आरवीआर) में विमान प्रचालनों को अनुमति देता है, जिसे प्रमाणीकृत पायलटों वाली एयरलाइनों द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। सभी एयरलाइनों को ऐसी निम्न दृश्यता परिस्थितियों में प्रचालन के लिए सक्षम विमानों तथा पायलटों से प्रचालन करने के लिए निर्देशित/प्रोत्साहित किया गया है। इसके अतिरिक्त निम्न दृश्यता परिस्थितियों में विमान प्रचालन को संभव बनाने के लिए 42 अन्य हवाईअड्डे पर उपकरण अवतरण प्रणाली (आईएलएस) संस्थापित किए गए हैं।

(घ) धुंध एक प्राकृतिक किया है तथा धुंध–रोधी उपकरण उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए, प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

### एच.एफ.सी.एल. और एफ.सी.आई.एल. के रूग्ण उर्वरक संयंत्रों का पुनरुद्धार

476. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**

**श्री सनत कुमार मंडल :**

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उर्वरक विभाग ने हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (एच.एफ.सी.एल.) और फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफ.सी.आई.एल.) के रूग्ण फर्टिलाइजर्स संयंत्रों के पुनरुद्धार के लिए पूंजी सहायता के रूप में वित्त मंत्रालय से 5000 करोड़ रुपये की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह धनराशि सरकार द्वारा इक्विटी निवेश अथवा ब्याजमुक्त ऋण के माध्यम से आ सकती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार सहायता देने पर सहमत हो गई है;

(ङ) यदि हां, तो इस धनराशि से कितने संयंत्रों का पुनरुद्धार किए जाने की संभावना है; और

(च) इससे देश में उर्वरक स्थिति में कितना सुधार आएगा?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) :** (क) से (घ) उर्वरक विभाग ने एचएफसीएल और एफसीआईएल की बंद पड़ी इकाइयों का पुनरुद्धार करने के लिए 11वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग से सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के रूप में 5000 करोड़ रुपए के आबंटन की मांग की है। बंद पड़ी इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए वित्त–पोषण मॉडल को अभी अंतिम रूप दिया जाना है, जिस पर वर्तमान में योजना आयोग के साथ विचार–विमर्श किया जा रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) बंद पड़ी इकाइयों के पुनरुद्धार से देश में उर्वरक की उपलब्धता में सुधार करने में काफी हद तक मदद मिलेगी।

*[हिन्दी]*

### अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में संशोधन

477. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**

**श्री कीरेन रिजीजू :**

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्यों से सुझाव मांगे हैं;

(घ) यदि हां, तो कितने राज्यों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं; और

(ङ) उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने अभी तक अपने सुझाव प्रस्तुत नहीं किए हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन)** : (क) से (ङ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में संशोधन करने के सुझाव राज्य सरकारो और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से मांगे गए थे एवं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, दादर व नागर हवेली, दमन व दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप और पांडिचेरी से प्राप्त हो गए हैं। तथापि, अधिनियम में संशोधन करने संबंधी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

*[अनुवाद]*

**रेलवे में रेल दुर्घटनाएं और बम विस्फोट**

**478. श्री एम. शिवन्ना :**
**श्री नन्द कुमार साय :**
**श्री हेमलाल मुर्मू :**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2007-08 के दौरान अभी तक ट्रेनों में विस्फोट की जोन-वार कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसे विस्फोटों में रेलवे की क्षतिग्रस्त संपत्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसी प्रत्येक घटना में कितने व्यक्ति मारे गए/घायल हुए हैं;

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं से प्रभावित कितने पीड़ितों को मुआवजा दिया गया है;

(ङ) क्या रेल दुर्घटनाओं के प्रभावितों को मुआवजा देने में असाधारण विलंब हुआ है;

(च) यदि हां, तो रेलवे द्वारा ऐसे भुगतान समय पर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) रेलवे द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) से (ग) जी हां। अप्रैल 2007 से 2008 (आज तक) यात्री गाड़ियों में बम विस्फोट की दो घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। उनका ब्यौरा इस प्रकार है :

| रेलवे | मामलों की संख्या | क्षतिग्रस्त संपत्ति का मूल्य | व्यक्ति | |
|---|---|---|---|---|
| | | | मारे गए | जख्मी |
| पूर्व तट रेलवे | 1 | 33,77,666/-रुपये | – | – |
| पूर्वोत्तर सीमा रेलवे | 1 | अभी निर्धारित नहीं हुआ है | 5 | 4 |

(घ) इस संबंध में रेल दावा अधिकरा में दायर किए गए दावे पर डिगरी का अधिनिर्णय दिए जाने के बाद ही मुआवजे का भुगतान किया जाता है। अभी तक कोई डिगरी नहीं दी गई है।

(ङ) और (च) दुर्घटना मुआवजा दावों का अधिनिर्णय रेल दावा अधिकर द्वारा किया जाता है। चूंकि यह अर्ध-न्यायिक निकाय है, इसलिए लंबित दावा मामलों के निपटान के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। बहरहाल, दावे की डिगरी दे दिए जाने के बाद रेलों को यह सुनिश्चित करने का अनुदेश दिया गया है कि 15 दिन की अवधि के भीतर डिगरी राशि के चेक जारी एवं प्रेषित हो जाएं।

(छ) महत्वपूर्ण और भेद्य रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

1. भेद्य रेलवे स्टेशनों पर क्लोज सर्किट टेलीविजन की संस्थापना।
2. प्रवेश/निकास बिंदुओं पर एक्सेस कंट्रोल मजबूत बनाने के लिए हस्तधारित मेटल डिटेक्टर्स, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर्स, प्रवेश स्कैन/एक्स रे मशीन आदि जैसे आधुनिक सुरक्षा गजट।
3. तोड़फोड़ रोधक जांचें करने के लिए विभिन्न मंडलों और रेलवे स्टेशनों पर श्रवान दस्ते।
4. रेल सुरक्षा बल कार्मिकों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों का उन्नयन।
5. प्लेटफार्मों पर, अन्य परिसरों या डिब्बों में पड़ी अनजान/लावारिस वस्तुओं के बारे में सतर्क रहने और नजदीक उपलब्ध रेसुब/रारेपु/रेलवे अधिकारियों को सूचित करने के लिए सभी

यात्रियों/जनता को सतर्क एवं शिक्षित करने के लिए गहन प्रचार एवं जन जागरूकता अभियान।

6. साथी यात्रियों की संदेहास्पद हरकतों के बारे में सतर्क रहने और विशेषकर साधारण डिब्बों में किसी संदेहास्पद सामान/बैग को नहीं छूने के बारे में यात्रियों को सचेत करने के लिए सभी स्टेशनों पर अक्सर उद्घोषणाएं।

7. अनुरक्षण साइडिंगों में स्थापन से पहले और बाद में, प्रारंभिक/गंतव्य स्टेशनों पर गाड़ियों में और खाली कोचिंग रेक में अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश रोकने के उपाय।

8. अप्रिय घटना की रोकथाम करने के लिए रारेपु/राज्य पुलिस/केन्द्रीय आसूचना एजेंसियों के साथ गहन समन्वय।

**नागपुर विमानपत्तन**

**479. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**

**श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नागपुर में डा. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन को विश्वस्तरीय मल्टीमॉडल पैसेन्जर और कार्गो केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संयुक्त उद्यम में केन्द्र सरकार की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है; और

(घ) विकास कार्य को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) और (ख) जी, हां। संघ मंत्रिमंडल ने अपनी 17.01.2008 को आयोजित बैठक में डा. अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा नागपुर का एक विश्वस्तरीय मल्टी मॉडल अन्तर्राष्ट्रीय यात्री तथा कार्गो हब के रूप में स्तरोन्नयन किये जाने के लिए इस हवाई अड्डे को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) तथा महाराष्ट्र हवाईअड्डा विकास लिमिटेड (एमएडीसी) की संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) को हस्तांतरित किये जाने के प्रस्ताव पर इन निदेशों के साथ सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है कि (i) भारतीय वायु सेना वर्तमान सुविधाओं का प्रयोग निरंतर करती रहेगी जब तक समुचित वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है तथा भारतीय वायु सेना की भूमि का हस्तांतरण रक्षा मंत्रालय की सहमति के बाद ही किया जाएगा। (ii) प्रस्तावित संयुक्त उद्यम की वित्तीय तथा संबंधित मामलों की जांच एक समिति द्वारा की जाएगी जिसमें केबिनेट सचिव, वित्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय तथा मुख्य सचिव महाराष्ट्र सरकार शामिल होंगे।

(ग) नागर विमानन मंत्रालय/भा.वि.प्रा. तथा महाराष्ट्र सरकार/एमएडीसी के बीच 18.12.2006 को कार्यालय ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर के अनुसार, एमएडीसी तथा भा.वि. प्राधिकरण की संयुक्त उद्यम कंपनी की शेयरधारिता क्रमशः 51 तथा 49 प्रतिशत होगी।

(घ) परियोजना को शीघ्रतापूर्वक पूर्ण करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

*[हिन्दी]*

**पेट्रोलियम उत्पादों में मूल्य वृद्धि**

**480. श्री संजय धोत्रे :**

**श्री थावरचन्द गेहलोत :**

**श्री जी. करूणाकर रेड्डी :**

**श्री बापू हरी चौरे :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि और कमी का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार फिलहाल पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि अथवा कमी करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मूल्यों में वृद्धि अथवा कमी करने के लिए किन मानदंडों का पालन किया जाता है; और

(घ) सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य वृद्धि से आम उपभोक्ता को राहत प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं क्योंकि इससे आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) :** (क) संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में 1.4.2005 से विगत तीन वर्षों के दौरान हुई वृद्धि/कमी का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के विश्वव्यापी मूल्य 2004 से अधिक और अस्थिर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों अर्थात् पेट्रोल, डीजल, पी डी एस मिट्टी तेल और घरेलू एल पी जी की घरेलू बिक्री पर अल्प वसूलियां प्राप्त कर रही हैं। चूंकि तेल

के मूल्यों में होने वाली अत्यधिक वृद्धि के समस्त भार को उपभोक्ताओं पर डालने से आम आदमी को कठिनाई होगी इसलिए पेट्रोल, डीजल, पी डी एस मिट्टी तेल और घरेलू एल पी जी के खुदरा बिक्री मूल्यों में अन्तर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों के अनुरूप वृद्धि नहीं की गई है। सरकार ने आम आदमी, समाज के अत्यधिक कमजोर वर्गों और ओ एम सीज की वित्तीय स्थिति के भी हितों की रक्षा करने के लिए सरकार, तेल पी एस यूज और उपभोक्ताओं के बीच समान भार बांटने के सिद्धांत को अपनाया है। इस संदर्भ में सरकार ने 15.2.2008 से पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में क्रमशः 2/–रुपये प्रति लीटर और 1/–रुपए प्रति लीटर की मामूली सी वृद्धि की है जो कि वास्तव में खुदरा मूल्यों को फरवरी, 2007 से पहले के मूल्य स्तर तक बहाल करने के रूप में है। सरकार ने तेल बंध–पत्र जारी किए हैं और अपस्ट्रीम तेल कंपनियों ने कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर छूट देकर योगदान किया है ताकि ओ एम सीज की अल्प वसूलियों की आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति की जा सके।

अन्तर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में हुई अत्यधिक वृद्धि के बावजूद, सरकार ने विगत छह वर्षों के दौरान पी डी एस मिट्टी तेल के मूल्यों और विगत तीन वर्षों के दौरान घरेलू एल पी जी के मूल्यों में वृद्धि नहीं की है। सरकार अन्तर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों पर बारीकी से नजर रख रही है और वह उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना जारी रखेगी।

*विवरण*

*संवदेनशील पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में परिवर्तन*

| तारीख | एम एस दिल्ली में खुदरा बिक्री मूल्य रुपए प्रति लीटर | एच एस डी दिल्ली में खुदरा बिक्री मूल्य रुपए प्रति लीटर | पी डी एस एस के ओ दिल्ली में खुदरा बिक्री मूल्य रुपए प्रति लीटर | घरेलू एल पी जी दिल्ली में खुदरा बिक्री मूल्य रुपए प्रति सिलेंडर |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.05 (दिल्ली में वैट लागू किया गया) | 37.99 | 28.22 | 9.05 | 294.75 |
| 04.05.05 (एच एस डी पर वैट दर में कमी) | | 26.45 | | |
| 21.06.05 | 40.49 | 28.45 | | |
| 25.07.05 | | | 9.08 | |
| 07.09.05 | 43.49 | 30.45 | | |
| 21.05.06 | | | 9.09 | |
| 06.06.06 | 47.51 | 32.47 | | |
| 21.06.06 (वैट दर में कमी) | 46.85 | 32.25 | | |
| 30.11.06 | 44.85 | 31.25 | | |
| 16.02.07 | 42.85 | 30.25 | | |
| 06.06.07 | 43.52 | 30.48 | | |
| 08.02.08 (दिल्ली में प्रदूषण उपकर) | | 30.76 | | |
| 15.02.08 | 45.52 | 31.76 | | |

*[अनुवाद]*

**विशेष आर्थिक क्षेत्र**

**481. श्री दुष्यंत सिंह :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में भारतीय पर्यटन विकास निगम ने कोई कदम उठाए हैं;

(ग) क्या इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों के बारे में निजी–सरकारी भागीदारी के मॉडल को अपनाने के संबंध में सोचा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) :** (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**सभी पत्तनों को जोड़ने वाले माल-भाड़ा और यात्री गलियारा**

**482. श्री पन्नियन रवीन्द्रन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने राज्य में सभी पत्तनों और बड़े शहरों को जोड़ने वाले माल–भाड़ा और यात्री गलियारे के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**आंध्र प्रदेश में रेललाइनों की स्थिति**

**483. श्री एल. राजगोपाल :**

**श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में 12 नई रेल लाइनों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है;

(ख) क्या 12 लाइनों में से केवल 2 लाइनों अर्थात् जागयिपेट–विष्णुपुरम और मनोहरबाद–कोठापल्ली का काम पूरा किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपर्युक्त 12 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) से (ग) वर्ष 2004–05 तक आंध्र प्रदेश राज्य में पूरी तरह/आंशिक रूप से पूरे किए गए नई लाइनों के सर्वेक्षण का ब्यौरा इस प्रकार है :

| क्रमांक | सर्वेक्षण का नाम | अनुमानित लागत (करोड़ रु. में) |
|---|---|---|
| 1. | भद्राचलम–कोव्वुर (151 कि.मी.) | 244.00 |
| 2. | दोनाकोंडा–बिट्रागुंटा (197 कि.मी.) | 622.00 |
| 3. | करीमनगर–निजामाबाद को जोड़ते हुए हैदराबाद–गजवल–सिद्दीपेट–सिरसिल्ला–वेमूलवाड़ा (149 कि.मी.) | 308.00 |
| 4. | जडचेरला–नंदयाल (182 कि.मी.) | 566.00 |
| 5. | मछलीपट्टनम–रिपाली (45 कि.मी.) | 259.00 |
| 6. | मेडक–अक्कनापेठ (18 कि.मी.) | 46.00 |
| 7. | नाडीकुडी–श्रीकलाहस्ती (308 कि.मी.) | 711.00 |
| 8. | ओंगोले–दोनाकोंडा (87 कि.मी.) | 196.00 |
| 9. | मंत्रालयम रोड–करनूल बरास्ता येम्मानगर (111 कि.मी.) | 241.00 |
| 10. | पोंड्रू–राजम (19 कि.मी.) | 53.00 |
| 11. | जगयापेट–विष्णुपुरम नई लाइन (55 कि.मी.) | 156.00 |
| 12. | मनोहराबाद–कोठापल्ली (148.9 कि.मी.) | 378.56 |
| 13. | टिंडीवरम–नगरी (179.2 कि.मी.) | 456.00 |
| 14. | रायदुर्ग–तुमकुर बरास्ता कल्याण दुर्ग (213 कि.मी.) | 887.31 |
| 15. | कुड्डापा–बेंगलोर (बंगारपेट) (255.4 कि.मी.) | 1000.23 |
| 16. | तिरूवल्लूर संपर्क लाइन सहित अट्टीपट्टू–पुतुर (83.3 कि.मी.) | 635.00 |
| | योग | 6759.1 |

उपर्युक्त उल्लिखित सर्वेक्षणों में से जग्गयापेट–मेल्लाचेरूवु, मनोहराबाद–कोठापल्ली, विष्णुपुरम–जनपद, टिंडीवरम–नागरी, रायदुर्ग–तुमकुर के नई लाइन के कार्य पहले ही शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा, कुड्डापा–बेंगलोर और अट्टीपट्टू–पुरतुर नई लाइन के कार्य को रेल बजट 2008–09 में प्रस्तावित हैं।

(घ) उपर्युक्त उल्लिखित 16 नई लाइनें के लिए किए गए सर्वेक्षण के आधार पर कुल अनुमानित लागत 6759.1 करोड़ रु. आकलित किया गया था।

**बड़ी इस्पात परियोजनाओं की समीक्षा**

484. **श्री हितेन बर्मन :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बड़ी इस्पात परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने हेतु इनकी समीक्षा और समन्वय उपायों के लिए किसी दल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दल के विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(ग) दल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

**इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) :** (क) सरकार ने, देश में प्रमुख इस्पात निवेश संबंधी मुद्दों की मानीटरिंग और समन्वय करने के लिए एक अंतर–मंत्रालय समूह (आईएमजी) का गठन किया है।

(ख) आईएमजी में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

| | | |
|---|---|---|
| (i) | सचिव, इस्पात मंत्रालय | अध्यक्ष |
| (ii) | सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग | सदस्य |
| (iii) | सचिव, (ट्रैफिक), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय | सदस्य |
| (iv) | सचिव, पोत परिवहन विभाग | सदस्य |
| (v) | सचिव, सडक परिवहन तथा राजमार्ग विभाग | सदस्य |
| (vi) | सचिव, खान मंत्रालय | सदस्य |
| (vii) | सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय | सदस्य |
| (viii) | संबंधित राज्य सरकारों के मुख्य सचिव | सदस्य |
| (ix) | संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय | संयोजक |

आवश्यक होने पर अन्य मंत्रालय/विभाग से इसमें शामिल होने का अनुरोध किया जा सकता है।

इसके अलावा, आईएमजी के विचारार्थ विषय (टीओआर) इस प्रकार हैं:

प्रमुख इस्पात क्षमताओं से संबंधित कार्य को शीघ्र पूरा करने के उपायों की समीक्षा करना और समन्वय करना तथा निम्नलिखित से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर ध्यान देकर उनका समाधान करना:

(i) पत्तनों, रेल तथा सड़क नेटवर्क से संबंधित अवसंरचनात्मक अड़चनें।

(ii) लौह अयस्क तथा कोयले की उपलब्धता।

(iii) परियोजना स्थल और साथ ही लौह अयस्क तथा कोयला खनन कार्यकलापों के लिए शीघ्रता से पर्यावरण संबंधी मंजूरी।

(iv) भूमि तथा जल संसाधनों की उपलब्धता और पुनर्वास से संबंधित मुद्दे।

(v) देश में प्रमुख इस्पात निवेश से संबंधित कोई अन्य मद।

(ग) प्रमुख इस्पात निवेश परियोजनाओं की स्थापना से संबंधित मुद्दों की आवधिक रूप से समीक्षा, मॉनीटरिंग और समन्वय करने तथा तदनुसार कार्रवाई करने के लिए अंतर–मंत्रालय समूह (आईएमजी) का गठन किया गया है।

**विमानपत्तनों पर अवसंरचना संबंधी सुविधाएं**

485. **श्री रायापति सांबासिवा राव :**
**श्री अधीर चौधरी :**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विमानपत्तनों पर बेहतर अवसंरचना संबंधी सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव पर कितनी धनराशि निवेश की जाएगी और इससे पर्यटन क्षेत्र को कितना लाभ मिलने की संभावना है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इसके प्रबंधन के अंतर्गत आने वाले सभी हवाई अड्डों पर अवसंरचना में विस्तार करके देश में हवाई यातायात की प्रत्याशित वृद्धि से निपटने के उपाय आरम्भ किए गए हैं, जैसे टर्मिनल भवनों की क्षमता बढ़ाना, विमानों के लिए और अधिक पार्किंग स्टैण्डों का निर्माण करना और अधिक पार्किंग स्टैण्डों का निर्माण करना और राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली भूमि की उपलब्धता के अध्याधीन लम्बे रनवे प्रदान करना। इसके अतिरिक्त हैदराबाद तथा बंगलौर में सार्वजनिक–निजी भागीदारी के जरिए नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना की जा रही है।

(ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना में विकास के लिए चयनित हवाई अड्डे इस प्रकार हैं : राजस्थान में अजमेर, जयपुर, जैसलमेर, माउंट आबू तथा उदयपुर, चंड़ीगढ़ संघ शासित प्रदेश में चंड़ीगढ़, उत्तराखण्ड में देहरादून तथा पंतनगर, दिल्ली में नई दिल्ली (संयुक्त उपक्रम मार्ग से), जम्मू–कश्मीर में जम्मू, श्रीनगर तथा लेह, मध्य प्रदेश में खजुराहो,

भोपाल तथा इंदौर, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, उत्तर प्रदेश में लखनऊ तथा वाराणसी, पंजाब में लुधियाना, उड़ीसा में भुवनेश्वर तथा झारसुगुडा पश्चिम बंगाल में कोलकाता, कूच बिहार तथा मालदा, बिहार में मुजफ्फरपुर तथा गया, अण्डमान निकोबार में पोर्टब्लेयर, झारखण्ड में रांची, त्रिपुरा में अगरतला, असम में गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ जोरहाट तथा सिल्चर, मेघालय में बारापानी (शिलांग), मणिपुर में इम्फाल, अरुणाचल प्रदेश में इटानगर तथा पासीघाट, सिक्किम में पाक्योंग, नागालैंड में कोहिमा, गुजरात में भावनगर, जामनगर, राजकोट तथा वडोदरा, महाराष्ट्र में अकोला, औरंगाबाद, बारामती, गोंदिया, मुंबई (संयुक्त उद्यम मार्ग द्वारा), जुहू, नागपुर (संयुक्त उद्यम मार्ग द्वारा) तथा पुणे, कर्नाटक में बेलगांव, हासन, हुबली, मंगलौर तथा मैसूर, गोवा में गोवा, लक्षद्वीप समूह में अगाती, केरल में कालीकट तथा त्रिवेन्द्रम, तमिलनाडु में कोयम्बटूर, मदुरै, चेन्नई, त्रिची तथा तूतीकोरिन आंध्र प्रदेश में कड़प्पा, राजमुन्द्री, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम तथा तिरुपति और पांडिचेरी में पांडिचेरी।

(ग) एएआई का 11वीं योजना अवधि में गैर–महानगरीय हवाई अड्डों के लिए 6443 करोड़ रुपए तथा महानगरीय हवाई अड्डों के लिए 5679 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव है।

**विमानन क्षेत्र में मितोपभोग उपाय**

**486. श्री एम. अप्पादुरई :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विचार निजी एयरलाइंसों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए कम दरों पर विमान टिकट की बिक्री शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विमानन क्षेत्र के लाभ को बढ़ाने के लिए फिजूलखर्ची को रोकने हेतु एयरलाइंस कर्मचारियों की दक्षता में वृद्धि और मितोपभोग उपाय करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) और (ख) उद्योग की परिपाटी के अनुसार तथा मांग/आपूर्ति, मौसमीयता, प्रतिस्पर्धा की सीमा और आवृत्ति, टाईमिंग, प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रचालनों आदि जैसे उत्पात संबंधी कारकों के आधार पर, एयर इंडिया विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत कम स्तर के किराए ऑफर करती है। ये ईजी फेयर, अपैक्स फेयर आदि वर्ष भर उपलब्ध रहते हैं। यात्रियों को आकर्षित करने के लिए आवधिक रूप से विशेष प्रोत्साहन योजनाएं/पेशकशें भी चालू की जाती हैं।

(ग) और (घ) पूर्ववर्ती एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस का विलय राजस्व में वृद्धि करने और लागतों में उल्लेखनीय कमी करने की दृष्टि से किया गया है। एयर इंडिया के प्रबंधन ने विभिन्न यूनियनों के साथ वेतन संबंधी करार किए हैं जिनके परिणामस्वरूप बाध्यकारी तथा अनुउत्पादक कार्यपरिपाटियों के साथ–साथ अत्यधिक उच्च भत्तों की समाप्ति हुई है। एयर इंडिया ने लागत कम करने के लिए ईंधन संरक्षण, क्षमता की पुनः नियुक्ति तथा अन्य उत्पादकता वृद्धि के उपायों जैसे दूसरे उपाय भी आरंभ किए हैं।

*[हिन्दी]*

**विमानपत्तनों पर कार्गो परिसर में निःशुल्क भंडारण अवधि**

**487. श्री हंसराज गं. अहीर :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विमानपत्तनों पर भीड़भाड़ को कम करने के लिए विमानपत्तनों के कार्गो परिसर में निःशुल्क भंडारण अवधि को कम करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने टर्मिनल स्टोरेज प्रोसेसिंग (टीएसपी) प्रभार में भी वृद्धि करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या कार्गो के प्रभार में की गई वृद्धि के विरोध में निर्यातकों ने कोई विरोध दर्ज कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने आयात कार्गो के लिए निःशुल्क अवधि को पांच कार्यदिवसों से घटा कर 72 घंटे (अर्थात् तीन कार्यदिवस), निर्यात कार्गो के लिए एयरलाइनों के लिए निःशुल्क अवधि को चार कार्यदिवस से घटा कर 48 घंटे किए जाने के निदेश जारी किए हैं जबकि निर्यातकों के लिए निःशुल्क अवधि को 24 घंटे रखा गया है। इस प्रकार निर्यातकों के लिए उपलब्ध कुल निःशुल्क अवधि 72 घंटे होगी।

(ग) टर्मिनल भंडारण प्रक्रिया प्रभारों को 01 सितम्बर, 2007 से संशोधित किया जाना था। यह संशोधन 31/3/2008 तक टाल दिया गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

## आंध्र प्रदेश में काकीनाड़ा में तेल शोधनशाला

**488. डा. एम. जगन्नाथ : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओ एन जी सी) ने हाल ही में आंध्र प्रदेश में काकीनाड़ा में एक तेल शोधनशाला की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम बोर्ड ने इस परियोजना के लिए अपना सैद्धांतिक अनुमोदन और मंजूरी दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना को पूरा करने के लिए कितना समय लगने का अनुमान है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) :** (क) और (ख) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में एक निर्यातोन्मुखी तेल शोधनशाला स्थापित करने की व्यवहार्यता का पता लगा रही है।

(ग) और (घ) ओ एन जी सी बोर्ड ने 30 जनवरी, 2006 को हुई अपनी 150वीं बैठक में यह नोट किया है कि ओ एन जी सी की एक अनुषंगी कंपनी मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि. (एम आर पी एल) ने आंध्र प्रदेश सरकार (जी ओ ए पी), इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेन्सियल सर्विसिस लिमिटेड (आई एल एंड एफ एस) तथा काकीनाडा सी पोर्ट लि. (के एस पी एल) के साथ इस परियोजना की तकनीकी वाणिज्यिक साध्यता के अध्यधीन काकीनाडा में एक निर्यातोन्मुखी शोधनशाला स्थापित करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए 3 सितम्बर, 2005 को एक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) संपन्न किया था। ओ एन जी सी ने इस परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रोत्साहन पैकेज हेतु आंध्र प्रदेश सरकार से संपर्क किया है।

## भारतीय तेल निगम द्वारा रेलवे को डीजल की आपूर्ति

**489. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल निगम (आई ओ सी) रेलवे को डीजल की आपूर्ति के लिए दरों पर छूट देता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) रेलवे की दरों पर छूट दिए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारतीय तेल निगम का विचार रेलवे को डीजल की दरों पर दी जाने वाली छूट को समाप्त करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) :** (क) से (ग) इंडियन आयल कारपोरेशन (आई ओ सी) ने दिनांक 31.12.2007 तक, रेलवे को उनकी डीजल की आपूर्ति दरों पर उत्पाद शुल्क एवं बिक्री कर लगाने के पहले प्रति कि.ली. 1125.27 रुपए की छूट दी है। दिनांक 1.1.2008 से 31.12.2008 तक रेलवे को डीजल की आपूर्ति पर आई ओ सी द्वारा प्रति कि.ली. पर 150 रुपए की छूट का प्रस्ताव किया गया है। यह छूट परिमाण सुरक्षा एवं व्यवसाय के समग्र हित के लिए दी जाती है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

## महिलाओं के उत्पीड़न/लूटपाट की घटनाएं और दुर्घटनाएं

**490. श्री सुभाष महरिया :**
**श्री के.सी. सिंह "बाबा" :**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महिलाओं के उत्पीड़न/लूटपाट की घटनाओं और दुर्घटनाओं में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इन्हें रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान और अन्य राज्यों में पंजीकृत मामलों की संख्या का ब्यौरा क्या है और कितने मामलों को निपटाया गया तथा कितने मामले लंबित हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार अधिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु महिलाओं के लिए अधिक संख्या में अलग कोच उपलब्ध कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) जी, हां। पिछले

वर्ष 2006 की तुलना में वर्ष 2007 के दौरान महिला यात्रियों के उत्पीड़न की घटनाओं की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। बहरहाल, लूटपाट और दुर्घटनाओं की संख्या में पिछले वर्ष 2006 की तुलना में वर्ष 2007 के दौरान गिरावट आई है।

| वर्ष | महिला यात्रियों के उत्पीड़न घटनाओं की संख्या | यात्रियों को लूटने की घटनाओं की संख्या | दुर्घटनाओं की संख्या |
|---|---|---|---|
| 2006 | 174 | 515 | 212 |
| 2007 | 199 | 416 | 191 |

(ख) यह उल्लेख करना समीचीन है कि कानून एवं व्यवस्था का रखरखाव राज्य का विषय है और भारतीय दंड संहिता वारदातों की छानबीन करने की शक्ति पुलिस के पास है। आईपीसी वारदातों को दर्ज करना और पता लगाना राजकीय रेल पुलिस का उत्तरदायित्व है जो राज्य सरकारों के नियंत्रण में कार्य करती है और इसलिए रेल मंत्रालय को रेलों पर वारदातों के नियंत्रण के लिए अधिकांशतः उन पर निर्भर रहना पड़ता है।

उपयुक्त तथ्य के बावजूद रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए गाड़ियों का मार्गदर्शन करने के लिए रेल सुरक्षा बल कर्मचारियों को तैनात करके रेलवे पर वारदातों को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों की पूर्ति कर रही है।

यात्रियों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. सामान्यतः उपनगरीय गाड़ियों में महिला डिब्बों का मार्गरक्षण रारेपु द्वारा किया जाता है। भेद्य उपनगरीय खंडों पर, विशेषकर अव्यस्त समय के दौरान जब महिलाओं के खिलाफ वारदात होने की संभावना अधिक होती है, महिला चल टिकट परीक्षकों और महिला रेसुब कार्मिकों के विशेष दस्ते तैनात किए जा रहे हैं।

2. महिला डिब्बों में यात्रा करने वाले पुरुष यात्रियों के खिलाफ नियमित अभियान चलाए जाते हैं और पकड़े जाने वाले अपराधियों के खिलाफ रेल अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाता है।

3. महिला यात्रियों के खिलाफ वारदातों की रोकथाम करने वाले वातावरण की रचना के लिए गैर–सरकारी संगठनों और अन्य एजेंसियों की मदद से रेसुब द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।

4. प्लेटफार्म पर तैनात रारेपु और रेसुब कर्मचारियों को स्थानीय उपनगरीय और मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के महिला डिब्बों पर नजर रखने का विशेष अनुदेश दिया जाता है।

5. रात के दौरान किसी जरूरत के मामले में तत्काल मदद हेतु मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में रारेपु कर्मचारी/सचल चौकियों को महिला डिब्बों के नजदीक मुहैया कराने के प्रयास किए जाते हैं।

6. गाड़ियों में महिला/साधारण डिब्बों को गार्ड की ब्रेक वैन के पास रखा गया है ताकि जरूरत के समय पर गाड़ी का गार्ड महिला यात्रियों को तुरंत मदद/सहायता उपलब्ध करा सके।

7. यात्रियों की मदद के लिए सभी स्थानीय गाड़ियों के डिब्बों के दोनों सिरों पर सभी पुलिस स्टेशनों/उपनगरीय खंड के नियंत्रण कक्ष के एमटीएनएल टेलीफोन नंबरों के रेलवे लोगो से युक्त स्टीकर चिपकाए गए हैं।

8. यात्रियों को असामाजिक तत्वों के प्रति सजग रखने के लिए सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर जन उद्घोषणाएं की जाती हैं।

गाड़ी दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए

भारतीय रेल के लिए संरक्षा सर्वोपरि चिंता है और दुर्घटनाओं की रोकथाम करने के लिए हर संभव उपाय किए जाते हैं। इन उपायों के अंतर्पाशल और सिगनल प्रणाली के लिए उपयुक्त एवं आधुनिक तकनीक को अपनाना, रेलपथ और चल स्टॉक के मानदंड का उन्नयन, अनुरक्षण पद्धतियों का आधुनिकीकरण, गतायु परिसंपत्तियों का बदलाव, प्रशिक्षण सामग्री का उन्नयन जैसे सिमुलेटर आदि, संरक्षा सतर्कता के पालन की जांच और टक्कररोधी उपकरण की व्यवस्था शामिल हैं। कर्मचारियों के बीच संरक्षा सचेतना पैदा करने के लिए पूरी रेलवे पर समय–समय पर संरक्षा अभियान चलाए जाते हैं।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**इलाहाबाद और जम्मू के बीच रेलगाड़ी शुरू करना**

491. **श्री रशीद मसूद :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इलाहाबाद, हरिद्वार, सहारनपुर और जम्मू के बीच एक एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी निर्धारित समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या चार हिंदू तीर्थ स्थलों अर्थात् इलाहाबाद, हरिद्वार, सहारनपुर और जम्मू को जोड़ने के उद्देश्य से एक एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने के संबंध में जन प्रतिनिधियों और जनता से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) जी हां। इलाहाबाद-जम्मू तवी के बीच एक्सप्रेस गाड़ी को शुरू करने की जांच की गई है परन्तु टर्मिनल और मार्ग संबंधी तंगियों जैसे परिचालनिक बाध्यताओं के कारण इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया।

*[अनुवाद]*

**घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों का निर्माण**

**492. श्री अनन्त नायक :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में ऐसे स्थानों की पहचान की है, जहां सरकारी-निजी भागीदारी से घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों विमानपत्तनों का निर्माण किया जा रहा है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये विमानपत्तम किस वर्ष तक कार्य करना आरम्भ कर देंगे?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश तथा केरल सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। हैदराबाद तथा बंगलौर में बनाए जा रहे हवाईअड्डे इस वर्ष प्रचालनरत हो जाएंगे। महाराष्ट्र में नवी मुम्बई, गोवा में मोपा तथा केरल में कन्नूर में नए हवाई अड्डों को "सैद्धांतिक रूप से" अनुमोदित कर दिया है। गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में एक हवाई अड्डा स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का प्रस्ताव विचाराधीन है।

**प्रति परिवार एक एल.पी.जी. कनेक्शन**

**493. श्रीमती मेनका गांधी :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में प्रति परिवार केवल एक एल.पी.जी. कनेक्शन देने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि प्रति कनेक्शन केवल एक सिलिंडर रखने वाले परिवार को अपने खाली सिलिंडर को भरवाने से पहले कम से कम 5 से 6 दिन की प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(घ) यदि हां, तो उपभोक्ताओं को ऐसी मुसीबत से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार खाना पकाने के प्रयोजनार्थ बायोगैस जैसे अन्य वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराने की भी योजना बना रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) :** (क) से (घ) घरेलू एलपीजी एक राजसहायता प्राप्त उत्पाद है। यद्यपि ओएमसीज़ ग्राहकों की वास्तविक मांग को पूरा करने के भरसक प्रयास कर रही हैं तथापि, अनधिकृत उपयोग के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का विपथन रोकने के लिए निगरानी रखने की आवश्यकता है। ओएमसीज़ के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों को केवल बुकिंग के अनुसार एलपीजी सिलेण्डर जारी करने होते हैं और ओएमसीज़ द्वारा घरेलू एलपीजी की रीफिल आपूर्तियां ग्राहकों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार की जा रही हैं।

इस समय, वास्तविक घरेलू ग्राहकों के लिए नये एलपीजी कनेक्शन मांग पर उपलब्ध हैं तथा एलपीजी कनेक्शन की आपूर्ति तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति तथा वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 (नियंत्रण आदेश) के प्रावधानों के अंतर्गत विनियमित होती है। घरेलू आधार पर एलपीजी कनेक्शन को प्रतिबंधित करने संबंधी नियंत्रण आदेश में संशोधन सरकार के विचाराधीन है।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज़) ने सूचित किया है कि इस समय देश में कुल मिलाकर एलपीजी की कोई कमी नहीं है और ओएमसीज़ द्वारा वितरकों को एलपीजी की आपूर्तियां, एलपीजी वितरकों के पास पंजीकृत ग्राहकों की वास्तविक मांग के अनुसार घरेलू उत्पादन और आयातों के माध्यम से की जा रही है। ओएमसीज़ ने आगे बताया है कि उन्होंने अप्रैल 2007 – जनवरी, 2008

की अवधि के दौरान, देश में 8450 टीएमटी (हजार मीट्रिक टन) घरेलू एलपीजी की आपूर्ति की है, जबकि गत वर्ष उक्त अवधि में 8030 टीएमटी की आपूर्ति की थी जो 5.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

तथापि, ओएमसीज़ ने देश के कुछ राज्यों में एलपीजी आपूर्तियों में बैकलॉग की सूचना दी थी, जिसके कारण ये थे जनवरी, 2008 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) और एस्सार आयल लिमिटेड द्वारा एलपीजी की भारी मात्रा में आपूर्ति की कटौती करना, जामनगर से उत्तरी क्षेत्र में रेल द्वारा भारी मात्रा में एलपीजी भिजवाने में विलंब होना, कड़ाके की सर्दी के कारण राज्यों की मांग का बढ़ाना जिससे ग्राहकों में घबराहट में बुकिंग की, ठेका श्रमिकों द्वारा हड़ताल करना, आंदोलन संबंधी कार्यकलाप होने, कम ड्राफ्ट, बंध आदि के कारण हल्दिया पत्तन पर पोतों की बर्थिंक में विलंब होना, आदि।

सरकार ने ओएमसीज़ को सलाह दी है कि छुट्टियों और काम के घंटे बढ़ाकर भरण संयंत्रों को चला कर राज्यों में बैकलॉग को समाप्त करें। बैकलॉग को शीघ्र समाप्त करने के लिए कार्य दिवसों के दौरान भरण भी बढ़ाया जा रहा है।

(ङ) और (च) देश में एलपीजी का लगभग 89.9 प्रतिशत प्रयोग भोजन पकाने के प्रयोजन के लिए घरेलू एलपीजी के रूप में किया जाता है। यद्यपि एलपीजी को बदल कर अन्य ईंधन का कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि, प्राकृतिक गैस की अधिक उपलब्धता और भविष्य में आवश्यक पाइपलाइन वितरण तंत्र होने से पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस की आपूर्तियों के स्थान पर धीरे-धीरे कुछ क्षेत्रों में एलपीजी आपूर्तियां हो सकती हैं। इस समय दिल्ली और मुंबई के कुछ क्षेत्रों में पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जा रही है और यह राजसहायता प्राप्त भी है।

**रेलवे स्टेशनों के निकट**
**फुटकर केन्द्र**

**494. श्री चंद्रकांत खैरे :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा रेलवे स्टेशनों के निकट फुटकर केन्द्र खोले जाने पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रेलवे स्टेशनों के निकट भूमि को बेचने/पट्टे पर देने से आज तक अर्जित की गई आय का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे की इस प्रकार के फुटकर केन्द्र खोलने में शिक्षित बेरोजगारों की भागीदारी सुनिश्चित करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) और (ख) एग्री रिटेल चेनों के साथ सहभागिता के द्वारा खाली पड़ी रेल भूमि को समतल करके यातायात को आकर्षित करने की व्यवहार्यता विचाराधीन है।

(ग) से (ङ) एग्री रिटेल चैनों के लिए गैर-महानगरीय शहरों में अधिशेष भूमि में उनकी रूचि को भांपने के लिए भावी निजी प्रतियोगियों से रूचि की अभिव्यक्ति मांगी गई है। इसकी प्रतिक्रिया में 9 फर्मों ने विभिन्न स्थलों के प्रयोग में अपनी रूचि दिखाई है। इस संबंध में आगे किस तरह की कार्यवाही की जायेगी, इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

**कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों**
**की चोरी और तोड़फोड़**

**495. श्री के. एस. राव :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों की चोरी और तोड़फोड़ के कारण कितनी हानि हुई है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तेल पाइपलाइनों की चोरी, तोड़फोड़ और उन्हें नुकसान पहुंचाने के कितने मामलों का पता चला और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार मौजूदा कानून में खामियों को दूर करके यह सुनिश्चित करने के लिए अधिक कड़े और प्रभावी कदम उठाने का है जिसके तहत दोषियों को अपराध के लिए कड़ी सजा दी जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) :** (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) और ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) को हुई हानि की राशि तथा ज्ञात मामलों/पाई गई चोरी, तोड़ फोड़ और कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के नुकसान का विवरण इस प्रकार है:

| वर्ष | हानियों की राशि | ज्ञात मामले |
|---|---|---|
| 2005 | 69,335 लीटर | 41 |
| 2006 | 96,360 लीटर | 42 |
| 2007 | 86,625 लीटर | 40 |

इन सभी मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्टें (एफआईआर) संबंधित पुलिस स्टेशनों में विधिवत दर्ज की गई और 169 से अधिक व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। अधिकांश मामलों में हानि की राशि वसूल की गई और निवल हानि नगण्य थी।

(ग) और (घ) ओएनजीसी और आईआईएल ने संबंधित राज्य सरकारों के साथ समन्वय से चोरी/तोड़फोड़/उठाईगिरी की घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। तथापि विद्यमान कानूनों में संशोधन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**केरोसीन/एल.पी.जी. का अन्यत्र उपयोग/कालाबाजारी**

**496. श्री रघुनाथ झा :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरोसिन/एल पी जी का अपमिश्रण/वाणिज्यिक उपयोग के लिए अन्यत्र उपयोग/कालाबाजारी की जा रही है और देश में विशेषकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल और तमिलनाडु में केरोसिन/एल पी जी की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो केरोसिन/एल पी जी के अन्यत्र उपयोग/कालाबाजारी को रोकने और उपभोक्ताओं के लिए इन मदों की उचित दर पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) केरोसिन/एल पी जी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) :** (क) और (ख) उच्च मूल्य अंतर के कारण कुछ बेईमान तत्वों द्वारा मिट्टी तेल और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल पी जी) की कालाबाजारी की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल का आबंटन भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण के लिए तिमाही आधार पर किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर आगे का वितरण संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 में अपनाई गई नीति के अनुसार प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश में जारी किए गए एल पी जी कनेक्शनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) के तहत वितरण हेतु मिट्टी तेल के आबंटन को 2001–2002 से आरम्भ करते हुए 2003–04 तक प्रत्येक वर्ष घटाया गया। वित्तीय वर्ष 2004–05 के बाद राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में पी डी एस मिट्टी तेल के आबंटन में कोई कटौती नहीं की गई है। वर्ष 2005–06 और 2006–07 के बीच उस वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त आबंटनों समेत आबंटन वर्ष 2004–05 के स्तर तक बनाये रखे गये हैं। वर्ष 2007–08 के लिए भी आबंटन उपर्युक्त स्तर पर बनाये रखे गये हैं। आज की स्थिति के अनुसार देश के किसी भी भाग से मिट्टी तेल की कमी की रिपोर्ट नहीं दी गई है।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज़) ने सूचित किया है कि वर्तमान में देश में कुल मिलाकर एल पी जी की कोई कमी नहीं है और ओ एस सीज़ द्वारा वितरकों को एल पी जी की आपूर्तियां, एल पी जी वितरकों के पास पंजीकृत ग्राहकों की वास्तविक मांग के अनुसार घरेलू उत्पादन और आयातों के माध्यम से की जा रही है। तथापि ओ एम सीज़ ने देश के कुछ राज्यों में एल पी जी आपूर्तियों में बैकलाग की सूचना दी थी जिसके कारण ये थे – जनवरी, 2008 में रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर आई एल) और एस्सार आयल लिमिटेड द्वारा एल पी जी की भारी मात्रा में आपूर्ति की कटौती करना, जामनगर से उत्तरी क्षेत्र में रेल द्वारा भारी मात्रा में एल पी जी भिजवाने में विलम्ब होना, कड़ाके की सर्दी के कारण राज्यों की मांग को बढ़ाना जिससे ग्राहकों में घबराहट में बुकिंग की, ठेका श्रमिकों द्वारा हड़ताल करना, आन्दोलन संबंधी कार्यकलाप होने, कम ड्राफ्ट, बंध आदि के कारण हल्दिया पत्तन पर पोतों की बर्थिंग में विलंब होना, आदि।

सरकार ने ओ एम सीज़ को सलाह दी है कि वे छुट्टियों और काम के घंटे बढ़ा कर भरण संयंत्रों को चलाकर राज्यों में बैकलाग को समाप्त करें। बैकलाग को शीघ्र समाप्त करने के लिए कार्यदिवसों के दौरान भरण को भी बढ़ाया जा रहा है।

राज सहायता प्राप्त पी डी एस मिट्टी तेल लक्षित लाभार्थियों को वितरण करने की दृष्टि से सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

**मिट्टी तेल** - सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) मिट्टी तेल की कालाबाजारी को रोकने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत मिट्टी तेल (प्रयोग पर प्रतिबंध और उच्चतम मूल्य का निर्धारण) आदेश 1993 के प्रावधानों को जारी किया है जिनके द्वारा डीलर, सरकार अथवा ओ एम सीज द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक पर पी डी एस मिट्टी तेल नहीं बेच सकते हैं और पी डी एस मिट्टी तेल डीलरों को भण्डार के स्थान सहित व्यापार के ध्यानाकर्षण स्थान पर बोर्ड पर स्टाक एवं मूल्य लिखकर अवश्य दर्शाना चाहिए।

अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत मिट्टी तेल के विपथन तथा काला बाजारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए नियंत्रण आदेशों के तहत, राज्य सरकारों को कालाबाजरी तथा अन्य

अनियमितताओं में लिप्त सभी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के अधिकार प्रदान किए गए हैं।

सरकार यह ने सुनिश्चित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल नेटवर्क का आमूल चूल सुधार करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना जन केरोसिन परियोजना (जेकेपी) का भी अनुमोदन किया है। यह अत्यधिक रियायती उत्पाद वास्तव में अभीष्ट लाभार्थियों को रियायती मूल्यों पर वांछित मात्राओं में उपलब्ध कराया जाए और द्वितीयतः इस प्रकार मिलावट के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल के विपथन को नियंत्रित, कम और अंततः समाप्त किया जा सके। इस योजना की मुख्य विशेषता यह है कि उप थोक केन्द्रों को आपूर्तियां सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की प्रत्यक्ष निगरानी और उत्तरदायित्व के अंतर्गत की जाएंगी। यह योजना 2 अक्टूबर, 2005 से देश में 414 ब्लाकों में प्रायोगिक आधार पर शुरु की गई है। प्रायोगिक योजना को 31.03.08 तक और आगे बढ़ाया गया है।

रियायती मिट्टी तेल का विपथन/चोरी को रोकने के मद्देनजर और पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन करने वाले टैंक ट्रकों के संचलन की निगरानी कराने हेतु सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को सभी टैंक ट्रकों पर वैश्विक अवस्थिति प्रणाली (जी पी एस) आधारित वाहन ट्रेकिंग प्रणाली स्थापित करने का परामर्श दिया है। इस प्रणाली की अनिवार्य विशेषता यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली एस के ओ को ले जाने वाले वाहन पर एक उपकरण लगा होता है और इसके आपूर्ति स्थान से जाने और गन्तव्य तक पहुंचने तक इसका वास्तविक समय आधार पर पता लगाया जा सकता है।

वाहन ईंधनों में मिलावट रोकने के लिए और साथ ही राजसहायता प्राप्त मिट्टी तेल का विपथन रोकने के लिए सरकार ने तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सी) को अपमिश्रकों में मार्कर आरम्भ करने का परामर्श भी दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र की ओ एम सीज़ ने 1.10.2006 से अखिल भारत आधार पर मिट्टी तेल में मार्कर प्रणाली आरम्भ कर दी है। इस प्रणाली के अंतर्गत सभी डिपुओं में मिट्टी तेल में मार्कर डाला रहा है। यह प्रणाली संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में परिवहन ईंधनों में मिलावट नियंत्रित करने और अंततः समाप्त करने के लिए विश्व स्तर की प्रौद्योगिकी का आरम्भ किए जाने की द्योतक है। मार्कर की उपस्थिति में मिट्टी तेल में बहुत थोड़ी मिलावट का भी पता लगाया जा सकता है। मिलावट रोकने के लिए मिट्टी तेल में मार्कर प्रणाली आरम्भ करने के संबंध में प्रावधान बनाने के लिए एम एस/एच एस डी नियंत्रण आदेश, 2005, मिट्टी तेल नियंत्रण आदेश 1993 तथा एम डी जी 2005 को संशोधित किया गया है। मार्कर प्रणाली की प्रगति की निगरानी हेतु मंत्रालय द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। साथ ही साथ निजी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों से भी मिट्टी तेल में मार्कर आरम्भ करने के लिए कहा गया है, जैसा कि सार्वजनिक क्षेत्र की ओ एम सीज द्वारा किया जा रहा है।

**एल पी जी** - वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए घरेलू एल पी जी सिलेंडरों का विपथन/काला बाजारी रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए थे:–

(1) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रख्यापित एल पी जी (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के अधीन सार्वजनिक वितरण क्षेत्र की ओ एम सीज़ के वितरकों द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए घरेलू एल पी जी सिलेंडरों का विपथन/काला बाजारी वर्जित है। राज्य सरकारों को इस आदेश के प्रावधानों के अधीन दोषी वितरकों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार होता है। राज्य सरकारों को अनधिकृत उपयोग के लिए घरेलू सिलेंडरों के विपथन के विरुद्ध कदम उठाने हेतु समय समय पर सतर्क किया जाता रहा है।

(2) सार्वजनिक क्षेत्र की ओ एम सीज़ के अधिकारी वितरकों के गोदाम, सुपुर्दगी बिन्दुओं और मार्ग में भी औचिक जांच करते रहते हैं। ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई विपथन/काला बाजारी न होने पाए। एम डी जी के अनुसार वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए घरेलू एल पी जी सिलेंडर का विपथन/काला बाजारी सिद्ध हो जाने के मामले में वितरण के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की जाती है।

(क) पहले अपराध के मामले में 20,000 रुपए जुर्माना प्लस वाणिज्यिक दरों पर विपथन की गई एल पी जी कीमत।

(ख) दूसरे अपराध के मामले में 50,000 रुपए जुर्माना प्लस वाणिज्यिक दरों पर विपथन की गई एल पी जी कीमत।

(ग) तीसरे अपराध के मामले में डिस्ट्रीब्यूटरशिप समाप्त कर देना।

(ग) मिट्टी तेल एल पी जी समेत पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में सुधार करने के लिए कच्चे तेल के उत्पादन में सुधार करने हेतु उपाय किये जा रहे हैं। बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए देश मे हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और उत्पादन कार्यकलापों में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:–

(1) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन ई एल पी) के विभिन्न दौरों के अंतर्गत, अन्वेषण के लिए अधिकारिक क्षेत्रों को चिन्हित करना तथा उन्हें पेशकश पर रखना।

(2) उत्पादन चालू करने के लिए समर्थ बनाने हेतु खोजे गए भंडारों का अधिक तेजी से विकास करना।

(3) वर्तमान क्षेत्रों से प्राप्ति बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक तकनीकों का प्रयोग करना।

(4) वर्तमान क्षेत्रों से प्राप्ति बढ़ाने के लिए वर्धित तेल निकासी (ई ओ आर) उन्नत तेल निकासी (आई ओर आर) तकनीकों को लागू करना।

(5) पुराने क्षेत्रों में आ रही गिरावट को रोकना।

(6) देश में इक्विटी तेल लाने के लिए अन्वेषण रकबों और उत्पादनशीलता सम्पत्तियों का अर्जन करना।

(7) ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोतों, जैसे बायो डीजल, एथेनोल, आदि के इस्तेमाल के जरिए तेल को प्रतिस्थापित करना।

**अटारी रेलवे स्टेशन**

**497. श्री नवजोत सिंह सिद्धू :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को भारत–पाकिस्तान व्यापार की हैंडलिंग के लिए अमृतसर और अटारी रेलवे स्टेशन पर अवसंरचना अर्थात् सड़कों, शेड़ों और प्लेटफार्म के सुधार के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे को अटारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अटारी शाम सिंह रखे जाने के लिए भी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) जी, हां।

(ख) अमृतसर और अटारी रेलवे स्टेशनों पर अन्य आधारभूत सुविधाओं और पहुंच मार्गों की मरम्मत हेतु अमृतसर निर्यातकों के चैंबर ऑफ कार्मस से एक अभ्यावेदन जनवरी, 2008 में प्राप्त हुआ है।

(ग) जी, हां।

(घ) रेल मंत्रालय सहित विभिन्न एजेंसियों के प्रतीयमान दृष्टिकोण और संबंधित राज्य सरकार द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर रेलवे स्टेशनों के नाम को बदलने हेतु गृह मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय है। गृह मंत्रालय से इस संबंध में अभी तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

**मुख्यालयों को मुंबई से अहमदाबाद स्थानांतरित करना**

**498. श्री भरतसिंह माधवसिंह सोलंकी :**
**श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार से पश्चिम रेलवे के मुख्यालय को मुंबई से अहमदाबाद में स्थानांतरित करने के लिए कोई प्रस्ताव आया है?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात सरकार की पश्चिम रेलवे में यात्री और माल यातायात में व्यापक हिस्सेदारी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी नहीं। पश्चिम बंगाल रेलवे के यात्री एवं माल यातायात में परेषक अथवा परेषिती के रूप में गुजरात सरकार की व्यापक हिस्सेदारी नहीं है। बहरहाल, पश्चिम रेलवे पर यात्री एवं माल यातायात में राज्य सरकार का बड़ा हिस्सा है।

**डाकघरों में विमान टिकटों की बिक्री**

**499. श्री किन्जरपु येरननायडु :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न विमान कंपनियों के सहयोग से कर्नाटक के विभिन्न डाकघरों में विमान टिकटों की बिक्री शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों में भी डाकघरों के माध्यम से विमान टिकटों की बिक्री करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) और (ख) डाक विभाग ने 2 जुलाई, 2007 से कर्नाटक डाक परिमंडल में चुने हुए 511 ई–एनेबल डाकघरों में डेक्कन एविएशन लिमिटेड के विमान टिकटों की बिक्री के लिए एक अग्रणी परियोजना कार्यान्वित की है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठते।

निःशक्त व्यक्तियों के लिए संवितरित धनराशि

**500. श्री सुरेश अंगड़ि :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निःशक्त व्यक्तियों के लिए विभिन्न राज्यों को संवितरित धनराशि का उपयोग नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान निःशक्त व्यक्तियों के लिए कुल कितनी राशि निर्धारित की गई थी; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) :** (क) और (ख) निःशक्त व्यक्तियों के लिए निधियां राज्य-वार वितरित नहीं की जाती है।

(ग) और (घ) वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 में दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना, सहायक उपकरण/यंत्रों की खरीद/फिटिंग के लिए निःशक्त व्यक्यिों को सहायता की योजना और निःशक्त जन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत क्रमशः 174.64 करोड़ रुपए, 170.34 करोड़ रुपए और 172.20 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।

सेल का पुनर्गठन

**501. श्री अमिताभ नन्दी :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) को सरकार की लगातार सहायता के बावजूद भारी नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के पुनर्गठन के लिए अप्रैल, 2006 से अब तक दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

**इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) :** (क) और (ख) जी, नहीं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. वर्ष 2003-04 से लगातार लाभ अर्जित कर रहा है। कर-पश्चात वार्षिक लाभ का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(करोड़ रुपए)

| 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | अप्रैल-दिसं., 07 |
|---|---|---|---|---|
| 2512 | 6817 | 4013 | 6202 | 5160 |

(ग) पुनर्संरचना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. को अप्रैल, 2006 के बाद कोई बजटीय सहायता नहीं दी गई है।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश

**502. श्री अबु अयीश मण्डल :** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र में चल रहे बड़े उद्योगों में मार्च, 2007 के अंत तक कुल कितना निवेश किया गया;

(ख) वर्ष 2006-07 के दौरान इन उद्योगों द्वारा कितने मूल्य का व्यापार किया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन उद्योगों द्वारा लाभ के रूप में कुल कितनी धनराशि अर्जित की गई?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) :** (क) 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 27 निर्माणाधीन उद्यमों सहित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 244 उद्यमों में कुल निवेश की राशि 421089 करोड़ रुपए थी।

(ख) वर्ष 2006-07 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 217 प्रचालनरत उद्यमों का कुल कारोबार 964410 करोड़ रुपए था।

(ग) 217 प्रचालनरत उद्यमों के निवल लाभ की कुल राशि 81550 करोड़ रुपए थी।

सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा विदेशी कंपनियों में निवेश

**503. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों ने दूसरे देशों में विदेशी कंपनियों में पूंजी निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र की कौन-कौन सी कंपनियों ने दिसम्बर, 2007 के अंत तक विदेशी कंपनियों में निवेश किया है और ऐसे पूंजीगत निवेश की धनराशि कितनी है; और

(ग) उक्त कपंनियों द्वारा स्वदेशी तेल कंपनियों में कितना पूंजीगत निवेश किया गया है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) :** (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की मुख्य तेल विपणन कंपनियों द्वारा विदेश में विदेशी कंपनियों में किया गया पूंजी निवेश एवं इन कंपनियों द्वारा स्वेदशी तेल कंपनियों में किया गया पूंजी निवेश निम्नानुसार है :

(रुपए करोड़ में)

| कंपनी का नाम | विदेशी कंपनियों में किए गए निवेश की धनराशि | स्वदेशी तेल कंपनियों में किए गए निवेश की धनराशि |
|---|---|---|
| ओ एन जी सी | 30855.00 | 3914.62 |
| ओ आई एल | .0022 | 483.65 |
| आई ओ सी एल | 523.15 | 2560.76 |
| बी पी सी एल | 17.45 | 56.81 |
| एच पी सी एल | 7.21 | 1115.22 |
| गेल | 155.67 | 556.29 |

**गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि देने की पद्धति**

**504. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गैर–सरकारी संगठनों को धनराशि दिए जाने के लिए अपनाए जा रहे मापदंड और पद्धति क्या है;

(ख) देश में गैर–सरकारी संगठनों की कुल संख्या कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान इनमें से देशवार कितने संगठनों को धनराशि/सहायता दी गई है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को धनराशि/सहायता के किसी दुरूपयोग की जानकारी मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन गैर–सरकारी संगठनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) कितने चूककर्ता गैर–सरकारी संगठनों पर अभियोजन चलाया गया है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(च) इनमें से कितने संगठनों को भावी सहायता के लिए वंचित किया गया है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) :** (क) निम्नलिखित मानदंड को पूरा करने की शर्त पर गैर–सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है :–

(i) उपयुक्त प्रशासनिक ढांचे के साथ उपयुक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत और विधिवत गठित प्रबंधन/कार्यकारी समिति सहित लाभ न लेने वाली सोसाइटी।

(ii) सहायता–अनुदान हेतु आवेदन करते समय कम से कम दो वर्षों की अवधि के लिए पंजीकरण।

योजना में निर्धारित मानकों के अनुसार गैर–सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसका ब्यौरा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध है।

(ख) यह मंत्रालय देश में गैर–सरकारी संगठनों की कुल संख्या के आंकड़े का रख–रखाव नहीं करता है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले गैर–सरकारी संगठनों की कुल संख्या संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ग) से (च) काली–सूची में डाले गए और आगे सहायता अनुदान से वंचित किए गए गैर–सरकारी संगठनों तथा विगत तीन वर्षों के दौरान की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण–II पर दिया गया है।

*विवरण-I*

*विगत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले गैर–सरकारी संगठनों की कुल संख्या*

| क्र.सं. | योजना का नाम | 2004–05 | 2005–06 | 2006–07 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | दीन दयाल विकलांग पुनर्वास योजना | 688 | 741 | 687 |
| 2. | अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान | 253 | 348 | 335 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | वृद्धजनों के लिए समेकित कार्यक्रम | 444 | 415 | 407 |
| 4. | अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लिए कोचिंग एवं संबंद्ध सहायता (पूर्व संशोधित) | 49 | 55 | 58 |
| 5. | सहायक तंत्र/उपकरण की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता (एडिप) | 144 | 138 | 87 |
| 6. | मद्यमान एवं द्रव्य (नशीली दवा) दुरूपयोग निवारण | 321 | 295 | 277 |
| 7. | अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता | 190 | 148 | 83 |
| 8. | समाज रक्षा के क्षेत्र में सहायता हेतु सामान्य सहायता अनुदान कार्यक्रम | 18 | 11 | 38 |

***विवरण-II***

*विगत तीन वर्षों के दौरान आगे सहायता अनुदान के लिए वंचित किए गए गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा :*

| क्रम सं. | संगठन का नाम | स्थिति रिपोर्ट |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | तलगर्दा हरिजन साही महिला समिति, गैकनपाली, पो. टपारिया वाया गोपालपुर, जिला सुन्दरगढ़, उड़ीसा | गैर-सरकारी संगठन को काली-सूची में डाल दिया गया है। अनुदान की वसूली के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। |
| 2. | उड़ीसा वालन्ट्री एसोसिएशन फॉर रूरल सोसिओ डेवलपमेंट, कालियापत, पो. गोपीकुड, जिला जगतसिंहपुर, उड़ीसा | गैर-सरकारी संगठन को काली-सूची में डाल दिया गया है। अनुदान की वसूली के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। |
| 3. | पीपुल आर्गनाइजेशन ऑफ ओरियन्टेशन एंड रिनोवेशन, पो. नवगांव, वाया श्रीगिडा, जिला केवनझार, उड़ीसा | गैर-सरकारी संगठन को काली-सूची में डाल दिया गया है। अनुदान की वसूली के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। |
| 4. | नेशनल यूथ सर्विस एक्शन एंड सोसल डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, संथासारा, पो. संथापुर वाया गोंडिया, जिला धेनकनाल, उड़ीसा | गैर-सरकारी संगठन को काली-सूची में डाल दिया गया है। अनुदान की वसूली के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। |
| 5. | श्री दामोदरन संजीवैया मेमोरियल हाई-स्कूल, सेक्टर-6, भिलाई नगर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ | गैर-सरकारी संगठन को काली-सूची में डाल दिया गया है। अनुदान की वसूली के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। |
| 6. | आयुश फाउंडेशन, डी-4, पंचवटी अपार्टमेंट, पंचवटी क्रॉस रोड, इलिसब्रिज, अहमदाबाद, गुजरात | गैर-सरकारी संगठन को काली-सूची में डाल दिया गया है। आगे अनुदान बंद कर दिया गया है। |
| 7. | ग्राम चेतना सेवा समिति, हाउस ऑफ श्री धनन्जय राठौर, रेती फाटक, किला गेट, लोहा मंडी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश | गैर-सरकारी संगठन को काली-सूची में डाल दिया गया है। आगे अनुदान बंद कर दिया गया है। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 8. | आदर्श शिवम सोसल डेवलपमेंट सोसाइटी, हाउस ऑफ श्री एस.सी. तिवारी, भरोली रोड, एस.पी. आफिस के पास, भिण्ड, मध्य प्रदेश | गैर-सरकारी संगठन को काली-सूची में डाल दिया गया है। आगे अनुदान बंद कर दिया गया है। |
| 9. | राजीव गांधी मेमोरियल प्रि-इक्जामिनेशन कोचिंग सेंटर, राम मंदिर के पास, बिदर, कर्नाटक | संगठन से राशि की वसूली करने और उससे भू-राजस्व के बकाया के रूप में मंत्रालय को वापस करने के लिए जिला प्रशासन से अनुरोध किया गया है। |
| 10. | इंडिपेंडेंस प्रि-इक्जामिनेशन कोचिंग सेंटर, 1, मुनियप्पा ले-आउट, न्यू पुलिस स्टेट रोड, के.आर. पुरम, बंगलौर, कर्नाटक | संगठन से राशि की वसूली करने और उससे भू-राजस्व के बकाया के रूप में मंत्रालय को वापस करने के लिए जिला प्रशासन से अनुरोध किया गया है। |
| 11. | तपस्वी सेवा चैरिटेबुल ट्रस्ट ग्लोब सिनेमा के पीछे, नाडियाड, जिला खेड़ा, गुजरात | गैर-सरकारी संगठन को काली-सूची में डाल दिया गया है। अनुदान की वसूली के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। |
| 12. | सेन्ट्रल इंग्लिश एकेडमी, पटना, बिहार | गैर-सरकारी संगठन को काली-सूची में डाल दिया गया है। अनुदान की वसूली के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। |
| 13. | यूथ मोबलाइजेशन फॉर नेशनल एडवांसमेंट, पटना, बिहार | गैर-सरकारी संगठन को काली-सूची में डाल दिया गया है। अनुदान की वसूली के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। |

### रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा जांच

**505. श्री बची सिंह रावत "बचदा" : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कुछ रेलवे स्टेशनों पर सामान और यात्रियों के लिए सुरक्षा जांच में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ायी जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) जी हां।

(ख) और (ग) संवदेनशील स्टेशनों की पहचान कर ली गयी है। भारतीय रेल के 100 रेलवे स्टेशनों पर 'एकीकृत सुरक्षा प्रणाली' को विकसित करने के लिए सीधे खरीद के आधार पर अथवा बो ओ ओ टी (निर्माण करो, अपनाओ, परिचालन करो तथा हस्तांतरित करो) सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के जरिए 'अभिरूचि की अभिव्यक्ति' आमंत्रित की गयी है। इसके अलावा, अन्य उपाय जैसे रिक्तियों को भरने, जनशक्ति बढ़ाने इत्यादि भी शुरू किए जा रहे हैं।

### हैदराबाद और बंगलौर विमानपत्तनों पर विकास शुल्क

**506. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद और बंगलौर में नए विमानपत्तनों को शीघ्र शुरू किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेश जाने वाले यात्रियों को अत्यधिक प्रयोक्ता विकास शुल्क देना पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विमान कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रयोक्ता विकास शुल्क बढ़ाए जाने से तेजी से प्रगति करने वाले इन शहरों के यात्रियों को गवां बैठने के बारे में चिंतित हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की नागर विमानन के साथ नए प्रभारों के बारे में कुछ करने में संबंध में एक बैठक हुई थी; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं कि यात्रियों से विकास शुल्क के रूप में अधिक प्रभार न वसूला जाए?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग) हैदराबाद अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (एचआईएएल) तथा बंगलौर अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (बीआईएल) के साथ भारत सरकार (जीओआई) द्वारा किए गए रियायत करार के अनुसार, दोनों हवाई अड्डा कम्पनियों को हवाई अड्डा शुरू होने की तारीख से प्रभावी उपभोक्ता विकास शुल्क (यूडीएफ) वसूलने की अनुमति की गई है, जिसे यात्री सुख–सुविधाओं, सेवाओं तथा सुविधाओं के प्रावधान के लिए यात्र करने वाले घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों पर आगामी वर्षों में मंहगाई सूचकांक के अनुसार विधिवत रूप से बढ़ाया जा सकेगा।

(घ) से (च) सचिव, नागर विमानन ने 5 फरवरी, 2008 को अनुसूचित एयरलाइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ यूडीएफ मामले पर विचार–विमर्श किया था। उनके सुझावों पर सरकार विचार कर रही है।

*[हिन्दी]*

**विदेशों में तेल और गैस इक्विटी परिसंपत्तियों का अधिग्रहण**

**507. श्री रघुवीर सिंह कौशल** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों में तेल और गैस इक्विटी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के प्रयास किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अधिग्रहित परिसंपत्तियों से कितना लाभ होने का अनुमान है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में, ओ एन जी सी विदेश लिमिटेड (ओ वी एल) तथा अन्य राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एन ओ सीज) जैसे आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल), इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी), गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी पी सी एल) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच पी सी एल) ने 20 देशों में 35 तेल और गैस परियोजनाओं में सहभागिता हित अर्जित किया है।

(ग) तेल कंपनियों को वाणिज्यिक लाभ होने के अतिरिक्त, विदेश में इक्विटी तेल, राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा भी उपलब्ध कराता है। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में तेल/गैस वाणिज्यिक प्रतिफल पर बेचा जा सकता है, तो भी राष्ट्रीय आवश्यकात के समय में वाणिज्यिक प्रतिफल का ध्यान रखे बिना उसे भारत में लाया जा सकता है।

*[अनुवाद]*

**क्षेत्रीय विमान कंपनियों के लिए आवेदन**

**508. श्री एस.के. खारवेन्थन** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई क्षेत्रीय विमान कंपनियों के प्रचालन हेतु निर्धारित मापदंड क्या हैं;

(ख) क्या गत वर्ष के दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रीय विमान कंपनियों ने प्रचालन शुरू किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नई क्षेत्रीय विमान कंपनियों के बड़ी संख्या में आवदेन विचार और लागू किए जाने हेतु लंबित हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में विशेषकर दक्षिण क्षेत्रों में नई क्षेत्रीय विमान कंपनियों का प्रचालन कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(च) क्या अनिवासी भारतीयों को भी क्षेत्रीय विमान कंपनियों के प्रचालन के लिए लाइसेंस मिलता है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल)** : (क) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने अनुसूचित क्षेत्रीय विमान परिवहन सेवा के लिए नागर विमानन अपेक्षाएं जारी की हैं।

क्षेत्रीय एयरलाइन की अवधारणा एक क्षेत्र के भीतर विमान संपर्कता को प्रोत्साहित करने तथा टीयर II तथा टीयर III और विशिष्ठ क्षेत्रों के बीच विमान यात्रा सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरंभ की गई है। उड़ान सूचना क्षेत्रों (एफआईआर) के अनुसार चार क्षेत्रों की पहचान की गई है तथा उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी/उत्तर पूर्वी, जैसाकि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) द्वारा परिभाषित किया गया है। क्षेत्रीय एयरलाइनों को श्रेणी I मार्गों पर प्रचालन की अनुमति नहीं है। बहरहाल दक्षिणी क्षेत्र जिसमें तीन महानगर हैं की क्षेत्रीय एयरलाइनों को इन महानगरों के मध्य तथा बैंगलोर, चेन्नई तथा हैदराबाद प्रचालन की अनुमति है।

एयरलाइन न्यूनतम तीन विमानों के साथ प्रचालन कर सकती है तथा उनकी इक्विटी आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं :–

(i) 40,000 किलोग्राम के समान या अधिक टेकऑफ मास वाले विमान के साथ प्रचालन करने वाली एयरलाइनें।

(क) तीन विमानों तक – 30 करोड़ रुपए,

(ख) प्रत्येक अतिरिक्त विमान के लिए 10 करोड़ रुपए के अतिरिक्त इक्विटी निवेश की आवश्यकता है बशर्ते यह अधिकतम 50 करोड़ रुपए हो, जिसके पश्चात और इक्विटी संवर्धन की आवश्यकता नहीं है।

(ii) 40,000 किलोग्राम से कम टेकऑफ मास वाले विमान के साथ प्रचालन करने वाली एयरलाइनें।

(क) तीन विमानों तक – 12 करोड़ रुपए,

(ख) प्रत्येक अतिरिक्त विमान के लिए 4 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी की आवश्यकता है बशर्ते यह अधिकतम 20 करोड़ रुपए हो, जिसके पश्चात और इक्विटी संवर्धन की आवश्यकता नहीं है। यदि एयरलाइन के पास 50 करोड़ रुपए की प्रदत्त इक्विटी/आरक्षित निधियां उपलब्ध हों तो इक्विटी के और संवर्धन की आवश्यकता नहीं है।

बहरहाल, यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे यातायात मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के मद्देनजर विशिष्ठ स्थानों के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध कराएं।

(ख) और (ग) चार कंपनियों तथा दक्षिणी क्षेत्र के लिए मैसर्स स्टार एविएशन, उत्तरी क्षेत्र के लिए मैसर्स एमडीएलआर एयरलाइन्स तथा मैसर्स जैक्सन एयरलाइन्स और उत्तर/पश्चिमी क्षेत्र के लिए जैडएवी एयरलाइंस को अनुसूचित विमान परिवहन (क्षेत्रीय) सेवाएं प्रचालित करने के लिए आरंभिक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान किए गए हैं।

(घ) और (ङ) नई क्षेत्रीय एयरलाइनों के लिए चार आवेदन प्रक्रियाधीन हैं। क्षेत्रीय एयरलाइनों कि प्रचालनिकता, आवेदकों द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने, उनकी प्रचालनिक तैयारी तथा वाणिज्यिक नियोजन पर निर्भर करती है।

(च) और (छ) जी, हां। एनआरआई क्षेत्रीय एयरलाइनों में 100% तक निवेश करने के लिए पात्र हैं।

**त्यौहारों के समय प्लेटफार्मों पर भीड़भाड़ कम करना**

**509. श्री मिलिन्द देवरा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने त्यौहारों के समय प्लेटफार्मों पर भीड़भाड़ कम करने की और एक प्रमुख कदम उठाते हुए 20 से 13 दिसंबर तथा नवंबर 2007 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म टिकट न बेचने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म टिकटों की औसत दैनिक बिक्री कितनी है;

(घ) लगाए गए प्रतिबंध की अवधि के दौरान सरकार को राजस्व संबंधी कितना घाटा हुआ और इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार की क्या कदम उठाने की योजना है;

(ङ) क्या वरिष्ठ नागरिकों तथा निःशक्त व्यक्तियों के हितों को ध्यान रखा गया था;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि वर्तमान प्रयोग सफल साबित होता है तो क्या भारत के अन्य प्रमुख शहरों के संबंध में भविष्य में ऐसे ही निर्णय लिए जायेंगे?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) और (ख) 20 से 31 दिसंबर 2007 तक त्यौहार के समय के दौरान प्लेटफार्मों पर भीड़भाड़ कम करने हेतु, प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री को 16.00 से 24.00 घंटों की एक शिफ्ट के लिए प्रतिबंधित किया गया था। 7 से 15 नवंबर 2007 तक, सभी तीन शिफ्टों में बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

(ग) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म टिकटों की दैनिक औसत बिक्री 2007 में 23,067 थी।

(घ) आर्थिक हानि को ध्यान में नहीं लिया गया था क्योंकि यह कदम सुरक्षा कारणों और प्लेटफार्मों पर अत्यधिक भीड़भाड़ को ध्यान में रखते हुए लिया गया था।

(ङ) और (च) वरिष्ठ नागरिकों और अशक्त व्यक्तियों के हितों को देखते हुए, प्लेटफार्म टिकटों को इन व्यक्तियों की आवश्यकता और मेरिटों के आधार पर 20 से 31 दिसंबर 2007 तक शाम की शिफ्ट और 7 से 15 नवंबर, 2007 तक पूर्ण अवधि के दौरान प्रवेश द्वारा के निकट सहायता बूथ पर उनको मुहैया कराया गया था।

(छ) संबंधित क्षेत्रीय रेलवे स्टेशन स्थिति के आधार पर उपयुक्त कदम उठायेगा।

**वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याण योजनाएं**

**510. श्री दलपत सिंह परस्ते :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को पेश आ रही समस्याओं की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए बनाई गई तथा लागू की गई योजनाएं/कार्यक्रम कौन-कौन से हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन)** : (क) से (ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, योजना स्कीम "वृद्धजनों के लिए एकीकृत कार्यक्रम" जिसमें वृद्धाश्रम, दिवा देखभाल केन्द्र और सचल मेडिकेयर यूनिटों के रख-रखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता के लिए योजना कार्यान्वित कर रहा है।

वृद्धजनों संबंधी राष्ट्रीय नीति वित्तीय सुरक्षा, भोजन और पोषण, आश्रय, स्वास्थ्य, जान और माल की रक्षा आदि जैसी वरिष्ठ नागरिकों को पेश आ रही समसयाओं का पता लगाती है।

## अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति

511. **श्री के.सी. पल्लानी शामी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए बड़ी संख्या में आवेदन रेलवे के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मंडल-वार ब्यौरा क्या है तथा बड़ी संख्या में पुराने आवेदनों पर कार्रवाई नहीं करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे ने अनुकंपा आधार पर ऐसी नियुक्तियों को शीघ्र करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी। बहरहाल, कर्मचारियों की मृत्यु और चिकित्सा आधार पर अयोग्यता रेलवे पर एक सतत् प्रक्रिया है। इसलिए, समय विशेष पर कुछ मामले हमेशा लंबित रहते हैं।

(ग) और (घ) अकस्मात मृत्यु अथवा चिकित्सा आधार पर सेवा निवृत्त होने वाले रेल कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों से संपर्क करने और इन नियुक्तियों के लिए आवेदन जमा किए जाने पर, शीघ्रता से ही विस्तृत जांच करने के लिए कल्याण निरीक्षकों की नियुक्ति की जाती है। मंडल/मुख्यालय स्तर पर लगातार अनुवीक्षण किया जाता है। चयन मासिक आधार पर किया जाता है। शिकायतों का शीघ्रता से निपटान करने के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पर अदालतें भी आयोजित की जाती हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

## एल पी जी के लिए फाइबर ग्लास सिलिन्डरों की शुरूआत

512. **श्री एस. अजय कुमार** :
**श्री एन.एन. कृष्णदास** :
**श्री बाडिगा रामकृष्णा** :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एल पी जी वितरण में होने वाली धांधली को रोकने के लिए नोर्वे से आयातित फाइबर ग्लास के सिलिन्डरों में एल पी जी उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान रूप में एल पी जी सिलिन्डरो की कमी के कारण सरकार फाइबर ग्लास के सिलिन्डरों का प्रयोग करने के लिए बाध्य हुई है;

(घ) क्या उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा एल पी जी उपभोक्ताओं को पेश आ रही समस्याओं, विशेष रूप से वितरण में हो रही धांधली की समस्या की पहचान करने के लिए एक समिति गठित की गई है;

(ङ) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(च) पूरे देश में एल पी जी की आपूर्ति में भारी कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) से (ग) सरकार ने घरेलू एल पी जी का विपणन करने के लिए कम्पोजिट सिलेण्डर आरंभ करके उत्पाद लाइन का विस्तार करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कपंनियों (ओ एम सीज) को "सिद्धांत रूप में" अनुमोदन संसूचित कर दिया है बशर्ते कि इन कम्पोजिट सिलेण्डरों के जरिए विपणन की जाने वाली एल पी जी में कोई राजसहायता तत्व न हो।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) एल पी जी उपभोक्ताओं द्वारा झेली जा रही समस्याओं की पहचान करने के लिए उपभोक्ता कार्य विभाग (डी सी ए) द्वारा किसी समिति का गठन नहीं किया गया है।

(च) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) ने सूचित किया है कि वर्तमान में देश में एल पी जी की कुल मिलाकर कोई कमी नहीं है, और एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों के पास पंजीकृत ग्राहकों की वास्तविक मांग के अनुसार डिस्ट्रीब्यूटरों को एल पी जी की आपूर्तियों ओ एम सीज द्वारा घरेलू उत्पादन और आयातों के माध्यम से की जाती है।

तथापि ओ एम सीज ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर आई एल) और एस्सार आयल लिमिटेड द्वारा जनवरी, 2008 में थोक एल पी जी की आपूर्ति में कमी किए जाने, रेल द्वारा थोक एल पी जी की दुलाई में विलंब, अत्यधिक ठंड के कारण देश के कुछ राज्यों में बढ़ी हुई मांग जिसके कारण ग्राहकों द्वारा घबराहट में अंधाधुंध बुकिंग की गई, ठेका श्रमिकों द्वारा हड़ताल के कारण देश के कुछ राज्यों में एल पी जी की आपूर्तियों में बकाया की सूचना दी थी। सरकार ने ओ एम सीज को छुट्टी के दिनों को और बढ़ाए गए घंटों के दौरान भरण संयंत्रों का प्रचालन करके राज्यों में बकाया को समाप्त करने की सलाह दी है। बकाया को शीघ्र पूरा करने के लिए कार्य दिवसों के दौरान भी घंटे बढ़ाकर भराई की जा रही है।

**रेलवे प्रतिनिधिमंडल का इस्राइल दौरा**

513. **श्री सुग्रीव सिंह :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ दिनों में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने इस्राइल का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त दौरे के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) उक्त प्रतिनिधिमंडल द्वारा इस्राइल के साथ चर्चित आपसी सहयोग के विभिन्न मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे का विचार रेल नेटवर्क के लिए उन्नत सिम्यूलेटरों तथा रेडियो प्रणाली को स्थापित करने हेतु इस्राइल का सहयोग लेने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) और (ख) 17 से 19 दिसंबर, 2007 तक तेल अवीव, इस्राइल द्वारा आयोजित "रेल नावल्टी, विनियमन और संरक्षा" पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए इस्राइली उप प्रधानमंत्री और परिवहन एवं सड़क संरक्षा मंत्री से निमंत्रण पर, रेल राज्य की अध्यक्षता वाले एक उच्च स्तर भारतीय रेलवे प्रतिनिधिमंडल ने इस्राइल का दौरा किया था।

(ग) सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल उप प्रधानमंत्री और परिवहन एवं सड़क संरक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाले इस्राइली रेलवे प्रतिनिधिमंडल से भी मिला और नवीनतम विकास पर विचार-विमर्श किया और रेल संरक्षा तथा यात्री और फ्रेट यातायात की वहन क्षमताओं को सुधारने के विषय में सूचना का आदान-प्रदान किया।

(घ) और (ङ) इस समय ऐसी कोई योजनाएं नहीं हैं।

**ईरान द्वारा भारत को गैस की आपूर्ति**

514. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :**
**श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
**श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्रियों ने ईरान से पाकिस्तान से होते हुए भारत तक गैस लाये जाने संबंधी करोड़ों डालर की लागत वाली परियोजना पर चर्चा के लिए ईरान का दौरान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ईरान की सरकार ने पाकिस्तान के साथ 7.4 बिलियन डालर के गैस निर्यात सौदे की विषय वस्तु को अंतिम रूप देने के बाद भारत को अपनी भागीदारी पर औपचारिक सहमति देने के लिए समय-सीमा प्रदान की है;

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) :** (क) और (ख) ईरान ने 12-13 फरवरी, 2008 को तेहरान में ईरान, पाकिस्तान और भारत के तेल मंत्रियों की बैठक का प्रस्ताव किया था। सरकार ने इस संबंध में ईरानी पक्ष से प्राप्त निमंत्रण की जांच की थी और यह निर्णय लिया गया था कि मंत्री स्तर पर त्रिपक्षीय बैठक करने से पहले, भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित करना आवश्यक होगा। यह भी सुझाव दिया गया था कि मंत्री स्तर की त्रिपक्षीय बैठक की बजाए, अधिकारी स्तर पर त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की जाए।

(ग) ईरानी सरकार से ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) ऊपर (ग) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठते।

*[हिन्दी]*

**धनबाद से बिलासपुर तक नई यात्री रेलगाड़ी**

515. **श्री टेक लाल महतो :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार झारखंड में धनबाद जंक्शन तथा छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जंक्शन के बीच बड़ी संख्या में यात्रा करने वाले लोगों की सुविधा के लिए धनबाद से गोमिया, बेरमा तथा बरकाकाना होते हुए बिलासपुर तक एक नई यात्री गाड़ी चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) जी नहीं। फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण।

**छत्तीसगढ़ में रेल परियोजना**

516. **श्री अजीत जोगी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2007–08 के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या छत्तीसगढ़ की रेल परियोजनाओं के लिए निधियों के अपर्याप्त आबंटन के कारण इन परियोजनाओं संबंधी कार्य की प्रगति में रूकावट आ रही है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त परियोजनाओं को समय पर पूरा करने हेतु निधियों का पर्याप्त आबंटन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) परियोजनाओं के लिए प्राप्त प्रत्येक मांगों का विस्तृत रिकार्ड नहीं रखा जाता है। बहरहाल, हाल ही में मुख्यतः दल्ली–राजहरा–जगदलपुर, बरवाडीह–चिरीमिरी, बिलासपुर–मंडला–जबलपुर नई लाइनों और रायपुर–धमतारी के आमान परिवर्तन के लिए राज्य सरकार और निर्वाचित जन प्रतिनिधियों से मांगें प्राप्त हुई है।

(ख) दल्ली–राजहरा–रोवघाट–जगदलपुर नई लाइन के निर्माण के लिए दिनांक 11.12.2007 को रेल मंत्रालय, छत्तीसगढ़ सरकार, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय खनन विकास निगम (एनएमडीसी) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं और दल्ली–राजहरा–रोवघाट संरेखन पर भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू हो चुके हैं। बडवाहीड–चिरीमिरी नई लाइन के लिए अद्यतन सर्वेक्षण को 2008–09 के बजट में शामिल करने का प्रस्ताव है। विगत में बिलासपुर–मंडला–जबलपुर नई लाइन के लिए सर्वेक्षण किया गया था लेकिन परियोजना को शुरू करने पर विचार नहीं किया जा सका। रायपुर–धमतारी आमान परिवर्तन के लिए अद्यतन सर्वेक्षण हाल ही में पूरा किया गया है।

(ग) और (घ) छत्तीसगढ़ में चल रही परियोजनाएं उनकी परिचालनिक प्राथमिकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति पर है। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सामान्य बजटीय सहायता के अलावा अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

**इस्पात संयंत्रों की स्थापना**

517. **श्री जुएल ओराम :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं योजना अवधि के दौरान देश में स्थापित इस्पात संयंत्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इनमें से किसी संयंत्र ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रत्येक संयंत्र से कितने रोजगार का सृजन हुआ;

(ङ) क्या स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए उनके द्वारा कोई कदम उठाया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) :** (क) से (ग) दसवीं योजना अवधि के दौरान 149 निजी इस्पात उद्यमियों ने लोहा तथा इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए खनिजों से समृद्ध उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से 47 निजी इस्पात उद्यमियों ने आंशिक रूप से अपना लोहे और इस्पात का उत्पादन शुरू कर दिया है। राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) उत्पादन शुरू करने वाली इस्पात इकाइयों द्वारा अपनी निजी नियोजित क्षमता अभी हासिल की जानी है। अतः इन इकाइयों में रोजगार सृजन से संबंधित पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) इस्पात परियोजनाओं में स्थानीय व्यक्तियों की भर्ती, संबंधित राज्य सरकारों की मौजूदा नीति के अनुसार की जाती है।

(च) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**विवरण**

*उन इस्पात संयंत्र परियोजनाओं की सूची, जिनके लिए उड़ीसा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए*

| क्र.सं. | कंपनी का नाम | स्थिति | क्षमता : एमटीपीए | | निवेश करोड़ रुपए में | समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने की तिथि | वर्तमान स्थिति एवं प्रगति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | मै. भूषण पावर एंड स्टील लि. | लापांगा, संबलपुर | चरण–I<br>चरण–II | 1.2<br>1.6 | 1650<br>1850 | 15.05.2002 | इस्पात का उत्पादन शुरू |
| 2 | मै. आरती स्टील्स लि. | घाटीखाल, अठागढ़ कटक | चरण–I<br>चरण–II | 0.5<br>0.5 | 512<br>374 | 01.10.2003 | स्पंज लोहा और इस्पात का उत्पादन शुरू |
| 3 | मै. आधुनिक मेटलिक्स (पी.) लि. | चादरीहरिहरपुर, राउरकेला, सुंदरगढ़ | चरण–I<br>चरण–II | 0.26<br>0.15 | 202.5<br>197.5 | 01.10.2003 | इस्पात का उत्पादन शुरू |
| 4 | मै. स्काउ इंडस्ट्रीज (पी.) लि. | गुंडीचापाडा, धेनकेनाल | चरण–I<br>चरण–II | 0.25<br>0.55 | 310<br>514 | 01.10.2003 | इस्पात का उत्पादन शुरू |
| 5 | मै. डिओ माईन्स एंड मिनिरल (पी) लि. | बोनाई, सुंदरगढ़ | | 0.325 | 316 | 01.10.2003 | कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कंपनी ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है। |
| 6 | मै. विसा इंडस्ट्रीज लि. | झाखापुरा, डुबरी जाजपुर | | 0.35 | 345.78 | 26.12.2003 | कच्चे लोहे का उत्पादन शुरू |
| 7 | मै. एस.एम.सी. पावर जेनरेशन लि. | हिरमा, झारसुगुड़ा | चरण–I<br>चरण–II | 0.25<br>0.15 | 141<br>314 | 26.12.2003 | इस्पात का उत्पादन शुरू |
| 8 | मै. श्याम डीआरआई पावर लि. | पानडोली, रेनगाली, संबलपुर | | 0.27 | 224.71 | 09.02.2004 | स्पंज का उत्पादन शुरू |
| 9 | मै. उड़ीसा स्पंज आयरन लि. | गुर्ला, गोविंदपुर, संबलपुर | चरण–I<br>चरण–II | 0.35<br>0.6 | 395<br>642 | 26.08.2004 | इस्पात का उत्पादन शुरू |
| 10 | मै. एसपीएस स्पंज आयरन लि. | बाडमाल ग्रोथ सेंटर, झारसुगुड़ा | | 0.29 | 210 | 26.08.2004 | स्पंज लोहे का उत्पादन शुरू |
| 11 | मै. महाराष्ट्र सीमलैस लि. | कलिंगनगर इंडस्ट्रियल कॉम्पलेक्स, डुबुरी, जाजपुर | चरण–I<br>चरण–II | 0.3<br>0.18 | 245<br>205 | 26.08.2004 | कार्यक्षेत्र चयन अभी तक पूरा नहीं हुआ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | मै. ओसीएल इंडिया लि. | राजगगपुर, सुंदरगढ़ | | 0.25 | 204.21 | 27.11.2004 | इस्पात का उत्पादन शुरू |
| 13 | मै. माहेश्वरी इस्पात (प्रा.) लि. | रामपेई, खटुनी कटक | | 0.25 | 210.00 | 27.11.2004 | इस्पात का उत्पादन शुरू |
| 14 | मै. मोनैट इस्पात लि. | मंगलपुर, धेनकानल | | 0.25 | 281.09 | 27.11.2004 | भूमि अधिग्रहण के चरण में |
| 15 | मै. आयरन इस्पात एंड पावर (प्रा.) लि. | बोमलाई, रेनगाली संबलपुर | | 0.30 | 393.14 | 27.11.2004 | स्पंज लोहे का उत्पादन शुरू |
| 16 | मै. मैथान इस्पात लि. | कलिंगार इंडस्ट्रियल काम्पलैक्स, डुबुरी | | 0.27 | 335.25 | 27.11.2004 | स्पंज लोहे का उत्पादन शुरू |
| 17 | मै. श्री मैटालिक्स लि. | लोइडापाडा, बारचिल, क्योंझर | | 0.25 | 190.44 | 27.11.2004 | इस्पात का उत्पादन शुरू |
| 18 | मै. एमएसपी मैटालिक्स (प्रा.) लि. | माराकुटा, झारसुगुडा | | 0.26 | 260.59 | 27.11.2004 | भूमि अधिग्रहण के चरण में |
| 19 | मै. एक्शन इस्पात एंड पावर (प्रा.) लि. | पांडीरीपाथर एंड माराकुटा झारसुगुड़ा | | 0.25 | 270.00 | 27.11.2004 | स्पंज लोहे का उत्पादन शुरू |
| 20 | मै. पटनायक स्टील एंड एलॉय लि. | पुरूनापानी, जोड़ा, क्योंझर | | 0.27 | 337.42 | 04.05.2005 | उत्पादन शुरू होने की संभावना |
| 21 | मै. राठी उद्योग लि. | पोटापाली, सिकरीडी, संबलपुर | | 0.30 | 272.85 | 04.05.2005 | भूमि अधिग्रहण के चरण में |
| 22 | मै. विराज स्टील एंड एनर्जी लि. | कुरूपाडी पांडालोई संबलपुर | | 0.30 | 207.00 | 04.05.2005 | स्पंज लोहे और इस्पात का उत्पादन शुरू |
| 23 | मै. दीपक स्टील्स एंड पावर लि. | टोपोडीह, बारबिल, क्योंझर | | 0.25 | 195.31 | 04.05.2005 | स्पंज लोहे का उत्पादन शुरू |
| 24 | मै. कोणार्क इस्पात लि. | हीरमा, झारसुगुडा | | 0.25 | 196.50 | 04.05.2005 | भूमि अधिग्रहण के चरण में |
| 25 | मै. बीके स्टील एंड पावर लि. | उलीबुरू, बारबिल, क्योंझर | | 0.28 | 319.80 | 04.05.2005 | स्पंज लोहे का उत्पादन शुरू |
| 26 | मै. बी. आरजी आयरन एंड स्टील कं. (प्रा.) लि. | खुंरूटी, धेनकानाल | | 0.25 | 228.05 | 04.05.2005 | स्पंज लोहे का उत्पादन शुरू |
| 27 | मै. जैन स्पंज (प्रा.) लि. | डुरलागा, झारसुगुड़ा | | 0.30 | 251.77 | 04.05.2005 | उत्पादन शुरू होने की संभावना |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | मै. जिन्दल स्टैनलैस लि. | डुबुरी, जाजपुर | चरण–I<br>चरण–II | 0.8<br>0.8 | 1,612.00<br>5,016.00 | 09.06.2005 | फैरो क्रोम का उत्पादन शुरू |
| 29 | मै. रूंगटा माईन्स लि. | कमाण्डा, निकट कोईरा सुंदरगढ़ व झाराबद (प्रत्येक 1 एमटीपीए) | | 2.00 | 2275.00 | 3.11.2005 | भूमि अधिग्रहण के चरण में |
| 30 | मै. ब्रांड एलॉय लि. | पालसपान्गा, क्योंझर | | 0.27 | 307.54 | 3.11.2005 | भूमि अधिग्रहण के चरण में |
| 31 | मै. ईस्टर्न स्टील्स एंड पावर लि. | लेहांडाबुड, झारसुगुड़ा | | 0.25 | 254.00 | 3.11.2005 | स्पंज लोहे का उत्पादन शुरू |
| 32 | मै. जय बालाजी ज्योति स्टील्स लि. | तानीसर, निकट लाठीकाटा, सुंदरगढ़ | | 0.33 | 321.14 | 3.11.2005 | स्पंज लोहे और इस्पात का उत्पादन शुरू |
| 33 | मै. वेलस्पून पावर एंड स्टील्स लि. | भादरक जिला या कटक या राज्य में कोई और उचित स्थान | | 3.00 | 5828.15 | 01.10.2006 | भूमि अधिग्रहण के चरण में |
| 34 | मै. उत्तम गालमा स्टील्स लि. | स्थान अभी तक निश्चित नहीं | | 3.00 | 6103.80 | 3.10.2006 | भूमि अधिग्रहण के चरण में |
| 35 | मै. एसएसएल एनर्जी लि. | नॉथाला निकट बनरपाल, अंगुल | चरण–I<br>चरण–II | 3.00<br>– | 4339.00<br>4270.00 | 21.12.2006<br>21.12.2006 | भूमि अधिग्रहण के चरण में |
| 36 | मै. एमजीएम स्टील्स लि. | नीमडीह, मोटागांव धेनकनाल | | 0.25 | 208.10 | 22.12.2006 | भूमि अधिग्रहण के चरण में |
| 37 | मै. सुरैन्द्र माईनिंग इंडस्ट्रीज प्रा. लि. | ब्रह्मपुरा नीमडीह, मोटागांव, धेनकनाल, बोनाई, सुंदरगढ़ | | 0.25 | 221.62 | 22.12.2006 | स्पंज लोहे का उत्पादन शुरू |
| 38 | मै. क्रैकर्स इंडिया (एलॉयजल) लि. | गोबरधनपुर, क्योंझर | | 0.25 | 236.39 | 22.12.2006 | स्पंज लोहे का उत्पादन शुरू |

*उन बड़ी इस्पात संयंत्र परियोजनाओं की सूची, जिनके लिए उड़ीसा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मै. टाटा आयरन एंड स्टील कं. लि. | कलिंगनगर इंडस्ट्रियल कॉम्पलैक्स, डुबुरी, जाजपुर | प्रथम मॉड्यूल<br>द्वितीय मॉड्यूल | 3.00<br>3.00 | 10,400<br>5,000 | 17.11.2004 | भूमि अधिग्रहण के चरण में |
| 2 | मै. स्टारलाईट आयरन एंड स्टील कंपनी लि. | पालासपोंगा, क्योंझर | चरण–I<br>चरण–II | 3.4<br>1.7 | 9782<br>2720 | 15.10.2004 | भूमि अधिग्रहण के चरण में |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | मै. एस्सार स्टील उड़ीसा लि. | पाराद्वीप | | 4.00 | 10,721 | 21.04.2005 | भूमि अधिग्रहण के चरण में |
| 4 | मै. पोस्को इंडिया प्रोजैक्ट (प्रा.) लि. | पाराद्वीप | | 12.00 | 51,000 | 22.06.2005 | भूमि अधिग्रहण के चरण में |
| 5 | मै. जिंदल स्टील एंड पावर लि. | दियोंझर, क्योंझर में बैनीफिकेशन प्लांट तथा आगुल में स्टील प्लांट | | 6.00 | 13,135.02 | 3.11.2005 | भूमि अधिग्रहण के चरण में |
| 6 | मै. भूषण स्टील एंड स्ट्रिप्स लि. | मेरामुण्डाली, धेनकानाल | | 3.00 | 5,828.15 | 3.11.2005 | स्पंज लोहा और इस्पात बिलेट्स का उत्पादन शुरू |
| 7 | मै. मित्तल स्टील कंपनी एन.वी. | पटना, क्योंझर | | 12.00 | 40,000 | 21.12.2006 | भूमि अभिज्ञात कर ली गई है और डीपीआर प्रस्तुत नहीं की गई है |

*उन लोहा एवं इस्पात संयंत्र परियोजनाओं की सूची, जिनके लिए झारखण्ड सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए*

| क्र.सं. | कंपनी का नाम | स्थिति | क्षमता : एमटीपीए | निवेश (करोड़ रु.) | समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने की तिथि | वर्तमान स्थिति एवं प्रगति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | मै. मोनेट इस्पात लिमिटेड | हजारीबाग | (क) स्पंज आयरन – 0.8<br>(ख) इस्पात – 0.7 | 1400.00 | 05–02–03 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 2 | मै. वल्लभ स्टील्स लि. | गामहारिया | (क) स्पंज आयरन 0.3<br>(ख) इस्पात – 0.2<br>(ग) कच्चा लोहा – 1.5 | 288.00 | 26–02–04 | प्रथम चरण शुरू |
| 3 | मै. आधुनिक एलॉय एंड पावर लि. | कान्द्रा | (क) स्पंज आयरन – 1.98<br>(ख) इस्पात – 2.6 | 970.00 | 26–02–04 | प्रथम चरण शुरू |
| 4 | मै. नीलाचंल आयरन एंड पावर लि. | चान्डील | (क) स्पंज आयरन – 0.5<br>(ख) इस्पात – 0.20 | 450.00 | 26–03–04 | प्रथम चरण शुरू |
| 5 | मै. झारखंड इस्पात प्रा. लि. | रामगढ़ | (क) स्पंज आयरन – 1.06<br>(ख) इस्पात – 0.20 | 400.00 | 26–02–04 | प्रथम चरण शुरू |
| 6 | मै. अभिजीत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. | हजारीबाग | (क) स्पंज आयरन – 0.25<br>(ख) इस्पात – 0.11 | 300.00 | 26–02–04 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | मै. एएमएल स्टील एंड पावर लि. | सरायकेला खारसावन | (क) स्पंज आयरन – 1.54 (ख) इस्पात – 0.20 | 2000.00 | 26–02–04 | प्रथम चरण शुरू |
| 8 | मै. कारपोरेट इस्पांत एलॉय लि. | हजारीबाग | (क) स्पंज आयरन – 0.25 (ख) इस्पात – 0.11 | 300.00 | 26–03–04 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 9 | मै. अन्नपूर्णा इस्पात एलॉय लि. | पश्चिम सिंहभूम | (क) स्पंज आयरन – 0.201 (ख) इस्पात – 0.1 | 500.00 | 26–03–04 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 10 | मै. प्रसाद ग्रुप्स, रिसोर्सिज प्रा. लि. | निकट पाटगुटू | (क) स्पंज आयरन – 0.105 (ख) इस्पात – 0.22 | 400.00 | 26–03–04 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 11 | मै. प्रकाश इस्पात | चायबासा | कच्चा लोहा – 0.2 | 71.40 | 26–03–04 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 12 | मै. होरीजन लोहा उद्योग लि. (मै. होरीजन एक्जिम लि.) | चायबासा | स्पंज लोहा – 0.4 | 74.15 | 26–03–04 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 13 | मै. स्पैक्ट्रम मर्केटाईल प्रा. लि. | चायबासा | स्पंज लोहा – 0.4 | 74.15 | 26–03–04 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 14 | मै. चायबासा स्टील प्रा. लि. | पश्चिम सिंहभूम | स्पंज लोहा 0.4 | 74.15 | 26–03–04 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 15 | मै. छत्तीसगढ़ इलैक्ट्रीसिटी कं. लि. | कप्स, रांची | (क) स्पंज आयरन – 0.45 (ख) इस्पात –0.4 | 6500.00 | 01–06–04 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 16 | मै. इलैक्ट्रो स्टील कास्टिंग लि. | चानडील | (क) स्पंज आयरन – 1.3 (ख) इस्पात – 1.0 | 200.00 | 19–05–04 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 17 | मै. बालाजी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लि., जाजपुर | | (क) स्पंज आयरन – 0.12 | 122.00 | 01–06–04 | उत्पादन चरण में |
| 18 | मै. पवनजय स्टील एंड पावर लि. | लोहारडागा | (क) स्पंज आयरन – 0.2 (ख) इस्पात – 0.4 | 1000.00 | 01–06–04 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 19 | मै. बालाजी मैटल एंड स्पंज लि. | चायबासा | (क) स्पंज आयरन – 1.08 (ख) इस्पात – 0.1 | 160.00 | 01–06–04 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 20 | मै. आर. जी. स्टील्स प्रा. लि. | निकट पटगटू | (क) स्पंज आयरन – 0.09 (ख) इस्पात – 0.06 | 122.00 | 26–03–04 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 21 | मै. समफ्लैग आयरन एंड स्टील कं. लि. | सरायकेला–खारसावन | (क) स्पंज आयरन – 0.06 (ख) इस्पात – 0.49 | 937.61 | 07–08–04 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | मै. हाई ग्रेड पैलेट्स लि. | पश्चिम सिंहभूम | (क) स्पंज आयरन – 7.5<br>(ख) इस्पात – 10<br>(ग) कच्चा लोहा – 8 | 4285.00 | 17–11–04 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 23 | मै. बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्रीज लि. | चानडील | (क) स्पंज आयरन – 0.21<br>(ख) इस्पात – 0.5<br>(ग) कच्चा लोहा – 0.5 | 591.00 | 12–04–05 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 24 | मै. अनंदीता ट्रेडर्स एंड इंवेस्टमेंट लि. | रामगढ़ | (क) स्पंज आयरन – 0.334 | 94.00 | 12–04–05 | प्रथम चरण शुरू |
| 25 | मै. नरमेराम गैस प्वाइंट प्रा. लि. | जमशेदपुर | (क) स्पंज आयरन – 0.135<br>(ख) इस्पात – 0.045 | 200.00 | 12–04–05 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 26 | मै. गोयल स्पंज प्रा. लि. | पश्चिम सिंहभूम | (क) स्पंज आयरन – 0.115<br>(ख) इस्पात – 0.09 | 67.00 | 12–04–05 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 27 | मै. रूंगटा माईन्स प्रा. लि. | चायबासा | (क) स्पंज आयरन – 0.51 | 517.00 | 12–04–05 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 28 | मै. राज रिफ्रैक्ट्रीज (प्रा.) लि. | बुण्डु | (क) स्पंज आयरन – 0.6<br>(ख) इस्पात – 0.06 | 68.50 | 12–04–05 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 29 | मै. कॉन्टीस्टील लि. | चानडील | (क) स्पंज आयरन – 1.2<br>(ख) इस्पात – 1.4<br>(ग) द्रव इस्पात – 1.25 | 1560.00 | 18–07–05 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 30 | मै. कोहिनूर स्टील प्रा. लि. | बुलाडीह निकट चानडील | (क) स्पंज आयरन – 0.225<br>(ख) कच्चा लोहा – 0.12 | 410.00 | 18–07–05 | आंशिक रूप से शुरू |
| 31 | मै. जिंदल स्टील एंड पावर लि. | घाटशिला | (क) स्पंज आयरन – 5.0<br>(ख) इस्पात – 5.0 | 11500.00 | 05–07–05 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 32 | मै. भूषण पावर स्टील लि. | आसनबोनी, जमशेदपुर | (क) स्पंज आयरन – 1.5<br>(ख) इस्पात – 3.0 | 6510.00 | 23–07–05 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 33 | मै. कल्याणी स्टील लि. | सिली, रांची | (क) स्पंज आयरन – 0.23<br>(ख) इस्पात – 1.0 | 1883.00 | 23–07–05 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 34 | मै. टाटा स्टील लि. (ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट) | मनोहरपुर/चानडील | एकीकृत इस्पात संयंत्र – 12.0 | 42000.00 | 08–09–05 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 35 | मै. टाटा स्टील कं. लि. (एक्सटेंशन) | जमशेदपुर | एकीकृत इस्पात संयंत्र – 5.0 | 11000.00 | 08–09–05 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 36 | मै. बी.एस. डेम्पो एंड कंपनी लि. | मनोहरपुर | एकीकृत इस्पात संयंत्र – 0.5 | 1016.00 | 04–10–05 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | मै. मित्तल स्टील कं. एन.वी. | निर्णय नहीं लिया गया | एकीकृत इस्पात संयंत्र – 12.0 | 40000.00 | 08–10–05 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 38 | मै. जिंदल साऊथ वेस्ट स्टील लि. | हेसालोग, नीमडोह | एकीकृत इस्पात संयंत्र–10.0 | 35000.00 | 09–11–05 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 39 | मै. रांची इंटीग्रेटिड स्टील लि. | सिली, निकट सूरी | एकीकृत इस्पात संयंत्र – 1.55 | 5452.00 | 30–12–05 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 40 | मै. एस्सल माईनिंग इंडस्ट्रीज लि. | जगनाथपुर, पश्चिम सिंहभूम | एकीकृत इस्पात संयंत्र – 1.0 | 500 | 05–05–06 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 41 | मै. सेसा गोआ लिमिटेड | सरायकेला खारसावन | एकीकृत इस्पात संयंत्र – 0.5 | 300 | 07–09–06 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 42 | मै. मुकुन्द स्टील | बारलगा, हजारीबाग | एकीकृत इस्पात संयंत्र – 2.0 | 1800 | 07–09–06 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 43 | मै. फिग्रेड एंड कंपनी प्रा. लि. | गुरा एंड रंगामटी पश्चिम सिंहभूम | एँकीकृत इस्पात संयंत्र – 0.3 | 250 | 11–09–06 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 44 | मै. बोनाई इंडस्ट्रीयल कंपनी लि. | कुनडुबेरा एंड सिंह पोखरिया, पश्चिम सिंहभूम | एकीकृत इस्पात संयंत्र – 0.25 | 300 | 11–09–06 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 45 | मै. रूंगटा माईन्स लि. | चाईबासा | एकीकृत इस्पात संयंत्र – 4.5 | 1050 | 11–09–06 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 46 | मै. विनी आइरन एंड स्टील उद्योग लि. | लूपुनडिह चानडील, सरायकेला खारसावन | एकीकृत इस्पात संयंत्र – 0.6 | 355 | 14–09–06 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 47 | मै. नरसिंह इस्पात लि. | चानडील, सरायकेला, खारसावन | मिनी स्टील – 0.25 | 150 | 14–09–06 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 48 | मै. कोर स्टील एंड पावर लि. | मुसाबनी, घाटशिला | मिनी स्टील – 1.0 | 1000 | 29–12–06 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 49 | मै. इस्पात इंडस्ट्री लि. | नंदपुर/ मनोहरपुर | एकीकृत इस्पात संयंत्र – 2.8 | 2500 | 12–01–07 | उत्पादम शुरू नहीं हुआ |
| 50 | मै. मां चंडी दुर्गा इस्पात लि. | नाला ब्लॉक जमतारा | एकीकृत इस्पात संयंत्र –1.1 | 1250 | 09–02–07 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 51 | मै. जगदम्बा फिस्कल सर्विसेज लि. | राजेश्वर शिकारीपुर, डुमका | एकीकृत इस्पात संयंत्र 1.1 | 1000 | 09–02–07 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | मै. ब्रह्मी इम्पैक्स लि. | अफजलपुर, बाला ब्लाक, जमतारा | एकीकृत इस्पात संयंत्र – 1.1 | 1000 | 09–02–07 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 53 | मै. आधुनिक कार. लि | कुमराबाद, डुमका | एकीकृत इस्पात संयंत्र – 1.1 | 1250 | 09–02–07 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 54 | मै. ट्रिंगल ट्रेडिंग प्रा. लि. | पाथनमारा | इस्पात संयंत्र – 0.24 | 200 | 14–02–07 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 55 | मै. प्रिमियर फैरो अलॉयज एंड सिक्योरिटीज लि. | बारलांगा | इस्पात संयंत्र – 1.0 | 750 | 23–02–07 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 56 | मै. पुष्प स्टील एंड माइनिंग (प्रा.) लि. | गोरीडीह एंड रूगरी, न्यू चौका | इस्पात संयंत्र – 0.25 | 150 | 24–02–07 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 57 | मै. सार्थक इंडस्ट्रीज लि. | राजखरसवान | इस्पात संयंत्र – 2.2 | 2000 | 26–02–07 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |

*उन इस्पात संयंत्र परियोजनाओं की सूची, जिनके लिए छत्तीसगढ़ सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | मै. एमएसपी स्टील एंड पावर लि. | रायगढ़ | (क) स्पंज आयरन – 0.4<br>(ख) स्टील –0.21 | 173.59 | 3.2.2003 | आंशिक रूप से शुरू |
| 2. | मै. सुनील स्पंज आयरन लि. | रायगढ़ | (क) स्पंज आयरन – 0.09<br>(ख) स्टील – 0.1 | 105.11 | 3.2.2003 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 3. | मै. विसा इंडस्ट्रीज लि. रायगढ़ | रायगढ़ और कोरबा | (क) स्पंज आयरन – 0.45<br>(ख) स्टील – 0.2 | 1015.00 | 5.3.2003 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 4. | मै. इंड एग्रो सिनर्जी लि. | रायगढ़ | (क) स्पंज आयरन और स्टील बिलेट् – 0.4 | 413.00 | 5.3.2003 | आंशिक रूप से शुरू |
| 5. | मै. अंजनी स्टील्स प्रा. लि. | रायगढ़ | (क) स्पंज आयरन – 0.18<br>(ख) स्टील – 0.15 | 185.00 | 17.7.2003 | आंशिक रूप से शुरू |
| 6. | मै. सुपीरियर स्पंज प्रा. लि. | दुर्ग | (क) स्पंज आयरन – 0.2<br>(ख) स्टील मैल्टिंग शॉप–0.3<br>(ग) पिग आयरन – 0.15<br>(घ) रोलिंग मिल– 0.225 | 330.00 | 29.8.2003 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 7. | मै. नवभारत ग्रुप ऑफ कंपनीज | बस्तर, कोरबा रायपुर | (क) स्पंज आयरन – 0.5 | 1460.00 | 8.9.2003 | आंशिक रूप से शुरू |
| 8. | मै. अक्षय इवेंस्टमेंट प्रा. लि. | राजनंदगांव | (क) स्पंज आयरन – 0.09<br>(ख) इंडक्सन फर्नेस यूनिट–0.105 | 115.00 | 8.9.2003 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | मै. वंदना इनर्जी एंड स्टील प्रा. लि. | रायपुर और कोरबा | (क) स्पंज आयरन – 0.15 | 145.00 | 8.9.2003 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 10. | मै. श्री बजरंग पावर इस्पात लि. | रायपुर | (क) स्पंज आयरन – 0.09<br>(ख) पिग आयरन – 0.06 | 130.00 | 08.09.2003 | आंशिक रूप से शुरू |
| 11. | मै. नेशनल स्टील एंड एग्रो इंडस्ट्रीज लि. | दुर्ग | (क) स्पंज आयरन – 0.15<br>(ख) स्टील मैल्टिंग शॉप – 0.15 | 150.00 | 08.09.2003 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 12. | मै. आर्यन इस्पात एंड पावर प्रा. लि. | बिलासपुर | (क) स्पंज आयरन – 0.46<br>(ख) स्टील बिलेट्स – 0.348 | 860.00 | 16.08.2004 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 13. | मै. गोदावरी पावर एंड इस्पात लि. | रायपुर | (क) स्पंज आयरन – 0.65<br>(ख) स्टील बिलेट्स/इन्गॉट – 0.55 | 493.00 | 16.8.2004 | आंशिक रूप से शुरू |
| 14. | मै. एलायंस इंटीग्रेटिड मैटेलिक लि. | रायपुर | (क) स्पंज आयरन – 0.2<br>(ख) छोटे इस्पात संयंत्र – 0.15 | 475.00 | 16.8.2004 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 15. | मै. वंदना ग्लोबल लि. | रायपुर | (क) स्पंज आयरन – 0.351<br>(ख) फर्नेस (इन्गॉट/बिलेट्स) 0.16752 | 426.00 | 16.8.2004 | आंशिक रूप से शुरू |
| 16. | मै. एसकेएस इस्पात प्रा. लि. | रायपुर | (क) स्पंज आयरन – 0.27<br>(ख) स्टील मैल्टिंग – 0.21 | 295.47 | 16.8.2004 | आंशिक रूप से शुरू |
| 17. | मै. मैगनम स्टील कं. | दुर्ग | (क) स्पंज आयरन – 0.3<br>(ख) सेमी व रोल्ड उत्पाद 0.3 | 212.00 | 16.8.2004 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 18. | मै. जीपीटी मैटल इंडस्ट्रीज लि. | बिलासपुर | (क) स्पंज आयरन – 0.105<br>(ख) इंडक्शन फर्नेस – 0.06 | 139.00 | 16.8.2004 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 19. | मै. छत्तीसगढ़ आयरन एंड स्टील लि. | दुर्ग/रायगढ़ | (क) स्पंज आयरन – 0.105<br>(ख) स्टील मैल्टिंग शॉप – 0.1 | 115.65 | 16.8.2004 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 20. | मै. मेगा पावर्स बिल्डर्स प्रा. लि. | दुर्ग/रायगढ़ | (क) स्पंज आयरन – 0.105<br>(ख) स्टील मैल्टिंग शॉप – 0.1 | 115.00 | 16.8.2004 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 21. | मै. आनंद इस्पात उद्योग प्रा. लि. | दंतेवाड़ा | (क) स्पंज आयरन – 0.15<br>(ख) स्टील मैल्टिंग शॉप – 0.13 | 110.00 | 16.8.2004 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 22. | मै. फेरल इंजीनियरिंग लि. | छत्तीसगढ़ | (क) स्पंज आयरन – 0.2<br>(ख) स्टील मैल्टिंग शॉप – 0.01 | 100.00 | 13.9.2004 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | मै. जिंदल स्टील एंड पावर लि. | रायगढ़ | (क) स्टील मैल्टिंग शॉप – 1.25<br>(ख) धमन भट्टी – 1.25<br>(ग) वायर रॉड/रोलिंग मिल 0.7 | 2595.00 | 07.1.2005 | आंशिक रूप से शुरू |
| 24. | मै. छत्तीसगढ़ इलैक्ट्रीसिटी कम्पनी लि. | रायपुर | (क) स्पंज आयरन – 0.6<br>(ख) स्टील संयंत्र – 1.0 | 2010.00 | 7.1.2005 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 25. | मै. प्रकाश इंडस्ट्रीज लि. | चपा | (क) स्पंज आयरन – 0.4<br>(ख) स्टील मैल्टिंग शॉप – 0.9<br>(ग) कच्चा लोहा – 0.25<br>(घ) रोलिंग/वायर रॉड मिल–0.6 | 1017.00 | 7.1.2005 | आंशिक रूप से शुरू |
| 26. | मै. बिगबॉस स्टील एंड एलॉय लि. | जाजगीर, चेपा | इस्पात संयंत्र–अप्रयोज्य | 700.00 | 7.1.2005 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 27. | मै. वसुंधरा स्टील एंड पावर लि. | बिलासपुर | एकीकृत इस्पात संयंत्र – 0.4 | 465.00 | 7.1.2005 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 28. | मै. रैक्सॉन स्ट्रिप्स लि. | बिलासपुर | एकीकृत इस्पात संयंत्र – 0.40 | 465.00 | 7.1.2005 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 29. | मै. छत्तीसगढ़ स्टील एंड पावर | जाजगीर, चेपा | स्पंज आयरन – 0.38 | 464.88 | 07.01.2005 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 30. | मै. पुष्प स्टील्स एंड माइनिंग लि. | बोराई ग्रोथ सेंटर, दुर्ग | (क) स्पंज आयरन – 0.315 | 380.00 | 07.01.2005 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 31. | मै. सालासर स्पंज एंड पावर | रायगढ़ | (क) स्पंज आयरन – 0.165<br>(ख) स्टील – 0.1 | 287.51 | 7.1.2005 | आंशिक रूप से शुरू |
| 32. | मै. श्री राधे इंडस्ट्रीज प्रा. लि. | बिलासपुर | (क) स्पंज आयरन – 0.26<br>(ख) स्टील मैल्टिंग शॉप – 0.05 | 232.50 | 7.1.2005 | आंशिक रूप से शुरू |
| 33. | मै. सत्यार्थ स्टील एंड पावर लि. | रायपुर | (क) स्पंज आयरन – 0.22<br>(ख) इंडक्शन फर्नेस –0.182<br>(ग) पुनर्बेलन उत्पाद – 0.0314 | 175.00 | 7.1.2005 | आंशिक रूप से शुरू |
| 34. | मै. एपीआई इस्पात एंड पावरटैक प्रा. लि. | रायपुर | (क) स्पंज आयरन – 0.315<br>(ख) स्टील इन्गॉट – 0.0864 | 158.00 | 7.1.2005 | आंशिक रूप से शुरू |
| 35. | मै. टॉपवर्थ स्टील प्रा. लि. | बोराई ग्रोथ सेंटर दुर्ग | (क) स्पंज आयरन – 0.21<br>(ख) स्टील मैल्टिंग – 0.1 | 129.00 | 7.1.2005 | आंशिक रूप से शुरू |
| 36. | मै. श्री श्याम ग्लोबल प्रा. लि. | रायपुर | (क) स्पंज आयरन – 0.165<br>(ख) इंडक्शन फर्नेस – 0.072<br>(ग) पुनर्बेलन उत्पाद – 0.06 | 124.00 | 7.1.2005 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. | मै. क्रेस्ट स्टील एंड पावर प्रा. लि. | दुर्ग | स्पंज आयरन – 0.231 | 116.5 | 07.01.2005 | आंशिक रूप से शुरू |
| 38. | मै. बालाजी विद्युत एंड स्पंज आयरन | रायपुर | स्पंज आयरन – 0.06 | 105.01 | 07.01.2005 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 39. | मै. टैक्सास पावर जेन | बिलासपुर | (क) स्पंज आयरन – 0.72<br>(ख) इंडक्शन फर्नेस – 0.216<br>(ग) रोलिंग मिल – 0.216 | 5550.00 | 22.5.2005 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 40. | मै. टाटा स्टील | बस्तर | एकीकृत इस्पात संयंत्र – 5.00 | 10000.00 | 4.6.2005 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 41. | मै. एस्सार स्टील छत्तीसगढ़ लि. | बस्तर | एकीकृत इस्पात संयंत्र – 3.2 | 7000.00 | 5.7.2005 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 42. | मै. इंड सिनर्जी लि. (विस्तार परियोजना) | रायगढ़ | स्पंज लोहा – 0.40 | 960.00 | 06.10.2006 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 43. | मै. श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लि. (विस्तार परियोजना) | रायपुर | स्पंज लोहा – 0.60<br>धमन भट्टी – 0.231 | 1400.00 | 06.10.2006 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 44. | मै. एसकेट्स इस्पात लि. (विस्तार परियोजना) | रायपुर | स्पंज लोहा – 0.33<br>मिनी धमन भट्टी 0.5 | 1175.00 | 06.10.2006 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 45. | मै. रायपुर एलॉयल एंड स्टील लि. (विस्तार परियोजना) | रायपुर | स्पंज लोहा – 0.50<br>इस्पात – 0.24 | 720.00 | 06.10.2006 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 46. | मै. श्री बजरंग मैटालिक्स एंड पावर लि. (विस्तार परियोजना) | रायपुर | कच्चा लोहा – 0.060 | 109.41 | 21.10.2006 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 47. | मै. भूषण पावर एंड स्टील लि. | रायपुर | एकीकृत इस्पात निर्माण सुविधा – 1.2 | 5500.00 | 06.10.2006 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |

*[हिन्दी]*

**उर्वरकों की उपलब्धता**

**518. श्री हरिभाऊ जावले :**

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :**

**श्री संतोष गंगवार :**

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उर्वरकों की उपलब्धता की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने अगले मानसून से पहले सभी राज्यों में मांग के अनुसार सभी उर्वरकों को उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त योजना में कोई संशोधन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक)** : (क) मौजूदा रबी 2007–08 मौसम के दौरान 31 जनवरी, 2008 तक यूरिया, डीएपी और एमओपी की उपलब्धता आकलित आवश्यकता को पूरा करने के लिए और सतत बिक्री के लिए पर्याप्त है जो क्रमशः संलग्न विवरण–I, II और III पर दी गई है।

(ख) से (ङ) स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। सरकार ने 01.02.2007 को नई मूल्य–निर्धारण योजना (एनपीएस) के चरण–III को अनुमोदित किया है जो 01.10.2006 से कार्यान्वित की जानी है। एनपीएस–III के अंतर्गत यूरिया के संचलन की निगरानी पूरे देश में ऑनलाइन वैब आधारित निगरानी प्रणाली के जरिए की जाएगी। यूरिया पर राजसहायता का भुगतान उसके जिले में पहुंचने के बाद ही किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, विभाग मौसम की आवश्यकता की 5% सीमा तक अधिक खपत करने वाले राज्यों में राज्य संस्थागत एजेंसियों/उर्वरक कंपनियों के माध्यम से बफर स्टॉक का रखरखाव करेगा। यूरिया की आवश्यकता और स्वदेशी उपलब्धता के बीच के अंतर को आयात से पूरा किया जाता है।

जहां तक नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों का संबंध है राजसहायता उर्वरकों की बिक्री पर जारी की जाती है। किसी राज्य में नियंत्रणमुक्त उर्वरकों की सम्पूर्ण आवश्यकता को पूरा करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। राज्य सरकारों को कम से कम एक राज्य संस्थागत एजेंसी की पहचान करने की सलाह दी गई है जो नियंत्रणमुक्त उर्वरकों की अपेक्षित मात्रा के संबंध में कार्य करेगी। भारत सरकार द्वारा नियंत्रणमुक्त उर्वरकों की बफर स्टाकिंग किसी आकस्मिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही होगी।

देश के सभी हिस्सों में यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यूरिया इकाइयों को भाड़े की प्रतिपूर्ति अब वास्तविक रेल और सड़क दूरी के आधार पर की जाएगी।

***विवरण-I***

*यूरिया की राज्यवार आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री दर्शाने वाला ब्यौरा*

*अक्टूबर,–जनवरी 2008 (रबी 2007–08)*

(000 मी.टन)

| | | अक्तूबर–2007 | | | नवम्बर–2007 | | | दिसम्बर–2007 | | | जनवरी–2008 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं | राज्य | अक्तूबर–07 से आवश्यकता | अक्तूबर–07 से उपलब्धता | अक्तूबर–07 में बिक्री | नवम्बर–07 से आवश्यकता | नवम्बर–07 में उपलब्धता | नवम्बर–07 में बिक्री | दिसम्बर–07 में आवश्यकता | दिसम्बर–07 में उपलब्धता | दिसम्बर–07 में बिक्री | जनवरी–08 में आवश्यकता | जनवरी–08 में उपलब्धता | जनवरी–08 में बिक्री* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | आन्ध्र प्रदेश | 265.00 | 431.95 | 183.54 | 190.00 | 383.71 | 124.62 | 190.00 | 445.21 | 237.70 | 265.00 | 518.46 | 345.25 |
| 2 | कर्नाटक | 130.00 | 155.40 | 94.63 | 70.00 | 125.35 | 41.12 | 60.00 | 155.18 | 67.66 | 113.00 | 181.67 | 101.50 |
| 3 | केरल | 19.00 | 19.20 | 10.65 | 15.00 | 23.99 | 14.69 | 11.50 | 22.18 | 8.64 | 6.75 | 27.87 | 9.72 |
| 4 | तमिलनाडु | 110.00 | 150.52 | 119.69 | 110.00 | 155.34 | 130.40 | 110.00 | 143.96 | 105.91 | 82.50 | 124.07 | 71.52 |
| 5 | गुजरात | 125.00 | 181.25 | 45.75 | 195.00 | 291.98 | 127.77 | 215.00 | 341.68 | 268.11 | 185.00 | 256.41 | 210.17 |
| 6 | मध्य प्रदेश | 129.82 | 235.19 | 166.17 | 296.24 | 324.30 | 223.45 | 348.34 | 324.84 | 244.69 | 94.19 | 143.43 | 98.53 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 15.70 | 49.32 | 5.68 | 6.30 | 48.24 | 5.17 | 14.60 | 45.45 | 11.58 | 22.00 | 39.35 | 19.29 |
| 8 | महाराष्ट्र | 131.00 | 243.81 | 68.30 | 145.00 | 311.77 | 105.00 | 183.00 | 312.34 | 168.48 | 164.00 | 293.82 | 156.02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | राजस्थान | 140.00 | 183.99 | 118.56 | 225.00 | 209.55 | 147.24 | 330.00 | 349.85 | 321.41 | 155.00 | 184.13 | 125.79 |
| 10 | हरियाणा | 140.00 | 354.00 | 148.32 | 255.00 | 413.07 | 180.73 | 325.00 | 407.49 | 231.36 | 220.00 | 223.67 | 173.21 |
| 11 | पंजाब | 200.00 | 277.75 | 165.34 | 320.00 | 342.12 | 268.79 | 300.00 | 336.04 | 286.50 | 230.00 | 251.61 | 169.18 |
| 12 | उत्तर प्रदेश | 275.00 | 826.27 | 314.54 | 550.00 | 921.86 | 406.55 | 725.00 | 983.77 | 689.56 | 700.00 | 798.90 | 675.41 |
| 13 | उत्तरांचल | 2.20 | 17.74 | 6.33 | 18.00 | 29.53 | 15.14 | 30.00 | 45.47 | 35.33 | 30.00 | 36.24 | 24.20 |
| 14 | बिहार | 178.00 | 187.27 | 84.62 | 228.00 | 276.02 | 158.90 | 258.00 | 366.81 | 291.04 | 218.00 | 343.19 | 265.61 |
| 15 | झारखंड | 10.50 | 17.73 | 4.54 | 15.00 | 20.71 | 8.52 | 14.50 | 32.22 | 14.34 | 12.50 | 20.39 | 7.18 |
| 16 | उड़ीसा | 20.00 | 89.46 | 13.17 | 10.00 | 83.80 | 3.59 | 10.00 | 83.45 | 10.18 | 30.00 | 80.47 | 28.81 |
| 17 | पश्चिम बंगाल | 78.00 | 152.85 | 66.66 | 179.50 | 218.54 | 107.60 | 155.50 | 244.22 | 143.13 | 117.00 | 183.70 | 124.62 |
| | कुल अखिल भारत | 1996.05 | 3622.81 | 1626.76 | 2864.50 | 4243.41 | 2090.33 | 3299.24 | 4677.16 | 3159.66 | 2692.21 | 3771.70 | 2640.66 |

* राज्य सरकार द्वारा बताए गए अनुसार

** एफएमएस के अनुसार 7.2.2008 को 10.30 बजे प्राप्ति और बिक्री आंकड़े

**विवरण-II**

*डीएपी की राज्यवार आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री दर्शाने वाला ब्यौरा अक्टूबर–जनवरी, 2008 (रबी 2007-08)*

(000 मी.टन)

| क्र.सं | राज्य | अक्तूबर–2007 | | | नवम्बर–2007 | | | दिसम्बर–2007 | | | जनवरी–2008 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अक्तूबर–07 में आवश्यकता | अक्तूबर–07 में उपलब्धता | अक्तूबर–07 में बिक्री | नवम्बर–07 में आवश्यकता | 30-11-07 तक उपलब्धता | नवम्बर–07 में बिक्री | दिसम्बर–07 में आवश्यकता | दिसम्बर–07 में उपलब्धता | दिसम्बर–07 में बिक्री | जनवरी–08 में आवश्यकता | जनवरी–08 में उपलब्धता | जनवरी–08 में बिक्री* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | आन्ध्र प्रदेश | 70.00 | 82.79 | 78.49 | 65.00 | 51.38 | 48.44 | 80.00 | 98.12 | 92.55 | 70.00 | 86.30 | 80.58 |
| 2 | कर्नाटक | 32.00 | 42.37 | 42.31 | 25.00 | 23.73 | 20.05 | 28.00 | 29.92 | 26.48 | 50.00 | 34.69 | 32.45 |
| 3 | केरल | 3.00 | 4.50 | 2.74 | 2.80 | 2.94 | 1.15 | 1.60 | 3.03 | 1.24 | 1.20 | 0.82 | 0.77 |
| 4 | तमिलनाडु | 45.00 | 44.22 | 40.20 | 45.00 | 35.23 | 20.93 | 45.00 | 58.63 | 46.63 | 33.75 | 35.11 | 34.17 |
| 5 | गुजरात | 80.00 | 104.34 | 59.83 | 125.00 | 132.57 | 117.75 | 35.00 | 101.45 | 84.87 | 22.00 | 65.65 | 25.53 |
| 6 | मध्य प्रदेश | 247.13 | 200.72 | 90.41 | 123.28 | 208.44 | 91.08 | 24.59 | 153.13 | 83.17 | 5.00 | 39.42 | 25.38 |
| 7 | छत्तीसगढ | 5.00 | 4.56 | 3.84 | 6.00 | 5.56 | 5.14 | 10.00 | 5.64 | 5.17 | 12.00 | 13.95 | 12.79 |
| 8 | महाराष्ट्र | 31.00 | 57.15 | 50.14 | 43.00 | 48.77 | 33.25 | 65.00 | 67.50 | 52.99 | 28.00 | 54.12 | 45.23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | राजस्थान | 160.00 | 225.22 | 133.14 | 100.00 | 147.44 | 76.05 | 20.00 | 96.36 | 21.23 | 5.00 | 26.31 | 2.99 |
| 10 | हरियाणा | 220.00 | 256.99 | 145.65 | 125.00 | 190.04 | 79.49 | 25.00 | 145.30 | 36.07 | 10.00 | 24.73 | 7.44 |
| 11 | पंजाब | 300.00 | 377.66 | 169.05 | 120.00 | 270.07 | 68.05 | 30.00 | 221.24 | 13.61 | 30.00 | 35.60 | 13.88 |
| 12 | उत्तर प्रदेश | 330.00 | 352.53 | 193.31 | 320.00 | 453.95 | 288.53 | 210.00 | 383.54 | 246.44 | 60.00 | 94.97 | 34.35 |
| 13 | उत्तरांचल | 4.00 | 3.43 | 2.56 | 5.20 | 8.04 | 3.38 | 2.00 | 12.33 | 7.39 | 2.50 | 1.66 | 0.32 |
| 14 | बिहार | 50.00 | 29.89 | 14.13 | 60.00 | 94.17 | 56.92 | 70.00 | 126.25 | 96.40 | 40.00 | 52.81 | 19.82 |
| 15 | झारखंड | 6.90 | 4.01 | 3.49 | 10.90 | 7.40 | 5.22 | 5.50 | 9.25 | 8.37 | 3.50 | 3.72 | 2.64 |
| 16 | उड़ीसा | 1.40 | 11.28 | 3.17 | 3.80 | 15.48 | 5.87 | 7.00 | 23.32 | 8.73 | 10.00 | 36.76 | 20.82 |
| 17 | पश्चिम बंगाल | 51.00 | 45.97 | 27.49 | 61.00 | 35.54 | 21.01 | 31.00 | 42.64 | 24.10 | 61.00 | 77.41 | 69.92 |
| | कुल अखिल भारत | 1648.81 | 1849.96 | 1062.12 | 1255.09 | 1738.21 | 949.49 | 704.83 | 1586.77 | 862.14 | 460.43 | 689.59 | 433.15 |

* राज्य सरकार द्वारा बताए गए अनुसार

** एफएमएस के अनुसार 7.2.2008 को 10.30 बजे प्राप्ति और बिक्री आंकड़े

### *विवरण-III*

*एमओपी की राज्यवार आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री दर्शाने वाला ब्यौरा*

*अक्तूबर–जनवरी 2008 (रबी 2007–08)*

(000 मी.टन)

| | | अक्तूबर–2007 | | | नवम्बर–2007 | | | दिसम्बर–2007 | | | जनवरी–2008 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं | राज्य | अक्तूबर–07 से आवश्यकता | अक्तूबर–07 से उपलब्धता | अक्तूबर–07 में बिक्री | नवम्बर–07 से आवश्यकता | नवम्बर–07 तक उपलब्धता | नवम्बर–07 में बिक्री | दिसम्बर–07 में आवश्यकता | दिसम्बर–07 में उपलब्धता | दिसम्बर–07 में बिक्री | जनवरी–08 में आवश्यकता | जनवरी–08 में उपलब्धता | जनवरी–08 में बिक्री* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | आन्ध्र प्रदेश | 90.00 | 54.71 | 46.82 | 40.00 | 34.62 | 26.08 | 40.00 | 45.90 | 41.50 | 60.00 | 36.48 | 34.73 |
| 2 | कर्नाटक | 46.50 | 37.86 | 23.54 | 26.00 | 30.17 | 9.97 | 30.50 | 52.49 | 24.05 | 32.00 | 52.29 | 33.01 |
| 3 | केरल | 18.75 | 9.66 | 9.66 | 16.25 | 15.95 | 14.16 | 12.75 | 11.33 | 8.96 | 8.75 | 7.66 | 6.25 |
| 4 | तमिलनाडु | 52.00 | 74.23 | 48.04 | 52.00 | 68.04 | 43.54 | 52.00 | 71.35 | 46.67 | 39.00 | 41.68 | 36.22 |
| 5 | गुजरात | 24.00 | 23.32 | 16.94 | 25.00 | 22.12 | 18.79 | 13.00 | 30.30 | 23.58 | 13.00 | 20.82 | 12.95 |
| 6 | मध्य प्रदेश | 30.00 | 14.74 | 12.40 | 15.00 | 5.45 | 3.27 | 7.50 | 8.24 | 3.98 | 4.50 | 4.51 | 3.50 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 0.40 | 2.97 | 0.67 | 1.60 | 2.60 | 1.27 | 3.60 | 1.65 | 2.88 | 4.40 | 1.17 | 1.04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | महाराष्ट्र | 24.00 | 25.24 | 19.53 | 45.00 | 28.71 | 14.71 | 27.00 | 56.30 | 42.89 | 22.50 | 45.72 | 32.71 |
| 9 | राजस्थान | 6.00 | 4.56 | 2.26 | 4.00 | 2.49 | 1.15 | 2.20 | 7.60 | 5.23 | 1.30 | 3.47 | 1.60 |
| 10 | हरियाणा | 10.00 | 10.57 | 4.94 | 5.00 | 5.63 | 1.08 | 3.00 | 5.49 | 1.46 | 2.00 | 4.58 | 1.00 |
| 11 | पंजाब | 15.00 | 15.12 | 7.22 | 10.00 | 10.37 | 1.83 | 4.00 | 9.78 | 1.05 | 2.00 | 6.86 | 3.40 |
| 12 | उत्तर प्रदेश | 40.00 | 8.10 | 7.39 | 60.00 | 11.71 | 5.84 | 20.00 | 7.77 | 8.27 | 10.00 | 3.89 | 0.00 |
| 13 | उत्तरांचल | 2.00 | 0.96 | 0.96 | 3.00 | 0.69 | 0.69 | 1.00 | 0.00 | 0.44 | 0.50 | 1.36 | 0.04 |
| 14 | बिहार | 15.00 | 16.02 | 11.40 | 25.00 | 27.93 | 20.36 | 40.00 | 30.67 | 15.33 | 35.00 | 30.76 | 7.31 |
| 15 | झारखंड | 0.90 | 1.86 | 1.38 | 0.85 | 2.18 | 2.18 | 0.95 | 0.32 | 0.32 | 0.95 | 0.03 | 0.00 |
| 16 | उड़ीसा | 2.60 | 26.33 | 5.09 | 5.60 | 21.74 | 1.33 | 5.90 | 21.39 | 3.26 | 11.00 | 10.08 | 5.85 |
| 17 | पश्चिम बंगाल | 34.00 | 28.71 | 22.44 | 56.00 | 30.78 | 25.79 | 61.00 | 26.13 | 17.94 | 45.00 | 33.97 | 31.14 |
| | कुल अखिल भारत | 419.99 | 359.31 | 242.10 | 402.84 | 328.73 | 199.51 | 336.54 | 386.76 | 248.94 | 306.15 | 313.64 | 216.66 |

* राज्य सरकार द्वारा बताए गए अनुसार।

** एफएमएस के अनुसार 7.2.2008 को 10.30 बजे प्राप्ति और बिक्री आंकड़े

*[अनुवाद]*

## एल पी जी की कमी

**519. श्रीमती पी. सतीदेवी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वितरक एजेन्ट एल पी जी के कनेक्शन हेतु नए उपभोक्ताओं का पंजीकरण करने से इंकार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) :** (क) से (ग) जी नहीं। नए एल पी जी ग्राहकों का नामांकन एवं नए एल पर जी कनेक्शन जारी करना एक सतत प्रक्रिया है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) ने सूचित किया है कि वर्तमान में, वास्तविक घरेलू ग्राहकों के लिए नए एल पी जी कनेक्शन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दस्तावेजों का सत्यापन के बाद मांग पर उपलब्ध हैं। ओ एम सीज ने आगे सूचित किया है कि उन्होंने देश में अप्रैल–2007 जनवरी 2008 के दौरान 50.6 लाख नए एल पी जी कनेक्शन जारी किए हैं।

## झारखंड और पश्चिम बंगाल में रेल की पटरी का कोयला खानों से होकर गुजरना

**520. श्री के.सी. सिंह 'बाबा' :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में धनबाद, झरिया, आसनसोल तथा रानीगंज के कोयला खान क्षेत्रों से गुजरने वाली रेल की पटरी से इस पटरी की अस्थिरता के कारण इस क्षेत्र से यात्रा करने वाले यात्रियों की जान को भारी खतरा पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) जब कभी गैर–कानूनी खनन के मामले नोटिस में आते हैं, रेलवे इन गतिविधियों को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करती है और सिविल प्राधिकारियों को भी सूचित किया जाता है। रेल यातायात को किसी प्रकार के खतरे की स्थिति में रेलवे यातायात को, स्थिति की मांग पर रोक भी दिया जाता है।

### फॉस्फेट उर्वरकों के लिए राज-सहायता को तर्कसंगत बनाना

521. **श्री पी.सी. थामस :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड (एफ ए सी टी) ने फॉस्फेट उर्वरकों के लिए राजसहायता को तर्कसंगत बनाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान प्रणाली में सभी उत्पादकों को एक समान तरीके से राज–सहायता दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एफ ए सी टी द्वारा सल्फर अवयव के लिए राज–सहायता देने की मांग की गई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या एफ ए सी टी से केप्रोलेक्टम तथा अमोनियम सल्फेट के लिए विशेष सहायता अनुदान अथवा सहायता प्रदान करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) :** (क) से (च) सरकार को फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि. (फैक्ट) से फैक्टमफॉस (एनपीकेएस:20:20:0:13) पर मूल्य रियायत के लिए पोषक तत्वों 'एन' और 'पी', सल्फर के मूल्यों में वृद्धि और अमोनियम सल्फेट पर सहयोगी हानि की पर्याप्त क्षतिपूर्ति के लिए 2003 में प्राप्त हुई टैरिफ आयोग की सिफारिशों को अपनाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ था।

इस अनुरोध की जांच की गई तथा सरकार ने फैक्ट को 200 करोड़ रुपए का एकमुश्त अंतरिम अनुदान उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है ताकि वह अपने प्रचालनों को जारी रख सके।

राजसहायता प्राप्त फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों पर मूल्य रियायत देने की मौजूदा प्रणाली टैरिफ आयोग द्वारा 2003 में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर आधारित है। टैरिफ आयोग की दिसम्बर, 2007 में प्राप्त हुई नई सिफारिशों की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

### एन एम डी सी को नवरत्न का दर्जा

522. **श्री बाडिगा रामकृष्णा :**

**श्री बसुदेव आचार्य :**

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) द्वारा खान–वार कितना उत्पादन किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान एनएमडीसी द्वारा कितना लाभ अर्जित किया गया तथा सरकार को कितना लाभांश दिया गया;

(ग) क्या सरकार ने एनएमडीसी को नवरत्न का दर्जा देने की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अगले तीन वर्षों में उत्पादन तथा निवेश के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

**इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) :** (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष एनएमडीसी लिमिटेड का खान–वार उत्पादन नीचे दिया गया है :–

(मात्राः मिलियन टन)

| | बैलाडिला क्षेत्र | | | दौणिमलै क्षेत्र | |
|---|---|---|---|---|---|
| | निक्षेप 14 व 11 सी | निक्षेप 5 | निक्षेप 10/ 11ए | दौणिमलै | कुमारस्वामी |
| 2004–05 | 7.08 | 6.40 | 2.13 | 5.01 | 0.12 |
| 2005–06 | 8.03 | 6.87 | 2.53 | 5.39 | 0.11 |
| 2006–07 | 10.19 | 7.55 | 2.71 | 5.31 | 1.31 |

(ख) एनएमडीसी द्वारा उक्त अवधि के दौरान अर्जित लाभ तथा सरकार को दिए गए लाभांश का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

(करोड़ रुपए)

| क्र.सं. | विवरण | 2004–05 | 2005–06 | 2006–07 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | कर–पूर्व लाभ | 1223.65 | 2770.13 | 3498.31 |
| 2. | कर–पश्चात लाभ | 755.44 | 1827.80 | 2320.21 |
| 3. | घोषित लाभांश | 151.32 | 365.57 | 465.19 |
| 4. | भारत सरकार को दिया गया लाभांश | 148.88 | 359.66 | 457.67 |

(ग) और (घ) सरकार ने 23 जनवरी, 2008 को एनएमडीसी लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया है।

(ङ) एनएमडीसी लि. द्वारा अगले तीन वर्षों के लिए उत्पादन और निवेश के लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

| वित्तीय वर्ष | एनएमडीसी लि. के दीर्घावधि उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार उत्पादन लक्ष्य (मात्रा मिलियन टन में) | अनुमानित निवेश योजना (करोड़ रुपए) |
|---|---|---|
| 2008–09 | 31.00 | 400 |
| 2009–10 | 32.75 | 996 |
| 2010–11 | 34.80 | 1795 |

**रिमोट एरिया रेल संपर्क योजना**

523. **श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिमोट एरिया रेल संपर्क योजना (आर ए आर एस वाई) के अंतर्गत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं को निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्हें आर ए आर एस वाई से लाभ मिलेगा?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) चूंकि धनराशि की व्यवस्था नहीं हो सकी थी इसलिए योजना को छोड़ दिया गया है। बहरहाल, चालू परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के संबंध में सार्वजनिक निजी सहभागिता, राज्य सरकारों द्वारा हिस्सेदारी, रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा वित्तपोषण के जरिए राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए आंतरिक संसाधन सृजन द्वारा भी धनराशि का आबंटन किया गया है।

**सी एन जी का उत्पादन**

524. **डा. के. धनराजू :**
**श्री गणेश सिंह :**
**डा. एम. जगन्नाथ :**
**श्री हरिभाऊ राठौड़ :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में विशेष रूप से दिल्ली, मुंबई, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में सी एन जी तथा पी एन जी नेटवर्क बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सी एन जी का उत्पारन मांग की आवश्यकता को पूरा करने के अनुरूप हो रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो पूरे देश में मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार पी एन जी कनेक्शन प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं का एल पी जी कनेक्शन रद्द करने के लिए कोई नियम बनाने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) :** (क) और (ख) देश के विभिन्न शहरों में सी एन जी की बुनियादी सुविधा का विस्तार एक चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है। देश भर में ट्रंक प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों तथा नगर/स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्कस बिछाने हेतु सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र से निवेश को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया है और प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के विकास तथा नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क्स नीति अधिसूचित की है। सी एन जी सुविधाओं को उपलब्ध कराना, गैस की उपलब्धता, आवश्यक बुनियादी सुविधा की स्थापना तथा आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, देश भर में पाइप्ड प्राकृतिक गैस 775119 घरेलू, 1287 वाणिज्यिक तथा 64 औद्योगिक उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जा रही है देश में 398 सी एन जी स्टेशन हैं। 1 जनवरी, 2008 को प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली, मुंबई तथा आंध्र प्रदेश के ब्यौरे निम्नवत् हैं –

| क्रम सं. | राज्य/स्थान | कंपनी | पी एन जी उपभोक्ता | | | सी एन जी स्टेशन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | घरेलू | वाणिज्यिक | औद्योगिक | |
| 1. | दिल्ली (नोएडा सहित) | इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड | 89132 | 276 | 9 | 153 |
| 2. | मुंबई (उपनगरों सहित) | महानगर गैस लिमिटेड | 331417 | 905 | 36 | 127 |
| 3. | आंध्र प्रदेश | भाग्य नगर गैस लि. | शून्य | शून्य | शून्य | 9 |

तमिलनाडु राज्य में गैस वितरण परियोजनाओं का क्रियान्वयन अभी तक शुरू नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) देश में प्राकृतिक गैस की मांग इसके उत्पादन से अधिक है। भारत सरकार ने घरेलू बाजार के लिए गैस आपूर्तियां बढ़ाने हेतु विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं –

(1) घरेलू ई एण्ड पी कार्यों में तेजी लाना;

(2) कोल बेड मीथेन (सी बी एम) गैस का दोहन;

(3) हाइड्रेट संसाधनों के मूल्यांकन और उनके संभावित वाणिज्यिक दोहन के लिए प्राकृतिक गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (एन जी एच पी) का क्रियान्वयन;

(4) एल एन जी आयात; तथा

(5) राष्ट्रपार गैस पाइपलाइनों द्वारा गैस का स्रोतीकरण;

(ङ) और (च) पी एन जी के ग्राहकों से संबंधित नियंत्रण आदेश के संशोधन का मामला सरकार के विचाराधीन है।

## भारतीय लोक कलाएं

**525. प्रो. एम. रामदास :**

**प्रो. महादेवराव शिवनकर :**

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि अधिकांश भारतीय पारंपरिक लोक संस्कृतियां लुप्त हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारतीय लोक कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए कोई ठोस नीति बनाने का है;

(ग) क्या देश में लोक कलाकार भुखमरी के कगार पर है; और

(घ) यदि हां, तो इन कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) :** (क) और (ख) सरकार, भारतीय लोक कलाओं के परिरक्षण, संवर्धन और उन्हें पुनरूज्जीवित करने के उद्देश्य वाली कई स्कीमों को पहले से ही कार्यान्वित कर रही है। सरकार ने देश की लोक और पारंपरिक कलाओं तथा कलाकारों को सहायता प्रदान करने के लिए सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना की है। इन केन्द्रों के माध्यम से, सरकार लुप्त हो रहे कलारूपों के पुनरूद्धार और प्रलेखन के लिए "लुप्त हो रहे कलारूपों के प्रलेखन हेतु स्कीम" को कार्यान्वित कर रही है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों द्वारा संचालित राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत लोक मंडलियां अपने क्षेत्र के भीतर विभिन्न राज्यों तथा अन्य राज्यों को भेजी जाती हैं। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र पारंपरिक तथा लोक रंगमंच के संवर्धन हेतु 'रंगमंच नवीकरण स्कीम' का संचालन भी करते हैं।

संस्कृति मंत्रालय जनजातीय/लोक कला और संस्कृति के संवर्धन तथा प्रसार हेतु एक स्कीम भी कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत, जनजातीय/लोक कला और संस्कृति के परिरक्षण और संवर्धन में लगे हुए स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं/व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 'लोक और जनजातीय कला रंगमंच के संवर्धन हेतु स्कीम' भी कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न लोक और जनजातीय रंगमंच समूहों को प्रति वर्ष राष्ट्रीय रंगमंच उत्सव तथा बाल संगम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

(ग) और (घ) अपनी वृद्धावस्था में अभावग्रस्त परिस्थितियों का सामना करने वाले लोक तथा अन्य कलाकारों की सहायता करने के लिए, मंत्रालय "अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे साहित्य, कलाओं तथा जीवन के ऐसे अन्य क्षेत्रों में लब्धप्रतिष्ठ व्यक्तियों तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता की स्कीम" नामक एक स्कीम का संचालन कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत, विशेषज्ञ समिति द्वारा चुने गए ऐसे आवेदकों को 2000/–रु. प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिनकी आयु 58 वर्ष से कम न हो तथा जिनकी आय 2000/–रु. प्रति माह से अधिक न हो।

## रेलवे द्वारा किए गए सुरक्षा उपाय

**526. श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने दुर्घटनाओं तथा आतंकवादी हमलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ठोस उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ने दावा किया है कि इससे पुरानी परिसंपत्तियों को समय पर बदलने, ट्रेक रौलिंग स्टाक तथा इंटर लिंकिंग प्रणाली के उन्नयन तथा रख–रखाव हेतु उचित प्रौद्योगिकी अपनाने जैसे सभी संभव कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे की सुरक्षा हेतु किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है तथा ये कितने सहायक सिद्ध हुए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) जी हां। यात्रियों की संरक्षा के लिए सतत प्रक्रिया के रूप में सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, विभिन्न प्रकार के निवारक उपाय किए गए हैं जिनमें गतायु परिसंपत्तियों का समय पर बदलाव करना, रेलपथ, चल स्टॉक, सिगनलिंग और अंतर्पाशन प्रणालियों के उन्नयन और अनुरक्षण के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी को अपनाना, सुरक्षित प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए कर्मचारी की निगरानी और शिक्षित करने के लिए नियमित अंतरालों पर संरक्षा अभियान और निरीक्षण करना शामिल है। विशेष रेल संरक्षा निधि के अंतर्गत मंजूर किए गए अधिकांश परिसंपत्ति नवीकरण कार्य पूरा हो चुके है और प्रोद्भूत के आधार पर परिसंपत्तियों के नवीकरण के लिए मूल्यह्रास निधि के अंतर्गत पर्याप्त विधियोजन किया जा रहा है। उपर्युक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या में निरंतर गिरावट का रूख जारी रहते हुए 2000–01 में 473 से घटकर 2005–06 में 234 और आगे 2006–07 में घटकर 195 हो गया है।

इसके अलावा, सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए किए गए उपायों में चुनिंदा रेलवे स्टेशनों पर क्लोज सर्किट टेलीविजनों के संस्थापन, रेलवे स्टेशनों के प्रवेश/निकासी स्थलों पर अभिगमन नियंत्रण को सुदृढ़ करने के लिए आधुनिक सुरक्षा उपकरणों का अधिकाधिक उपयोग करना, विध्वसंकारी गतिविधियों की जांच करने के लिए विभिन्न मंडलों और रेलवे स्टेशनों पर श्रवान दस्ता की व्यवस्था, रेलवे परिसरों अथवा सवारी डिब्बों में पड़े हुए किसी अनजाने लावारिस/संदेहात्मक वस्तुओं पर निरंतर निगरानी रखने के लिए यात्रियों को सचेत करने के लिए गहन प्रचार और जन चेतना अभियान और निरंतर उद्घोषनाएं करने के साथ–साथ सह यात्री की संदेहात्मक गतिविधि की जानकारी रेसुब/रारेपु/नजदीकी रेल कर्मियों को देने और राजकीय रेलवे पुलिस/राज्य पुलिस/केन्द्रीय आसूचना एजेंसियों के साथ नजदीकी समन्वय स्थापित करना शामिल है।

## यशवंतपुर-मंगलौर एक्सप्रेस रेलगाड़ी

**527. श्री एम. शिवन्ना :**

**श्रीमती मनोरमा माधवराज :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यशवंतपुर (बैंगलौर)–मंगलौर एक्सप्रेस रेलगाड़ी (6517) यशवंतपुर से सायं 8.35 बजे प्रस्थान करती है और रेलगाड़ी नं. 6618 मंगलौर से शाम 7.45 बजे प्रस्थान करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे को इन रेलगाड़ियों के प्रस्थान समय में परिवर्तन करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 6517/6518 यशवंतपुर–मंगलोर एक्सप्रेस के समय में वांछित परिवर्तन फिलहाल व्यवहारिक नहीं है।

*[हिन्दी]*

## मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण

**528. श्री संजय धोत्रे :**

**श्री बापू हरी चौरे :**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विकलांग व्यक्तियों को केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की नौकरियों में कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है;

(ग) क्या आरक्षण कोटा निजी क्षेत्र की कंपनियों में भी लागू होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती**

सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (घ) निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के विद्यमान प्रावधानों के अनुसार, चलन संबंधी, दृष्टि और श्रवण विकलांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों को ही केन्द्रीय और राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों में रोजगार में आरक्षण प्रदान किया जाता है। आरक्षण कोटा निजी क्षेत्र की कपंनियों पर लागू नहीं है। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 और राष्ट्रीय न्याय अधिनियम, 1999 के अंतर्गत मान्य सभी तरह के निःशक्तजनों जिसमें, मानसिक रूप से मंद और मानसिक रूप से अशक्त व्यक्ति शामिल हैं, के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार को प्रोत्साहित करने की एक नई योजना की घोषणा की गई है।

*[अनुवाद]*

**ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में नए विमानपत्तन**

**529. श्री दुष्यंत सिंह :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में नए विमानपत्तनों की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के दौरान देश में स्थापना के लिए प्रस्तावित घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों की अतिरिक्त संख्या क्या है;

(ग) क्या इस योजना के दौरान राजस्थान में कोई नया विमानपत्तन बनाया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा दें; और

(ङ) जयपुर विमानपत्तन के लिए कितनी निधि निर्धारित की गई है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) और (ख) हैदराबाद (आंध्रप्रदेश) तथा बंगलौर (कर्नाटक) में दो ग्रीनफील्ड हवाईअड्डें निर्माणाधीन है तथा चालू वर्ष में इनके प्रचालनरत हो जाने की संभावना है। संघ सरकार ने महाराष्ट्र में नवी मुम्बई, सिक्कम में पेक्यांग, अरुणाचल प्रदेश में ईटा नगर, केरल में कन्नूर तथा गोवा में मोपा में भी ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जयपुर हवाईअड्डें पर 500 यात्रियों के लिए एक नया अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल (अनुमानित लागत 95 करोड़ रुपए) तथा 10 पार्किंग स्टैंडों और सम्बद्ध टैक्सीवे के लिए एप्रैन (अनुमानित लागत 26.91 करोड़ रुपए) का निर्माण आरंभ किया गया है। यह परियोजना जून, 2008 तक पूरी हो जाने की संभावना है।

**केरल में रेल लाइन का दोहरीकरण**

**530. श्री पन्नियन रवीन्द्रन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में रेल नेटवर्क के दोहरीकरण के कार्य की प्रगति बहुत धीमी गति से हो रही है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण के विभिन्न चरणों में दोहरीकरण परियोजनाएं कब तक पूरी हो पाएंगी और उनमें से प्रत्येक चरण का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) उक्त कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) और (ख) केरल राज्य में पूरी तरह आंशिक रूप से पड़ने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :–

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | पूरा होने का समय |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | शोरूवण्णूर–कुट्टिपुरम–कालीकट दोहरीकरण (86 किमी.) | पूरा हो चुका है |
| 2. | कालीकट–मंगलोर दोहरीकरण (221 किमी.) | 218 किमी. पूरे हो चुके हैं और शेष 3 किमी. भी को 2008–09 के दौरान पूरा कर लिया जाएगा। |
| 3. | एर्णाकुलम–मुलातुंरूट्टी दोहरीकरण (17.37 किमी.) | 2008–09 |
| 4. | मवेलिकारा–कायनकुलम (7.89 किमी.) | 2008–09 |
| 5. | चेप्पाड–कायनकुलम (7.76 किमी.) | 2008–09 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 6. | मविलिकारा–चेंगनूर अंशतः दोहरीकरण (12.3 किमी.) | 2008–09 |
| 7. | चेप्पाड–हरिपद–अंशतः दोहरीकरण (5.28किमी.) | 2008–09 |
| 8. | मुलांतुरूटी–कुरूपंतारा दोहरीकरण (24 किमी.) | 2009–10 |
| 9. | चेंगनूर–चिंगावनम दोहरीकरण (26.5 किमी.) | 2009–10 |
| 10. | कनकानाडभ–पानमबूर खंड का अंशतः दोहरीकरण (19 किमी.) | 2010–11 |
| 11. | कुरूपंतारा–चिंगावनम (26.54 किमी.) | 2010–11 |
| 12. | अम्बालपुजहा–हरिपद (18.13 किमी.) | 2009–10 |

ये परियोजनाएं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इनकी परिचालनिक प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए और अपेक्षित भूमि की केरल सरकार द्वारा सुपुर्दगी के अनुसार प्रगति पर है।

(ग) परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने, राज्य सरकारों द्वारा लागत में भागीदारी, राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के माध्यम से वित्त पोषण के द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए आंतरिक संसाधनों का सृजन के माध्यम से निधियां भी आबंटित की गई हैं। चालू परियोजनाओं के लिए अपेक्षित भूमि की शीघ्र सुपुर्दगी के लिए केरल सरकार से भी अनुरोध किया जा रहा है।

**मिस्र में उत्तर रामादन में ओ एन जी सी विदेश द्वारा खोज**

**531. श्री एल. राजगोपाल :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम विदेश को मिस्र में उत्तर रामादन में पहली खोज में ही भारी मात्रा में तेल भण्डार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो यहां से प्रतिदिन कितना कच्चा तेल मिल रहा है;

(ग) क्या ओ एन जी सी से विदेश और मिस्र सरकार के बीच हुए करार के अनुसार निकाले गये तेल को भारत की घरेलू आवश्यकता पूरी करने के लिए भारत भेजा जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) :** (क) और (ख) जी हां। ओ एन जी सी विदेश लिमिटेड (ओ वी एल) और उसके साझीदार आई पी आर एनर्जी रेड सी इंक ने नार्थ रमादान कंसेशन, स्वेज की खाड़ी मिस्र में वेधित अपने प्रथम अन्वेषण कूप नार्थ रमादान–1 में एक महत्वपूर्ण नये तेल क्षेत्र की खोज की है। यह खोज अप्रैल 2007 में की गई थी और इस कूप में प्रतिदिन 2979 बैरल तेल के प्राकृतिक बहाव पर परीक्षण किया गया था।

(ग) और (घ) उत्पादन हिस्सेदारी संविदा के प्रावधानों के अनुसार, संविदाकार (ओ वी एल तथा आई पी आर एनर्जी रेड सी इंक) के पास यह अधिकार और दायित्व है कि वे स्वतंत्र रूप से अपनी हकदारी के कच्चे तेल का निर्यात अथवा निपटान कर सकते हैं। तथापि, मिस्र के अरब गण राज्य (ए आर ई) के बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने को प्राथमिकता दी जाएगी।

**ईरान में अतुल्य भारत अभियान**

**532. श्री रायापति सांबासिवा राव :** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान में अतुल्य भारत अगियान चलाया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ईरान सरकार दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने तथा संस्कृति और पर्यटन क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) :** (क) से (घ) जी, हां। अतुल्य भारत अभियान को ईरान सहित, मध्य पूर्व में फोकस किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, दुबई का भारत पर्यटन कार्यालय, ईरान से भारत में इनबाउण्ड पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु ईरान में कुछ संवर्धनात्मक क्रियाकलाप करता है। 21 एवं 22 फरवरी, 2005

को नई दिल्ली में आयोजित भारत और ईरान के मध्य संयुक्त आयोग के चौदहवें सत्र के दौरान, भारत सरकार ने पर्यटन एवं संस्कृति सहित, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग हेतु, ईरान के इस्लामिक गणतंत्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

**"गेल" द्वारा प्राकृतिक गैस का वितरण**

**533. श्री एम. जगन्नाथ :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेल (इंडिया) लिमिटेड ने हाल ही में देश में 28 और शहरों में प्राकृतिक गैस वितरण करने की योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) :** (क) और (ख) गेल (इंडिया) लिमिटेड ने पहले ही 28 शहरों में शहर गैस वितरण परियोजनाएं कार्यान्वित करने की योजना बनाई थी, जिनमें से 13 शहरों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदूषण स्तर के आधार पर पहचान किया गया था और गेल द्वारा 15 शहरों का व्यवहार्यता के आधार पर अभिज्ञात किया गया था।

बाद में, गेल (इंडिया) लिमिटेड ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पी एन जी आर बी) 230 शहरों के अनुमोदन के लिए आवेदन कर दिया है।

**डीजीसीए में मानवशक्ति का अभाव**

**534. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :**

**श्री नन्द कुमार साय :**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विमान यातायात में भारती वृद्धि होने के बावजूद नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) में मानवशक्ति की कमी है जैसाकि 11 दिसम्बर, 2007 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने डी जी सी ए में मानवशक्ति की कमी के संबंध में कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) स्वीकृत कर्मचारियों की तुलना में देश के विभिन्न विमानपत्तनों में तैनात कर्मचारियों की वास्तविक संख्या क्या है;

(च) इन विमानपत्तनों पर अपर्याप्त कर्मचारियों के कारण यात्री सुरक्षा पहलू किस सीमा तक प्रभावित होता है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक प्रयास किए गए हैं?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) और (ख) जी, हां। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) में 683 कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या की तुलना में 534 कर्मचारी तैनात है।

(ग) और (घ) सरकार ने डीजीसीए की भूमिका और कार्यकलापों की समीक्षा करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय के भूतपूर्व सचिव, श्री एम.के. काव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। 276 सिफारिशों में से विशेष रूप से 27 डीजीसीए में अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता से संबंधित थी ये सिफारिशें कार्यान्वयन के लिए सरकार ने स्वीकार कर ली थी।

(ङ) पांच बड़े हवाईअड्डों के लिए स्वीकृत 199 कर्मचारियों की संख्या की तुलना में, 139 कर्मचारी तैनात हैं।

(च) और (छ) डीजीसीए के स्तर रूप से यात्री सुरक्षा सहित सभी एयरलाइंस/प्रचालकों पर सुरक्षा तथा विनियामक मानदण्डों को प्रभावशाली रूप से लागू करती है। जबकि सरकार खाली पदों को भरने के लिए निरंतर आधार पर कार्रवाई, आवश्यकता आधार पर खत्म हो चुकी रिक्तियों को पुनः प्रभावी बनाने का प्रस्ताव करती है।

*[हिन्दी]*

**विमानपत्तनों पर आधारभूत सुविधाएं**

**535. श्री रशीद मसूद :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विमानपत्तनों पर उपलब्ध आधारभूत सुविधाएं अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार विमानपत्तनों पर आधारभूत सुविधाओं के विकास और विस्तार के लिए एक स्वतंत्र विनियामक निकाय गठित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) देश के सभी हवाईअड्डों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**भुवनेश्वर में नए टर्मिनल का निर्माण**

536. **श्री अनन्त नायक :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास बीजू पटनायक विमानपत्तन, भुवनेश्वर पर एक नए टर्मिनल के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उस टर्मिनल परियोजना को पूरा करने के लिए किस तारीख का निर्धारण किया गया है; और

(ग) नए टर्मिनल को कब तक कार्यशील बना दिया जाएगा?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) जी, हां।

(ख) नए टर्मिनल भवन के पूरा होने की लक्षित तारीख मार्च, 2009 है।

(ग) टर्मिनल भवन के मई, 2009 तक पूरी तरह प्रचालनरत बनाए जाने का प्रस्ताव है।

**लाभार्जक/हानि उठाने वाले पी एस यू**

537. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी :**
**श्री समत कुमार मंडल :**

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है;

(ख) हानि के क्या कारण हैं और उन्हें लाभार्जक अथवा आत्मनिर्भर इकाई बनाने के संबंध में सरकार की क्या नीति है;

(ग) क्या हानि उठाने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आंतरिक रूप से स्वीकृत तीन–चरणों वाली रणनीति अर्थात् दीर्घकालिक उद्देश्यों (मिशन और दृष्टिकोण); सिद्ध व्यावसायिक नीति और संसाधनों (मानव, वित्तीय और सामग्री) के न्यायोचित आबंटन को लागू किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) :** (क) विगत 3 वर्षों के दौरान, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के लाभ अर्जित करने वाले उद्यमों का लाभ तथा घाटा उठाने वाले उद्यमों का घाटा इस प्रकार है :–

| वर्ष | केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के लाभ उठाने वाले उद्यमों का लाभ | केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के घाटा उठाने वाले उद्यमों का घाटा |
|---|---|---|
| 2004–05 | 74432 | 9003 |
| 2005–06 | 76382 | 6845 |
| 2006–07 | 89773 | 8223 |

(ख) घाटे के कारण बहु–आयामी एवं उद्यम विशेष हैं। तथापि, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण एवं घाटा उठाने वाले उद्यमों के सामने आने वाली कुछ सामान्य समस्याओं में अप्रचलित संयंत्र व मशीनरी, पुरानी प्रौद्योगिकी, संसाधन संकट, निम्न क्षमता उपयोग, ब्याज भार, कड़ी प्रतिस्पर्धा, कमजोर विपणन व कर्मचारियों की अतिरिक्त संख्या इत्यादि शामिल हैं।

राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में, अन्य बातों के साथ–साथ यह निर्धारित किया गया है कि हालांकि सरकारी क्षेत्र की कंपनियों का पुनर्गठन व आधुनिकीकरण तथा रूग्ण उद्योग के पुनरुद्धार के लिए भरसक प्रयास किया जाएगा, फिर भी लम्बे समय से घाटा उठाने वाली कंपनियों के कर्मचारियों द्वारा अपनी सांविधिक देयताएं व प्रतिपूर्ति प्राप्त कर लेने के बाद या तो बेच दिया जाएगा अथवा बन्द कर दिया जाएगा। पुनरुद्धार की संभावना वाली कंपनियों में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए निजी उद्योग को शामिल किया जाएगा।

(ग) और (घ) इस नीति के अनुसरण में, सरकार ने संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों तथा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण एवं घाटा उठाने वाले उद्यमों के पुनर्गठन व पुनरुद्धार, आधुनिकीरण, उन्हें मजबूत बनाने की योजनाओं, उपायों व रणनीतियों पर सरकार को सलाह देने के लिए परामर्शदायी निकाय के रूप में सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड स्थापित किया है। बीआरपीएसई की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 28 उद्यमों का पुनरुद्धार तथा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 2 उद्यमों को बंद करने को अनुमोदित कर दिया है, जिसमें 8430.48 करोड़ रु. की कुल सहायता (अर्थात् 1976.13 करोड़ रु. की नकद सहायता तथा 6454.35 करोड़ रु. की गैर–नकद सहायता) शामिल है।

## इस्पात संयंत्रों की स्थापना

538. श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री गिरिधर गमांग :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों विशेषकर झारखंड और उड़ीसा में इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए कंपनियों के नाम सहित हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों का ब्यौरा क्या है और उन परियोजनाओं की राज्य-वार और परियोजना-वार मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) लौह अयस्क भण्डारों और अब तक सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र द्वारा इसकी उपयोगिता और दोनों क्षेत्र के लिए लौह अयस्क की भावी उपलब्धता के संबंध में सरकार और राज्य सरकारों द्वारा क्या मूल्यांकन किया गया है;

(ग) राज्यों में लौह अयस्क खदानों को पट्टे पर देने के लिए स्वीकृत और जारी किये गये नीतिगत दिशा-निर्देश क्या हैं;

(घ) क्या मौजूदा अथवा प्रस्तावित नई राष्ट्रीय खनिज नीति राज्यों में इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए अनुकूल नहीं है क्योंकि विनिर्माताओं को खनन पट्टा/लौह अयस्क ब्लॉक समय पर आबंटित नहीं किए जाते; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि लौह अयस्क/लौह अयस्क ब्लॉकों की अनुपलब्धता के कारण इस्पात उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े?

**इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास)** : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान झारखण्ड और उड़ीसा में लोहा और इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए कंपनियों के नाम सहित हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों और परियोजनाओं की राज्यवार और परियोजना वार वर्तमान स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में लौह अयस्क के पर्याप्त भंडार हैं। 1.4.2005 की स्थिति के अनुसार इन भण्डारों का अनुमान 25.25 बिलियन टन लगाया गयास है जिसमें 14,630 मिलियन टन हेमेलाइट और 10,619 मिलियन टन मेगनेटाइट हैं तथा आगे और गवेषण करके इनमें निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2006-07 में लौह अयस्क की घरेलू खपत 72 मिलियन टन (अनुमानित) थी। भारत में लौह अयस्क का उत्पादन घरेलू इस्पात उद्योगों की मांग से अधिक है 2006-07 में लौह अयस्क का कुल उत्पादन 180.92 मिलियन टन (अनंतिम) था।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय खनिज नीति 2007 सरकार के विचाराधीन है। खनिजों के अंतिम उपयोग के प्रावधान के लिए खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 35 के साथ पठित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) एक्ट 1957 (एम एम डी आर एक्ट) के तहत लौह अयस्क का आबंटन किया जाता है। इस एक्ट के तहत संबंधित राज्य सरकारें एम एम डी आर एक्ट 1957 के खण्ड 11(3) के अन्तर्गत खनन पट्टों के आवेदनों की जांच करती हैं और सिफारिश करती हैं। एम सी नियम 1960 के नियम 63ए में भी खनन पट्टे के लिए हर दृष्टि से पूर्ण आवेदनों का निपटान करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है। विलंब की स्थिति में उसका लिखित में स्पष्टीकरण देना होता है।

(ङ) देश में प्रमुख इस्पात निवेश से संबंधित मुद्दों जिनमें लौह अयस्क की उपलब्धता से संबंधित समस्याएं भी शामिल हैं, का समन्वय और मॉनिटर करने के लिए एक अन्तर मंत्रालय समूह (आई एम जी) का गठन किया गया है।

### *विवरण*

*उन इस्पात संयंत्र परियोजनाओं की सूची, जिनके लिए उड़ीसा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए*

| क्र.सं. | कंपनी का नाम | स्थिति | क्षमता : एमटीपीए | निवेश करोड़ रुपए में | समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने की तिथि | वर्तमान स्थिति एवं प्रगति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | मै. पटनायाक स्टील एंड एलॉय लि. | पुरूनापानी, जोड़ा, क्योंझर | 0.27 | 337.42 | 04.05.2005 | उत्पादन शुरू होने की संभावना |
| 2 | मै. राठी उद्योग लि. | पोटापाली, सिकरीडी, संबलपुर | 0.30 | 272.85 | 04.05.2005 | भूमि अधिग्रहण के चरण में |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | मै. विराज स्टील एंड एनर्जी लि. | कुरूपाडी पांडालोई संबलपुर | | 0.30 | 207.00 | 04.05.2005 | स्पंज लोहे और इस्पात का उत्पादन शुरू |
| 4 | मै. दीपक स्टील्स एंड पावर लि. | टोपोडीह, बारबिल, क्योंझर | | 0.25 | 195.31 | 04.05.2005 | स्पंज लोहे का उत्पादन शुरू |
| 5 | मै. कोणार्क इस्पात लि. | हीरमा, झारसुगुडा | | 0.25 | 196.50 | 04.05.2005 | भूमि अधिग्रहण के चरण में |
| 6 | मै. बोके स्टील एंड पावर लि. | उलीबुरू, बारबिल, क्योंझर | | 0.28 | 319.80 | 04.05.2005 | स्पंज लोहे का उत्पादन शुरू |
| 7 | मै. बी.आरजी आयरन एंड स्टील कं. (प्रा.) लि. | खुंरूटी, धेनकानाल | | 0.25 | 228.05 | 04.05.2005 | स्पंज लोहे का उत्पादन शुरू |
| 8 | मै. जैन स्पंज (प्रा.) लि. | डुरलागा, झारसुगुड़ा | | 0.30 | 251.77 | 04.05.2005 | उत्पादन शुरू होने की संभावना |
| 9 | मै. जिन्दल स्टैनलैस लि. | डुबुरी, जाजपुर | चरण-I<br>चरण-II | 0.8<br>0.8 | 1,612.00<br>5,016.00 | 09.06.2005 | फैरो क्रोम का उत्पादन शुरू |
| 10 | मै. रूंगटा माईन्स लि. | कमाण्डा, निकट कोईरा सुंदरगढ़ व झारबद (प्रत्येक 1 एमटीपीए) | | 2.00 | 2275.00 | 3.11.2005 | भूमि अधिग्रहण के चरण में |
| 11 | मै. ब्रांड एलॉय लि. | पालसपान्गा, क्योंझर | | 0.27 | 307.54 | 3.11.2005 | भूमि अधिग्रहण के चरण में |
| 12 | मै. ईस्टर्न स्टील्स एंड पावर लि. | लेहांडाबुड, झारसुगुड़ा | | 0.25 | 254.00 | 3.11.2005 | स्पंज लोहे का उत्पादन शुरू |
| 13 | जय बालाजी ज्योति स्टील्स लि. | तानीसर, निकट लाठीकाटा, सुंदरगढ़ | | 0.33 | 321.14 | 3.11.2005 | स्पंज लोहे और इस्पात का उत्पादन शुरू |
| 14 | मै. वेलस्पून पावर एंड स्टील्स लि. | भादरक जिला या कटक या राज्य में कोई और उचित स्थान | | 3.00 | 5828.15 | 01.10.2006 | भूमि अधिग्रहण के चरण में |
| 15 | मै. उत्तम गालभा स्टील्स लि. | स्थान अभी तक निश्चित नहीं | | 3.00 | 6103.80 | 3.10.2006 | भूमि अधिग्रहण के चरण में |
| 16 | मै. एसएसएल एनर्जी लि. | नॉथाला निकट बनरपाल, अंगुल | चरण-I<br>चरण-II | 3.00 | 4339.00<br>4270.00 | 21.12.2006<br>22.12.2006 | भूमि अधिग्रहण के चरण में |
| 17 | मै. एमजीएम स्टील्स लि. | नीमडीह, मोटागांव धेनकनाल | | 0.25 | 208.10 | 22.12.2006 | भूमि अधिग्रहण के चरण में |
| 18 | मै. सुरेन्द्र माईनिंग इंडस्ट्रीज प्रा. लि. | ब्रह्ममुस नीमडीह, मोटागांव, धेनकनाल, बोनाई, सुंदरगढ़ | | 0.25 | 221.62 | 22.12.2006 | स्पंज लोहे का उत्पादन शुरू |
| 19 | मै. क्रैकर्स इंडिया (एलॉयल) लि. | गोबरधनपुर, क्योंझर | | 0.25 | 236.39 | 22.12.2006 | स्पंज लोहे का उत्पादन शुरू |

*उन बड़ी इस्पात संयंत्र परियोजनाओं की सूची, जिनके लिए उड़ीसा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए*

| क्र.सं. | कंपनी का नाम | स्थिति | क्षमता : एमटीपीए | निवेश करोड़ रुपए में | समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने की तिथि | वर्तमान स्थिति एवं प्रगति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मै. एस्सार स्टील उड़ीसा लि. | | 4.00 | 10,721 | 21.04.2005 | भूमि अधिग्रहण के चरण में |
| 2 | मै. पोस्को इंडिया प्रोजैक्ट (प्रा.) लि. | पाराद्वीप | 12.00 | 51,000 | 22.06.2005 | भूमि अधिग्रहण के चरण में |
| 3 | मै. जिंदल स्टील एंड पावर लि. | दियोंझर, क्योंझर में बैनीफिकेशन प्लांट तथा आगुल में स्टील प्लांट | 6.00 | 13,135.02 | 3.11.2005 | भूमि अधिग्रहण के चरण में |
| 4 | मै. भूषण स्टील एंड स्ट्रिप्स लि. | मेरामुण्डाली, धेनकानाल | 3.00 | 5,828.15 | 3.11.2005 | स्पंज लोहा और इस्पात बिलेट्स का उत्पादन शुरू |
| 5 | मै. मित्तल स्टील कंपनी एन.वी. | पटना, क्योंझर | 12.00 | 40,000 | 21.12.2006 | भूमि अभिज्ञात कर ली गई है और डीपीआर प्रस्तुत नहीं की गई है |

*उन लोहा एवं इस्पात संयंत्र परियोजनाओं की सूची, जिनके लिए उड़ीसा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए*

| क्र.सं. | कंपनी का नाम | स्थिति | क्षमता : एमटीपीए | निवेश करोड़ रुपए में | समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने की तिथि | वर्तमान स्थिति एवं प्रगति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | मै. बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्रीज लि. | चानडील | (क) स्पंज आयरन – 0.21<br>(ख) इस्पात – 0.5<br>(ग) कच्चा लोहा– 0.5 | 591.00 | 12–04–05 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 2 | मै. अनंदीता ट्रेडर्स एंड इंवेस्टमेंट लि. | रामगढ़ | (क) स्पंज आयरन – 0.334 | 94.00 | 12–04–05 | प्रथम चरण शुरू |
| 3 | मै. नरमेराम गैस प्वाइंट प्रा. लि. | जमशेदपुर | (क) स्पंज आयरन – 0.135<br>(ख) इस्पात – 0.045 | 200.00 | 12–04–05 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 4 | मै. गोयल स्पंज प्रा. लि. | पश्चिम सिंहभूम | (क) स्पंज आयरन – 0.115<br>(ख) इस्पात – 0.09 | 67.00 | 12–04–05 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 5 | मै. रूंगटा स्पंज प्रा. लि. | चायबासा | (क) स्पंज आयरन – 0.51 | 517.00 | 12–04–05 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 6 | मै. राज रिफ्रैक्ट्रीज (प्रा.) लि. | चानडील | (क) स्पंज आयरन – 0.6<br>(ख) इस्पात – 0.06 | 68.50 | 12–04–05 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 7 | मै. कॉन्टीस्टील लि. | चानडील | (क) स्पंज आयरन – 1.2<br>(ख) इस्पात – 1.4<br>(ग) द्रव इस्पात – 1.25 | 1560.00 | 18–07–05 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 8 | मै. कोहिनूर स्टील प्रा. लि. | बुलाडीह निकट चानडील | (क) स्पंज आयरन – 0.225<br>(ख) कच्चा लोहा – 0.12 | 410.00 | 18–07–05 | आंशिक रूप से शुरू |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | मै. जिंदल स्टील एंड पावर लि. | घाटशिला | (क) स्पंज आयरन – 5.0<br>(ख) इस्पात – 5.0 | 11500.00 | 05–07–05 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 10 | मै. भूषण पावर स्टील लि. | आसनबोनी, जमशेदपुर | (क) स्पंज आयरन – 1.5<br>(ख) इस्पात – 1.0 | 6510.00 | 23–07–05 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 11 | मै. कल्याणी स्टील लि. | सिली, रांची | (क) स्पंज आयरन – 0.23<br>(ख) इस्पात – 1.0 | 1883.00 | 23–07–05 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 12 | मै. टाटा स्टील लि. (ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट) | मनोहरपुर/चानडील | एकीकृत इस्पात संयंत्र – 12.0 | 42000.00 | 08–09–05 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 13 | मै. टाटा स्टील कं. (एक्सटेंशन) | जमशेदपुर | एकीकृत इस्पात संयंत्र – 5.0 | 11000.00 | 08–09–05 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 14 | मै. वी.एस. डेम्पो एंड कंपनी प्रा. लि. | मनोहरपुर | एकीकृत इस्पात संयंत्र – 0.5 | 1016.00 | 04–10–05 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 15 | मै. मित्तल स्टील कं. एन.वी. | निणर्य नहीं लिया गया | एकीकृत इस्पात संयंत्र – 12.0 | 40000.00 | 08–10–05 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 16 | मै. जिंदल साऊथ वेस्ट स्टील लि. | हेसालोग, नीमडोह | एकीकृत इस्पात संयंत्र–10.0 | 35000.00 | 09–11–05 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 17 | मै. रांची इंटीग्रेटिड स्टील लि. | सिली, निकट मूरी | एकीकृत इस्पात संयंत्र – 1.5 | 5452.00 | 30–12–05 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 18 | मै. एस्सल माईनिंग इंडस्ट्रीज लि. | जगनाथपुर, पश्चिम सिंहभूम | एकीकृत इस्पात संयंत्र – 1.0 | 500.00 | 05–05–06 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 19 | मै. सेसा गोआ लिमिटेड | सरायकेला खारसावन | एकीकृत इस्पात संयंत्र – 0.5 | 300.00 | 07–09–06 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 20 | मै. मुकुन्द स्टील | बारलंगा, हजारीबाग | एकीकृत इस्पात संयंत्र – 2.01 | 800.00 | 07–09–06 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 21 | मै. फिग्रेड एंड कंपनी प्रा. लि. | गुरा एंड रंगामटी पश्चिम सिंहभूम | एकीकृत इस्पात संयंत्र – 0.3 | 250.00 | 11–09–06 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 22 | मै. बोनाई इंडस्ट्रीयल कंपनी लि. | कुनदुबेरा एंड सिंह पोखरिया, पश्चिम सिंहभूम | एकीकृत इस्पात संयंत्र – 0.25 | 300.00 | 11–09–06 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 23 | मै. रूंगटा माईन्स लि. | चाईबासा | एकीकृत इस्पात संयंत्र – 4.5 | 1050.00 | 11–09–06 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 24 | मै. विनी आइरन एंड स्टील उद्योग लि. | लुपनडिह, चानडील, सरायकेला खारसावन | एकीकृत इस्पात संयंत्र – 0.6 | 355.00 | 14–09–06 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 25 | मै. नरसिंह इस्पात लि. | खुंटी, चानडील, सरायकेला, खारसावन | मिनी स्टील – 0.25 | 150.00 | 14–09–06 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 26 | मै. कोर स्टील एंड पावर लि. | मुसाबनी, घाटशिला | मिनी स्टील – 1.0 | 1000.00 | 29–12–06 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 27 | मै. इस्पात इंडस्ट्री लि. | नंदपुर/ मनोहरपुर | एकीकृत इस्पात संयंत्र – 2.8 | 2500.00 | 12–01–07 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | मै. मां चंडी दुर्गा इस्पात लि. | नाला ब्लॉक जमतारा | एकीकृत इस्पात संयंत्र – 1.1 | 1250.00 | 09–02–07 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 29 | मै. जगदम्बा फिरकल सर्विसेज लि. | राजेश्वर शिकारीपुर, दुमका | एकीकृत इस्पात संयंत्र – 1.1 | 1000.00 | 09–02–07 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 30 | मै. ब्रह्मी इम्पैक्स लि. | अफजलपुर, बाला ब्लाक, जमतारा | एकीकृत इस्पात संयंत्र – 1.1 | 1000.00 | 09–02–07 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 31 | मै. आधुनिक कार. लि | कुमराबाद, दुमका | एकीकृत इस्पात संयंत्र – 1.1 | 1250.00 | 09–02–07 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 32 | मै. ट्रिंगल ट्रेडिंग प्रा. लि. | पाथनमारा | इस्पात संयंत्र – 0.24 | 200.00 | 14–02–07 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 33 | मै. प्रिमियर फैरो अलॉयल एंड सिक्योरिटीज लि. | बारलांगा | इस्पात संयंत्र – 1.0 | 750.00 | 23–02–07 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 34 | मै. पुष्प स्टील एंड माइनिंग (प्रा.) लि. | गोरीडीह एंड रूगरी, न्यू चौका | इस्पात संयंत्र – 0.25 | 150.00 | 24–02–07 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |
| 35 | मै. सार्थक इंडस्ट्रीज लि. | राजखरसवान | इस्पात संयंत्र – 2.2 | 2000.00 | 26–02–07 | उत्पादन शुरू नहीं हुआ |

**कमजोर, वृद्ध और निःशक्त व्यक्तियों का उत्थान**

**539. श्री रघुनाथ झा :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान करने और वृद्ध तथा निःशक्त व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृतसंकल्प है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य से बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्यों में कार्यान्वित कार्यक्रमों और उनकी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) :** (क) जी, हां। मंत्रालय का अधिदेश, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, निःशक्त व्यक्तियों, वृद्धजनों और नशीली दवाओं के दुरूपयोग के पीड़ितों के शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की योजनाओं को कार्यान्वित करना है।

(ख) वर्ष 2006–07 के दौरान मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में कार्यान्वित कार्यक्रमों और जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

**विवरण**

*वर्ष 2006–07 के दौरान मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में कार्यान्वित कार्यक्रमों और जारी की गई निधियों का ब्यौरा।*

| क्रम सं. | योजना का नाम | जारी की गई राशि (लाख रुपए में) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | अनुसूचित जाति के छात्रों की योग्यता में वृद्धि | बिहार | 62.00 |
| | | उत्तर प्रदेश | 45.16 |
| 2. | अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग और संबद्ध योजना (पूर्व संशोधित) | बिहार | 6.58 |
| | | उत्तर प्रदेश | 36.12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3. | अनुसूचित जातियों को विशेष केन्द्रीय सहायता की उप–योजना | बिहार | 2642.21 |
| | | उत्तर प्रदेश | 8680.37 |
| 4. | अनुसूचित जातियों के लिए कार्य कर रहे स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान | बिहार | 40.86 |
| | | उत्तर प्रदेश | 308.60 |
| 5. | अनुसूचित जाति विकास निगम | बिहार | 0.00 |
| | | उत्तर प्रदेश | 306.25 |
| 6. | राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम | बिहार | 0.00 |
| | | उत्तर प्रदेश | 1693.20 |
| 7. | राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम | बिहार | 0.00 |
| | | उत्तर प्रदेश | 410.10 |
| 8. | अनुसूचित जातियों से संबंधित छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | बिहार | 1892.74 |
| | | उत्तर प्रदेश | 11034.58 |
| 9. | मलीन व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्तियां | बिहार | 0.00 |
| | | उत्तर प्रदेश | 129.49 |
| 10. | सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 | बिहार | 13.00 |
| | | उत्तर प्रदेश | 663.23 |
| 11. | निःशक्त व्यक्तियों हेतु उपकरण/उपस्करों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता | बिहार | 109.17 |
| | | उत्तर प्रदेश | 2990.90 |
| 12. | दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना | बिहार | 194.43 |
| | | उत्तर प्रदेश | 600.52 |
| 13. | अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | बिहार | 601.78 |
| | | उत्तर प्रदेश | 671.56 |
| 14. | अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति | बिहार | 216.38 |
| | | उत्तर प्रदेश | 225.60 |
| 15. | अन्य पिछड़े वर्गों के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास | बिहार | 207.79 |
| | | उत्तर प्रदेश | 295.12 |
| 16. | अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को सहायता | बिहार | 0.00 |
| | | उत्तर प्रदेश | 47.97 |
| 17. | राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम | बिहार | 47.50 |
| | | उत्तर प्रदेश | 94.50 |
| 18. | वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम | बिहार | 0.00 |
| | | उत्तर प्रदेश | 96.41 |

उर्वरक नीति को अंतिम रूप देना

540. **श्री सुरेश अंगड़ि :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक नीति को अंतिम रूप देने में असाधारण देरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह कब तक घोषित हो पाएगी?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) :** (क) से (ग) यूरिया के लिए नई मूल्य-निर्धारण योजना के चरण-III को 8 मार्च, 2007 से अधिसूचित किया जा चुका है और यह मार्च, 2010 तक लागू रहेगी। राजसहायता व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों के लिए रियायत योजना कार्यान्वित की जा रही है, जो मार्च, 2008 तक लागू रहेगी।

उड़ानों में देरी

541. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न कारणों से नवम्बर-दिसम्बर, 2007 के दौरान एयर इंडिया और इण्डियन एयरलाइंस के विमानों में हुई देरी को गंभीरता से लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए किए गए/किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मंत्रालय द्वारा समीक्षा किए जाने के बाद, एयरलाइनों ने उड़ानों तथा क्रू आवंटन का युक्तिकरण किया है और बारीकी से मॉनीटर कर रही है तथा प्रतिदिन के आधार पर सुधारात्मक कार्यवाही कर रही है। एक समय पालक समन्वय एकक मुंबई हवाई अड्डे पर 24 घंटे कार्य कर रहा है तथा एक निगमित स्तर पर नियंत्रण कक्ष दिल्ली हवाई अड्डे पर भी स्थापित किया गया है जिसे स्वचालित हब नियंत्रण के साथ समेकित किया जाएगा ताकि उड़ानों की समयबद्धता को सुनिश्चित करने के विचार से उड़ान हैंडलिंग विभागों के साथ समन्वय किया जा सकेगा।

गैर-मैट्रो विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण

542. **श्री अमिताभ नन्दी :**

**श्री अबु अयीश मंडल :**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी कंपनियों के माध्यम से गैर-मैट्रो विमानपत्तन समूहों को आधुनिक बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो आधुनिकीकरण के लिए प्रस्तावित विमानपत्तनों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक कंपनी द्वारा लगाई गई बोली के ब्यौरे सहित इस उद्देश्य से छांटी गई कंपनियों के नाम क्या हैं?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) सरकार ने, लोक निजी भागीदारी के माध्यम से 24 गैर-मैट्रो हवाई अड्डों के सिटी साइड के विकास का निर्णय लिया है।

(ख) प्रारंभ में लोक निजी भागीदारी के माध्यम से दो एयरपोर्ट जैसे उदयपुर और अमृतसर के सिटी साइड के विकास कार्य को लिया गया है। शेष 22 चिन्हित गैर-मैट्रो हवाई अड्डे देहरादून, जयपुर, खुजराहो, लखनऊ, वाराणसी, अगरतला, भुवनेश्वर, दीमापुर, गुवाहाटी, रांची, अहमदाबाद, औरंगाबाद, भोपाल, इंदौर, रायपुर, राजकोट, बडोदरा, मदुरै, मंगलौर, त्रिची, तिरूवनन्तपुरम और विजाग हैं।

(ग) अमृतसर और उदयपुर के लिए प्रारंभिक योग्यता हेतु बोलीदाताओं से आवेदन पत्रों को प्राप्त किया गया है। बोलीदाताओं की सूची अभी तैयार नहीं की गई है।

रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित सीढ़ियां

543. **श्री बची सिंह रावत 'बचदा' :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकतर रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित सीढ़ियों और लिफ्ट की कमी के कारण शारीरिक रूप से विकलांग और वृद्ध यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) और (ख) इस समय दक्षिण रेलवे में चेपौक, तिरूमलाई, लाइट हाउस, तिरूवल्लीकेनी और एग्मोर दक्षिण मध्य रेलवे में विजयवाड़ा, मध्य रेलवे में पुणे, उत्तर रेलवे में नई दिल्ली जैसे कुछ स्टेशनों पर लिफ्ट तथा एस्केलेटर और

मेट्रो स्टेशनों पर 35 एस्केलेटरों की व्यवस्था की गई है। बहरहाल, प्रथमतः "ए–I" तथा "ए" कोटि के सभी स्टेशनों पर निम्न की व्यवस्था की गई है।

(i) बाधा रहित प्रवेश के लिए स्टेंडर्ड रैंप,

(ii) विकलांग व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों के लिए पार्किंग लॉट निर्धारित करना;

(iii) फिसलन रहित रास्ता,

(iv) साइनेज,

(v) विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुरूप शौचालय,

(vi) विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुरूप नलकें,

(vii) "क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं" बूथ तथा

(viii) व्हील चेयर

"बी" कोटि के पहचान किए गए स्टेशनों पर चरणबद्ध ढंग से उपर्युक्त सुविधाएं मुहैया कराए जाने की योजना है।

दीर्घकालीन कार्य योजना में रेलों की एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर आवाजाही की सुविधा मुहैया कराने तथा प्लेटफार्मों के किनारों को चिन्हित करने की रैंप के साथ ऊपरी पैदल पुल/सबवे के माध्यम से होकर अथवा ऊपरी पैदल पुल/सबवे को जोड़ने के लिए प्रत्येक प्लेटफार्म पर लिफ्ट की व्यवस्था करके एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर आवाजाही की व्यवस्था की जा सकती है।

रेलें मार्गरक्षी के साथ शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर आवाजाही सुसाध्य बनाने के लिए प्लेटफार्म के छोर पर मुहैया कराए गए रास्ते (जो पार्सल यातायात के लिए हैं) का इस्तेमाल करने के लिए प्राधिकृत हैं।

*[हिन्दी]*

## रेलवे में व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्शन सिस्टम

**544. श्री रघुवीर सिंह कौशल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने आईआईटी कानपुर के सहयोग से व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्शन सिस्टम (डब्ल्यू आई एल डी एस) विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे रेलवे को होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त उपकरण का परीक्षण हो चुका है;

(ङ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा उक्त उपकरण का व्यापक उपयोग कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) और (ख) जी हां। अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन (अ.अ.मा.सं.) और आईआईटी/कानपुर द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पहिया धुरा प्रभाव भार संसूचक प्रणाली को अजगैन स्टेशन पर संस्थापित किया गया है। यह प्रणाली फ्लैट्स जिसकी वजह से अधिक प्रभावी भार होता है, सहित पहिए की खराबियों का पता लगाने के लिए दो इंस्ट्रमेंटेड पटरियों द्वारा परिचालित होती है।

(ग) इस प्रणाली के माध्यम से भारतीय रेल अधिक प्रभावी भार और उसे कम करने के साथ–साथ चल स्टॉक का पता लगाने में सक्षम होगी ताकि रेल पटरियों और चल स्टॉक को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके।

(घ) जी हां।

(ङ) और (च) इस प्रणाली का व्यापक उपयोग शुरू हो चुका है और चार पहिया प्रभावी भार संसूचक प्रणाली को हास्पेट/दक्षिण पश्चिम रेलवे, तीरुतानी–अरक्कोणम/दक्षिण रेलवे, मालदा–दल्लीराजहरा/दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और महालिमुरूप, चक्रधरपुर मंडल/दक्षिण पूर्व रेलवे पर संस्थापित किया जा चुका है।

*[अनुवाद]*

## भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन स्मारकों को देखने के लिए आने वाले भारतीय मूल के लोग

**545. श्री मिलिन्द देवरा :** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन आने वाले स्मारकों को देखने के लिए आने वाले भारतीय मूल के लोगों से प्रभार लेने का निर्णय लिया है जैसा कि वह निवासी भारतीयों से लेता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रतिवर्ष औसतन भारतीय मूल के कितने लोगों द्वारा भारत

की यात्रा की जाती है और इस निर्णय से भारतीय मूल के कितने लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) :** (क) से (ग) जी, नहीं।

**भारतीय कंटेनर निगम**

**546. श्री सुग्रीव सिंह :**

**श्री नन्द कुमार साय :**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कंटेनर निगम (कानकोर) ने सड़क मार्ग से होने वाली दुलाई को अपनी और आकर्षित करने के लिए हाल ही में माल भाड़े में कमी की ह;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार की कटौती के बाद कानकोर के लाभ में कितनी कमी आई है; और

(घ) उसके बाद कानकोर के व्यवसाय में कितनी वृद्धि हो सकती है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) और (ख) जी हां। विभिन्न इनलैंड कंटेनर डिपुओं (आईसीडी) और पत्तन से आई सी डी के बीच भी खाली कंटेनरों की दुलाई के लिए सार्वजनिक दरों में हाल ही में कमी की गई है।

(ग) और (घ) दरों में हाल ही में की गई इस कमी से खाली कंटेनरों की रेल द्वारा बुकिंग में वृद्धि होने की संभावना है जिसकी दुलाई इस समय सड़क द्वारा की जा रही है और इससे खाली माल डिब्बों में दुलाई की लागत भी समायोजित हो जाएगी। कुल मिलाकर शुद्ध लाभ में वृद्धि होने की संभावना है।

**सच्चर समिति के प्रतिवेदन का कार्यान्वयन**

**547. श्री रवि प्रकाश वर्मा :**

**श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी :**

**श्री सर्वे सत्यनारायण :**

क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने मुस्लिम समुदाय के पिछड़ेपन के संबंध में गठित सच्चर समिति की सिफारिशों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) न्यायाधीश सच्चर समिति द्वारा दिए गए सुझावों के कार्यान्वयन हेतु संघ सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए क्या समय सीमा तय की गई है?

**अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) :** (क) से (घ) सच्चर समिति की सिफारिशों पर लिए गए निर्णयों से संबंधित एक विवरण सभा पटल पर दिनांक 31.8.2007 को रखा जा चुका है। इस निर्णयों के कार्यान्वयन की गहन निगरानी की जाती है।

**झरिया में भूमिगत आग**

**548. श्री जुएल ओराम :**

**श्री निखिल कुमार :**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झरिया में भूमिगत आग लगने से उस क्षेत्र की रेल सेवा प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लोगों और रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) झरिया में लगी भूमिगत आग से धनबाद और झरिया के बीच का रेलपथ प्रभावित हुआ है। जिसके कारण उक्त रेल मार्ग को बंद कर दिया गया है।

**एयर इंडिया के शेयरों की बिक्री**

**549. श्रीमती पी. सतीदेवी :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एयर इंडिया कंपनी के सभी शेयरों को निजी क्षेत्र को बेचने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र को शेयरों को बेचने से होने वाले परिणामों संबंधी कोई अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**छोटे विमानपत्तनों का प्रोन्नयन**

**550. श्री एस.के. खारवेन्थन :**
**श्री पी. मोहन :**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास देश के छोटे विमानपत्तनों का प्रोन्नयन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कौन-कौन से विमानपत्तनों की पहचान की गई है और इन पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी; और

(ग) उपरोक्त विमानपत्तनों का प्रोन्नयन कब तक किए जाने की संभावना है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का, संबंधित राज्य सरकारों से निःशुल्क विवादमुक्त भूमि की उपलब्धता के आधार पर, देश में इसके कुछ गैर प्रचालनात्मक छोटे हवाई अड्डों के स्तरोन्नयन का प्रस्ताव है। भाविप्रा द्वारा 69.29 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर द्वारा कर्नाटक के मैसूर में, आंध्र प्रदेश के वारंगल और कुडप्पा, अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट, तेजू, एलांग डापारिजो एवं जैरो तथा त्रिपुरा के केलासहर तथा कमालपुर, मेघालय के तुरा, महाराष्ट्र के अकोला, बारामती और गोंदिया, गुजरात के सूरत, उड़ीसा के झारसुगुडा, पश्चिम बंगाल के माल्दा और बिहाला में स्तरोन्नयन का कार्य आरंभ किया गया है। ये परियोजनायें आरंभ/पूरा होने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इसलिए इस समय इनके पूरा होने की एक निश्चित समय सीमा बता पाना संभव नहीं है।

इसके अतिरिक्त, एएआई ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में 6443 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत तथा 2010 में संभावित पूर्णता सहित विकास/स्तरोन्नयन के लिए निम्नलिखित छोटे/गैर-महानगरीय हवाईअड्डों का चयन किया गया है :-

राजस्थान में अजमेर, जयपुर, जैसलमेर, माउंट आबू तथा उदयपुर; चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेश में चंडीगढ़; उत्तराखंड में देहरादून तथा पंतनगरद्ध जम्मू-कश्मीर में जम्मू, श्रीनगर तथा लेह; मध्य प्रदेश में खुजराहो, भोपाल तथा इंदौर; हिमाचल प्रदेश में कुल्लू; उत्तर प्रदेश में लखनऊ तथा वाराणसी; पंजाब में लुधियाना; उड़ीसा में भुवनेश्वर तथा झारसुगुडा; पश्चिम बंगाल में कूच बिहार तथा मालदा, बिहार में मुजफ्फरपुर तथा गया; अंडमान तथा निकोबार में पोर्टब्लेयर; झारखंड में रांची; त्रिपुरा में अगरतला; असम में गुवाहाटी; डिब्रूगढ़ जोरहाट तथा सिल्चर; मेघालय से बारापानी (शिलांग); मणिपुर में इम्फाल; अरुणाचल में इटानगर तथा पासीघाट; सिक्किम में पाक्योंग; नागालैण्ड में कोहिमा; गुजरात में भावनगर; जामनगर, राजकोट तथा वडोदरा; महाराष्ट्र में अकोला; औरंगाबाद; बारामती; गोंदिया; नागपुर (संयुक्त उद्यम मार्ग द्वारा) तथा पुणे; कर्नाटक में बेलगांव; हासन; हुबली; मंगलौर तथा मैसूर; गोवा में गोवा; लक्षद्वीप समूह में अगाती; केरल में कालीकट तथा त्रिवेन्द्रम; तमिलनाडु में कोयम्बतूर; मदुरै; चेन्नई; त्रिची तथा तूतीकोरिन; आंध्र प्रदेश में कड़प्पा; राजमुन्द्री; विजयवाड़ा; विशाखापट्टनम तथा तिरूपति; और पांडिचेरी में पांडिचेरी।

**अल्पसंख्यक समुदायों हेतु कार्यक्रम**

**551. श्री असादूद्दीन ओवेसी :** क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों के दौरान सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए घोषित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनमें से अधिकांश कार्यक्रमों को साकार होने में समय लग रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में अल्पसंख्यकों के विकास हेतु इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

**अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) :** (क) से (घ) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15-सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा जून, 2006 में हुई थी। मुल्सिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति की जांच करने वाली सच्चर समिति की अनुशंसाओं पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई को मई, 2007 में स्वीकृति मिली थी। अनुशंसाओं के संबंध में लिए गए निर्णयों से संबंधित एक विवरण सभा पटल पर दिनांक 31.8.2007 को रखा जा चुका है। योजना से संबंधित विवरण बेवसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है। कार्यक्रमों को विधिवत स्वीकृति दी गई है तथा कई योजनाएं कार्यान्वित हैं। कार्यान्वयन के स्थिति की गहन निगरानी की जा रही है।

## माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण

**552. श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों के उचित एवं पर्याप्त भरण–पोषण एवं कल्याण हेतु इस विषय पर कानून के अनुसार सरकार द्वारा आरंभ किये गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों हेतु सरकार द्वारा तैयार किए गए कल्याणकारी क्रियाकलापों का ब्यौरा क्या है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) :** (क) और (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 'वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम' नामक एक योजना स्कीम कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत वृद्धाश्रमों, दिवा देखभाल केन्द्रों, सचल मेडिकेयर यूनिटों को स्थापित एवं इनके रखरखाव हेतु एवं वृद्ध व्यक्तियों को गैर–संस्थागत सेवाएं प्रदान करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों को परियोजना लागत के 90% तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, सरकार विभिन्न अन्य सुविधाएं/लाभ जैसे वृद्धावस्था पेंशन, आयकर के अंतर्गत छूट की उच्चतर आरंभिक सीमा, वरिष्ठ नागरिकों की बचत योजनाओं पर उच्च ब्याज दर, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के माध्यम से अनन्य स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, यात्रा रियायत इत्यादि भी प्रदान कर रही है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने हाल ही में, वरिष्ठ नागरिकों हेतु आवश्यकता आधारित भरण–पोषण और बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए, देश के प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रमों को स्थापित करने एवं वरिष्ठ नागरिकों की जान–माल की सुरक्षा हेतु मेकेनिजम को संस्थागत करने हेतु माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 को अधिनियमित किया है।

## भारी उद्योगों में अधिशेष राजस्व

**553. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के भारी उद्योगों के पास अधिशेष राजस्व है;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 2007 के अंत तक तत्संबंधी कुल धनराशि कितनी है; और

(ग) उन औद्योगिक क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अधिकतम राजस्व अर्जित किया है और इनमें से प्रत्येक के पास कितना अधिशेष राजस्व है?

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) :** (क) से (ग) भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के 15 उद्यमों के पास वर्ष 2006–07 में अधिशेष राजस्व था। वर्ष 2006–07 के लिए उपलब्ध नवीनतम लेखापरीक्षित परिणामों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के इन 15 उपक्रमों ने 4254.42 करोड़ रुपए का करपूर्व लाभ अर्जित किया है, जैसाकि नीचे विवरण में दिया गया है :

| क्रम संख्या | सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम | (करोड़ रुपए में) |
|---|---|---|
| 1. | भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. | 3736.00 |
| 2. | भारत पम्प्स एंड कम्प्रेशर्स लि. | 19.14 |
| 3. | ब्रिज एंड रूफ कंपनी लि. | 7.17 |
| 4. | ब्रेथवेट एंड कंपनी लि. | 0.56 |
| 5. | ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लि. | 1.39 |
| 6. | सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. | 166.61 |
| 7. | इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लि | 17.55 |
| 8. | हुगली प्रिंटिंग कंपनी लि. | 0.20 |
| 9. | हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि. | 120.31 |
| 10. | हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि. | 45.08 |
| 11. | एचएमटी (धारक कंपनी) लि. | 40.48 |
| 12. | एचएमटी (इंटरनेशनल) लि. | 1.64 |
| 13. | हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि. | 2.86 |
| 14. | प्रागा टूल्स लि. | 91.95 |
| 15. | राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्स्ट्रूमेंट्स लि. | 3.48 |
| | कुल | 4254.42 |

## रेलवे कालोनियों में काम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्पों को लगाना

**554. श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे विद्युत बचत के उद्देश्य से, देश भर में अपनी आवासीय कालोनियों के प्रत्येक घर में काम्पैक्ट फ्लोरासेंट लैम्प (सीएफएल) को लगाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या आंकड़ों के अनुसार रेलवे प्रत्येक वर्ष लगभग 12.8 बिलियन यूनिट विद्युत और लगभग 2 बिलियन लीटर डीजल की खपत करता है तथा रेलवे ऊर्जा बिल पर लगभग 12,000 करोड़ रु. खर्च करता है जो कि इसके कार्यशील व्यय का 29% है;

(ग) क्या मंत्रालय ट्रेक्शन और नान-ट्रैक्शन प्रयोजनों हेतु ऊर्जा के रूप में विद्युत की 13,000 मिलियन यूनिटों से ज्यादा की खपत पर प्रतिवर्ष लगभग 5700 करोड़ रु. खर्च कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो कालोनियों में सीएफएल लगाने से रेलवे को किस सीमा तक सहायता होगी?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) से (ग) जी हां।

(घ) ग्लोबल वार्मिंग को घटाने के लिए भारतीय रेल ने क्लीन डैवलेपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत लगभग 26 लाख सीएफएल के प्रापण की पहल की है और प्रतिवर्ष लगभग 20 करोड़ इकाई (के डब्ल्यू एच) बिजली बचाने का अनुमान है।

**रेलवे में दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की स्थिति**

**555. श्री रनेन बर्मन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई लाइन बिछाए जाने तथा लाइनों के दोहरीकरण सहित विभिन्न कार्यों हेतु निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो वर्ष-वार एवं जोन-वार इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भारतीय रेल में क्रमशः नई लाइनों, आमान परिवर्तन, विद्युतीकरण तथा लाइनों के दोहरीकरण के संबंध में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) से (ग) 10वीं योजना अवधि के लिए नई लाइनें आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, रेलपथ नवीकरण और रेल विद्युतीकरण के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्नानुसार थे :-

| योजना शीर्ष | लक्ष्य (किलोमीटर में) |
|---|---|
| नई लाइन | 1310 |
| दोहरीकरण | 1575 |
| आमान परिवर्तन | 2365 |
| रेलपथ नवीकरण | 23000 |
| रेलवे विद्युतीकरण | 1800 |

(घ) 11वीं पंचवर्षीय योजना में नई लाइनें आमान परिवर्तन, दोहरीकरण तथा रेल विद्युतीकरण के लिए प्रस्तावित लक्ष्य निम्नानुसार हैं:-

| योजना शीर्ष | लक्ष्य (किलोमीटर में) |
|---|---|
| नई लाइन | 2000* |
| दोहरीकरण | 6000 |
| आमान परिवर्तन | 10000 |
| रेलवे विद्युतीकरण | 3500 |

* पूर्व एवं पश्चिम मार्गों पर समर्पित माल यातायात गलियारों में शामिल नहीं है।

उपर्युक्त लक्ष्य परियोजना के लिए निधियों की समय पर उपलब्धता और आबंटन के अध्यधीन हैं। सारी लाइनें और दोहरीकरण परियोजनाएं को चालू करना भूमि अधिग्रहण और वन विभाग की स्वीकृति आदि पर भी पूरी तरह निर्भर करेगा।

**ताजमहल का मृदालेपण उपचार**

**556. श्री रायापति सांबासिवा राव :** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रदूषण की वजह से ताजमहल पीला पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ताज की आभा को बनाए रखने के लिए मृदालेपण उपचार पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ताज की आभा को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) :** (क) और (ख) जी हां, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ताज महल, आगरा में एक वायु प्रदूषण प्रयोगशाला की स्थापना की है जो वर्ष 1982 से ताज महल के आस पास नियमित रूप से वायु गुणवत्ता की मॉनीटरिंग करती है। निष्कासित संघटक तत्व का औसत स्तर स्मारकों के लिए निर्धारित अनुमेय सीमा से पांच गुना अधिक है। इसके कारण संगमरमर की बाहरी सतह विशेष रूप से वर्षा से सुरक्षित हिस्से जैसेकि मुख्य कब्रिस्तान, संगमरमर ब्रैकेटों आदि के मेहराबों/आलों में संगमरमर की परतें पीली पड़ गई हैं।

(ग) से (ङ) पृष्ठीय जमावों को सुधारात्मक तथा प्रभावी ढंग से हटाने के लिए संगमरमर की बाहरी सतह की वैज्ञानिक सफाई के लिए मिट्टी के लेप की पद्धति प्रयोग की जाती है। कुछ उपयुक्त रसायनों से उत्प्रेरित मुल्तानी मिट्टी का इस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है। साफ की जाने वाले संगमरमर की बाहरी सतह पर, आसवित पानी में तैयार मुल्तानी मिट्टी की दो मिलीमीटर मोटी परत का लेप किया जाता है। मिट्टी के इस लेप को प्रभावी करने के लिए पर्याप्त समय तक पोलीथीन की शीटों से ढका जाता है। जब प्राकृतिक रूप से लेप सूख जाता है, इसे बाहरी सतह से नरम नायलोन के ब्रशों से हटाया जाता है तथा उपचारित बाहरी सतह को आसवित जल से धोया जाता है। लेप द्वारा जमाव सोख लिया जाता है, जिससे पत्थर की बाहरी सतह साफ हो जाती है। यह पद्धति गैर संक्षारक, गैर अपघर्षी तथा चिपके हुए जमावों को हटाने में काफी प्रभावी है।

ताजमहल पर मिट्टी के लेप का उपचार इस समय दो चरणों में शुरू करने का प्रस्ताव है। जनवरी, 2008 में शुरू हुए प्रथम चरण में, स्मारक के यमुना नदी के सामने वाले हिस्से पर कार्य शुरू किया गया है। दूसरे चरण में मीनारों की सफाई का कार्य शामिल होगा।

**रेलवे सुरक्षा कोष**

**557. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में चौकीदार रहित रेल समपारों पर बारंबार दुर्घटनाएं हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि रेलवे सुरक्षा उपायों से संबंधित कार्यों के वित्त पोषण के लिए रेलवे सुरक्षा कोष बनाया गया है;

(ग) यदि हां, तो सुरक्षा संबंधी प्रयोजनों हेतु उक्त कोष का उपयोग न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या रेलवे सुरक्षा कोष को जिस प्रयोजन से सृजित किया गया था, उसके लिए इसका उपयोग न करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा दायर करने के लिए इसकी जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) जी हां। हालांकि बिना चौकीदार वाले समपारों पर हमेशा दुर्घटनाएं होती रहती हैं और अधिकांश दुर्घटनाएं सड़क उपयोगकर्त्ताओं की गलती के कारण होती हैं, फिर भी अप्रैल 2006 से जनवरी, 2007 तक की अवधि के दौरान घटित 64 दुर्घटनाओं की तुलना में चालू वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान घटकर 57 हो गई हैं।

(ख) जी हां। रेल संरक्षा निधि का सृजन मुख्यतः केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त डीजल उपकर और पेट्रोल उपकर के रेलवे के हिस्से का इस्तेमाल करने के लिए की गई है।

(ग) रेल संरक्षा निधि का उपयोग केवल सड़क से संबंधित रेल संरक्षा कार्यों जैसे ऊपरी सड़क और निचले सड़क पुलों का निर्माण करने, समपारों पर चौकीदार तैनात करने सहित उनमें सुधार आदि के लिए किया जाता है किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। रेल संरक्षा निधि से बड़ी संख्या में कार्यों की मंजूरी दी गई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**प्रतिरक्षा धावनपट्टी का वाणिज्यिक उपयोग**

**558. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :**
**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर चेन्नै में प्रतिरक्षा धावनपट्टी प्रौद्यो–व्यवहार्यता अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रतिरक्षा धावनपट्टी को वाणिज्यिक उपयोग के लिए खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस प्रतिरक्षा धावनपट्टी का उपयोग वार्षिक रूप से कितने यात्रियों द्वारा किए जाने की संभावना है; और

(च) प्रतिरक्षा धावनपट्टियों के वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति देने के बाद नागरिक विमानों के लिए हवाई क्षेत्र में वृद्धि सरकार किस प्रकार करेगी?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) 23 स्थानों पर रक्षा हवाई पट्टियों का वाणिज्यिक उपयोग पहले ही किया जा रहा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इन स्थानों पर सिविल इन्क्लेवों का अनुरक्षण करता है। भाविप्रा द्वारा अनुरक्षित सिविल इन्क्लेवों का अनुमानित यात्री यातायात संवृद्धि को संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) रक्षा हवाई क्षेत्र का सिविल उड़ानों के लिए प्रयोग एक सिविल–सेना समन्वय तंत्र के माध्यम से किया जाता है।

*विवरण*

*रक्षा इन्क्लेवों पर यात्री यातायात*

| क्र. सं. | हवाई अड्डा | यात्री (लाख में) | | | | अनुमानित वृद्धि दर (% में) | | 2011–12 के दौरान अनुमानित यातायात (लाख में) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2006–07 | | 2007–08 (अप्रैल–दिस) | | 11वीं योजना के लिए | | | |
| | | अन्त. | घरेलू | अन्त. | घरेलू | अन्त. | घरेलू | अन्त. | घरेलू |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के अनुसार सिविल इन्क्लेव** | | | | | | | | | |
| 1 | गोवा | 4.03 | 18.09 | 2.00 | 15.46 | 15.0 | 25.0 | 8.11 | 55.21 |
| 2 | बंगलौर# | 12.73 | 68.64 | 11.57 | 64.10 | 30.0 | 30.0 | 46.82 | 254.86 |
| 3 | श्री नगर | 0.18 | 6.90 | 0.10 | 6.06 | 6.0 | 30.0 | 0.24 | 25.62 |
| 4 | पोर्ट ब्लेयर | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 5.65 | 0.0 | 25.0 | – | 15.38 |
| **सीमा शुल्क सहित सिविल इन्क्लेव** | | | | | | | | | |
| 1 | पुणे | 0.46 | 15.28 | 0.26 | 12.85 | 12.0 | 30.0 | 0.81 | 56.73 |
| **घरेलू सुविधाओं सहित सिविल इन्क्लेव** | | | | | | | | | |
| 1 | जम्मू | 0.00 | 4.74 | | 4.17 | – | 30.0 | – | 17.6 |
| 2 | लेह | 0.00 | 1.41 | | 1.42 | – | 10.0 | – | 2.27 |
| 3 | चंड़ीगढ़ | 0.00 | 1.55 | | 1.62 | – | 15.0 | – | 3.12 |
| 4 | जैसलमेर* | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | – | – | – | – |
| 5 | जोधपुर | 0.00 | 1.08 | | 1.19 | – | 6.0 | – | 1.45 |
| 6 | जामनगर | 0.00 | 0.75 | | 0.75 | – | 6.0 | – | 1.02 |
| 7 | भुज | 0.00 | 0.84 | | 0.72 | – | 5.0 | – | 1.08 |
| 8 | ग्वालियर | 0.00 | 0.13 | | 0.11 | – | 10.0 | – | 0.21 |
| 9 | गोरखपुर | 0.00 | 0.04 | | 0.05 | – | 3.0 | – | 0.04 |
| 10 | आगरा | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | – | 3.0 | – | 0.06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | इलाहाबाद | 0.00 | 0.04 | | 0.05 | – | 3.0 | – | 0.04 |
| 12 | बागडोगरा | 0.00 | 2.59 | | 2.49 | – | 20.0 | – | 6.44 |
| 13 | जोरहाट | 0.00 | 0.42 | | 0.33 | – | 5.0 | – | 0.54 |
| 14 | तेजपुर | 0.00 | 0.04 | | 0.01 | – | 8.0 | – | 0.06 |
| 15 | सिलचर | 0.00 | 1.17 | | 1.12 | – | 12.0 | – | 2.06 |
| 16 | विशाखापत्तनम | 0.00 | 3.20 | | 3.68 | – | 30.0 | – | 12.29 |
| 17 | पठानकोट | 0.00 | 0.06 | | 0.07 | – | 10.0 | – | 0.22 |
| 18 | कानपुर (चकेरी) | 0.00 | 0.01 | | 0.04 | – | 3.0 | – | 0.01 |

नोट : * कोई प्रचालन नहीं।

# वाणिज्यिक प्रचालनों के लिए मार्च, 2003 के अंत में बंद किया जाना है।

*[हिन्दी]*

**संगम एक्सप्रेस का विस्तार**

**559. श्री रशीद मसूद :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इलाहाबाद और मेरठ के बीच चलने वाली संगम एक्सप्रेस 4164/4163 को सहारनपुर तक बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो समय–सीमा को निर्दिष्ट करें;

(ग) क्या सहारनपुर तक संगम एक्सप्रेस को विस्तारित करने का प्रस्ताव जन प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के माध्यम से आया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) 4163/4164 इलाहाबाद–मेरठ संगम एक्सप्रेस को मेरठ से सहारनपुर तक बढ़ाने के संबंध में मांग प्राप्त हुई है लेकिन टर्मिनल एवं मार्ग की तंगी जैसी परिचालनिक कठिनाइयों के कारण ऐसा करना संभव नहीं है।

*[अनुवाद]*

**तलचर-कटक और पुरी रेल लाइन का विद्युतीकरण**

**560. श्री अनन्त नायक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में तलचर–कटक और पुरी रेल लाइन का विद्युतीकरण अब तक पूरा नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तिथि तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) उक्त कार्य में तीव्रता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) तलचेर–कटक–बारंग–खुर्दा रोड – पुरी रेल लाइन का विद्युतीकरण पहले ही पूरा हो चुका है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**घाटे में चल रहे विमानपत्तन**

**561. श्री जी. करूणाकर रेड्डी :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को देश के 100 से ज्यादा विमानपत्तनों से भारी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या है; और

(ग) निकट भविष्य में इन विमानपत्तनों को लाभप्रद बनाने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल)** : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा प्रबंधित 127 हवाई अड्डों में से 112 हवाई अड्डों (जिनमें 33 प्रचालनिक हवाई अड्डें भी शामिल है) पर वर्ष 2006–07 के दौरान हानि हुई है। इन हवाई अड्डों पर निरंतर हानि होते जाने का प्रमुख कारण कम यातायात मांग तथा कम गैर–यातायात राजस्व है।

(ग) एएआई कुछ गैर महानगरीय हवाई अड्डों पर, इन्हें भविष्य में लाभप्रद बनाने के लिए इन हवाई अड्डों पर गैर यातायात राजस्व में वृद्धि करने की दृष्टि से, सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए सिटी साइड के विकास कार्य को हाथ में ले रहा है।

**विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का विस्तार**

562. **श्री चंद्रकांत खैरे** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के विस्तार के लिए महंगी योजना को अनुमोदित किया है;

(ख) यदि हां, तो आगामी तीन वर्षों के लिए इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार और निर्यात प्रवृत्तियों का ध्यान से आकलन किया गया है और भारी निवेश में निहित जोखिमों में समाहित कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र केवल चीन से ही सतत मांग पर आश्रित है;

(ङ) यदि हां, तो क्या विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र द्वारा किये जाने वाले भारी निवेश पर संभावित लाभ का आकलन करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) निवेश हेतु धनराशि का स्रोत क्या है?

**इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास)** : (क) और (ख) वर्ष 2009 तक विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र (वी एस पी) की द्रव इस्पात की क्षमता 3 मिलियन टन से बढ़ाकर 6.3 मिलियन टन वार्षिक करने के लिए 8692 करोड़ रुपए (आधार जून 2005 के मूल्य) की अनुमानित लागत पर वी एस पी की विस्तार योजना को सरकार ने अक्तूबर, 2005 में मंजूरी दे दी है।

(ग) विस्तार के प्रस्ताव पर विचार करते समय, निवेश पर लाभ की प्रक्षेपित दर की तुलना में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार, निर्यात रुख तथा आंतरिक खपत के संबंध में एक अनुमान लगाया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) विस्तार चरण–I के लिए निवेश पर लाभ का अनुमान परियोजना रिपोर्ट में पहले ही लगाया जा चुका है। विस्तार योजना की संपूर्ण पूंजीगत लागत वी एस पी द्वारा 1:1 के वृद्धयात्मक ऋण साम्या अनुपात में आंतरिक संसाधनों और अतिरिक्त बजटीय स्रोतों से पूरी की जाएगी।

**अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की स्थापना**

563. **श्री बची सिंह रावत 'बचदा'** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों से अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की स्थापना के लिए प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) नये अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों की स्थापना के प्रस्तावों पर कब तक निर्णय लिया जायेगा?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल)** : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश और केरल राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। हैदराबाद और बंगलौर में ऐसे दो हवाई अड्डे हैं जिनके वर्तमान वर्ष में प्रचालित होने की संभावना है।

सिद्धान्त रूप में महाराष्ट्र के नवी मुम्बई, गोवा के मोपा तथा केरल के कन्नूर में नए हवाई अड्डों के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार से गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में हवाई अड्डा स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

*[हिन्दी]*

**अधोगामी पुलों/उपरि पुलों का निर्माण**

564. **श्री रघुबीर सिंह कौशल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चौकीदार रहित समपारों पर दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए रेल अधोगामी पुलों/उपरि पुलों के निर्माण का है;

(ख) यदि हां, तो मंडल–वार विशेषकर राजस्थान का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राजस्थान में वर्तमान में चौकीदार रहित समपारों का मंडल–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के पास कोई मामला लंबित है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) और (ख) जी, हां। रेलवे ने तकनीकी रूप से उचित बिना चौकीदार वाले समपारों को सीमित ऊंचाई वाले उपमार्गों से बदलने का निर्णय लिया है। राजस्थान राज्य में सीमित ऊंचाई वाले उपमार्गों से पुनर्स्थापन के लिए प्रस्तावित बिना चौकीदार वाले समपारों का मंडलवार विवरण निम्नानुसार है:

| रेलवे | मंडल | सीमित ऊंचाई वाले उपमार्गों से बदलने वाले समपारों की संख्या |
|---|---|---|
| उत्तर पश्चिम | अजमेर | 3 |
| पश्चिम मध्य | कोटा | 8 |
| जोड़ | | 11 |

(ग) राजस्थान राज्य में मौजूदा बिना चौकीदार वाले समपारों (मंडल–वार) की संख्या निम्नानुसार है:

| रेलवे | मंडल | बिना चौकीदार वाले समपार (डी श्रेणी पशु पारणों एवं नहर पारणों को छोड़कर) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| उत्तर | अंबाला | 23 |
| उत्तर मध्य | झांसी | 53 |
| | आगरा | 69 |
| उत्तर पश्चिम | अजमेर | 366 |
| | बीकानेर | 105 |
| | जयपुर | 209 |
| | जोधपुर | 552 |
| पश्चिम मध्य | कोटा | 106 |
| पश्चिम | रतलाम | 4 |
| जोड़ | | 1487 |

(घ) और (ङ) जी नहीं। कंज्यूमर एजुकेशन एवं रिसर्च सेंटर, अहमदाबाद ने 2001 के मामला संख्या 162 द्वारा रिट याचिका दायर की है। जिसमें उठाए गए प्रमुख मुद्दे निम्नानुसार हैं:

1. क्षतिपूर्ति के भुगतान के संबंध में रेलवे की जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए संशोधन की आवश्यकता
2. क्षतिपूर्ति के भुगतान और संबंधित मुकदमेबाजी के विभिन्न मामले।
3. समपारों पर दुर्घटनाओं के मामलों में अनुग्रह राशि का भुगतान।
4. बिना चौकीदार वाले समपारों का चौकीदार वाले समपारों में बदलाव और निधियों की उपलब्धता सहित इसके लिए रेलवे कार्यक्रम।

*[अनुवाद]*

**विश्व विरासत स्मारकों का प्रवेश शुल्क**

**565. श्री सुग्रीव सिंह :** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पर्यटक विश्व विरासत स्मारकों में प्रवेश के लिए भुगतान डॉलरों में करने को वरीयता देते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण (एएसआई) के इन स्मारकों में प्रवेश पत्रों से होने वाली आय में अक्तूबर, 2007 के बाद से व्यस्ततम अवधि के दौरान कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एएसआई का विचार इन स्मारकों में प्रवेश के लिए डॉलरों में भुगतान को प्रतिबन्धित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इन स्मारकों में प्रवेश टिकटों से राजस्व घाटे पर अंकुश लगाने के लिए एएसआई द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) :** (क) इस तरह का कोई रूझान देखने में नहीं आया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (च) टिकटेड विश्व विरासत स्थलों पर विदेशी पर्यटकों से 250/- रुपए प्रति व्यक्ति की दर से तथा अन्य टिकटेड स्मारकों पर 100/- रुपए प्रति व्यक्ति की दर से प्रवेश शुल्क लेने के लिए टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित करने के लिए एक प्रारम्भिक अधिसूचना भारत के शासकीय राजपत्र में दिनांक 18 जनवरी, 2008 को प्रकाशित की गई है।

**अल्पसंख्यक समुदायों हेतु मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना**

**566. श्री रवि प्रकाश वर्मा :** क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों हेतु मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना को अनुमोदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं?

**अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले) :** (क) जी, हां।

(ख) से (घ) यह योजना अल्पसंख्यक समुदाय के उन पात्र छात्रों के लिए है, जो पहली से दसवीं कक्षा में अध्ययनरत हैं। योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से केन्द्र और राज्यों के मध्य 75:25 के अनुपात में वित्तीय भागीदारी से किया जाना है। संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के तहत वे छात्र ही छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे, जिन्होंने पिछली अंतिम परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक अर्जित किए हों तथा जिनके माता-पिता की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1.00 लाख रु. से अधिक न हो। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 25 लाख छात्रवृत्तियां दिए जाने का प्रस्ताव है, जिनमें से 30 प्रतिशत छात्रवृत्तिया छात्राओं के लिए निर्धारित हैं।

**निम्न लागत वाली सेवा**

**567. श्रीमती पी. सतीदेवी :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया कम्पनी ने अपनी निम्न लागत वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान सेवा को बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या है; और

(ग) विभिन्न विमानपत्तनों पर कितनी उड़ानों को बन्द कर दिया गया?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**सेलम में नया रेलवे मंडल**

**568. श्री एस.के. खारवेनथन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेलम स्थित नए रेलवे मंडल ने कार्य आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि सेलम मंडल अपर्याप्त स्टॉक से समस्या ग्रस्त है और पर्याप्त स्थान के अभाव में भी समस्याओं का सामना कर रहा है;

(घ) यदि हां, ब्यौरा क्या है और इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) जी, हां।

(ख) सेलम मंडल परिचालन में है और 1.11.2007 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

(ग) से (ङ) वर्तमान में 25 अधिकारियों सहित 232 कर्मचारी सेलम मंडल में कार्य कर रहे हैं। शेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्मचारियों से विकल्प मांगे जा रहे हैं।

कर्मचारियों को पर्याप्त आवास मुहैया कराने के लिए सेलम पर "नए मंडल की स्थापना के लिए" वर्ष 2007-08 में 20 करोड़ रु. की

लागत पर एक कार्य को स्वीकृत किया गया है। कार्य में कार्यालय भवन, कर्मचारी आवास और अन्य न्यूनतम अवसंरचना का निर्माण शामिल है। इस दौरान मंडल का कार्यालय 1100 वर्ग मीटर के अस्थायी कार्यालय से कार्य कर रहा है। कार्यालय भवन को बढ़ाने के लिए 150 वर्ग मीटर के अन्य भवन का भी नवीकरण किया जा रहा है।

## विदेशी पर्यटक

569. **श्री असादूद्दीन ओवेसी :**
**श्री एम. अप्पादुरई :**
**श्री अधीर चौधरी :**
**श्री के.एस. राव :**
**श्री रेवती रमन सिंह :**

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 2007 तक भारत में 4.4 मिलियन विदेशी पर्यटकों ने दौरा किया जिससे एक दशक में पर्यटकों की संख्या दोगुनी हो गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वैश्विक बाजार में वर्तमान उठापटक के मद्देनजर देश में अगले वित्तीय वर्ष में पर्यटक आवक के लिए कोई अनुमान लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार पर्यटन क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रोत्साहन देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी) :** (क) से (घ) भारत में विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए), वर्ष 1996 में 2.29 मिलियन से बढ़कर 117.5 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 2007 में 4.98 मिलियन हो गया। वर्ष 2007 में नवम्बर माह तक विदेशी पर्यटक आगमन की संख्या 4.40 मिलियन थी। वर्ष 2006 की तुलना में 2007 में देखी गई विदेशी पर्यटक आगमनों में वृद्धि दर को मानते हुए वर्ष 2008 में भी वही रहने का अनुमान लगाते हुए यह आशा की जाती है कि वर्ष 2008 में विदेशी पर्यटक आगमनों की संख्या 5.57 मिलियन होगी।

(ङ) से (च) पर्यटन विशेष रूप से निजी क्षेत्र सेवा प्रदाताओं का एक उद्योग है और सार्वजनिक क्षेत्र का या तो सीधे या सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति के माध्यम से अवसंरचना क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका है।

पर्यटकों हेतु बजट श्रेणी आवास की वृद्धि को सुगम बनाने के लिए सरकार ने सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों एवं भारतीय रेलवे सहित अन्य भू-स्वामियों अन्य भू-स्वामित्व वाली एजेन्सियों से, विशेषकर बजट श्रेणी में होटल निर्माण हेतु भूमि आबंटन करने के लिए कहा है। उन्हें, निवेशक अनुकूल भू-नीतियों का अनुसरण करने, होटल परियोजनाओं के संवर्धन हेतु सिंगल विंडो पहुंच को अपनाने, राजस्व भागीदारी आधार पर स्थलों का आबंटन करने, होटलों हेतु अतिरिक्त एफएआर/एफएसआई अनुदान देने, होटलों में अतिरिक्त वाणिज्य प्रयोग को अनुमति देने आदि की भी सलाह दी गई है, ताकि बजट होटलों का संवर्धन किया जाए। आगे बजट श्रेणी में कमरों की संख्या में बढ़ोत्तरी हेतु पर्यटन मंत्रालय ने गेस्ट हाउसों और इनक्रेडिबल इंडिया बेड एण्ड ब्रेकफास्ट इस्टाब्लिसमेंट्स के अनुमोदन हेतु योजनाओं की शुरूआत की है।

इसी तरह, वृहत् राजस्व सृजक परियोजनाओं को सहायता की योजना के अंतर्गत, निजी पार्टी द्वारा संवर्धित परियोजनाओं हेतु सब्सिडी की मात्रा या तो 50 करोड़ रु. या योजना लागत का 25 प्रतिशत या निजी प्रवर्तकों के इक्विटी अंशदान का 50 प्रतिशत जो भी कम हो, है।

## ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

570. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रीनफील्ड विमानपत्तन में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे गैर-मैट्रो शहरों विशेषकर गुजरात में स्थित शहरों के संदर्भ में नई विमानपत्तन सुविधाओं के सृजन में किस प्रकार मदद मिलेगी?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) और (ख) जी, हां। वर्तमान नीति के अनुसार हवाई अड्डा विकास में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।

(ग) नई हवाई अड्डा सुविधाओं के सृजन में आवश्यक विशेषज्ञों और आर्थिक सुदृढ़ता वाले देशों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय सहयोग से विदेशी इक्विटी निवेश को प्रारंभ किया जाएगा।

## निजी क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों को रोजगार

571. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रतिवर्ष 1,00,000 रोजगार के अवसर का सृजन करने हेतु एक प्रोत्साहन योजना को अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना का परिव्यय 1,800 करोड़ रुपए होगा;

(ग) क्या इस योजना में सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में सरकार द्वारा अंशदान की भी परिकल्पना की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इससे विकलांग व्यक्तियों को निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने में कितनी सहायता मिलेगी?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन)** : (क) से (ङ) जी, हां। इस योजना में विकलांगजनों को रोजगार प्रदान करने के लिए पहले तीन वर्षों हेतु कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना हेतु नियोक्ता के अंशदान का भुगतान करने की परिकल्पना है। इस योजना से 25,000/– रुपए प्रतिमाह तक का मासिक वेतन पाने वाले व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। इस योजना में निःशक्तजन अधिनियम, 1995 और ऑटिज्म, अंगघात, मानसिक मंदता और बहु–विकलांगग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के तहत यथा परिभाषित सभी विकलांग व्यक्ति कवर किए जाते हैं।

**गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए मिट्टी के तेल व एल पी जी का मूल्य**

572. **श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गरीबी रेखा से नीचे तथा गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए मिट्टी के तेल व एल पी जी के लिए अलग मूल्य निर्धारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वर्तमान में गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले लोगों के परिवारों की संख्या की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस प्रकार से मूल्यों को दोहरीकरण से कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**इस्पात का आयात**

573. **श्री अनन्त नायक : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस्पात के आयात में वृद्धि से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे घरेलू इस्पात उद्योग में संकट उत्पन्न हो जाएगा;

(ग) यदि हां, तो इस्पात के आयात में कमी करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) घरेलू इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

**इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस्पात क्षेत्र का विकास भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के अनुरूप होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का 8–9 प्रतिशत वार्षिक दर से विकास हो रहा है। इस्पात के आयात में हुई वृद्धि मुख्य रूप से उस अतिरिक्त घरेलू मांग को पूरा करने के लिए हुई है जो मौजूदा घरेलू उत्पादन क्षमता से पूरी नहीं हुई है। अतः इससे घरेलू इस्पात उद्योग में कोई संकट पैदा नहीं होगा। सरकार इस्पात के आयात को लगातार मॉनीटर करती है और आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक कदम उठाती है।

(घ) घरेलू इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिनमें से एक उल्लेखनीय कदम देश में अवसंरचना से संबंधित प्रमुख इस्पात निवेश, कच्चे माल की आपूर्ति, पर्यावरण संबंधी मंजूरी और अन्य संसाधन संबंधी अड़चनों से संबंधित मुद्दों की मॉनीटरिंग और समन्वय करने के लिए अंतर मंत्रालय समूह का गठन करना है।

इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क की उपलब्धता

**574. श्री चंद्रकांत खैरे :**
**श्री हंसराज गं. अहीर :**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चाधिकार प्राप्त परामर्शदात्री पैनल ने खान मंत्रालय से इस्पात उद्योग को वरीयता के आधार पर लौह अयस्क उपलब्ध कराने की सिफारिश की है ताकि इस्पात उद्योग रक्षित खानों के आबंटन में विलम्ब कठिनाइयों के कारण प्रभावित न हों;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में संपूर्ण ब्यौरा क्या है तथा परामर्शदात्री पैनल की सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या परामर्शदात्री पैनल ने लौह अयस्क के असीमित निर्यात को विनियमित करने के लिए रोक लगाने का भी अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस सिफारिश पर क्या कार्रवाई की गई है?

**इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश दास) :** (क) से (घ) उच्च अधिकार प्राप्त परामर्शदात्री पैनल ने खान मंत्रालय को ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है। तथापि, रसायन एवं उर्वरक तथा इस्पात मंत्रालय से संबद्ध परामर्शदात्री समिति ने चंड़ीगढ़ में दिनांक 7 नवम्बर, 2007 को हुई अपनी बैठक में इस्पात संयंत्रों की लौह अयस्क तथा कोककर कोयले जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल की मौजूदा तथा विस्तार के बाद की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने की जरूरत के बारे में चिंता व्यक्त की थी। परामर्शदात्री समिति की एकमत से यह राय भी थी कि लौह अयस्क के अनियंत्रित निर्यात में कमी की जानी चाहिए। परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं द्वारा मुफ्त यात्रा

**575. श्री नरहरि महतो :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता संबंधित दलों द्वारा आयोजित की जाने वाली रैलियों में भाग लेने के लिए रेलगाड़ियों में बिना टिकट मुफ्त यात्रा करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि ये कार्यकर्ता वैद्य टिकटों पर यात्रा कर रहे यात्रियों की सीट और बर्थ पर बलपूर्वक कब्जा कर लेते हैं तथा रेल प्रशासम यात्रियों की कोई मदद नहीं करता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी रेलगाड़ी–वार, तिथि–वार तथा राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** (क) से (घ) राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं की उनकी संबंधित राजनीतिक पार्टियों द्वारा आयोजित रैलियों में भाग लेने के लिए गाड़ियों में बिना टिकट यात्रा करने के कुछ मामले ध्यान में आए हैं। सवारी डिब्बों में ऐसे अप्राधिकृत यात्रियों का प्रवेश नियंत्रित करने के लिए टिकट जांच और सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा सभी प्रयास किए जाते हैं। बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्तियों पर नियमों के अनुसार आरोप लगाया जाता है। नियमित सदाशयी यात्रियों को जब वे यात्रा नहीं करना चाहते, में पूरे किराए का धनवापसी सहित ऐसी स्थितियों में आवश्यक मदद मुहैया कराई जाती है। ऐसे बलपूर्वक सीटों/बर्थों में स्थान घेरने के गाड़ीवार, तारीखवार और राज्य–वार ब्यौरे को रखा नहीं जाता। रोकथाम उपाय के रूप में, नियमित गाड़ियों में प्रवेश करने से इन रैली भागीदारों से बचने हेतु विशेष गाड़ियां चलाई जाती है। इसके साथ–साथ, अग्रिम में भुगतान किए जाने वाले पूर्ण टैरिफ दरों पर राजनीतिक पार्टियों की मांग पर विशेष गाड़ियां भी चलाई जाती हैं।

गैर-गैस आधारित यूरिया एकक

**576. श्री किसनभाई वी. पटेल :**
**श्री नन्द कुमार साय :**

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई मूल्य निर्धारण नीति, चरण–III नीति के अंतर्गत कितने गैर–गैस आधारित यूरिया एककों को अब तक गैस आधारित एकक में बदला गया तथा कितनों को बदला जाना अभी शेष है;

(ख) ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित क्षमता संवर्धन लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) समयबद्ध सीमा के अंतर्गत इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) :** (क) एक इकाई अर्थात श्रीराम केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. एवं कोटा नए मूल्य–निर्धारण योजना के चरण–III के अंतर्गत गैस में परिवर्तित हो गई है। ऐसी आठ गैर–गैस आधारित इकाइयां (4 एफओ/एलएसएच और 4 नेफ्था) हैं जिन्हें अभी गैस में परिवर्तित किया जाना है।

(ख) और (ग) यूरिया की इस बढ़ती हुई मांग को 2011–12 तक पूरा करने के लिए उर्वरकों संबंधी कार्य समूह ने अनुमान लगाया है कि 197 लाख मी. टन की मौजूदा प्रचालन क्षमता के अतिरिक्त 11वीं योजना अवधि में अतिरिक्त क्षमता निम्नलिखित रूप में प्राप्त होने की संभावना है:–

(क) मौजूदा इकाइयों में अतिरिक्त क्षमता से 25.186 लाख मी.टन।

(ख) ब्राउनफील्ड विस्तार परियोजनाओं से 33.50 लाख मी. टन और एक ग्रीनफील्ड परियोजना में 11.55 लाख मी.टन (कुल 45.05 लाख मी.टन)

(ग) फीडस्टॉक के रूप में प्राकृतिक गैस/तरल प्राकृतिक गैस/कोल बैड मीथेन/कोयला गैस पर आधारित पूर्वी भारत की एचएफसी और एफसीआई की 7 यूरिया इकाइयों के पुनरूद्धार से लगभग 50 लाख मी. टन।

*[हिन्दी]*

### रेल दुर्घटनाएं

**577. श्री रघुराज सिंह शाक्य :**

**श्री हेमलाल मुर्मू :**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रेल में दुर्घटनाओं में तीव्र वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों के दौरान कितनी रेल दुर्घटनाओं की जानकारी मिली है;

(ग) इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गए/घायल हुए;

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इन रेल दुर्घटनाओं की जांच की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) घायल और मृत व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और घायल व्यक्तियों तथा मृत व्यक्तियों के नजदीकी रिश्तेदारों को कुल कितना मुआवजा दिया गया; और

(ज) ऐसी दुर्घटनाओं को टालने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) जी नहीं। इसके बावजूद पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में अगस्त, 2007 से जनवरी, 2008 तक की छः महीनों की अवधि के साथ–साथ चालू वर्ष के दौरान परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आई है।

(ख) से (घ) अगस्त, 2007 से जनवरी, 2008 की छः महीनों की अवधि के दौरान 97 परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं हुईं जिनमें 66 व्यक्तियों की जानें गईं और 232 व्यक्ति घायल हुए। 97 दुर्घटनाओं में से, 57 दुर्घटनाएं रेल कर्मचारियों की चूक के कारण हुई, 27 दुर्घटनाएं रेलवे कर्मचारियों से इतर व्यक्तियों के कारण हुईं। 4 दुर्घटनाएं तोड़फोड़ के कारण, 6 मामले आकस्मिक हुए थे और 3 मामलों की जांच की जा रही है।

(ङ) और (च) प्रत्येक गाड़ी दुर्घटना की जांच दुर्घटना की गंभीरता को देखते हुए विभागीय अथवा रेलवे संरक्षा आयुक्त से कराई जाती है। अगस्त, 2007 से जनवरी, 2008 के दौरान 12 दुर्घटनाओं की जांच रेलवे संरक्षा आयुक्त से कराई गई है।

(छ) इस संबंध में रेल दावा अधिकरण में इस संबंध में दायर किए गए दावे के आधार पर दिए गए आदेश के बाद ही मुआवजे का भुगतान किया जाता है। इस संबंध में अभी तक कोई डिक्री नहीं दी गई है।

(ज) संरक्षा भारतीय रेल की प्रथम प्राथमिकता है और दुर्घटना की रोकथाम के लिए एक सतत प्रक्रिया के रूप में हर संभव प्रयास किए जाते हैं जिसमें गतायु परिसंपत्तियों का समय पर बदलाव करना, रेलपथ, चलस्टॉक, सिगनलिंग और अंतपार्शन प्रणालियों के उन्नयन और अनुरक्षण के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी को अपनाना, सुरक्षित प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए कर्मचारी की निगरानी और शिक्षित करने के लिए नियमित अंतरालों पर संरक्षा अभियान और निरीक्षण शामिल हैं। उपर्युक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या में निरंतर गिरावट की रूख जारी रहते हुए वर्ष 2000–01 में 473 से घटकर वर्ष 2005–06 में 234 और वर्ष 2006–07 में घटकर 195 हो गई हैं।

*[अनुवाद]*

### विमान यात्रियों पर उपकर

**578. श्री किसन भाई वी. पटेल :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू विमान कंपनियां कर और उपकर शीर्षों के अंतर्गत यात्रियों से ईंधन और व्यस्तता उपकर वसूल कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विमान कंपनियों से इस प्रकार की उपकर वसूली पद्धति को निष्पक्ष बनाने को कहा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में विभिन्न विमान कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) घरेलू विमान कंपनियों की इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

**नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) :** (क) से (ङ) कुछ एयरलाइनें, कर और अधिभार शीर्ष के अंतर्गत कन्जेशन (भीड़–भाड़) प्रभारों और यात्री सेवा शुल्क को प्रदर्शित कर रही थीं। सरकार ने इस अनियमितता को संज्ञान में लिया और डीजीसीए के माध्यम से एयरलाइनों को वास्तविक स्थिति बताने को कहा। अब एयरलाइनों द्वारा अपने वेबसाइट/टिकटों पर विभिन्न तथ्यों को सही और स्पष्ट सूचना दर्शाई जा रही है।

**उर्वरकों का उत्पादन**

**579. श्री पी. मोहन :**

**श्री भर्तृहरि महताब :**

**श्री रेवती रमन सिंह :**

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में उत्पादित उर्वरकों की इकाईवार कुल मात्रा कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विनिर्माता इकाइयों को स्वीकृत और दी गई राजसहायता का इकाईवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कुल कितनी मात्रा में उर्वरकों का आयात किया गया;

(घ) उक्त अवधि के दौरान देश में उर्वरकों की राज्यवार मांग, आपूर्ति और खपत कितनी रही;

(ङ) वर्ष 2008–09 के दौरान उर्वरकों की अनुमानित आवश्यकता कितनी है; और

(च) उर्वरकों की घरेलू मांग को पूरा करने हेतु देश में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) :** (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में प्रमुख उर्वरकों का इकाई–वार उत्पादन दर्शाने वाला विवरण–I संलग्न है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वदेशी यूरिया और स्वदेशी फॉस्फेट और पोटाशयुक्त (पी एण्ड के) उर्वरकों के उत्पादन पर अदा की गई इकाई–वार राजसहायता के संबंध में ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण–II और III पर हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित उर्वरकों की कुल मात्रा इस प्रकार है:

(लाख मी. टन)

| वर्ष | यूरिया | डीएपी | एमओपी |
|---|---|---|---|
| 2004–05 | 6.41 | 6.44 | 34.09 |
| 2005–06 | 20.57 | 24.38 | 45.78 |
| 2006–07 | 47.19 | 28.75 | 34.48 |

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख उर्वरकों अर्थात् यूरिया, डीएपी और एमओपी की राज्य–वार आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री दर्शाने वाला ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण IV, V और VI पर है।

(ङ) ग्यारहवीं योजना के लिए उर्वरक उद्योग संबंधी कार्य समूह ने वर्ष 2008–09 के लिए प्रमुख उर्वरकों नामतः यूरिया, डीएपी एमओपी के 377.75 लाख मी.टन का अनुमान लगाया है। तथापि, कृषि और सहकारिता विभाग राज्य सरकारों के परामर्श से प्रत्येक मौसम में प्रमुख उर्वरकों की आवश्यकता का मूल्यांकन करता है। राज्य सरकारों के साथ कृषि और सहकारिता विभाग के परामर्श के आधार पर खरीफ 2008 के लिए प्रमुख उर्वरकों की आवश्यकता का अनुमान 197.08 लाख मी. टन लगाया गया है।

(च) सरकारी ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान रासायनिक उर्वरकों मुख्यतः यूरिया की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। इसे फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) की वर्तमान में बंद पड़ी हुई इकाइयों के पुनरूद्धार और नए संयंत्रों की स्थापना के माध्यम से किया जाना है। ये कंपनियां पाइपलाइन कनेक्टिविटी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता के लिए गैस कंपनियों के साथ विचार–विमर्श कर रही हैं।

सरकार यूरिया में निवेश को बढ़ावा देने और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए यूरिया क्षेत्र में निवेश के लिए नई मूल्य निर्धारण नीति का निरुपण कर रही है।

***विवरण-I***

*विगत तीन वर्षों के दौरान देश में उत्पादित उर्वरकों की इकाईवार मात्रा*

('000' मी.टन)

| इकाई/संयंत्र का नाम | उत्पाद का नाम | उत्पादन | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2004–05 | 2005–06 | 2006–07 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **सार्वजनिक क्षेत्र** | | | | |
| नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल): नंगल–I | कैन | 13.9 | 0.0 | 0.0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल): नंगल–II | यूरिया | 494.0 | 480.2 | 481.5 |
| नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल): भटिण्डा | यूरिया | 536.6 | 518.0 | 511.4 |
| नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल): पानीपत | यूरिया | 531.3 | 503.7 | 508.7 |
| नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल): विजयपुर–I | यूरिया | 926.6 | 916.1 | 874.5 |
| नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल): विजयपुर–II | यूरिया | 939.6 | 926.2 | 974.9 |
| कुल (एनएफएल): | | 3442.0 | 3344.2 | 3351.0 |
| ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लि. (बीवीएफसीएल) : नामरूप–II | यूरिया | 0.0 | 32.4 | 60.5 |
| ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लि. (बीवीएफसीएल) : नामरूप–III | यूरिया | 206.1 | 219.3 | 246.9 |
| कुल (बीवीएफसीएल): | | 206.1 | 251.7 | 307.4 |
| फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि. (फैक्ट) : उद्योगमण्डल | ए/एस | 200.5 | 173.5 | 183.5 |
| | 20:20 | 101.0 | 143.2 | 141.7 |
| फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि. (फैक्ट) : कोचीन–II | 20:20 | 473.4 | 602.4 | 574.2 |
| कुल (फैक्ट): | | 774.9 | 919.1 | 899.4 |
| राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (आरसीएफ) : ट्राम्बे | 15:15:15 | 350.1 | 429.5 | 482.9 |
| राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (आरसीएफ) : ट्राम्बे–IV | 20.8:20.8 | 223.1 | 222.8 | 35.3 |
| राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (आरसीएफ) : ट्राम्बे–V | यूरिया | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (आरसीएफ) : थाल | यूरिया | 1789.9 | 1684.5 | 1861.0 |
| कुल (आरसीएफ): | | 2363.1 | 2336.8 | 2379.2 |
| मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल) : चैन्नै | यूरिया | 473.1 | 368.6 | 473.3 |
| | 17:17:17 | 292.8 | 205.1 | 57.1 |
| | 19:19:19 | 7.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 20:20 | 6.6 | 0.0 | 0.0 |
| कुल (एमएफएल) | | 780.0 | 573.7 | 530.4 |
| कुल सहकारी क्षेत्रः | | 7566.1 | 7425.5 | 7467.4 |
| इण्डो गल्फ फर्टिलाइजर्स (आईजीएल) –जगदीशपुर | यूरिया | 985.4 | 994.9 | 1028.0 |
| हिण्डलको इण्डस्ट्रीज लि. : दाहेज | डीएपी | 286.3 | 198.1 | 190.9 |
| | 20:20 | 0.0 | 0.0 | 6.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 10:26:26 | 0.0 | 9.9 | 4.2 |
| | 12:32:16 | 0.0 | 10.1 | 17.8 |
| कुल (दाहेज): | | 286.3 | 218.1 | 219.1 |
| दीपक फर्टिलाइजर्स एण्ड पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि. (डीएफपीसीएल): तलोजा | 23:23 | 89.6 | 54.2 | 62.4 |
| नागार्जन फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि. (एनएफसीएल): काकीनाड़ा–I | यूरिया | 657.1 | 703.6 | 726.7 |
| नागार्जन फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि. (एनएफसीएल): काकीनाड़ा–II | यूरिया | 735.2 | 675.4 | 597.2 |
| कुल (एनएफसीएल) | | 1392.3 | 1379.0 | 1323.9 |
| चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि. (सीएफसीएल): गडेपान–I | यूरिया | 961.5 | 970.1 | 973.6 |
| चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि. (सीएफसीएल): गडेपान–II | यूरिया | 894.5 | 931.5 | 952.0 |
| कुल (सीएफसीएल) | | 1856.0 | 1901.6 | 1925.6 |
| टाटा केमिकल्स लि. (टीसीएल): बबराला | यूरिया | 968.1 | 960.0 | 1010.7 |
| कृभको श्याम फर्टिलाइजर्स लि. (केएसएफएल): शाहजहांपुर | यूरिया | 861.1 | 897.5 | 872.1 |
| पारादीप फॉस्फेट लि. (पीपीएल): पारादीप | डीएपी | 736.8 | 877.6 | 822.3 |
| | 20:20 | 174.5 | 230.6 | 328.8 |
| | 16:20 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| | 14:35:14 | 0.0 | 7.1 | 0.0 |
| | 28:28 | 23.2 | 0.0 | 0.0 |
| | 12:32:16 | 36.2 | 69.1 | 59.5 |
| | 10:26:26 | 59.2 | 76.3 | 109.9 |
| कुल (पीपीएल) | | 1029.9 | 1260.7 | 1322.2 |
| एसएसपी इकाइयां (77 इकाइयां) | एसएसपी | 2270.7 | 2556.2 | 2791.5 |
| कुल निजी क्षेत्र | | 17779.7 | 19019.5 | 20091.9 |
| कुल (सार्वजनिक + सहकारी + निजी) | | 33938.6 | 34904.8 | 36283.2 |
| स्पिक : तूतीकोरिन | यूरिया | 679.0 | 620.5 | 645.5 |
| | डीएपी | 369.6 | 379.5 | 286.5 |
| | 17:17:17 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| | 20:20 | 34.5 | 20.0 | 38.3 |
| कुल (स्पिक) | | 1083.1 | 1020.4 | 970.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| मंगलौर केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (एमसीएफ)–मंगलौर | यूरिया | 335.7 | 399.9 | 370.1 |
| | डीएपी | 165.4 | 166.9 | 203.9 |
| | 20:20 | 41.2 | 27.5 | 52.9 |
| कुल (एमसीएफ): | | 542.3 | 594.3 | 626.9 |
| कोरोमण्डल फर्टिलाइजर्स लि. (सीएफएल):इन्नौर | 16:20 | 116.4 | 180.8 | 183.8 |
| | 20:20 | 131.5 | 70.0 | 110.8 |
| कुल (सीएफएल) | | 247.9 | 250.8 | 294.6 |
| गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कं. लि. (जीएनएफसी)–भरूच | यूरिया | 637.3 | 642.8 | 626.2 |
| | कैन | 170.7 | 172.7 | 144.0 |
| | 20:20 | 179.7 | 203.5 | 198.9 |
| कुल (जीएनएफसी): | | 987.7 | 1019.0 | 969.1 |
| तूतीकोरिन अल्कली केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (टीएसी) | ए/सी | 75.2 | 80.0 | 64.8 |
| टाटा केमिकल्स लि. (टीसीएल)–हल्दिया | डीएपी | 276.1 | 290.1 | 452.0 |
| | 28:28 | 0.0 | 0.0 | 4.9 |
| | 14:35:14 | 0.0 | 24.4 | 47.5 |
| | 12:32:16 | 100.5 | 185.9 | 244.7 |
| | 10:26:26 | 159.6 | 192.0 | 357.3 |
| | एसएसपी | 122.4 | 140.2 | 181.6 |
| | 15:15:15 | 2.3 | 12.6 | 0.0 |
| कुल (टीसीएल) | | 660.9 | 845.2 | 1288.0 |
| गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि. (जीएसएफसी): सिक्का–I | डीएपी | 286.2 | 322.5 | 425.5 |
| गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि. (जीएसएफसी): सिक्का–I | 12:32:16 | 0.0 | 2.7 | 82.5 |
| कुल (जीएसएफसी): सिक्का–I | | 286.2 | 325.2 | 508.0 |
| गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि. (जीएसएफसी): सिक्का–II | डीएपी | 279.9 | 311.1 | 419.9 |
| | 12:32:16 | 0.0 | 18.0 | 0.0 |
| कुल (सिक्का–I एण्ड सिक्का–II) | | 566.1 | 654.3 | 927.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| गोदावरी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि. (जीएफसीएल): काकीनाडा | डीएपी | 616.7 | 673.6 | 616.1 |
| | 14:35:14 | 166.7 | 141.8 | 180.7 |
| | 20:20 | 0.0 | 6.4 | 21.4 |
| | 10:26:26 | 41.2 | 145.3 | 194.2 |
| | 12:32:16 | 66.0 | 66.2 | 75.4 |
| | | 890.6 | 1033.3 | 1087.8 |
| सहकारी क्षेत्र: | | | | |
| इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स को–ऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) : कांडला | 10:26:26 | 386.6 | 583.4 | 572.0 |
| | 12:32:16 | 762.6 | 1122.6 | 1100.3 |
| | डीएपी | 1290.9 | 980.6 | 804.4 |
| कुल (इफको/कांडला): | | 2440.1 | 2686.6 | 2476.7 |
| इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स को–ऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) : कलोल | यूरिया | 554.4 | 544.5 | 559.9 |
| इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स को–ऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) : फूलपुर–I | यूरिया | 565.1 | 551.1 | 573.8 |
| इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स को–ऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) : फूलपुर–II | यूरिया | 864.7 | 884.6 | 882.8 |
| इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स को–ऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) : आंवला–I | यूरिया | 864.6 | 863.0 | 885.3 |
| इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स को–ऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) : आंवला–II | यूरिया | 865.3 | 874.6 | 880.5 |
| कुल (इफको) | | 6154.2 | 6404.4 | 6259.0 |
| इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स को–ऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) : पारादीप | डीएपी | 600.4 | 92.3 | 418.2 |
| | 20:20 | 32.8 | 156.6 | 332.2 |
| कुल (इफको: पारादीप) | 633.2 | 248.9 | 750.4 | |
| कृषक भारती को–ऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको): हजीरा | यूरिया | 1805.4 | 1806.5 | 1714.5 |
| कुल सहकारी क्षेत्र | | 8592.8 | 8459.8 | 8723.9 |
| निजी क्षेत्र: | | | | |
| गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि. (जीएसएफसी): बड़ोदरा | यूरिया | 303.3 | 313.5 | 253.6 |
| | ए/एस | 273.4 | 290.7 | 290.7 |
| | डीएपी | 83.9 | 175.9 | 14.2 |
| | 20:20 | 117.6 | 24.8 | 242.9 |
| कुल (जीएसएफसी): | | 778.2 | 804.9 | 801.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| कोरोमण्डल फर्टिलाइज़र्स लि. (सीएफएल)–विजाग | 28:28 | 318.4 | 414.2 | 363.2 |
| | 14:35:14 | 227.0 | 142.4 | 173.8 |
| | 20:20 | 208.9 | 354.7 | 445.4 |
| | 10:26:26 | 22.3 | 29.2 | 23.6 |
| कुल (सीएफएल) | | 776.6 | 940.5 | 1006.0 |
| श्रीराम फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स (एसएफसी)–कोटा | यूरिया | 379.0 | 378.9 | 361.1 |
| डंकनस इंडस्ट्रीज लि. (डीआईएल)–कानपुर | यूरिया | 0.0 | 37.2 | 0.0 |
| जुआरी इंडस्ट्रीज लि. (जैडआईएल): गोवा | यूरिया | 449.4 | 399.9 | 402.5 |
| | 19:19:19 | 272.5 | 332.8 | 305.7 |
| | डीएपी | 192.9 | 159.9 | 198.2 |
| | 10:26:26 | 111.2 | 219.2 | 215.3 |
| | 12:32:16 | 26.7 | 26.7 | 16.8 |
| कुल (जैडआईएल): | | 1052.7 | 1138.5 | 1138.5 |

*विवरण-II*

*वर्ष 2004–05 से 2006–07 के दौरान यूरिया के संबंध में इकाईवार दी गई राजसहायता*

| क्र.सं. | कंपनी का नाम | दी गई राजसहायता (करोड़ रुपए में) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2004–05 | 2005–06 | 2006–07 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | एनएफलएल: नंगल–II | 452.51 | 420.85 | 473.13 |
| 2 | एनएफएल: भटिण्डा | 434.37 | 353.64 | 439.34 |
| 3 | एनएफएल: पानीपत | 404.68 | 309.35 | 424.83 |
| 4 | एनएफएल: विजयपुर–I | 146.45 | 123.93 | 121.23 |
| 5 | एनएफएल: विजयपुर–II | 320.83 | 350.06 | 391.18 |
| 6 | बीवीएफसीएल: नामरूप–II | 0.00 | 0.00 | 20.71 |
| 7 | बीवीएफसीएल: नामरूप–III | 28.64 | 20.70 | 76.28 |
| 8 | आसीएफ: ट्राम्बे–V | 0.00 | 1.91 | 0.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | आसीएफः थाल | 671.09 | 852.01 | 1193.00 |
| 10 | एमएफएलः चेन्नई | 496.74 | 676.39 | 1008.89 |
| 11 | जीएनएफसी (राज्य सरकार) | 217.68 | 57.69 | 98.210 |
| 12 | जीएनएफसी (राज्य सरकार) | 265.46 | 293.98 | 325.71 |
| | कुल सार्वजनिक क्षेत्र | 3438.45 | 3460.51 | 4572.51 |
| 13 | इफकोः कलोल | 319.76 | 151.92 | 401.91 |
| 14 | इफकोः फूलपुर | 526.58 | 536.03 | 754.97 |
| 15 | इफकोः फूलपुर विस्तार | 865.60 | 913.65 | 1078.780 |
| 16 | इफकोः आंवला–I | 158.17 | 95.03 | 181.43 |
| 17 | इफकोः आंवला–II | 245.56 | 125.55 | 214.51 |
| 18 | कृभकोः हजीरा | 197.59 | 245.94 | 186.37 |
| | कुल सहकारी क्षेत्र | 2312.26 | 2068.12 | 2817.97 |
| 19 | एसएफसीः कोटा | 310.48 | 436.36 | 402.40 |
| 20 | डीआईएलः कानपुर | 0.00 | 38.90 | 0.00 |
| 21 | जैडआईएलः गोवा | 484.61 | 623.09 | 786.03 |
| 22 | स्पिकः तूतीकोरिन | 668.13 | 896.08 | 1112.27 |
| 23 | एमएफसीः मंगलौर | 384.63 | 461.32 | 640.67 |
| 24 | आईजीसीएलः जगदीशपुर | 215.97 | 278.39 | 208.31 |
| 25 | एनएफसीएलः काकीनाडा–I | 184.25 | 144.44 | 224.57 |
| 26 | एनएफसीएलः काकीनाडा–II | 298.05 | 479.39 | 600.85 |
| 27 | सीएफसीएलः गडेपान–I | 386.49 | 329.26 | 234.81 |
| 28 | सीएफसीएलः गडेपान–II | 821.19 | 828.45 | 527.02 |
| 29 | टीसीएलः बबराला | 382.66 | 329.67 | 313.65 |
| 30 | कृभको श्याम | 361.76 | 87.24 | 209.31 |
| | कुल सहकारी क्षेत्र | 4498.22 | 4932.59 | 5259.89 |
| | सकल योग | 10249.98 | 10461.22 | 12650.37 |

**विवरण-III**

*10/2000 से 09/2007 तक स्वदेशी नियंत्रणमुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों की बिक्री पर उत्पादकों को रियायत का भुगतान*

(करोड़ रुपए)

| क्र.सं. | कंपनी का नाम | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **स्वदेशी डीएपी/मिश्रित** | | | | |
| 1 | कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड | 301.52 | 369.06 | 626.74 |
| 2 | दीपक फर्टिलाइजर्स एण्ड पेट्रोकेमिकल कार्पो. | 14.07 | 6.70 | 17.60 |
| 3 | ईआईडी (पैरी) इंडिया लि. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि. | 211.66 | 281.05 | 404.80 |
| 5 | गोदावरी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि. | 328.97 | 418.97 | 705.60 |
| 6 | गोदावरी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स का. लि. | 48.15 | 68.25 | 99.17 |
| 8 | गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि. (एस) | 263.47 | 225.48 | 453.44 |
| 9 | गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि. (वडोदरा) | 0.00 | 74.42 | 243.22 |
| 10 | हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि. | 114.73 | 105.87 | 156.95 |
| 11 | हिन्द लिवर केमिकल लि. | 0.00 | 4.74 | 0.00 |
| 12 | इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर को-ऑपरेटिव लि. (इफको) | 971.71 | 1096.33 | 1287.01 |
| 13 | इफको (जीएफसीएल) | 23.99 | 24.80 | 1.83 |
| 14 | इण्डो गल्फ | 0.00 | 0.83 | 0.23 |
| 15 | मंगलौर केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. | 72.51 | 66.00 | 148.34 |
| 16 | मद्रास फर्टिलाइर्जस लि. | 138.97 | 99.18 | 87.06 |
| 17 | ओसवाल केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. | 264.45 | 72.21 | 0.00 |
| 18 | पारादीप फॉस्फेट लि. | 310.32 | 494.69 | 794.05 |
| 19 | पाईराइट्स फॉस्फेट | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. | 114.10 | 117.88 | 197.18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | साउदर्न पेट्रोकेमिकल इण्डस्ट्रीज कार्पो लि. | 157.23 | 169.98 | 203.82 |
| 22 | जैडआईएल इण्डस्ट्रीज लि. | 243.99 | 304.83 | 481.35 |
| 23 | टाटा केमिकल्स लि. (एचएलएल) | 233.96 | 270.23 | 460.71 |
| | | 3813.80 | 4271.50 | 6369.10 |
| प्लस | | | | |
| एसएसपी इकाईयों को कुल भुगतान | | 140.97 | 194.55 | 264.75 |
| अक्टूबर 2000 से पूर्व व्यय | | 13.76 | 29.37 | 7.26 |
| विशेष भाड़ा पर व्यय | | 8.46 | 3.77 | 7.05 |
| सकल योग | | 3976.99 | 4499.19 | 6648.16 |
| एमएसपी | | | | |
| 1 | आरती फर्टिलाइजर्स | 0.00 | 4.91 | 8.49 |
| 2 | द आंध्र शूगर्स लि. | 2.79 | 3.39 | 4.44 |
| 3 | अरावली फॉस्फेट लि. | 1.57 | 2.50 | 3.80 |
| 4 | अरिहन्त फॉस्फेट एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. | 1.28 | 0.52 | 0.04 |
| 5 | अरिहन्त फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स इंडिया लि. | 0.00 | | 0.38 |
| 6 | आशा फॉस्फेट लि. | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | अग्री ग्रीन फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स प्रा. लि. | 0.00 | 0.76 | 1.65 |
| 8 | एग्रो फॉस (इंडिया) लि. | 0.01 | 0.89 | 1.00 |
| 9 | एशियन फर्टिलाइजर्स लि. | 3.78 | 4.19 | 4.62 |
| 10 | बजाज फर्टिलाइजर्स प्रा. लि. | 0.86 | 0.85 | 0.87 |
| 11 | बंसत एग्रोटैक (इंडिया) लि. | 3.49 | 6.05 | 6.98 |
| 12 | भिलाई इंजीनियरिंग कॉर्पो लि. पुलगांव | 4.52 | 4.59 | 2.95 |
| 13 | भिलाई इंजीनियरिंग कॉर्पो लि. बिलासपुर | 5.83 | 6.20 | 8.76 |
| 14 | भारत फर्टिलाइजर्स इण्डस्ट्रीज लि. | 0.35 | 0.06 | 0.39 |
| 15 | भवानी मिश्रा फर्टिलाइजर्स | 0.59 | 1.03 | 1.04 |
| 16 | बोहरा इंडस्ट्रीज लि. | 3.01 | 2.93 | 7.13 |
| 17 | केमटैक फर्टिलाइजर्स लि. | 1.28 | 1.60 | 1.92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | कोयम्बटूर पायोनियर फर्टिलाइजर्स लि. | 2.76 | 3.45 | 4.37 |
| 19 | धर्मसी मोरारजी केमिकल्स कों. | 7.35 | 11.98 | 13.79 |
| 20 | गायत्री स्पिनर्स लि. | 0.83 | 0.94 | 1.32 |
| 21 | इंडियन पोटाश लि. | 0.00 | 0.00 | 2.13 |
| 22 | इंडियन फॉस्फेट लि. | 0.00 | 2.86 | 3.78 |
| 23 | जय राम फॉस्फेट लि. | 2.54 | 3.78 | 3.85 |
| 24 | जयश्री केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स (I) | 2.29 | 2.33 | 3.77 |
| 25 | जयश्री केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स (II) | 2.74 | 4.03 | 4.34 |
| 26 | जयश्री केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स (III) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | जुबलीएंट ऑरगेनोसिस लि. | 0.00 | 9.28 | 12.74 |
| 28 | जुबलीएंट ऑरगेनोसिस लि. (साधना फॉस) | 0.33 | 3.50 | 1.49 |
| 29 | जुबलीएंट ऑरगेनोसिस लि. (एपीएण्डएफएल) | 0.0 | 0.00 | 1.11 |
| 30 | काशी उर्वरक लिमिटेड | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| 31 | खेतान केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (I) | 11.53 | 5.48 | 21.84 |
| 32 | खेतान केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (II) | 3.07 | 4.80 | 2.06 |
| 33 | खेतान केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (III) | 0.07 | 1.04 | 5.37 |
| 34 | खेतना फर्टिलाइजर्स | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | कोठारी इण्डस्ट्रीयल कार्पो. लि. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | कृष्णा इण्डस्ट्रीयल कार्पो. लि. | 1.47 | 2.72 | 3.63 |
| 37 | लिबर्टी उर्वरक लि. | 3.63 | 4.49 | 6.63 |
| 38 | लिबर्टी फॉस्फेट लि. (के) | 0.00 | 0.42 | 1.68 |
| 39 | लिबर्टी फॉस्फेट लि. | 12.00 | 14.69 | 23.73 |
| 40 | महादेव फर्टिलाइजर्स लि. | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | मंगलम फॉस्फेट लि. | 0.34 | 0.01 | 0.03 |
| 42 | मर्दीया केमिकल्स लि. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | मध्य भारत फॉस्फेट लि. | 0.28 | 0.92 | 1.76 |
| 44 | मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स लि. | 0.42 | 2.55 | 3.28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 45 | मध्य प्रदेश ऑरगोकेम लि. | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| 46 | महाराष्ट्र एग्रो डेवलपमेंट इण्ड. कार्पो | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | मेक्सीकन फॉस्फेट लि. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | मुक्तेश्वर लि. | 0.11 | 0.12 | 0.22 |
| 49 | मनक केमिकल्स लि. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | नर्मदा एग्रो केमिकल्स लि. | 0.07 | 0.12 | 0.28 |
| 51 | नटराज ऑर्गेनिक्स लि. | 0.09 | 0.05 | 0.00 |
| 52 | निरमा लि. | 6.15 | 6.15 | 6.34 |
| 53 | ओरिएण्टल कॉर्बन लि. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | द फॉस्फेट कंपनी | 5.26 | 7.91 | 9.03 |
| 55 | प्रगति फर्टिलाइजर्स लि. | 1.22 | 0.83 | 1.15 |
| 56 | प्रत्युश केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. | 0.28 | 0.01 | 0.05 |
| 57 | प्रेम सखी फर्टिलाइजर्स लि. | 1.53 | 0.25 | 0.00 |
| 58 | प्रियंका फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स | 0.67 | 0.68 | 0.18 |
| 59 | राजलक्ष्मी एग्रोटैक इंडिया लि. | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 60 | रामा फॉस लि. (आई) | 6.43 | 8.90 | 7.08 |
| 61 | रामा फॉस लि. (यू) | 2.90 | 3.74 | 11.55 |
| 62 | राशि फर्टिलाइजर्स लि. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | आरसी फर्टिलाइजर्स | 0.00 | 0.00 | 2.27 |
| 64 | रेवती मिनरल्स एण्ड केमिकल्स लि. | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | रामा कृषि रसायन लि. | 4.48 | 6.15 | 9.13 |
| 66 | साधना फॉस्फेट एण्ड केमिकल्स लि. | 0.33 | 0.15 | 0.10 |
| 67 | सारदा फर्टिलाइजर्स | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | शा वालेस | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | शिवा फर्टिलाइजर्स लि. | 4.00 | 4.86 | 4.53 |
| 70 | श्री गणपति फर्टिलाइजर्स लि. | 0.34 | 0.04 | 1.48 |
| 71 | श्री कृष्णा फर्टिलाइजर्स लि. | 0.43 | 0.09 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 72 | श्री एसिड्स | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | श्री जी फर्टिलाइजर्स | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | श्री गजराज फर्टिलाइजर्स | 0.00 | 0.00 | 0.74 |
| 75 | श्री जी फॉस्फेट | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | श्री निवास फर्टिलाइजर्स | 0.00 | 0.42 | 0.05 |
| 77 | सोना फॉस्फेट लि. | 0.01 | 0.05 | 0.10 |
| 78 | सुबोध्या केमिकल्स लि. | 0.81 | 1.76 | 2.04 |
| 79 | शुरवी कलर केमिकल्स लि. | 0.32 | 0.19 | 0.05 |
| 80 | स्वास्तिक फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि. | 1.20 | 1.61 | 2.54 |
| 81 | टेडको ग्रेनाइट लि. | 3.38 | 2.83 | 4.67 |
| 82 | तिस्ता एग्रो इण्डस्ट्रीज लि. | 7.42 | 8.41 | 7.17 |
| 83 | तुंगभद्रा फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स कं. लि. | 1.70 | 3.09 | 13.23 |
| 84 | वैम ऑरगेनिक्स लि. | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 85 | जुबीलैंट ऑरगेनिक्स लि. (वैम ऑरगेनिक्स लि.) | 8.13 | 0.00 | 0.00 |
| 86 | खेतान केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स (एफ) | 1.05 | 13.92 | 0.52 |
| 87 | टी जे एग्रो इंडस्ट्रीज लि. | 1.23 | 1.68 | 2.13 |
| 88 | वी.के. फॉस्फेट लि. | 0.00 | 0.74 | 0.68 |
| | एसएसपी इकाईयों का योग | 140.97 | 194.55 | 264.75 |

*विवरण-IV*

*1 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2005 तक यूरिया, डीएपी और एमओपी की राज्यवार उपलब्धता और बिक्री*

मात्रा (लाख मी.टन)

| उत्पाद | यूरिया | | | डीएपी | | | एमओपी | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य का नाम | 1 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च 2005 तक आवश्यकता | उपलब्धता | बिक्री | 1 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च 2005 तक आवश्यकता | उपलब्धता | बिक्री | 1 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च 2005 तक आवश्यकता | उपलब्धता | बिक्री |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2004-05** | | | | | | | | | |
| आन्ध्र प्रदेश | 19.50 | 18.55 | 17.46 | 6.25 | 4.66 | 4.48 | 2.85 | 3.58 | 3.39 |
| कर्नाटक | 9.40 | 9.74 | 9.27 | 3.90 | 4.25 | 4.09 | 2.45 | 3.01 | 2.89 |
| केरल | 1.33 | 1.13 | 1.10 | 0.10 | 0.18 | 0.18 | 1.39 | 0.98 | 0.98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तमिलनाडु | 6.60 | 7.67 | 7.45 | 2.20 | 2.90 | 2.81 | 3.00 | 3.19 | 3.15 |
| गुजरात | 11.70 | 12.62 | 12.25 | 4.50 | 5.15 | 5.12 | 0.95 | 1.46 | 1.42 |
| मध्य प्रदेश | 11.35 | 11.05 | 10.34 | 6.00 | 5.01 | 4.62 | 0.42 | 0.58 | 0.52 |
| छत्तीगढ़ | 3.76 | 4.07 | 3.84 | 0.84 | 1.12 | 1.03 | 0.48 | 0.51 | 0.46 |
| महाराष्ट्र | 15.25 | 15.80 | 15.14 | 4.25 | 5.46 | 5.30 | 2.00 | 2.33 | 2.16 |
| राजस्थान | 11.50 | 10.40 | 10.16 | 4.25 | 3.56 | 3.44 | 0.13 | 0.18 | 0.16 |
| हरियाणा | 15.15 | 15.60 | 14.74 | 5.35 | 4.84 | 4.68 | 0.22 | 0.25 | 0.25 |
| पंजाब | 23.00 | 24.28 | 24.04 | 7.25 | 7.01 | 6.63 | 0.55 | 0.65 | 0.57 |
| जम्मू और कश्मीर | 1.20 | 1.02 | 0.94 | 0.70 | 0.52 | 0.50 | 0.17 | 0.06 | 0.06 |
| उत्तर प्रदेश | 47.10 | 47.98 | 45.11 | 14.00 | 12.08 | 11.33 | 1.85 | 1.94 | 1.77 |
| उत्तरांचल | 1.81 | 1.67 | 1.58 | 0.30 | 0.23 | 0.19 | 0.11 | 0.05 | 0.04 |
| बिहार | 14.30 | 13.43 | 12.79 | 3.00 | 1.14 | 0.98 | 1.10 | 0.56 | 0.51 |
| झारखण्ड | 1.58 | 1.70 | 1.63 | 1.15 | 1.12 | 1.06 | 0.19 | 0.03 | 0.03 |
| उड़ीसा | 4.30 | 3.75 | 3.60 | 0.80 | 0.68 | 0.66 | 0.90 | 0.88 | 0.82 |
| पश्चिम बंगाल | 11.50 | 11.13 | 10.83 | 4.61 | 3.58 | 3.33 | 3.32 | 3.26 | 3.16 |
| असम और अन्य पूर्वोत्तर | 2.67 | 2.39 | 2.33 | 0.96 | 0.29 | 0.26 | 0.95 | 0.64 | 0.58 |
| अन्य योग | 1.08 | 0.91 | 0.90 | 0.20 | 0.11 | 0.08 | 0.19 | 0.16 | 0.16 |
| अखिल भारत | 214.08 | 214.90 | 205.49 | 70.60 | 63.89 | 60.78 | 23.21 | 24.32 | 23.10 |

**विवरण-V**

*यूरिया, डीएपी और एमओपी की राज्यवार उपलब्धता और बिक्री*

**2005-06** मात्रा (लाख मी.टन)

| उत्पाद | यूरिया | | | डीएपी | | | एमओपी | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य का नाम | 1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च 2006 तक आवश्यकता | उपलब्धता | बिक्री | 1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च 2006 तक आवश्यकता | उपलब्धता | बिक्री | 1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च 2006 तक आवश्यकता | उपलब्धता | बिक्री |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| आन्ध्र प्रदेश | 23.50 | 23.53 | 22.18 | 7.05 | 6.12 | 5.96 | 3.86 | 4.61 | 4.13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कर्नाटक | 9.55 | 11.03 | 10.67 | 4.60 | 5.00 | 4.57 | 2.85 | 3.79 | 3.36 |
| केरल | 1.55 | 1.26 | 1.18 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 1.30 | 1.29 | 1.19 |
| तमिलनाडु | 9.50 | 9.06 | 8.78 | 3.50 | 3.87 | 3.64 | 4.50 | 3.76 | 3.67 |
| गुजरात | 12.50 | 13.81 | 13.26 | 5.20 | 6.65 | 5.41 | 1.30 | 1.89 | 1.55 |
| मध्य प्रदेश | 11.55 | 10.97 | 10.20 | 5.95 | 5.76 | 4.66 | 0.50 | 0.91 | 0.57 |
| छत्तीगढ़ | 4.70 | 4.67 | 4.45 | 1.16 | 1.38 | 1.27 | 0.49 | 0.79 | 0.49 |
| महाराष्ट्र | 16.75 | 18.19 | 17.21 | 5.85 | 5.84 | 5.13 | 2.45 | 2.92 | 2.47 |
| राजस्थान | 12.30 | 12.35 | 11.59 | 4.90 | 5.41 | 4.14 | 0.20 | 0.32 | 0.17 |
| हरियाणा | 16.00 | 18.00 | 16.44 | 5.60 | 6.64 | 5.10 | 0.30 | 0.55 | 0.36 |
| पंजाब | 24.70 | 24.55 | 23.72 | 7.65 | 9.54 | 7.32 | 0.65 | 1.25 | 0.85 |
| उत्तर प्रदेश | 52.00 | 50.36 | 45.95 | 15.50 | 15.89 | 12.34 | 2.60 | 3.01 | 1.66 |
| उत्तरांचल | 1.77 | 2.01 | 1.75 | 0.27 | 0.31 | 0.23 | 0.11 | 0.07 | 0.05 |
| जम्मू और कश्मीर | 1.20 | 1.30 | 1.11 | 0.70 | 0.65 | 0.56 | 0.17 | 0.09 | 0.07 |
| बिहार | 14.30 | 14.24 | 7.32, | 3.00 | 2.12 | 1.78 | 1.40 | 1.64 | 1.23 |
| झारखण्ड | 1.75 | 1.56 | 1.51 | 1.16 | 0.73 | 0.68 | 0.26 | 0.05 | 0.05 |
| उड़ीसा | 4.75 | 4.31 | 1.09 | 0.90 | 0.92 | 0.81 | 1.00 | 1.16 | 0.96 |
| पश्चिम बंगाल | 11.90 | 10.97 | 10.41 | 4.10 | 3.53 | 3.43 | 3.90 | 3.06 | 2.52 |
| असम | 1.95 | 1.95 | 1.76 | 0.43 | 0.27 | 0.20 | 0.75 | 0.75 | 0.53 |
| अखिल भारत | 234.26 | 235.65 | 221.37 | 78.06 | 79.76 | 67.53 | 28.89 | 32.11 | 26.08 |

*विवरण-VI*

*यूरिया, डीएपी और एमओपी की राज्यवार उपलब्धता और बिक्री*

मात्रा (लाख मी.टन)

| उत्पाद | यूरिया | | | डीएपी | | | एमओपी | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य का नाम | 1 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च 2007 तक आवश्यकता | उपलब्धता | बिक्री | 1 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च 2007 तक आवश्यकता | उपलब्धता | बिक्री | 1 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च 2007 तक आवश्यकता | उपलब्धता | बिक्री |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **2006-07** | | | | | | | | | |
| आन्ध्र प्रदेश | 27.00 | 24.52 | 22.13 | 6.69 | 6.15 | 5.97 | 5.21 | 3.90 | 3.72 |
| कर्नाटक | 11.20 | 11.55 | 10.92 | 5.00 | 5.25 | 4.88 | 3.90 | 3.14 | 2.76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| केरल | 1.46 | 1.33 | 1.27 | 0.17 | 0.23 | 0.23 | 1.40 | 1.13 | 1.12 |
| तमिलनाडु | 10.00 | 9.59 | 9.18 | 3.85 | 3.98 | 3.84 | 4.85 | 3.48 | 3.48 |
| गुजरात | 15.00 | 15.22 | 15.03 | 5.75 | 5.79 | 4.56 | 1.65 | 1.46 | 1.42 |
| मध्य प्रदेश | 12.10 | 13.89 | 13.16 | 6.20 | 5.76 | 4.96 | 0.50 | 0.75 | 0.67 |
| छत्तीसगढ़ | 4.90 | 5.93 | 5.53 | 1.38 | 1.59 | 1.27 | 0.52 | 0.67 | 0.59 |
| महाराष्ट्र | 19.00 | 20.70 | 19.87 | 6.25 | 7.06 | 6.49 | 3.00 | 2.48 | 2.34 |
| राजस्थान | 13.20 | 12.80 | 12.26 | 5.60 | 4.30 | 4.05 | 0.22 | 0.07 | 0.07 |
| हरियाणा | 17.50 | 18.04 | 17.33 | 5.60 | 5.04 | 4.46 | 0.40 | 0.32 | 0.23 |
| पंजाब | 25.00 | 26.16 | 25.74 | 7.90 | 7.60 | 7.12 | 0.90 | 0.52 | 0.47 |
| जम्मू और कश्मीर | 1.42 | 1.15 | 1.05 | 0.71 | 0.55 | 0.51 | 0.21 | 0.10 | 0.10 |
| उत्तर प्रदेश | 50.00 | 53.50 | 51.83 | 14.50 | 14.42 | 12.94 | 2.30 | 1.34 | 1.22 |
| उत्तरांचल | 1.65 | 2.17 | 2.10 | 0.32 | 0.24 | 0.23 | 0.12 | 0.06 | 0.04 |
| बिहार | 17.50 | 16.32 | 16.01 | 4.50 | 3.29 | 2.65 | 2.50 | 1.04 | 1.00 |
| झारखण्ड | 1.74 | 1.63 | 1.60 | 1.10 | 0.71 | 0.68 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| उड़ीसा | 4.70 | 4.44 | 4.21 | 0.98 | 1.16 | 1.03 | 0.92 | 0.85 | 0.75 |
| पश्चिम बंगाल | 12.00 | 12.28 | 11.94 | 4.10 | 3.99 | 3.54 | 3.58 | 2.78 | 2.51 |
| असम और अन्य पूर्वोत्तर | 3.08 | 2.67 | 2.47 | 0.51 | 0.27 | 0.24 | 0.82 | 0.59 | 0.54 |
| अन्य योग | 1.10 | 0.90 | 0.90 | 0.20 | 0.17 | 0.12 | 0.20 | 0.13 | 0.13 |
| अखिल भारत | 249.55 | 254.79 | 244.52 | 81.31 | 77.57 | 69.75 | 33.27 | 24.82 | 23.17 |

**गेल द्वारा विद्युत एवं उर्वरक इकाइयों को गैस आपूर्ति में कटौती**

580. **श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेल इंडिया लिमिटेड ने फील्ड काम–बन्दी अवधि के दौरान विद्युत एवं उर्वरक इकाइयों को गैस आपूर्ति में कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार की काम–बन्दी के फलस्वरूप गेल तथा देश के विद्युत एवं उर्वरक क्षेत्र के लक्ष्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा**

पटेल) : (क) से (घ) जी, हां। ओ एन जी सी द्वारा अपने बी पी बी वैस्टर्न आफशोर प्लेटफार्म बन्द करने के कारण, कार्य योजना के अनुसार गैस की उपलब्धता कम कर दी गई है और एच बी जे के आसपास उर्वरक एककों को विद्युत आपूर्ति में कटौती की गई थी। लगभग 8.7 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एम एम एस सी एम डी) और ओ एन जी सी से 7.8 एम एम एस सी एम डी ए पी एम गैस, एच बी जे के आसपास विद्युत और उर्वरक एककों को होने वाली सामान्य औसत आपूर्ति की तुलना में, बन्द होने वाली अवधि के दौरान औसत आपूर्ति क्रमशः 4.48 एम एम एस सी एम डी और 2.85 एम एम एस सी एम डी थी। ओ एन जी सी से गेल की एच बी जे के आसपास संसाधन एल पी जी संयंत्रों को गैस की आपूर्ति भी बन्द होने की अवधि में 2.2 एम एम एस सी एम डी की सामान्य औसत से घट कर 1.2 एम एम एस सी एम डी रह गई थी। प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में कटौती से गेल, एच बी जे पाइपलाइन के आसपास विद्युत तथा उर्वरक क्षेत्र के लक्ष्यों पर प्रभाव पड़ा है।

(ङ) प्रस्तावित बन्दी के संबंध में उर्वरक और विद्युत एककों को पहले से ही सूचित कर दिया गया था ताकि बन्द होने की अवधि के दौरान, स्थानापन्न ईंधन की व्यवस्था की जा सके। तेल विपणन कंपनियों के माध्यम से प्रभावित उर्वरक एककों को अतिरिक्त नाफ्था उपलब्ध कराया गया था। इसके अतिरिक्त, पन्ना, मुक्ता और ताप्ती (पी एम टी) क्षेत्रों से अतिरिक्त गैस की कुछ मात्रा की आपूर्ति उर्वरक एककों और गेल के संसाधन संयंत्रों को की गई थी।

*[हिन्दी]*

**रेल किराए का प्रतिदाय**

**581. श्री पंकज चौधरी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐसी कोई योजना शुरू करने का है जिसके अंतर्गत ट्रेन छूट जाने के बाद पांच दिनों के अंदर किराया वापिस लिया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के किन स्टेशनों पर उक्त योजना शुरू किए जाने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु)** : (क) से (ग) कंप्यूटरीकृत कोचिंग धन वापसी योजना नाम की एक प्रणाली पहले ही प्रचलन में है। इस योजना के तहत, यात्रा न करने वाले यात्रियों, निम्नतर श्रेणी यात्रा आदि के संबंध में कंडक्टर/टीटीई द्वारा तैयार की गई आपवाहिक डाटा रिपोर्ट यात्री आरक्षण प्रणाली में फीड कर दी जाती हैं। गाड़ी के आरंभिक स्टेशन से निर्धारित प्रस्थान से पांच दिन के भीतर देश में किसी भी कंप्यूटर टर्मिनल से धनवापसी प्राप्त की जा सकती है। पांच दिन की समय-सीमा अब बढ़ाकर तीस दिन कर दी गई है।

*[अनुवाद]*

**एल.पी.जी. नियंत्रण आदेश 2003 में परिवर्तन**

**582. श्री किसनभाई वी. पटेल** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सी एन जी/पी एन जी उपभोक्ताओं को एल पी जी सिलेण्डर रखने या इसका लाभ लेने से रोकने के लिए एल पी जी नियंत्रण आदेश, 2003 में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे सी एन जी/पी एन जी उपभोक्ताओं को एल पी जी कनेक्शन का लाभ लेने से रोके जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) देश में वर्तमान में सी एन जी/पी एन जी उपभोक्ताओं की कुल संख्या कितनी है?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल)** : (क) से (ग) पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पी एन जी) के ग्राहकों के लिए एल पी जी कनेक्शनों के प्रतिबंध से संबंधित नियंत्रण आदेश में संशोधन सरकार के विचाराधीन है।

(घ) यह बताया गया है कि दिनांक 1.1.2008 तक देश में 775119 घरेलू पी एन जी उपभोक्ता तथा 345663 सी एन जी वाहन हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**पूर्वाह्न 11.04 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

---

**मध्याह्न 12.00 बजे**

*लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।*

*(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)*

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अपना–अपना स्थान ग्रहण करें। आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति सभा पटल पर रखी जाए।

...*(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : आप सभी अपनी सीट्स पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : पेपर्स भी ले नहीं करने देंगे, तो फिर क्या होगा?

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अपने–अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे। मद संख्या 2 – श्री पी. चिदम्बरम।

**अपराह्न 12.01 बजे**

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

*[अनुवाद]*

**वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम)** : मैं आर्थिक सर्वेक्षण 2007–2008 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 8112/2008]

**भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव)** : लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2006–2007 (खण्ड – एक और दो) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 8113/2008]

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। मद संख्या 4 – श्री विजय हान्डिक।

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक)** : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 1729(अ) जो 10 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसमें 2007–2008 की रबी फसल के दौरान यूरिया के घरेलू विनिर्माताओं द्वारा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को की जाने वाली यूरिया की आपूर्ति दर्शाई गई है, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 8114/2008]

---

**अपराह्न 12.01¼ बजे**

## विशेषाधिकार समिति के दसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

*[हिन्दी]*

**श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव** (पार्वतीपुरम) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:

"कि यह सभा विशेषाधिकार समिति के दसवें प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) से सहमत है।"

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा विशेषाधिकार समिति के दसवें प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) से सहमत है।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

---

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मद संख्या 6 – श्री अमिताभ नन्दी।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : मेरी अनुमति के बिना कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए। कृपया अब आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)**

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अपराह्न 12.01½ बजे**

## गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

### 129वां प्रतिवेदन

*[अनुवाद]*

**श्री अमिताभ नन्दी** (दमदम) : मैं संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 2007 और संविधान (एकसौ सातवां संशोधन) विधेयक, 2007 के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 129वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

### साक्ष्य

**श्री अमिताभ नन्दी** : मैं संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 2007 और संविधान (एकसौ सातवां संशोधन) विधेयक, 2007 के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

---

**अपराह्न 12.02 बजे**

## सभा का कार्य

*[अनुवाद]*

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी)** : महोदय, मैं आपकी अनुमति से सोमवार दिनांक 3 मार्च, 2008, से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकार के कार्य की घोषणा करता हूं। इसके कार्यों में निम्नलिखित पर विचार सम्मिलित हैं:–

1. आज के आदेश पत्र से आगे ले जाए गए सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।
2. रेल बजट, 2008–09 पर सामान्य कार्य।
3. निम्नलिखित मांगों पर चर्चा और मतदानः
   (क) लेखानुदानों की मांगें (रेल) वर्ष 2008–09
   (ख) अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) वर्ष 2007–08
   (ग) अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) वर्ष 2005–06
4. रेल (संशोधन) अध्यादेश, 2008 की अस्वीकृति हेतु सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा रेल (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार तथा इसको पारित किया जाना।

*[हिन्दी]*

**श्री हंसराज गं. अहीर** (चन्द्रपुर) : अध्यक्ष महोदय, देश के कृषि क्षेत्र में इथेनॉल उत्पादन हेतु किया गया करोड़ों रुपये का निवेश देखते हुए पैट्रोल में इसके मिश्रण को बाध्यकारी बनाने के लिए सरकार द्वारा विनियम बनाकर इसका प्रभावी अमल करने की आवश्यकता है।

सी.आई.एल. तथा इससे संलग्न सहयोगी कंपनियों द्वारा कोयला खानों के लिए किसानों से अधिग्रहित की गई भूमि का विस्थापित किसानों को लाभकारी मूल्य तथा अन्यन्य लाख सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : चार–छः मैम्बर्स रह गए हैं। सबमिशंस हैं। मैरिट की बात नहीं है। सब्जेक्ट ही मेंशन करना है। अब, प्रो. कादर मोहिदीन।

*[अनुवाद]*

**प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन** (वेल्लोर) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को सम्मिलित किया जाए।

(1) विवाहों के पंजीकरण हेतु पूरे देश में मुस्लिम मोहल्ला जमात विवाह पंजीकरण प्रणाली को सरकार द्वारा कानूनी स्वीकृति दी जाए।

(2) पारिवारिक विवादों का निपटारा करने और इनके कारण न्यायालयों में बड़ी संख्या में मुकदमों का ढेर लगने से रोकने के लिए हमारी कानून प्रणाली के भाग के रूप में मुस्लिम शरीयत पंचायत को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता है।

**श्री के. फ्रांसिस जार्ज** (इदुक्की) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को सम्मिलित किया जाएगा:–

1. देश में बढ़ रहे पर्यटन उद्योग को सुविधा प्रदान करने हेतु केरल में इदुक्की जिले जैसे देश के पर्यटन स्थलों पर नए विमानपत्तन स्थापित करने की आवश्यकता।
2. देश में मेगा अल्ट्रोमेगा विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की कमी वाले राज्यों को विद्युत के अनाबंटित हिस्से के समान वितरण की आवश्यकता।

*[हिन्दी]*

**श्रीमती रूपाताई डी. पाटील** (लातूर) : अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित मामलों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल करें:–

(1) देश के गन्ना किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं का संज्ञान लेकर गन्ना उत्पादक किसानों को विशेष पैकेज देकर उन्हें लाभकारी मूल्य मिलना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

(2) देश के अकाल पीड़ित राज्यों में जलापूर्ति की समस्या भीषण रूप धारण कर रही है। ऐसे सभी अकाल पीड़ित राज्यों में जलापूर्ति के लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान कर जलापूर्ति सुनिश्चित करे।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** डा. के.एस. मनोज – उपस्थित नहीं।

*[हिन्दी]*

**श्रीमती किरण माहेश्वरी** (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को भी लिया जाये, जो कि बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं:–

(1) देश की आजादी के 60 वर्ष बाद भी महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक स्थिति के संबंध में चर्चा की जाये।

(2) लड़के एवं लड़की की वैवाहिक आयु कम करना। इस विषय पर भी चर्चा की जाये।

**श्री शैलेन्द्र कुमार** (चायल) : अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ा जाये:–

(1) उ.प्र. में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत है। धन का दुरुपयोग हो रहा है। बी.पी.एल. कार्ड धारकों को रोजगार नहीं मिल रहा है। उपरोक्त शिकायत पर केन्द्र सरकार अपने स्तर से जांच कराके दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(2) उ.प्र. के संसदीय क्षेत्र चायल में मुख्य रेलवे लाइन जो (एन.सी.आर.) के अंतर्गत आते हैं, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर से चलने वाले स्टेशनों जैसे मनौरी, भरवारी, सिराथू से कानपुर औद्योगिक नगरी के लिए एम.एस.टी. पास बनवाया जाये ताकि यात्रियों को विशेष सुविधा मिल सके।

**डा. सत्य नारायण जटिया** (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित दो विषय सम्मिलित करें।

(1) केन्द्र सरकार कृषि और किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए निश्चित समयावधि में राहत देने के उपायों की घोषणा करे तथा विदेशों से खाद्यान्न आयात करने के बजाय देश के किसानों से आयातित मूल्यों पर स्वदेशी किसानों से गेहूं और खाद्यान्न की खरीदी करे।

(2) गंगा–यमुना, हिमालय के संरक्षण के लिए तथा देश की क्षिप्रा, नर्मदा सहित सभी नदियों को संरक्षित और प्रदूषण से मुक्ति के लिए समयबद्ध प्रभावी उपाय किये जाएं।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय :** डा. मनोज।

**श्री किन्जरपु येरननायडु** (श्रीकाकुलम) : महोदय...

**अध्यक्ष महोदय :** बिल्कुल वैसा ही चल रहा है, श्री येरननायडु। इन निवेदनों को पूरा होने दीजिए।

**डा. के.एस. मनोज** (अलेप्पी) : मुझे क्षमा कीजिए महोदय। जब आपने मेरा नाम पुकारा था उस समय मैं उपस्थित नहीं था।

**अध्यक्ष महोदय :** हां, आपको समय पर उपस्थित होना चाहिए था।

**डा. के.एस. मनोज :** अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को सम्मिलित किया जाए।

(1) तटवर्ती क्षेत्र प्रबंधन अधिसूचना के क्रियान्वयन से तटवर्ती विशेषकर केरल के जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र के मछुआरों के लिए बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो गई है। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह अधिसूचना में संशोधन करे।

(2) एनएचडी परियोजनाओं विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्ग–47 को चौड़ा करने के लिए भूमि अधिग्रहण यथार्थ के अनुसार नहीं है और इसमें अलग–अलग राज्यों की सामाजिक एवं भौगोलिक विविधताओं वाले भारत जैसे देश में सारी परियोजनाओं हेतु एक समान दिशा–निर्देश व्यावहारिक नहीं हैं। केरल जैसे जनसंख्या घनत्व वाले राज्य में आरओडब्ल्यू 45 मीटर के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले की समीक्षा और पुनर्विचार की आवश्यकता है।

---

**अपराह्न 12.04 बजे**

## समितियों के लिए निर्वाचन

### (एक) प्राक्कलन समिति

*[अनुवाद]*

**श्री सी. कुप्पुसामी** (मद्रास उत्तर) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2008 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीस सदस्य निर्वाचित करें।"

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2008 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीस सदस्य निर्वाचित करें।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

---

**अपराह्न 12.05 बजे**

### (दो) लोक लेखा समिति

*[हिन्दी]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 309 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2008 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पंद्रह सदस्य निर्वाचित करें।"

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 309 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2008 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीस सदस्य निर्वाचित करें।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

---

*[हिन्दी]*

**प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 2008 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 2008 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

---

**अपराह्न 12.10 बजे**

### (तीन) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

*[अनुवाद]*

**श्री रूपचंद पाल** (हुगली) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 312 ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2008 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें।"

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 312 ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2008 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**श्री रूपचंद पाल** : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 2008 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 2008 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

---

**अपराह्न 12.11 बजे**

**(चार) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति**

*[हिन्दी]*

**श्री रतिलाल कालीदास वर्मा** (धन्धुका) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 331ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2008 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।"

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 331ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2008 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*[हिन्दी]*

**श्री रतिलाल कालीदास वर्मा** : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 2008 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा के दस सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 2008 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा के दस सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के

लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

---

**अपराह्न 12.12 बजे**

## कार्य मंत्रणा समिति के 45वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

*[अनुवाद]*

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी)** : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 27 फरवरी, 2008 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 45वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 27 फरवरी, 2008 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 45वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

---

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

**अध्यक्ष महोदय** : आप लोग काम नहीं करना चाहते?

*...(व्यवधान)*

**श्री मोहन सिंह (देवरिया)** : अध्यक्ष महोदय, किसानों का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। *...(व्यवधान)*

**अपराह्न 12.13 बजे**

*(इस समय प्रो. एस.पी. सिंह बघेल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)*

**अपराह्न 12.13¼ बजे**

*(इस समय श्री चंद्रकांत खैरे और कुछ माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)*

**अपराह्न 12.13½ बजे**

*(इस समय डा. रतन सिंह अजनाला और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदय** : मैं उन माननीय सदस्यों का नाम पुकारने के लिए तैयार हूं जिन्होंने महत्वपूर्ण मामले उठाने हेतु सूचनाएं दी है।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : शुक्रवार सभा कल 29 फरवरी, 2008 के पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**अपराह्न 12.14 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 29 फरवरी, 2008/10 फाल्गुन, 1929 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

## अनुबंध-I

*तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका*

| क्रम सं. | सदस्य का नाम | तारांकित प्रश्नों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | श्री एस. अजय कुमार | 41 |
| 2. | श्री सुग्रीव सिंह | 42 |
| | श्री किसनभाई वी. पटेल | |
| 3. | श्री रवि प्रकाश वर्मा | 43 |
| | श्री आनंदराव विठोबा अडसूल | |
| 4. | श्री अजीत जोगी | 44 |
| 5. | डा. सत्यनारायण जटिया | 45 |
| 6. | श्री जुएल ओराम | 46 |
| | श्री कीरेन रिजीजू | |
| 7. | श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली | 47 |
| 8. | श्री रामजीलाल सुमन | 48 |
| | डा. चिन्ता मोहन | |
| 9. | श्री हरिभाऊ जावले | 49 |
| | प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा | |
| 10. | श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील | 50 |
| 11. | श्री एन. एस. वी. चित्तन | 51 |
| | श्री पी. मोहन | |
| 12. | श्रीमती पी. सतीदेवी | 52 |
| | श्री पी. करूणाकरन | |
| 13. | श्री प्रबोध पाण्डा | 53 |
| 14. | श्री मनोरंजन भक्त | 54 |
| | श्रीमती जयाप्रदा | |
| 15. | श्री रूपचंद पाल | 55 |
| 16. | श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी | 56 |
| 17. | श्री सूरज सिंह | 57 |
| 18. | श्री उदय सिंह | 58 |
| | श्री असादूद्दीन ओवेसी | |
| 19. | श्री एस.के. खारवेनथन | 59 |
| | श्रीमती मेनका गांधी | |
| 20. | श्री बची सिंह रावत 'बचदा' | 60 |

*अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका*

| क्र.सं. | सदस्य का नाम | प्रश्न संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आरुन रशीद, श्री जे.एम. | 376, 448 |
| 2. | आचार्य, श्री बसुदेव | 418 |
| 3. | अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा | 404, 454, 479, 514 |
| 4. | अग्रवाल, डा. धीरेंद्र | 384 |
| 5. | अहीर, श्री हंसराज गं. | 358, 487, 574 |
| 6. | अजय कुमार, श्री एस. | 452, 512 |
| 7. | अंगड़ि, श्री सुरेश | 374, 500, 540 |
| 8. | अप्पादुरई, श्री एम. | 411, 486, 569 |
| 9. | आठवले, श्री रामदास | 405 |
| 10. | 'बाबा', श्री के.सी. सिंह | 381, 465, 490, 520 |
| 11. | 'बचदा', श्री बची सिंह रावत | 434, 505, 543, 563 |
| 12. | बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई | 355, 435, 503, 553, 570 |
| 13. | बर्मन, श्री हितेन | 354, 484 |
| 14. | बर्मन, श्री रनेन | 555 |
| 15. | बखला, श्री जोवाकिम | 363, 442 |
| 16. | भगोरा, श्री महावीर | 368 |
| 17. | भक्त, श्री मनोरंजन | 462 |
| 18. | बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी | 409, 463 |
| 19. | चक्रवर्ती, श्री अजय | 392, 473 |
| 20. | चौरे, श्री बापू हरी | 400, 480, 528 |
| 21. | चिन्ता मोहन, डा. | 463 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 22. | चौधरी, श्री पंकज | 581 |
| 23. | चौधरी, श्री अधीर | 485, 569 |
| 24. | देवरा, श्री मिलिन्द | 373, 446, 509, 545 |
| 25. | धनराजू, डा. के. | 389, 471, 524 |
| 26. | ढींढसा, श्री सुखदेव सिंह | 366 |
| 27. | धोत्रे, श्री संजय | 400, 480, 528 |
| 28. | गढ़वी, श्री पी.एस. | 408 |
| 29. | गमांग, श्री गिरिधर | 538 |
| 30. | गांधी, श्रीमती मेनका | 493 |
| 31. | गंगवार, श्री संतोष | 396, 421, 468, 518 |
| 32. | गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव | 458 |
| 33. | गेहलोत, श्री थावरचन्द | 480 |
| 34. | जार्ज, श्री के. फ्रांसिस | 398 |
| 35. | जगन्नाथ, डा. एम. | 415, 488, 524, 533 |
| 36. | जैन, श्री पुष्प | 475 |
| 37. | जावले, श्री हरिभाऊ | 460, 518 |
| 38. | जयाप्रदा, श्रीमती | 464 |
| 39. | झा, श्री रघुनाथ | 426, 496, 539 |
| 40. | जिन्दल, श्री नवीन | 364, 443 |
| 41. | जोगी, श्री अजीत | 456, 516 |
| 42. | जोशी, श्री प्रहलाद | 428 |
| 43. | खैरे, श्री चंद्रकांत | 353, 494, 538, 562, 574 |
| 44. | खारवेनथन, श्री एस.के. | 445, 508, 550, 568 |
| 45. | कौशल, श्री रघुवीर सिंह | 365, 444, 507, 544, 564 |
| 46. | कोया, डा. पी.पी. | 475 |
| 47. | कृपलानी, श्री श्रीचन्द | 385, 466 |
| 48. | कृष्ण, श्री विजय | 393 |
| 49. | कृष्णदास, श्री एन.एन. | 419, 512 |
| 50. | कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह | 420 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 51. | 'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह | 459 |
| 52. | माधवराज, श्रीमती मनोरमा | 380, 393, 471, 527 |
| 53. | महरिया, श्री सुभाष | 370, 490 |
| 54. | महतो, श्री नरहरि | 575 |
| 55. | महताब, श्री भर्तृहरि | 413, 579 |
| 56. | महतो, श्री टेक लाल | 382, 455, 515 |
| 57. | माझी, श्री परसुराम | 395 |
| 58. | मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार | 468, 518 |
| 59. | मंडल, श्री सनत कुमार | 378, 449, 476, 537, 541 |
| 60. | मसूद, श्री रशीद | 371, 491, 535, 559 |
| 61. | मिश्रा, डा. राजेश | 376, 448 |
| 62. | मोहन, श्री पी. | 550, 579 |
| 63. | मोल्लाह, श्री हन्नान | 397 |
| 64. | मंडल, श्री अबु अयीश | 432, 502, 542 |
| 65. | मुफ्ती, सुश्री महबूबा | 383 |
| 66. | मुर्मू, श्री हेमलाल | 395, 475, 478, 577 |
| 67. | नन्दी, श्री अमिताभ | 431, 501, 542 |
| 68. | नायक, श्री अनन्त | 422, 492, 536, 560, 573 |
| 69. | निखिल कुमार, श्री | 391, 472, 548 |
| 70. | निजामुद्दीन, श्री गुंडलूर | 433, 471 |
| 71. | ओराम, श्री जुएल | 457, 517, 548 |
| 72. | ओवेसी, श्री असादूद्दीन | 441, 506, 551, 569 |
| 73. | पल्लानी शामी, श्री के.सी. | 379, 450, 511 |
| 74. | पाण्डा, श्री प्रबोध | 451 |
| 75. | पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण | 396, 436, 475, 477, 558 |
| 76. | परस्ते, श्री दलपत सिंह | 375, 447, 456, 510 |
| 77. | पटेल, श्री किसनभाई वी. | 576, 578, 580, 582 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 78. | पाठक, श्री हरिन | 407 |
| 79. | पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब | 430 |
| 80. | पाटील, श्रीमती रूपाताई डी. | 361, 424, 439 |
| 81. | राजगोपाल, श्री एल. | 362, 483, 531 |
| 82. | रामदास, प्रो. एम. | 394, 474, 525 |
| 83. | रामकृष्णा, श्री बाडिगा | 387, 469, 512, 522 |
| 84. | राव, श्री के.एस. | 367, 495, 569 |
| 85. | राव, श्री रायापति सांबासिवा | 410, 485, 532, 556 |
| 86. | राठौड़, श्री हरिभाऊ | 417, 524 |
| 87. | रवीन्द्रन, श्री पन्नियन | 403, 482, 530 |
| 88. | रावले, श्री मोहन | 400 |
| 89. | रेड्डी, श्री जी. करूणाकर | 359, 438, 480, 537, 561 |
| 90. | रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी. | 547 |
| 91. | रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन | 483 |
| 92. | रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव | 461 |
| 93. | रिजीजू, श्री कीरेन | 396, 436, 475, 477 |
| 94. | साय, श्री नन्द कुमार | 453, 478, 534, 546, 576 |
| 95. | सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी | 399 |
| 96. | सरडगी, श्री इकबाल अहमद | 360, 476, 526, 554, 571 |
| 97. | शर्मा, डा. अरूण कुमार | 401 |
| 98. | सतीदेवी, श्रीमती पी. | 440, 519, 549, 567 |
| 99. | सत्यनारायण, श्री सर्वे | 429, 547 |
| 100. | शाक्य, श्री रघुराज सिंह | 395, 475, 577 |
| 101. | शर्मा, श्री मदन लाल | 425, 470 |
| 102. | शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील | 404, 454, 479, 514 |
| 103. | शिवन्ना, श्री एम. | 380, 393, 471, 478, 527 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 104. | शिवनकर, प्रो. महादेवराव | 394, 474, 525 |
| 105. | सिद्दीश्वर, श्री जी.एम. | 356, 437, 504, 557, 572 |
| 106. | सिद्धू, श्री नवजोत सिंह | 372, 497 |
| 107. | सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी | 369, 384 |
| 108. | सिंह, श्री दुष्यंत | 395, 402, 481, 529 |
| 109. | सिंह, श्री गणेश | 406, 473, 524 |
| 110. | सिंह, श्री मोहन | 394, 423 |
| 111. | सिंह, श्री प्रभुनाथ | 388, 470, 523, 552 |
| 112. | सिंह, श्री रेवती रमन | 569, 579 |
| 113. | सिंह, श्री सुग्रीव | 453, 513, 546, 565 |
| 114. | सिंह, श्री सूरज | 463 |
| 115. | सिंह, श्री उदय | 464 |
| 116. | सिप्पीपाराई, श्री रविचन्द्रन | 377 |
| 117. | सोलंकी, श्री भरतसिंह माधवसिंह | 427, 498 |
| 118. | सोनोवाल, श्री सर्वानन्द | 414 |
| 119. | सुमन, श्री रामजीलाल | 459 |
| 120. | सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा | 390 |
| 121. | ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी. | 498 |
| 122. | थामस, श्री पी.सी. | 386, 467, 521 |
| 123. | त्रिपाठी, श्री बृज किशोर | 416, 470, 489, 534, 558 |
| 124. | वसावा, श्री मनसुखभाई डी. | 461 |
| 125. | वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी. | 412 |
| 126. | वर्मा, श्री रवि प्रकाश | 454, 514, 547, 566 |
| 127. | यादव, श्री एम. अंजनकुमार | 357 |
| 128. | येरननायडु, श्री किन्जरपु | 424, 475, 499 |

## अनुबंध-II

### तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

| | |
|---|---|
| रसायन और उर्वरक | 41, 42, 49 |
| नागर विमानन | 51 ,59 |
| संस्कृति | |
| खाद्य प्रसंस्करण उद्योग | |
| भारी उद्योग और लोक उद्यम | |
| अल्पसंख्यक मामले | |
| पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | 46, 48, 52, 54, 57, 60 |
| रेल | 44, 47, 50, 53 55 |
| सामाजिक न्याय और अधिकारिता | 43, 45, 56 |
| इस्पात | |
| पर्यटन | 58 |

### *अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका*

| | |
|---|---|
| रसायन और उर्वरक : | 377, 415, 418, 434, 454, 457, 459, 460, 466, 476, 518, 521, 540, 576, 579 |
| नागर विमानन | 355, 359, 361, 368, 369, 373, 391, 394, 398, 419, 424, 436, 437, 439, 440, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 463, 464, 465, 467, 471, 472, 475, 479, 485, 486, 487, 492, 499, 506, 508, 529, 534, 535, 536, 541, 542, 549, 550, 558, 561, 563, 567, 570, 578 |
| संस्कृति | 354, 364, 380, 402, 422, 444, 468, 525, 556, 565 |
| खाद्य प्रसंस्करण उद्योग | 362, 384, 406 |
| भारी उद्योग और लोक उद्यम | 404, 431, 473, 502, 537, 553 |
| अल्पसंख्यक मामले | 358, 367, 400, 429, 448, 547, 551, 566 |
| पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | 356, 366, 370, 374, 376, 378, 379, 383, 386, 388, 390, 401, 408, 412, 413, 414, 416, 425, 426, 427, 435, 438, 458, 461, 474, 480, 488, 489, 493, 495, 496, 503, 507, 512, 514, 519, 524, 531, 533, 572, 580, 582 |
| रेल | 363, 365, 371, 382, 385, 387, 389, 392, 395, 397, 399, 403, 407, 410, 411, 417, 420, 423, 428, 432, 442, 446, 450, 452, 453, 455, 469, 470, 478, 482, 483, 490, 491, 494, 497, 498, 505, 509, 511, 513, 515, 516, 520, 523, 526, 527, 530, 543, 544, 546, 548, 554, 555, 557, 559, 560, 564, 568, 575, 577, 581 |
| सामाजिक न्याय और अधिकारिता | 357, 375, 381, 393, 405, 430, 433, 456, 477, 500, 504, 510, 528, 539, 552, 571 |
| इस्पात | 353, 372, 396, 421, 484, 501, 517, 522, 538, 562, 573, 574 |
| पर्यटन | 360, 409, 462, 481, 532, 545, 569 |

## इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

## लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

## लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली–110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. 48/32/4/2008 (एन.)
215

© 2008 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत
और श्री एन्टरप्राईज़िज, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।